खण्ड-523, अंक-02
मंगलवार, 17 श्रावण, शक संवत् 1945
(दिनांक 08 अगस्त, 2023 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2023)

(खण्ड 523 में 05 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	1-8
प्रश्नोत्तर	...	...	9-169
श्री सौरभ श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा को उनके जन्मदिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई	...	...	170
विवाहोपरान्त श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा द्वारा समस्त सदस्यगण के लिये दिये जा रहे मध्याह्न भोज की सूचना		...	170
अतारांकित प्रश्न संख्या-10 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न		...	170
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	171-172
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र ग्राम डीह पुलिया से ग्राम बाबरी बुटराडा तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	172
जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत खड्डा-सिसवा मार्ग एवं नेबुआ-जटाहा मार्ग के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..			172
जनपद कानपुर नगर के कतिपय तहसीलों के न्यायिक क्षेत्राधिकार के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	173
जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय कन्या डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	173-174
जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गोला बाजार सरयू नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...		174
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहारन के ग्राम बुढाखेड़ा से गांगनौली से सधान सेर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	174-175
जनपद झाँसी में ललितपुर रोड पर झाँसी-मानिकपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	175
जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा के अन्तर्गत ग्राम मलौली में स्थित औद्योगिक जमीन पर पराग/अमूल प्लाण्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	175-176

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव के अन्तर्गत नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे पर बलदेव के पास कट बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	176
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर नगर में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	176-177
उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालकों को कृषि दर पर बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	177
जनपद मेरठ के तहसील मवाना में खाटूश्याम मंदिर जाने वाले कतिपय दर्शनार्थियों की दुर्घटना में मृत्यु उपरान्त मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	177-178
जनपद आजमगढ़ में मो0 आजम व हरिराम प्रसाद, सहायक अध्यापकों को सातवें वेतन के अनुसार एरियर का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	178
जनपद जौनपुर के कतिपय परिषदीय विद्यालयों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	178-179
जनपद शाहजहांपुर में विधान सभा क्षेत्र कटरा के विकास खण्ड कलान के ग्राम पंचायत परौर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	179
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट की मुख्य रोड छाता-शेरगढ़-गौतम मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	179-180
जनपद बलिया की बांसडीह विधान सभा क्षेत्र के बड़ागाँव में चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	180
जनपद बुलन्दशहर के ग्राम गढ़िया से पवसरा रजवाहे की पटरी पर काली सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	180
जनपद चन्दौली में स्थित मारूखपुर-नैढ़ी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	180-181
जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र में बस डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	181

विषय			पृष्ठ संख्या
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के बादशाही बाग तहसील बेहट में नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	181-182
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	...	...	182
प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों/प्रोटोकॉल का अनुपालन न करने से विधायिका की गिरती हुई गरिमा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न		...	182-186
मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थाई समितियों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	...	186-188
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-269/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-206-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(263)-2023, दिनांक 01 मार्च, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई)		...	188
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-270/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-207-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(264)-2023, दिनांक 01 मार्च, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई)		...	188
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-271/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-208-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(265)-2023, दिनांक 01 मार्च, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई)		...	189
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-272/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-209-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(266)-2023, दिनांक 01 मार्च, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई)		...	189
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-04/ग्यारह-2-23-9(42)-17-टी0सी0-65-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(267)-2023, दिनांक 20 मार्च, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई)		...	189
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-509/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-210-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(268)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई)		...	189

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-510/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-211-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(269)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	190
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-512/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0 सी0-212-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(270)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	190
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-513/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0 सी0-213-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(271)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	190
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-514/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0 सी0-214-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(272)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	190
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-515/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0 सी0-215-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(273)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	191
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-511/ग्यारह-2-23-9(42)-17-टी0सी0-66-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(274-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई)	191
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-693/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-216-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(275)-2023, दिनांक 18 मई, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	191
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-694/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-217-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(276)-2023, दिनांक 13 जून, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	191
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-7 की उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ की वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गई)	192
गृह (पुलिस) अनुभाग-12 की 13 अगस्त, 1980 को जनपद मुरादाबाद में हुए दंगों की जांच रिपोर्ट (विलम्ब के कारणों सहित) (सदन के पटल पर रखी गई)	192

विषय	पृष्ठ संख्या
पंचायती राज अनुभाग-2 की उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत) अधिशासी अभियन्ता (सिविल) केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग सेवा नियमावली, 2023 की अधिसूचना संख्या-1546/33-2-2023, दिनांक 30 जून, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई)	192
पंचायती राज अनुभाग-2 की उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 की अधिसूचना संख्या-1548/33-2-2023-80 जी-2000, दिनांक 30 जून, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई)	192-193
राजस्व अनुभाग-4 का लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2023 (लो0आ0), दिनांक 06-04-2023 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)...	193
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 (विलम्ब के कारणों सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	193
वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राजस्व क्षेत्र पर अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-4 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	193
वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का बाणसागर नहर परियोजना तथा चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम आधुनिकीकरण परियोजना के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-2 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	193-194
वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-3 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	194
ऊर्जा अनुभाग-1 की पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की सोलहवीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-2019 (सदन के पटल पर रखी गई)	194

विषय	पृष्ठ संख्या
ऊर्जा अनुभाग-1 की दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सोलहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 (सदन के पटल पर रखा गया)...	194
ऊर्जा अनुभाग-1 की दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सत्रहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 (सदन के पटल पर रखा गया)...	194
ऊर्जा अनुभाग-1 का उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का सत्रहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	195
परिवहन अनुभाग-2 के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2013-2014 (विलम्ब के कारणों सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	195
परिवहन अनुभाग-2 के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2014-2015 (विलम्ब के कारणों सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	195
परिवहन अनुभाग-2 के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2015-2016 (विलम्ब के कारणों सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	195
परिवहन अनुभाग-2 के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2016-2017 (विलम्ब के कारणों सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	195
परिवहन अनुभाग-2 के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2017-2018 (विलम्ब के कारणों सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	196
परिवहन अनुभाग-4 की उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित किये जाने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना संख्या-21/2023/814/तीस-4-2023-8(19)-2018 टीसी, दिनांक 12 जून, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई)	196
परिवहन अनुभाग-4 की उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित किये जाने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना संख्या-17/2023/715/तीस-4-2023-30-4099/22-2022, दिनांक 19 मई, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई)	196

विषय	पृष्ठ संख्या
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-09/2023/2017/80-1-2023-80-1001-318-2019, दिनांक 13 जुलाई, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	196-197
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	197
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	197
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का तृतीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	197
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का चतुर्थ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	197
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का पंचम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	197
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का षष्ठम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	198
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का सप्तम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	198
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का अष्ठम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	198
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का नवम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	198
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का षष्ठम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	198
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का सप्तम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	199
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का अष्टम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	199

विषय			पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का नवम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	...		199
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का दशम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	...		199-200
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का ग्यारहवाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)...	...		200
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का बारहवाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)...	...		200
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का तेरहवाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)...	...		200
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का चौदहवाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)...	...		200-201
याचिकाओं का उपस्थापन	...	...	201
श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)...	...		201
डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	...	...	201
श्री जय कुमार सिंह जैकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	...		202
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)...	...		202
श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	...	...	202
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	...	...	202
श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)...			202

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	203
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	203
श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	203
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	203
श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	203
श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	203-204
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	204
डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	204
डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	204
श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	204
श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	204
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	205
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	205
डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	205
श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	205

विषय			पृष्ठ संख्या
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)...	...		205
श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)...	...		205
श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)...	...		206
श्री आशुतोष शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)...	...		206
श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	...		206
श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)...	...		206
डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)...	...		206
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	...	...	207
श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)...			207
श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)...	...		207
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	...		207
श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)...	...		207
श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	...		207
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	...		208

विषय			पृष्ठ संख्या
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन की कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	...	208-209
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित)	...	...	209
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित)	...	...	209-210
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	...	...	210-236
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 (पारित)	...	...	236-251
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (पारित)	...		251-255
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (पारित)	...		256-260
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (पारित)	...		261-268
अट्ठारहवीं विधान सभा में कतिपय कारणवश क्षेत्रीय समस्याओं पर सदन में न बोल पाने वाले सदस्यों को अपनी बात रखने हेतु अवसर	...		269-314
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	314-316
नत्थियाँ	...	...	317-369

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 08 अगस्त, 2023

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-376

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — सन्तकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अजय, श्री — गोण्डा
5. अजय कुमार, डॉ0 — बागपत
6. अजय सिंह, श्री — बस्ती
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
9. अताउर रहमान, श्री — बरेली
10. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
11. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
12. अदिति सिंह, श्रीमती — रायबरेली
13. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
14. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
15. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
16. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्तकबीरनगर
17. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
18. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
19. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
20. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
21. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
22. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
23. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
24. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
25. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
26. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
27. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
28. अमन गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
29. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
30. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
31. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
32. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
33. अरमान खान, श्री — लखनऊ
34. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
35. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
36. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
37. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
38. अशरफ अली खान, श्री — शामली
39. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
40. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
41. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
42. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
43. आकाश सक्सैना (हनी), श्री — रामपुर

44. आदित्यनाथ योगी, श्री गोरखपुर
45. आनन्द कुमार यादव, श्री बहराइच
46. आर0 के0 पटेल, डॉ0 जौनपुर
47. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
48. आशा मौर्य, श्रीमती सीतापुर
49. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री हरदोई
50. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
51. आशुतोष शुक्ल, श्री उन्नाव
52. आशु मलिक, श्री सहारनपुर
53. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
54. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
55. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
56. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
57. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
58. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
59. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
60. एम0 पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
61. ओमकुमार, श्री बिजनौर
62. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
63. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
64. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
65. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
66. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
67. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
68. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
69. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
70. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
71. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
72. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
73. कैलाश, श्री चन्दौली
74. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
75. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
76. गणेश चन्द्र, श्री सन्तकबीरनगर
77. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
78. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
79. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
80. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
81. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
82. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
83. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
84. चंदन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
85. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
86. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
87. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
88. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
89. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
90. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
91. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
92. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
93. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
94. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
95. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
96. जयमंगल, श्री महराजगंज
97. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
98. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
99. जाहीद, श्री भदोही
100. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
101. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा

102. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
103. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
104. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
105. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
106. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
107. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
108. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
109. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
110. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
111. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
112. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
113. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
114. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया
115. दुधराम, श्री बस्ती
116. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
117. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
118. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
119. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
120. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
121. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
122. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
123. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
124. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
125. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
126. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
127. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
128. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
129. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
130. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
131. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
132. नाहिद हसन, श्री शामली
133. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
134. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
135. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
136. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
137. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
138. पंकज पटेल, श्री जौनपुर
139. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
140. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
141. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
142. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
143. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
144. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
145. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
146. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
147. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
148. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
149. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
150. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
151. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
152. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
153. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
154. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
155. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
156. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
157. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
158. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
159. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
160. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली

161. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
162. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
163. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
164. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
165. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
166. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
167. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
168. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
169. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
170. बाबूराम, श्री पीलीभीत
171. बाबूलाल, श्री आगरा
172. बावन सिंह, श्री गोण्डा
173. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
174. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
175. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
176. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
177. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
178. बेदी, श्री गाजीपुर
179. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
180. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
181. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
182. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
183. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
184. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
185. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
186. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर
187. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
188. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
189. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
190. मनीष रावत, श्री सीतापुर
191. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
192. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
193. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
194. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
195. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
196. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
197. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
198. महबूब अली, श्री अमरोहा
199. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
200. महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री अमरोहा
201. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
202. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
203. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
204. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
205. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
206. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
207. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
208. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
209. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
210. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
211. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
212. मेघश्याम, श्री मथुरा
213. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
214. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
215. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
216. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
217. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
218. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
219. योगेश धामा, श्री बागपत
220. योगेश वर्मा, श्री खीरी
221. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
222. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
223. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
224. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
225. रफीक अंसारी, श्री मेरठ

226. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
227. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
228. रमेश सिंह, श्री जौनपुर
229. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
230. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
231. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
232. रवि शर्मा, श्री झांसी
233. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
234. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
235. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
236. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
237. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
238. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
239. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
240. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
241. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
242. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
243. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
244. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
245. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
246. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
247. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
248. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
249. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
250. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
251. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
252. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
253. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
254. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
255. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
256. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
257. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
258. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
259. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
260. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
261. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
262. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
263. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
264. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
265. रामकेश निषाद, श्री बांदा
266. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
267. राम चन्द्र यादव, श्री अयोध्या
268. रामदुलार, श्री सोनभद्र
269. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
270. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
271. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
272. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
273. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
274. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
275. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
276. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
277. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
278. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
279. रिंकी कोल, श्रीमती मिर्जापुर
280. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
281. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
282. लकी यादव, श्री जौनपुर
283. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
284. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
285. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
286. वाचस्पति, श्री प्रयागराज

287. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
288. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
289. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
290. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
291. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
292. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
293. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
294. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
295. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
296. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
297. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
298. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
299. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
300. विपुल दुबे, श्री भदोही
301. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
302. वीरेन्द्र यादव, डॉ0 गाजीपुर
303. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
304. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
305. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
306. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
307. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
308. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
309. शफीक अहमद अंसारी, श्री रामपुर
310. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
311. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
312. शशांक वर्मा, श्री खीरी
313. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
314. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
315. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
316. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
317. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
318. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
319. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
320. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
321. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
322. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
323. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
324. संग्राम सिंह, श्री बलिया
325. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
326. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
327. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
328. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
329. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
330. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
331. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
332. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
333. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
334. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
335. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
336. सभाकुंवर, श्री देवरिया
337. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
338. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
339. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
340. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
341. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
342. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
343. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
344. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
345. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
346. सुचि, श्रीमती बिजनौर
347. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
348. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
349. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी
350. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच
351. सुरभी, डॉ0 फर्रुखाबाद
352. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री कुशीनगर

353. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री देवरिया
354. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
355. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
356. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
357. सुरेश राही, श्री सीतापुर
358. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
359. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
360. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
361. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री गाजीपुर
362. सैय्यदा खातून, श्रीमती सिद्धार्थनगर
363. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 मेरठ
364. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
365. सौरभ सिंह सोनू, श्री खीरी
366. स्वामी ओउ्मवेश, श्री बिजनौर
367. हंसु राम, श्री बलिया
368. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
369. हरिओम, श्री कासगंज
370. हरिप्रकाश वर्मा, श्री शाहजहांपुर
371. हरीश चन्द्र, श्री बदायूं
372. हरेन्द्र सिंह, श्री हापुड़
373. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री प्रयागराज
374. हाकिम लाल बिन्द, श्री प्रयागराज
375. हिमान्शु यादव, श्री बदायूं
376. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री आजमगढ़

नोट :-नगर विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह), लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद), सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप) तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्ति के सम्बन्ध में

***1-श्री अनिल प्रधान, श्री अभय सिंह तथा श्री गुलाम मौहम्मद-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संदीप कुमार सिंह)-

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद 4,17,886 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 85,152 पद रिक्त हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद 1,62,198 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 41,338 पद रिक्त हैं।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 3,32,734 शिक्षक तथा 1,47,766 शिक्षामित्र की संख्या को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 मानक के अनुसार पूर्ण है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 1,20,860 शिक्षक एवं 27,555 अनुदेशक की संख्या को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 मानक के अनुसार पूर्ण है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

श्री अनिल प्रधान-

मा0 अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार कि आपने मुझे अनुपूरक पूछने का मौका दिया। बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले 5 सालों में एक भी भर्ती नहीं आई है। बी0एड0, बी0टी0सी0 एवं डी0एल0एड0 के 10 से 15 लाख युवा टी0ई0टी0 परीक्षा पास करने के बाद भी बेरोजगारी की वजह से दर-दर भटक रहे हैं। साथ ही ऐसे लाखों बेरोजगार जो जूनियर भर्ती एवं 69,000 शिक्षक भर्ती में मा0 उच्च न्यायालय से निर्णय होने के पश्चात् नियुक्ति-पत्र पाने के लिए भटक रहे हैं। हजारों अभ्यर्थी जिनका मामला मा0 न्यायालयों में विचाराधीन है वह परेशान हैं एवं जो मा0 मंत्री जी का जवाब आया है कि परिषदीय विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, जिसको शिक्षामित्र एवं अनुदेशक पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन मानदेय के रूप में शिक्षामित्रों को मात्र 10,000 एवं अनुदेशकों को 9000 मानदेय मिल रहा है। इतने कम मानदेय

में वह अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे कर पायेंगे। अनुदेशकों का मानदेय 17,000 करने का आदेश मा0 न्यायालय सिंगल एवं डबल बेंच दोनों से जीतने के बाद अभी तक नहीं मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी मानदेय की बढ़ोत्तरी कब तक की जायेगी ? दूसरा प्रश्न मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि पिछले सत्र में मा0 मंत्री जी का जवाब आया था कि प्राथमिक विद्यालयों में 51,112 पद रिक्त हैं और छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, लेकिन आज जो जवाब आया है उसमें कहा जा रहा है कि एक लाख छब्बीस हजार चार सौ नब्बे पद रिक्त हैं तथा छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। यह कैसा अनुपात है कि रिक्त पदों की संख्या बढ़ने के बाद भी आपका अनुपात कम नहीं हुआ है ? मा0 मंत्री जी बतायें कि रिक्त पदों पर विज्ञापन कब तक जारी किया जायेगा। तीसरा प्रश्न हमारा है कि जूनियर एडेड भर्ती प्रक्रिया जिसका विज्ञापन 25 फरवरी, 2021 को जारी किया गया, लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर, 2021 को सम्पन्न हुई, परीक्षा परिणाम 15 नवम्बर, 2021 को जारी हुआ तथा पुनः संशोधित परीक्षा परिणाम 06 सितम्बर, 2022 को जारी किया गया, लेकिन उसके बाद अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराई गयी। मा0 मंत्री जी बतायें कि भर्ती प्रक्रिया को कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? चौथा प्रश्न मेरा है कि 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में कई प्रश्न विवादित थे उन विवादित प्रश्नों को लेकर परीक्षार्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर चीफ जस्टिस वाली डिवीजन बेंच, इलाहाबाद ने सभी याचियों को 01 अंक प्रदान करके मेरिट में आने वालों को नियुक्ति देने का आदेश दिया। इस आर्डर के खिलाफ उ0प्र0 सरकार सुप्रीम कोर्ट गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के आर्डर को सही ठहराया। परीक्षार्थी हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद भी दर-दर भटक रहे हैं। आज भी 2249 परीक्षार्थियों को नियुक्ति नहीं दी गयी है। कृपया मा0 मंत्री जी बतायें कि उक्त परीक्षार्थियों को कब तक नियुक्ति-पत्र प्रदान कर दिये जायेंगे ? पाँचवा प्रश्न यह है कि मा0 अध्यक्ष जी जो हमारी रसोइयाँ हैं इनको केवल 2 हजार रुपये मिलता है। जो रसोइयाँ गरीब हैं, विधवा हैं, असहाय हैं इनके बारे में मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि रसोइयों के वेतन को कम से कम 10,000 कब तक किया जायेगा ? हमारा आखिरी सवाल है कि स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदानित किये जाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ? और क्या सरकार शिक्षक भर्ती लायेगी या नहीं लायेगी इसके बारे में भी जवाब दे दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आने से पहले ही आपके सारे अनुपूरक तैयार हो गये हैं ?

श्री अनिल प्रधान-

मान्यवर, पहले से लिख कर लाये थे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अभय सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे मा0 सदस्य श्री अनिल प्रधान जी ने इस बारे में बहुत ही विस्तृत से कहा है और जो मा0 मंत्री जी का जवाब आया है उसमें अभी सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि किसी डी0एल0एड0 पास नौजवान को नौकरी दी जाए। हम मा0 मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि लाखों डी0एल0एड0 पास शिक्षित नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, जो कि टेट पास किए हैं सुपर टेट पास किए हैं, क्या उनके लिए सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री गुलाम मौहम्मद-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विभाग है। माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि चार लाख सत्रह हजार आठ सौ छियासी पद हैं। इसमें पच्चासी हजार एक सौ बावन पद रिक्त हैं। इसी तरह से उच्च प्राथमिक में एक लाख बासठ हजार एक सौ अट्ठानबे पद हैं उसमें से इकतालिस हजार पद रिक्त हैं। माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि छात्र और शिक्षक का जो रेशियो है वह 30 और 1 का है। दूसरे में अनुदेशकों को जोड़कर बता रहे हैं कि 35 और 1 का रेशियो है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह सवाल करना चाहता हूं, चूंकि यह महत्वपूर्ण मंत्रालय है और गरीब लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं। कहीं-कहीं तो 800 बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं और कहीं रेशियो 1 और 5 का है। यानी 1 शिक्षक और 5 स्टूडेन्ट्स हैं। इसी तरह से कहीं 10 का होगा। जो शहरों के करीब के स्कूल हैं वहां ज्यादा एप्वाइन्टमेन्ट्स हो जाते हैं। वहां ज्यादा ट्रान्सफर करा लेते हैं। वहां रेशियो बहुत कम है। जहां दूर-दराज के लोग हैं। जहां खास तौर से दलित समाज के लोग रहते हैं। जहां अल्पसंख्यक समाज, पिछड़े, गरीब लोग रहते हैं। वहां न शिक्षकों का इन्तजाम हैं और न ही सही तरह से शिक्षा दी जा रही है। जमीन पर आकर देखिये। जमीनी हकीकत को समझिये। इतना महत्वपूर्ण विभाग जो देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उसके साथ मजाक न करें। इस तरह से 20-1 का और 35-1 का रेशियो बता कर आप अपना दामन नहीं बचा सकते। आपको चाहिए कि शहर के करीब के इलाकों से टीचर्स को हटाकर वहां जहां पिछड़े, गरीब लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, वहां शिक्षक दिये जायें। ऐसे काम नहीं चलेगा। माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि शहर के करीब के स्कूल में शिक्षक और बच्चों का क्या अनुपात है ? एवं दूर-दराज के स्कूल जहां शिक्षक नहीं हैं जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे यहां 5-6 गांव ऐसे हैं जहां 800, 600 बच्चे हैं, पर स्कूल सिर्फ 2 हैं। वहां शिक्षक नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न आ गया, अब उत्तर आने दीजिए।

श्री गुलाम मौहम्मद-

मान्यवर, बेहतर। मेरी दरख्वास्त यही है कि इस विभाग के साथ न्याय करें। गरीबों के साथ न्याय करें, ताकि वे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। हमारे टीचर्स जो एप्वाइन्ट होते हैं, वे क्वालीफाइड होते हैं। आप थोड़ा सा जमीन पर आयें। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री संदीप कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया शिक्षकों के अनुपात को लेकर और प्रदेश में शिक्षकों की संख्या कम है। जिससे बच्चों के पठन-पाठन पर प्रभाव पड़ रहा है। मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रदेश में शिक्षकों की जो संख्या है। हमने शिक्षकों और छात्रों का जो अनुपात बनाया है और जो पूरे देश भर में लागू होता है। जिसके बारे में माननीय सदस्य भी बोल रहे थे। प्राइमरी में एक शिक्षक पर 30 बच्चों का है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक शिक्षक का है। वर्तमान में हमारे पास चार लाख तिरपन हजार पांच सौ चौवन शिक्षक हैं और एक लाख सैंतालिस हजार सात सौ छाछठ शिक्षा मित्र और सत्ताइस हजार पांच सौ पचपन अनुदेशकों को मिलाकर हमारे पास जो शिक्षक और जो पूरे प्रदेश में हमें अनुपात बनाना है वह 1:30 का प्राइमरी में और 1:35 का अपर प्राइमरी में है। इस अनुपात को हम सब लोग पूरा करते हैं और किसी भी विद्यालय में बच्चों के पठन-पाठन पर इस तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि विद्यालयों में शिक्षकों का जो रेशियो है वह रेशियो उसी जनपद के अन्तर्गत बराबर नहीं है। रेशियो के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है। जिले के अन्दर हर एक विद्यालय में शिक्षकों का जो अनुपात है, उसको बराबर बनाया जाये और अन्तर्जनपदीय हम सब लोग शिक्षकों को जिस भी विद्यालय में शिक्षक एक्स्ट्रा हैं और बच्चे कम हैं तो उस विद्यालय से शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में जहां बच्चे कम हैं उस विद्यालय में भेजने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जा रही है। हम सब लोग इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने और भी काफी सारे सवाल उठाये थे शिक्षामित्रों को लेकर और विभिन्न तरह के जो कि मूल प्रश्न से काफी अलग है, लेकिन फिर भी मैं जवाब देना चाहता हूँ।

मान्यवर, जो शिक्षामित्रों को 3500 रुपये का मानदेय दिया जाता था उसको बढ़ाकर हमने 10,000 रुपये कर दिया है। हम शिक्षामित्रों के हित के लिए काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी शिक्षामित्र को असुविधा हो और जो शिक्षामित्र हमारी भर्ती परीक्षा और सारी क्वालीफिकेशन और अहर्ताओं को पूरा किया है, तो उन सभी शिक्षामित्रों को हमारी पिछली सरकार में दो भर्तियां आयीं 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 हजार शिक्षक भर्ती इन भर्तियों में शिक्षामित्रों को अलग से वैटेज भी दिया गया है और काफी सारे शिक्षामित्र इसमें भर्ती भी हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6688 शिक्षामित्र भर्ती हुए हैं और 68,500 शिक्षक भर्ती में 8552 शिक्षामित्र सहायक अध्यापक के रूप में भर्ती हुए हैं और पठन-पाठन के कार्य को बेहतर किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

गुलाम मौहम्मद जी, आप बैठ जाएं केवल अभय सिंह ही बोलेंगे। कृपा करके आप सभी बैठ जाइये।

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। जो आपका जबाव आया था उसी के क्रम में हमने आपसे यह पूछा था कि जो लाखों डी0एल0एड0 पास छात्र रोड पर घूम रहे हैं और सभी बेरोजगार हैं, उन्होंने टी0ई0टी0 और सी0टी0ई0टी0 पास किया है इस आशा में कि प्राइमरी में भर्ती निकलेगी और हम मास्टर बन जायेंगे। क्या इन सभी को भर्ती करने के लिए आपके पास कोई योजना है या नहीं है। आपने जबाव में लिख रखा है कि भर्ती की कोई योजना नहीं है, कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा। हम यही जानना चाहते हैं कि आप भर्ती करेंगे या नहीं करेंगे।

श्री संदीप कुमार सिंह-

मान्यवर, जो भी नियुक्ति को लेकर प्रकरण चल रहे हैं वह सभी मा0 न्यायालय में विचाराधीन हैं और मा0 न्यायालय से जब तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिल जाता है और निर्णय नहीं आता है तब तक सरकार द्वारा इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-2 श्री लालजी वर्मा जी।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने में खुदाई से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में

***2-श्री लालजी वर्मा, श्री मनोज कुमार पारस, श्री पंकज मलिक, डा0 शिव प्रताप यादव, श्री लकी यादव, इंजी0 बृजेश कठेरिया, श्री मनोज कुमार पाण्डेय तथा श्री अवधेश प्रसाद-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने में खुदाई से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं ? यदि हां, तो उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कार्यदायी संस्था द्वारा कराए जाने की कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल शक्ति मंत्री (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति) (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

जी हाँ। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने के समय कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त क्षतिग्रस्त सड़कों की पूर्व जैसी स्थिति तक मरम्मत/पुनर्स्थापना के प्रावधान किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह पूरे प्रदेश में लागू होता है, कोई भी गांव आज ऐसा नहीं है सड़कें टूटने की वजह से जहां पर आप आसानी से बरसात में नहीं जा सकते हैं। पेयजल लाइन बिछाने के लिए सारी ग्रामीण सड़कों को तोड़ दिया गया है और कई जगह तो लम्बा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक एक भी गांव की सड़क को बनाने का काम नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें तो अनुपूरक बनता ही नहीं है। जो प्रश्न आया है उसका तो उत्तर आ गया है। वह बता तो रहे हैं कि हम सड़क बना रहे हैं। आप गली-मोहल्लों की सड़कों का नाम लेंगे तो वह यहां सम्भव नहीं है। इसमें पूरा उत्तर आ चुका है, इसमें तो अनुपूरक बनता ही नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछाने की वजह से कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ठीक किया जायेगा। मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कितने समय में सड़कों की मरम्मत हो जायेगी और तोड़ने के बाद पाइप लाइन बिछाने के कितने समय के बाद सड़कों को बना दिया जायेगा और सड़कों की मरम्मत का काम कौन करेगा। किसी एक गांव का नाम बता दें, पूरे प्रदेश में जहां पर सड़कें, जो विभाग द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़कें तोड़ी गयी हैं उसी विभाग द्वारा फिर से बनाई गयी हैं।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री अवधेश प्रसाद, श्री मनोज कुमार पारस, श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए खड़े होने पर)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी के पास क्षेत्रवार कोई जानकारी नहीं होगी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, प्रश्न में मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न का मतलब है कि अगर कोई पालिसी मैटर है, तो उसके सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछिये। अब अगर आप यह पूछेंगे कि आपके यहां की राम गली से लेकर श्याम गली तक सड़क की मरम्मत हुई है या फिर नहीं हुई है, तो ऐसा सवाल पूछने का मतलब नहीं है। अगर गली-मोहल्ले के बारे में पूछना है, तो अतारांकित प्रश्न लेकर आइये। श्री पंकज कुमार मलिक जी, कृपया आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां बहुत दिक्कत होती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने के समय क्षतिग्रस्त हुई कितनी सड़कों की मरम्मत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा समय से नहीं कराई गई है, इस सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सरकार ने ऐसी कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। आप सब स्वयं जानते हैं कि पहले की सरकार में क्या स्थिति थी और उस समय बुन्देलखण्ड में ट्रेन से पानी मंगाया जाता था। आज भी हमारे सामने संकट है, दलित बस्ती से लेकर हर जगह संकट है। हमें वर्ष 2024 तक 'हर घर जल' का लक्ष्य पूरा करना है। हम पहले की सरकारों में बहुत पीछे थे, लेकिन आज हम प्रतिदिन 40,000 नल कनेक्शन दे रहे हैं।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा 'झूठ-झूठ' कहे जाने पर)

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

अगर मैं झूठ बोल दूंगा तो मेरा रिजाइन ले लेना। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शान्त रहिये और माननीय मंत्री जी का उत्तर आने दीजिये। आप लोग मेरा निवेदन सुन लीजिये। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है उसको आप बिना प्रमाण के झूठ नहीं बोल सकते हैं। यह गलत बात है। यह असंसदीय शब्द है और इसे यहां पर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर नल कनेक्शन देने का प्रतिदिन का हमारा एवरेज लगभग 40,000 आ रहा है। यह आंकड़ा प्रतिदिन पोर्टल पर आता है, जिसे पूरा देश देख सकता है। इस समय यह कार्य पूरी स्पीड पर है। हमें वर्ष 2024 तक प्रदेश को नम्बर-1 पर लेकर जाना है, क्योंकि यहां 2,62,00,000 नल कनेक्शन देने हैं। अन्य राज्यों में कहीं पर लक्ष्य

चार लाख है, कहीं दस लाख है, पन्द्रह लाख है और कई राज्यों में तो एक करोड़ है। माननीय लालजी वर्मा जी ने जो प्रश्न पूछा है, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस कम्पनी ने ठेका लिया है, जब तक वह रोड की मरम्मत का काम पूरा नहीं कर देगी तब तक उसे एक रुपये का पेमेण्ट नहीं किया जायेगा। माननीय लालजी वर्मा जी ने गांवों के बारे में जो पूछा है, तो मैं केवल अम्बेडकरनगर की जानकारी दे रहा हूँ। मेरे पास वहां पर मरम्मत की गई सड़कों की लम्बाई का आंकड़ा जो लिख कर आया है, मैं वह बता रहा हूँ। यह पोर्टल पर नहीं है। इसमें अम्बेडकरनगर में मेसर्स वेलसन्स कम्पनी द्वारा जो मरम्मत की गई है वह 1,24,050 है। इसी तरह कई गांवों का काम इसके पास है। 10,95,850 और 12,19,900 सड़कों की लम्बाई की मरम्मत अम्बेडकरनगर में कर ली गई है। पाइप लाइन बिछाने के बाद सम्पूर्ण नल कनेक्शन देना पड़ता है। गांव वालों को आधार कार्ड देने में डर लगता है कि कहीं बाद में उनसे इसका पैसा न वसूला जाये, तो इसीलिए एस0डी0एम0, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को लेकर यह आग्रह किया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। पहले उनको योजना की पूरी जानकारी देनी पड़ती है, तब जाकर वह अपना आधार कार्ड देते हैं। तब तक दूसरे स्थान पर ऐसे पांच-दस नये गांव बस जाते हैं। कभी नेशनल हाई-वे और कभी फोर लेन की सड़कों पर वह कभी रोड कटिंग कर देता है फिर उसके कारण कठिनाई और सभी घरों पर नल कनेक्शन देने में भी कठिनाई होती है। लेकिन मानक के अनुसार मैं गारण्टी के साथ कह रहा हूँ कि जब तक वह रोड पक्की नहीं कर देंगे तब तक किसी कान्ट्रैक्टर का भुगतान नहीं होगा। पाइप लाइन बिछाने के बाद हमें तीन महीना उसको सर्च करना पड़ता है कि पाइप या टोंटी कहीं लीकेज तो नहीं कर रहा है। अगर कहीं लीकेज करेगा तो फिर उसे उखड़वाना पड़ेगा। इसलिए पहले उसकी साधारण मरम्मत की जाती है, उसके बाद जब एक भी पाइप लाइन और टोंटी लीकेज नहीं रहता है तब पक्की सड़कें बनती हैं। इस पर चीफ सेक्रेटरी का पूरा शासनादेश है। उसका शत-प्रतिशत पालन करवाने के लिए योगी सरकार तत्पर है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, निश्चित रूप से जल जीवन मिशन योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। लेकिन जो सवाल रखा गया है वह केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। पूरे प्रदेश में जितनी सड़कें हैं, चाहे विधायक निधि की ही क्यों न हों उनकी खुदाई हो रही है और घटिया और सड़ा-गला पाइप डाला जा रहा है। यह प्रदेश के किसी भी गाँव में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी नहीं पहुंचा पायेंगे। मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से दो बातें कहना चाहता हूँ कि आपकी यह कम्पनी कहाँ की है ?

श्री अध्यक्ष-

आपको कम्पनी से क्या मतलब है ? यहाँ किसी कम्पनी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार काम करा रही है, यह सरकार की जिम्मेदारी है, कम्पनी कोई भी हो। यह विधान सभा ठेकेदारों पर डिस्कस करने के लिए नहीं है। कम्पनियों का नाम लेकर उनको

महिमामण्डित मत करिये। किसी कम्पनी का यहाँ पर नाम नहीं लिया जायेगा। अगर किसी कम्पनी का नाम लिया जायेगा, तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी मेरे इस सवाल का जवाब दे दें कि यह जो शासनादेश है, यह शासनादेश क्या है और इस शासनादेश के तहत कब तक पक्की सड़क बना देंगे।

श्री अध्यक्ष-

उसका उत्तर आ चुका है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, हम मा0 मंत्री जी की मंशा पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। अगर पाइप लाइन खुदी है, तो सड़क बने, इसलिए उसके इस्टीमेट में उसका वेज जोड़ा जाता है। मैं मा0 मंत्री जी के संज्ञान में दो चीजें रखना चाहता हूँ। इसमें दो राय नहीं है कि प्रदेश में सड़कों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक दृष्टान्त है कि एक जगतपुर ब्लाक है वहाँ हमने विधायक निधि का दो करोड़ रुपये दिया था, उससे सी0सी0 सड़कें बनी थीं। दुर्भाग्य है कि उसके तीन महीने बाद एक अवस्थी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी आयी और उसने वह सड़कें तोड़ दीं। डी0आर0डी0ए0 विभाग यह कह रहा है कि वह सड़क कहाँ गयी, जो हमने बनवाई थी सवाल यह है कि विधायक निधि से बनी सड़कों को तोड़ दिया और डेढ़ साल हो गया है उसकी मरम्मत नहीं करायी गयी है। आप संज्ञान में भी लें और जो कान्ट्रैक्टर है, जिसने डेढ़ साल से सड़क नहीं बनायी है, उसके निर्माण का निर्देश यहाँ से जारी करें।

श्री अध्यक्ष-

किसी कम्पनी का नाम न लिया जाये। आप लिख कर दे दीजिए।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 मंत्री जी ने महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो जवाब दिया है, मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि आपने लिखा है कि कुछ सड़कें, जबकि हालत यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गाँव की शायद ही कोई सड़क बची हो, जो खोदी न गयी हो।

श्री अध्यक्ष-

इसका मतलब है कि सब जगह पानी पहुंच गया है।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, सड़कें तोड़ने के बाद आपकी जो जल जीवन मिशन योजना है उसमें मात्र दो इंच का पाइप डाला जा रहा है। पानी की टंकियां गांवों से 3-4 किमी0 की दूरी पर लगी हुई हैं। मैं मा0 मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या दो इंच के पाइप से पानी की सप्लाई

कैसे हो जायेगी, जबकि पानी की टंकियां गांवों से 3-4 किमी0 की दूरी पर लगी हुई हैं और जब गांव के सभी लोग अपने घर की टोंटी को खोल देंगे तो उनको पानी प्रेशर से ही मिल नहीं पायेगा। आप रिपेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन रिपेयर का मानक क्या होगा ? आपने अम्बेडकरनगर का उदाहरण दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप अम्बेडकरनगर की जांच करा लीजिए कि जो सी0सी0 रोड ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, विधायक निधि या फिर किसी अन्य माध्यम से बनाई गयी हों, उन क्षतिग्रस्त सड़कों को मानक के अनुरूप रिपेयर नहीं किया जा रहा है। क्या आप इसकी जांच करायेंगे और क्षतिग्रस्त सड़कों को मानक के अनुरूप रिपेयर करायेंगे ?

डॉ0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, पुनर्स्थापना के प्राविधान किए गये हैं और बताया गया है कि पाइप लाइन बिछाने के समय कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, पाइप लाइन बिछाए जाने का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त किया जायेगा। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। गांवों में ग्रामीण सडकों को तोड़कर पाइप लाइन बिछाई गयी है, लेकिन एक साल, डेढ़ साल एवं दो साल हो गये हैं, लेकिन कहीं पर भी सड़कों की मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है। मैं उदाहरण के रूप में अपनी विधान सभा क्षेत्र की तहसील गैसड़ी ब्लाक के दो गांवों (चतुर नगर एवं कथैर) के बारे में बताऊँगा। पचपेड़वा ब्लाक में बिशुन बिश्राम एवं नरीबा थारू जनजाति बाहुल्य गांव है। इनकी जांच करा लीजिए और मैं स्वयं इन गांवों में गया था और लोगों ने बताया है कि सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन आज उन सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गयी है। पाइप लाइन की क्वालिटी बहुत खराब है, वह लीक हो जाती है, जिससे पानी पाइप तक पहुँच नहीं पाता है। इन चारों गांवों की जांच करा ली जाए। इन गांवों में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, जिससे वहां पर कैंसर की बीमारी फैल रही है। पहले इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगता था, तो लोगों को शुद्ध पानी मिल जाता था, लेकिन वह भी वर्ष 2014 से बन्द हो गया। इन चारों गांवों में दो-तीन साल पहले पाइप लाइन बिछा दी गयी है और टोंटी भी लगा दी गयी है, तो क्या इन गांवों में पानी पहुँच रहा है और यदि पानी नहीं पहुंच रहा है, तो क्या आप पानी पहुँचाने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दीजिए। अब आप बैठ जाइए। जितने भी अनुपूरक प्रश्न आए हैं, जो आपने यहां पर कहा है कि जो उसके मानक हैं और जो शासनादेश है कि तीन महीने के अन्दर सड़क बन जानी चाहिए। कुछ विषय यहां पर आए हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि तीन महीने एवं एक साल से ज्यादा हो गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने शासनादेश के अनुरूप इस बात को सुनिश्चित कर लें कि सभी काम हो रहे हैं और जो काम नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही कर दें।

प्रदेश में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेजों की कुल संख्या व उनके निर्माण कार्य की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग विषयक

***3-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल)-

06 इंजीनियरिंग कालेज निर्माणाधीन हैं।

जी हाँ।

कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन के माध्यम से करायी जाती है। जनपद स्तर पर भी जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति गुणवत्ता की जांच करती है। उक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए शासन स्तर से नोडल अधिकारी भी नामित किए जाते हैं, जो सतत् अनुश्रवण कर रिपोर्ट शासन को प्रेषित करते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से विभिन्न कार्यदायी संख्याओं के द्वारा निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की गुणवत्ता से सम्बन्धित यह प्रश्न है।

इस प्रश्न पर मा0 मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की परख जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति एवं शासन स्तर से नामित नोडल अधिकारी और थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन के द्वारा किया जाता है। मान्यवर, इसके बावजूद भी हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई भी भवन निर्मित होता है और उससे पहली ही बरसात में पानी रिसने लगता है। पुल का उद्घाटन भी नहीं होता, उससे पहले ही धराशायी हो जाता है।

श्री अध्यक्ष-

भैया, पुल का इससे क्या मतलब है ? मेडिकल कालेज में पुल कहां से ले आ रहे हैं ? डाक्टर साहब आप तो पढ़े-लिखे आदमी हैं।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अरे, मेडिकल कालेज में पुल कहां से आ गया ?

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

उसकी मॉनीटरिंग इंजीनियर ही करता है। कोई भी कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य कर रही होगी उस कार्यदायी संस्था द्वारा नामित एक इंजीनियर होता है, जो प्राविधिक शिक्षा विभाग का ही होता है, इसलिए थोड़ी सी बात ये आई है। मान्यवर, प्रश्न यह है कि तीन लेवल पर गुणवत्ता की परख होने के बावजूद यह दशा है। हम अपने अतीत की इमारतों पर नजर डालते हैं, बहुत पुरानी-पुरानी इमारतें हैं..

श्री अध्यक्ष-

आप मेडिकल कालेज की बात करिए।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

प्राचीनतम् काल की इमारतें धमक स्तूप सारनाथ का ढाई हजार साल पहले बना, मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप ढाई हजार साल पहले बना, हम जहां पर हैं, लखनऊ का इमामबाड़ा सन् 1784 में बना, आगरा का ताजमहल सन् 1632 में बना।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास इससे सम्बन्धित कोई अनुपूरक प्रश्न है, तो पूछिए अन्यथा मैं आगे चलूं, क्योंकि आधा घंटा हो गया है सिर्फ दो ही प्रश्न हो पाये हैं। आप देश भर के सारे स्मारक गिनाना शुरू कर देंगे, तो तीन घंटे उसी में लग जाएंगे।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, मैं जो बात इंगित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

हां, इंगित करिए।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

कि अंग्रेजों एवं मुगलों या प्राचीनकाल के शासकों के द्वारा जो इमारतें बनाई गयीं, हजारों-हजार साल से वे इमारतें खड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब वे लोग इंजीनियरिंग कालेज बनाने नहीं आएंगे।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

लेकिन हम आज आजाद भारत में जिन इमारतों का निर्माण कर रहे हैं, वह निर्माण कार्य पूरा भी नहीं होता, उससे पहले ही इमारतें धराशायी हो जाती हैं।

(विपक्ष के सदस्यगण शेम-शेम कहने लगे)

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 साहब, आप प्लीज अनुपूरक करिए।

डा0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है कि थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन होता है। मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री का ध्यानाकर्षण चाहूंगा कि जो इन्स्पेक्शन की प्रक्रिया है, विभाग की एक प्रयोगशाला होती है और ज्यादातर जो एकेडमिक इन्स्टीट्यूट होते हैं, जो थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन कराया जाता है, जो निर्माण सामग्री की जांच है, वह एन0आई0टी0, एम0एन0आई0टी0, सिक्की की प्रयोगशाला से न कराकर ..

श्री अध्यक्ष-

आप बताओ किससे करायी जाए, कौन-सी थर्ड पार्टी से जांच करायी जाए ?

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं..

श्री अध्यक्ष-

अरे, सीधा उसी पर आइए न।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

एन0आई0टी0, एम0एन0आई0टी0 की प्रयोगशाला से जो निर्माण सामग्री की जांच होनी चाहिए वह उससे न होकर उसी इन्स्टीट्यूट के प्रोफेसर्स व अन्य कर्मचारियों के द्वारा निजी प्रयोगशालाएं बनाई गयी हैं और लोग बिना सामग्री शुल्क जमा किये उससे सम्बन्धित रिपोर्ट लगाकर विभाग से पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा जो प्रश्न है, क्या जो वैभागिक प्रयोगशालाएं बनी हैं, उनकी निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुधारने के लिए कोई कार्य योजना बनाएंगे ? दूसरा जो एकेडमिक इन्स्टीट्यूट हैं, एन0आई0टी0/एम0एन0आई0टी0 जैसी प्रयोगशालाओं से क्या इसकी अनिवार्यता सरकार सुनिश्चित नहीं करेगी कि जो भी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, उनका थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एन0आई0टी0/एम0एन0आई0टी0 के प्रयोगशाला के लैब इन्चार्ज से हस्ताक्षरित ही होनी चाहिए, जिससे जो निजी प्रयोगशालाएं लगाकर जो लोग बाजार बनाकर बैठे हैं वहां पर गुणवत्ता की कोई जांच नहीं होती है, केवल शुल्क लेकर रिपोर्ट दी जाती है, उस पर विराम लगाया जा सके ? इन दो प्रश्नों का जवाब मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

सिर्फ दो ही प्रश्न एलाउड हैं।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, एक बात और इसी में जोड़ना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपके दो प्रश्न हो गये हैं, पांच मिनट इसी में हो गया है, आप बैठिए।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, बस एक बात जोड़नी है, बाद में मैं नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, पूछ लीजिए।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, इसी पर मेरे संज्ञान में एक बात है और सरकार के संज्ञान में भी मैं यह बात लाना चाहता हूँ कि एम0एन0आई0टी0, प्रयागराज में एक प्रोफेसर श्री आर0पी0 तिवारी की निजी प्रयोगशाला से प्रयागराज मण्डल की ज्यादातर विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा एक ही जगह से जांच कराई जाती है।

श्री अध्यक्ष-

आप उसे लिख कर दीजिए, उसकी जांच करा लेंगे।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, निजी प्रयोगशालाओं से कितनी परियोजनाओं की सामग्री की गुणवत्ता की जांच की रिपोर्ट लगायी गयी है, इसकी जांच कराकर उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन चाहूंगा।

श्री आशीष पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, हमारे यहाँ जाँच की दो प्रक्रियाएँ हैं, एक जिला स्तरीय, जो जिलाधिकारी के माध्यम से होती है, वह टास्क फोर्स बनाकर जाँच कराते हैं, जिसमें पी0डब्ल्यू0डी0, एरीगेशन या अन्य संस्था के अधिकारी होते हैं, यह प्राइमरी लेयर है। दूसरी लेयर पर जो सामग्री है, उसकी जाँच हम लोग एम0एन0आई0टी0 या आई0आई0टी0 स्तर के संस्थानों से कराते हैं। हमारे माननीय सदस्य ने प्राइवेट लैब से जाँच के बारे में पूछा है, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग कालेज के किसी निर्माण में किसी प्राइवेट संस्था की रिपोर्ट हम लोग मान्य नहीं करते हैं। एम0एन0आई0टी0 का अपना एक स्तर है और दूसरा जो माननीय सदस्य ने पूछा, उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, हमने स्वयं अपने इंजीनियरिंग कालेज के प्रोफेसर को जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेण्ट का है, एक-एक इंजीनियरिंग कालेज के लिए उसको नोडल के रूप में नियुक्त कर रखा है, वह स्वयं

जाँच करता है कि क्वालिटी में किसी प्रकार की कमी न होने पाए। विशेष रूप से मैं प्रतापगढ़ के बारे में बताना चाहूँगा। प्रतापगढ़ के इंजीनियरिंग कालेज की जाँच एम0एन0आई0टी0, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मोतीलाल नेहरू, प्रयागराज के लैब से हुई है, जिसकी रिपोर्ट यहाँ पर संलग्न है और अगर आवश्यकता होगी तो मैं माननीय सदस्य को बैठाकर स्वयं दिखा दूँगा, धन्यवाद।

प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवकों का विनियमितीकरण एवं वेतन बढ़ाये जाने की मांग

***4-श्री संदीप सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करके सरकार उनका वेतन आदि बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

जी नहीं।

भारत सरकार के पत्र संख्या-28012/3/05-06-नरेगा, दिनांक 30-03-2007 के प्रस्तर-7 में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं :-

''इस कार्यक्रम के तहत कोई स्थायी पद सृजित नहीं किया जाएगा और भारत सरकार इसके तहत किसी भी स्थायी पद के लिए कोई दायित्व नहीं लेगी।''

मनरेगा योजना अधिनियम आधारित एवं मुख्यतः केन्द्र वित्त पोषित योजना है। योजनान्तर्गत सभी प्राविधान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत किये जा रहे हैं।

श्री संदीप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 16 साल से रोजगार सेवक के रूप में काम कर रहे साथियों के लिए मैंने एक सवाल लगाया था, जिसमें उत्तर आया है, 'जी, नहीं।' यही साथी पहले पंचायत मित्र के रूप में काम कर रहे थे, अब लगातार ये मनरेगा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। इनको जो वेतनमान दिया जाता है, इसमें मेरा एक सवाल था कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से इनका ई0पी0एफ0 काटा जा रहा है, लेकिन उसका लाभ कर्मचारियों को आज तक नहीं मिला। क्या सरकार इसका लाभ कर्मचारियों को देगी, इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ? दूसरा एक अल्प मानदेय लगभग 10 हजार रुपये जो उन्हें मिलता है, उसी से कर्मचारी अंश और नियोक्ता अंश दोनों उसी मानदेय से कट जाता है। बहुत कम मानदेय होने के बावजूद भी उसी से कटता है। क्या यह उचित है ? इस पर सरकार विचार करेगी कि नहीं करेगी ? साथ में जो साथी इतने लम्बे समय से, 16 साल से काम कर रहे हैं, सरकार इनका कोई न्यूनतम वेतनमान तय करेगी कि नहीं करेगी ? क्या सरकार इस पर कोई विचार करेगी ?

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह भारत सरकार की स्कीम है और माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि इनका मानेदय बढ़ेगा कि नहीं ? मान्यवर, यह भारत सरकार की स्कीम है और जब-जब भारत सरकार ने इसे बढ़ाया है, पहले 23-11-2007 के अनुसार 2000 रुपये प्रतिमाह के अनुसार यह दिया जाता था, फिर 2012 में बढ़ाकर 3630 रुपया किया गया, फिर 2016 में इनको 6000 किया गया और फिर 03-10-2021 को उनको 10 हजार रुपया कर दिया गया। उनको ई0पी0एफ0 धनराशि को सम्मिलित करते हुए 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है और आगे भारत सरकार की तरफ से कोई स्कीम आयेगी तो इसको बढ़ाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद।

श्री संदीप सिंह-

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानने का प्रयास किया था कि यह जो ई0पी0एफ0 कट रहा है, उसका लाभ उनको नहीं मिल रहा है और दूसरा जो 10 हजार रुपया आपने उनको मानदेय दिया है, इसी से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अंश काटा जा रहा है, क्या इसको रोकने पर सरकार कोई विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया की स्कीम है। गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया की गाइड लाइन्स के हिसाब से ही उस पर कोई कार्रवाई होगी।

श्री अध्यक्ष-

यह गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया की स्कीम है, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया की गाइड लाइन्स के हिसाब से उसके ऊपर कार्यवाही होगी। मा0 मंत्री अगर इसके बारे में आपको कोई जानकारी हो तो बताइये।

प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में परिषदीय स्कूलों की भांति एक-प्रदेश, एक-कोर्स, एक-मूल्य जैसी योजना लागू करने के सम्बन्ध में

***5-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में परिषदीय स्कूलों की भांति एक-प्रदेश, एक-कोर्स, एक-मूल्य जैसी योजना जनहित में लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन कक्षा-1 से कक्षा-8 तक मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में परिषदीय विद्यालयों की भांति बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही संचालित किए जाने की व्यवस्था पूर्व से ही लागू है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे द्वारा इस प्रश्न को पूछे जाने का आशय प्राइवेट विद्यालय संचालकों द्वारा अपने यहां बच्चों के अभिभावकों को प्राइवेट कोर्स और ड्रेस आदि के नाम पर हो रहे आर्थिक शोषण की तरफ ध्यान आकृष्ट कर जनहित में इसे रोकने का उद्देश्य था, परन्तु प्रश्न के जवाब से यह सिद्ध हो रहा है कि प्रदेश के किसी भी पब्लिक स्कूल में अभिभावकों का कोई आर्थिक शोषण नहीं हो रहा है। सरकार का यह जवाब वास्तविकता के विपरीत होने से पता चलता है कि सरकार को जनहित के बजाए पब्लिक स्कूल के संचालकों को इसका अधिक ध्यान है, इसलिए मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम वाली किताबें परिषदीय विद्यालयों की किताबों के समान हैं अथवा भिन्न हैं। क्या प्राइवेट विद्यालय संचालकों को उक्त पाठ्यक्रम से अलग कोर्स या किताबें किसी खास दुकान से क्रय करने या पढ़ाने का अधिकार है। मंत्री जी क्या जनहित में उक्त शोषण को रोकने हेतु भविष्य में परिषदीय विद्यालयों की भांति प्राइवेट विद्यालयों में सरकार की ओर से मुफ्त रियायती मूल्यों पर किताबें उपलब्ध कराने का आश्वासन क्या मा0 मंत्री जी सदन में देंगे।

श्री संदीप कुमार सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन कक्षा-1 से 8 तक उन सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में परिषदीय विद्यालयों की भांति बेसिक शिक्षा द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम तय किया गया है उसी के अनुसार पठन-पाठन का कार्य संचालित किया जाता है और इसकी एक नियमावली भी है कि जब मान्यता दी जाती है, तो मान्यता देते समय यह सारी नियमावली को देखा जाता है, फिर उसके बाद में उस विद्यालय की मान्यता की जो कार्यवाही है वह आगे बढ़ाई जाती है। मा0 सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि हमारे जितने भी ऐसे प्राइवेट विद्यालय हैं इसके अन्तर्गत बच्चों को ड्रेस के लिए या फिर कोर्स से अलग किसी भी तरह की पुस्तकों को खरीदने के लिए कोई अलग पाठ्यक्रम के लिए, अगर इस तरह से उनको फोर्स किया जाता है, तो इसके लिए हमारे यहां पर हर जिला स्तर पर एक जिला शुल्क नियामक समिति का गठन किया गया है,

जिला अधिकारी के अन्तर्गत जिस कमेटी को बनाया गया है, जिसके माध्यम से अगर इस तरह कोई भी समस्या जिले के अन्तर्गत आती है किसी भी विद्यालय से सम्बन्धित तो उसके खिलाफ अभिभावकों के द्वारा वहां पर शिकायत की जाती है, फिर उस विद्यालय के खिलाफ कार्यवाही की जाती है और पिछले समय में इस तरह की अगर कोई शिकायतें प्रदेश भर में आई भी हैं इन जिलों में तो वहां पर समय से इनको सुन करके कार्यवाही भी की गई है और जहां तक ड्रेस को ले करके मा0 सदस्य ने प्रश्न उठाया तो इसकी भी एक नियमावली है कि पांच वर्ष के अन्दर कोई भी विद्यालय जो उस स्कूल की यूनीफॉर्म है अगर उसको बदलता है तो भी समय के पहले अगर उसको बदला गया है, तो भी जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के माध्यम से उस विद्यालय के ऊपर कार्यवाही की जाती है, क्योंकि जिस तरह से पहले नियमावली के अन्तर्गत व्यवस्था बनाई गई है और कोई भी इस तरह की शिकायत होती है, तो कार्यवाही की जाती है।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो समिति बनाई गई है उस समिति के प्रमुख जिलाधिकारी जी हैं, जिला मुरादाबाद में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में किन-किन विद्यालयों पर कार्यवाही की है। हमारे यहां जो आपके जर्जर स्कूल हैं वह टूट गए हैं और जो बच्चों का पाठ्यक्रम चल रहा है वह एक कमरे में चल रहा है, जिससे बच्चों के हालात बद से बद्तर हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा अध्यक्ष जी के माध्यम से की कम से कम जो हमारे स्कूल जर्जर होकर टूट गए हैं उनको जल्द से जल्द बनवाने का कष्ट करें।

डॉ0 रागिनी-

मैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि जौनपुर जिले में 205 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है।

श्री अध्यक्ष-

आपका अनुपूरक इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

डॉ0 रागिनी-

मा0 अध्यक्ष जी, यह जौनपुर का बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। 205 स्कूलों के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। मा0 अध्यक्ष जी, बजट इस्टीमेट बनकर इनके पास गया है और अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

सारे विषय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो प्रश्न से सम्बन्धित है, वह अनुपूरक प्रश्न पूछिये। आप प्रश्न को पढ़िये और उस प्रश्न से सम्बन्धित ही जो प्रश्न हैं, उसको उपस्थित करिए।

प्रदेश में गंगा नदी की बाढ़ से किसानों की फसलों को बचाने के लिये तटबन्धों के निर्माण कराये जाने विषयक

***6-श्री स्वामी ओउ्मवेश-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बरसात के समय गंगा नदी की बाढ़ से किसानों की फसलें जलमग्न होने से खत्म हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बरसात में गंगा नदी की बाढ़ से जलमग्न होने वाली किसानों की फसलों को बचाने के लिए उक्त क्षेत्रों में नदी के तटबन्धों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

गंगा नदी उत्तराखण्ड राज्य से प्रदेश में जनपद बिजनौर में प्रवेश करती है तथा बिजनौर से लेकर बलिया तक कुल 26 जनपदों से प्रवाहित होते हुए बिहार राज्य में चली जाती है। गंगा नदी के तटों पर 12 जनपदों में कुल 45 तटबन्ध 420.897 किमी0 लम्बाई में निर्मित हैं।

प्रदेश में वर्षाकाल में गंगा नदी में बाढ़ उत्तराखण्ड राज्य से पानी आने के कारण उत्पन्न होती है तथा गंगा नदी के प्रदेश के जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने पर भी बाढ़ की स्थिति हो जाती है।

जहाँ गंगा नदी पर तटबन्ध नहीं है, वहाँ नदी में जल स्तर बढ़ने पर नदी के दोनों किनारों से जल फैलता है। नदी के पानी का फैलाव निचले क्षेत्रों में हो जाता है। पानी के इस फैलाव के कारण क्षेत्र के जलमग्न होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि नदी का पानी खारिज होने लगता है तब पानी का फैलाव समाप्त हो जाता है और फसलों की क्षति नहीं होती है। अत्यधिक दिन पानी के रुकने की स्थिति में कुछ क्षेत्रों में किसानों की फसलें प्रभावित होती हैं और अतिशय स्थिति हो जाने पर फसलों की क्षति भी होती है।

फसलों की क्षति के सम्बन्ध में आँकड़ों/ब्यौरे के रख-रखाव का कार्य राजस्व विभाग/राहत द्वारा किया जाता है।

प्रदेश के सीमान्तर्गत गंगा नदी के तटों पर 12 जनपदों में कुल 45 तटबन्ध 420.897 किमी0 लम्बाई में निर्मित हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार में भी गंगा नदी के तट पर कुल 4 तटबन्ध 5.179 किमी0 लम्बाई में विभाग द्वारा निर्मित हैं तथा विभाग के नियंत्रण में हैं। तटबन्धों का जनपदवार विवरण संलग्न[†] है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या-317-318 पर।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने बहुत ही गम्भीर प्रश्न पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। बिजनौर जिले में चांदपुर तहसील में लगभग 10-12 वर्षों से बाढ़ आ रही है, गंगा के पानी से बाढ़ आ रही है और हर वर्ष कम से कम 5 बार बाढ़ आती है। आज भी वहां पर बाढ़ आ रही है और बुरी तरह से किसानों की फसलों को बाढ़ ने बर्बाद करके रख दिया है। 2021 में अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड मुरादाबाद ने अधिशासी अभियन्ता, अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड धामपुर को पत्र लिखा था कि वहाँ 30 किलोमीटर की लम्बाई में तटबन्ध बनना है, उसके लिए 25 लाख रुपये सर्वे की राशि अवमुक्त करने के लिए लिखा गया था, जिसके सापेक्ष में 10 लाख की राशि अवमुक्त हो गई थी, जिसके सापेक्ष में 16 किलोमीटर का सर्वेक्षण हो चुका है, 14 किलोमीटर अभी बाकी है। 15 लाख की डिमाण्ड की गई है, लेकिन अभी तक वह 15 लाख रुपये अवमुक्त नहीं हुआ है, इसलिए सर्वे का कार्य अधर में लटका हुआ है। इस सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया था और मैंने अपने दिल को साफ करके मा0 मुख्य मंत्री जी से कहा था। मा0 मुख्य मंत्री जी को भी याद होगा। मैंने कहा था मा0 मुख्य मंत्री जी को कि मुझे जो जीत मिली है, सिर्फ इस वजह से मिली है कि इस तट का मैं निर्माण कराऊँगा। इतनी खुलकर मैंने बात की है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं हुआ है। मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार सर्वे के लिए 15 लाख रुपये की जो शेष राशि है उसको अवमुक्त करेगी, दूसरा प्रश्न है कि जहानाबाद से नागनौर तक जो 30 किलोमीटर का तटबन्ध है, उसका सर्वे कराकर सरकार क्या उस पर तटबन्ध बनाने का काम करेगी। यह मेरे दो प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी यदि आपके पास जानकारी है तो बताइये। मा0 सदस्य आपने जो प्रश्न किया है वह जनरल प्रश्न किया है कि बरसात के समय गंगा नदी की बाढ़ से किसानों की फसलें जलमग्न होने से खत्म हो जाती हैं। आपने कोई पर्टीकुलरली जहाँ पर 25 लाख रुपये दिये गये हैं, किसी पुल के लिए, यदि आपने वही प्रश्न किया होता तो उसकी जानकारी मा0 मंत्री जी को होती, लेकिन आपने एक जनरल प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्न को पढ़ता हूँ ''प्रदेश में बरसात के समय गंगा नदी की बाढ़ से किसानों की फसलें जलमग्न होने से खत्म हो जाती हैं'' आप यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी एक योजना के लिए 25 लाख रुपये दिये, उस योजना को या तो आप इस प्रश्न में लिखते, उस योजना के सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी आपको यदि जानकारी हो तो बता दीजिए नहीं तो मा0 सदस्य ने जो जानकारी माँगी है उसे आप बाद में दे दीजिएगा। आपने जो प्रश्न किया है उससे सम्बन्धित किसी स्थान पर यदि कोई पुलिया या किसी विषय को लेकर बात आप उठाएंगे तो या तो उसे स्पेसिफीकली मेंशन करिए अन्यथा पूरे प्रदेश में कहाँ-कहाँ पुलिया बन रही है उसका जवाब अभी देना सम्भव नहीं है। मा0 मंत्री जी, आपको जानकारी है तो बता दीजिए, नहीं तो लिख कर उत्तर भिजवा दीजिएगा।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मा0 अध्यक्ष जी, वहाँ पर बहुत गम्भीर समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर बुरी हालत हो गई है। मैने एस0डी0एम0 साहब को भी लिखा है।

श्री अध्यक्ष-

आपके क्षेत्र की समस्या के प्रति मैं नहीं कह रहा हूँ। आप मुझे भी लिखकर दे दीजिए उसका जबाव मा0 मंत्री जी आपके पास हो तो बता दीजिए नहीं तो बाद में भिजवा दें।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मान्यवर, यह गम्भीर समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी समस्या गम्भीर है, हम इसको मान रहे हैं लेकिन इस सम्बन्ध में अभी उनके पास जानकारी होगी तो बता देंगे। मैं आपकी ही मदद कर रहा हूँ आपके अगेंस्ट में नहीं हूँ।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

मान्यवर, जितने भी हमारे बिजनौर से बलिया तक के तटबन्ध हैं, जो कि आवश्यकतानुसार होते हैं ऐसे 45 तटबन्ध बने हुए हैं। बिजनौर में दायें और बायें दोनों तरफ हमारे तटबन्ध बने हुए हैं। यह विषय जो आपने व्यक्तिगत उठाया है इस सम्बन्ध में आप लिखकर दे दीजिएगा, यदि नियमानुसार आवश्यकता है तो किसानों के हित में मा0 योगी सरकार हमेशा निर्णय लेती रही है और आगे भी लेती रहेगी।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मैं यह बात कहना चाहूँगा कि मैं समाजवादी पार्टी का सन्यासी हूँ, इसलिए मेरा काम दो वर्षों से नहीं हो रहा है।

(सदन में हँसी)

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि स्टाफ का मामला है। मैं आपसे इस बारे में भीख मांगता हूँ, आप मेरी झोली में भीख डाल दीजिए।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जब जल स्तर बढ़ता है तो जल का फैलाव होता है। यदि नदियों को भी बांधते चलेंगे तो उससे खतरा उत्पन्न होगा। इसलिए नियमानुसार उसकी जांच करवायी जाती है, फिर आवश्यकतानुसार वहां तटबन्ध बनाये जाते हैं और यदि जल स्तर बढ़ता है तो हमेशा डूब क्षेत्र रहा है। डूब क्षेत्रों में आप देखेंगे, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन डूब क्षेत्रों में लोगों ने कब्जे किए हुए थे। अब आदरणीय योगी जी की सरकार के वर्ष 2017 में आने के बाद वह मकान, बिल्डिंग ध्वस्त हो रही हैं। जो लोगों ने बेच दिया था तो वह डूब क्षेत्र हैं। गंगा

जी चलेंगी तो थोड़ा फैलाव होता है फिर भी हम बलिया तक चूंकि हमारे जितने 45 तटबन्ध हैं, वह सुरक्षित हैं और बिजनौर में तो हमारे दाएँ-बाएँ दोनों हैं, बाकी जनपदों में नहीं है। अभी जो आपने बोला है, आवश्यकतानुसार एक बार आप लिख कर दे देना, किसान के हित में जो निर्णय होगा, वह हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, मा0 मंत्री जी ने जैसा अभी कहा कि लिख कर दे दीजिए, तो आप उन्हें लिख कर दे दीजिएगा, वह करा देंगे लेकिन दूसरी बात कि अगर कोई दूसरा आपको स्वामी जी कहे तो आप उसको नहीं मानेंगे सिर्फ समाजवादी पार्टी के अलावा ? अगर हम कहें कि आप स्वामी हैं तो नहीं मानेंगे?

(सदन में हँसी)

प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं द्वारा आत्महत्या के बढ़ते प्रकरणों पर रोक लगाने हेतु कारणों का पता लगाने के लिये आयोग का गठन करने विषयक

***7-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं द्वारा आत्महत्या के बढ़ते प्रकरणों पर रोक लगाने के दृष्टिगत छात्र-छात्राओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाने के लिये किसी संस्था अथवा आयोग का गठन करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

जी हाँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत 'मेंटरिंग प्रकोष्ठ एवं स्ट्रेस रिलीफ सेल' का गठन उच्च शिक्षण संस्थानों में किया गया है। जो समय-समय पर छात्र-छात्राओं से सम्पर्क करके उनके मानसिक अवसाद के कारणों का पता करती है, तथा अभिभावकों को इसकी सूचना देती है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं कहना चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें लिखा है कि प्रश्न नहीं उठता, महाविद्यालय में एसिस्टेण्ट प्रोफेसर की भर्ती हेतु एक नवीन आयोग के गठन हेतु जबकि विधान सभा में बिल पारित किया था तो ऐसी स्थिति में माइनॉरिटी के महाविद्यालयों की भर्ती इसी आयोग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में आनन-फानन में माइनॉरिटी महाविद्यालयों में भर्ती के लिए अनुमोदन देकर विज्ञापन क्यों प्रकाशित किया गया? क्या मा0 मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे? मण्डलीय उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा पिछले महीने में किसी माइनॉरिटी महाविद्यालय को भर्ती हेतु विशेष परिस्थिति

अंकित कर अनुमति दी गयी है। साथ ही जब महाविद्यालयों में क्लास-3 की नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की व्यवस्था है? जबकि राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय में क्लास-3 की भर्ती हेतु विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया का अनुमोदन निदेशक द्वारा दिया गया। क्या इस प्रक्रिया की अनुमति शासन से ली गयी? क्या इन अनियमितताओं के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी? माननीय अध्यक्ष जी, राज्य के सहायता प्राप्त डिग्री कालेज, इंजीनियरिंग कालेज में कितने इंजीनियरिंग कालेजों में नियमित निदेशक नियुक्त नहीं हैं, तो कब तक नियमित नियुक्ति कर ली जायेगी ? माननीय अध्यक्ष जी, बाबा साहब डा0 बी0आर0 अम्बेडकर के संविधान में गरीबों, शोषितों का जो रिजर्वेशन हैं, उसकी अगर चिंता हो जाये तो निश्चित रूप से आपका भला भी होगा और गरीबों का भी भला होगा, यह मैं कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न पर आइये।

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, एक सवाल और है कि क्या निदेशक की नियुक्ति के दौरान अभ्यर्थियों की पिछली संस्थाओं से अन्य पदों जैसे कि कुलपति इत्यादि पदों की भर्ती हेतु अपराधिक व विजिलेंस से सम्बन्धित उनकी जांच किसी तरह की गयी है ? मान्यवर, आगरा यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर थे, मैं यहां सदन में कहना नहीं चाहता कि उन्होंने दुनियाभर के ऐसे काम किये।

श्री अध्यक्ष-

अपने मूल प्रश्न पर आइये। देखिए, आप तो डॉक्टर हैं। जो प्रश्न है, उस पर पूछिए।

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग कालेज है जिसमें वर्तमान में निदेशक की उनकी पूर्व सेवा संस्थाओं से उनकी अपराधिक कदाचार पर लगायी पैनाल्टी विजिलेंस टीम से मांगी गयी थी। तथा अब तक नहीं हो पायी है। शासन ने उन पर लगे गम्भीर कदाचार सम्बन्धी आरोपों और उन पर लिये गये निर्णयों पर अभी तक क्या कार्रवाई की गयी है? यदि नहीं की गयी तो इस तरह के गम्भीर कदाचार के आरोपों को किस स्तर पर शासन से छुपाया गया और क्यों? ये मैं पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी जो इनका प्रश्न है, उस पर इन्होंने एक भी अनुपूरक नहीं पूछा।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मूल प्रश्न से तो इसका कहीं कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं टेबल कर दूंगा। हमारे यहां एक रामदासपुरा का पुल माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया था।

श्री अध्यक्ष-

अब पुल की बात यहां पर छात्र-छात्राओं की आत्महत्या से कहां आ गयी ?

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

अगर उसकी जांच हो जायेगी तो आपकी बड़ी कृपा हो जायेगी। यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस समय दिया था, उस परिस्थिति में दिया था माननीय मुख्य मंत्री जी को लोग रोज धन्यवाद देते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय सदस्य ने तो सम्बन्धित सवाल नहीं पूछा है। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि नोयडा, ग्रेटर नोयडा में एक बहुत प्रतिष्ठित युनिवर्सिटी में एक बेटी की हत्या कर दी गयी। वह कानपुर की रहने वाली थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या परेशानी थी, क्या कारण था कि जानकारी के बाद भी न पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की और न ही यूनिवर्सिटी कैम्पस में जो जिम्मेदार लोग होते हैं, उन्होंने उस पर कुछ ध्यान दिया। जिसके कारण इतनी बड़ी घटना, नोयडा, ग्रेटर नोयडा में हो गयी। क्या दोषियों के खिलाफ और यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

पहली बात तो नोयडा की यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा के अन्तर्गत नहीं है, इण्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अन्तर्गत है। फिर भी जो हत्या हुई है उसके लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है।

श्री अखिलेश यादव-

जिस लड़की की हत्या हुई है क्या सरकार उस मरने वाली लड़की के परिवार की मदद करेगी ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

हम उसमें नियमानुसार देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध को रोकने व वर्ष 2022 से दिनांक 20-03-2023 तक साईबर अपराध के पंजीकृत और प्राप्त शिकायतों के समाधान के सम्बन्ध में

***8-श्री अतुल प्रधान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2022 से दिनांक 20-03-2023 तक साइबर अपराध के कितने मुकदमे पंजीकृत हुए हैं और प्राप्त शिकायतों में कितनों का समाधान हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

प्रदेश में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु प्रत्येक परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर 18 साइबर क्राइम पुलिस थाने की स्थापना की गयी है एवं प्रदेश के शेष 57 जनपदों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना की प्रक्रिया प्रचलित है। प्रत्येक जनपद में साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता हेतु प्रदेश के 1531 थानों पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। साइबर अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं विवेचना हेतु प्रत्येक जनपद में जनपदीय साइबर सेल गठित है। साइबर वित्तीय अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु टोल फ्री नम्बर-1930 एवं cybercrime.gov.in वेबसाइट जारी की गयी है। इन अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में आम जन-मानस को साइबर अपराधों से जागरूक करने के लिये प्रत्येक माह के प्रथम बुद्धवार को साइबर जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। साइबर अपराधों की विवेचनाओं की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु परिक्षेत्रीय साइबर थानों पर बेसिक साइबर फारेन्सिक लैब एवं साइबर मुख्यालय पर एडवांस्ड डिजिटल साइबर फॉरेंन्सिक लैब की स्थापना की प्रक्रिया प्रचलित है।

वर्ष 2022 से दिनांक 20-03-2023 तक साईबर अपराध के 13155 मुकदमें पंजीकृत किये गये। शिकायती प्रार्थना पत्रों की कुल संख्या 27390 में से 21623 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है, शेष प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है क्योंकि सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं और कई बार लॉ एण्ड आर्डर का जिक्र हर जगह बढ़-चढ़कर होता भी है। छिनैती, लूट, हत्याएं, एक्सटॉरशन के बारे में कई बार चर्चाएं होती हैं और इस पर सुर्खियां भी बनती हैं। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और साइबर क्राइम में क्राइम करने वाले लोग ज्यादा संसाधन अपना रहे हैं। आने वाले समय में क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है। मण्डल के स्तर पर अभी 18 साइबर थानों का निर्माण हुआ है। यह बीते कई सालों पुरानी बाते हैं। सरकार ने कई साल पहले इस चीज की घोषणा की थी कि हर जिला मुख्यालय पर साइबर थानों की स्थापना होगी जिससे लोगों को उसका लाभ मिल सके। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा क्योंकि मुख्य मंत्री जी के पास ही यह विभाग है आई0पी0सी0 के जितने मुकदमें एक साल में दर्ज होते हैं और उनकी जो वृद्धि दर है वह कई बार अलग-अलग मुकदमों में घटती और बढ़ती रहती है लेकिन साइबर क्राइम प्रतिवर्ष 2 से 3 गुना की तादाद से लगातार बढ़ रहा है क्योंकि क्राइम एक जगह से, अपने जिले से या अपने प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के अन्य कोने से भी ये संचालित किया जा रहा है। इसको डिस्टेन्स क्राइम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे एक्सटॉरशन हैं वैसे ही सेक्सटॉरशन भी आजकल आम हो गया

है। सामने से कोई व्यक्ति आपकी वीडियो काल पर आता है और सामने से वह किस तरह की तस्वीर पेश करता है और उसकी फिर फोटो ले ली जाती है और फिर उसके नाम पर उसका एक्सटॉरशन मांगा जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न करिये।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मैं एक निवेदन करूँगा क्योंकि यह बहुत गम्भीर विषय है। हमारे घर के पास एक व्यक्ति आया, जिसके मोबाइल पर किसी की इस तरह की तस्वीर आई, जैसे ही वह तस्वीर मोबाइल पर आई, उसके बाद दोबारा उसके पास डी0आई0जी0 का नाम लेकर किसी का फोन आया, उससे 7 लाख रुपये वसूल लिये। मैंने खुद मेरठ के आई0जी0 महोदय को, एस0एस0पी0 महोदय को इसकी सूचना दी। आज तक उस बेचारे को पैसे नहीं मिल पाये। ऐसे हजारों-हजार लोग हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करिये। आप तीन मिनट में प्रश्न नहीं कर पाये हैं।

श्री अतुल प्रधान-

जितने लोग सदन में बैठे है, हर कोई इससे परेशान है, पीड़ित है। मैं यह सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से फर्जी आई0डी0 बनाकर ओ0एल0एक्स0 की खरीद-फरोख्त के नाम से जो एक्सटॉरशन मनी वसूली जा रही है। क्या ऐसे कोई उपकरण या ट्रेंड अधिकारियों को लाने की आने वाले समय में सरकार की योजना है ? क्या सरकार के पास ऐसे ट्रेंड अधिकारी या इस तरह के कोई उपकरण हैं, जिससे उसकी जानकारी जुटा सकें। मान्यवर, डाटा एक बार आता है, फिर चला जाता है। क्या डाटा को पुनर्जीवित करने का कोई ऐसा उपकरण या ऐसी कोई व्यवस्था है, जिससे डाटा पुनः उपलब्ध हो जाये। अगर किसी जिले में 2 हजार की लूट हो जाती है तो सैकड़ों-हजारों पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन अगर साइबर क्राइम के माध्यम से किसी से 20 लाख रुपये निकाल लिए जायें तो कोई एस0एस0पी0 या कोई पुलिस अधिकारी उसका संज्ञान नहीं लेता है।

श्री अध्यक्ष-

अतुल जी अब प्रश्न करिये। चार मिनट हो गये हैं। अब लास्ट प्रश्न बोलिए।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मैं लास्ट प्रश्न कर रहा हूँ। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके लिए कोई नोडल अधिकारी जिले में फिक्स होगा, जिसकी यह जिम्मेदारी तय हो जाये कि साइबर क्राइम से सम्बन्धित अगर कोई अपराध हुआ तो जो व्यक्ति पीड़ित है, उसका मुकदमा दर्ज हो गया या नहीं। अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो उसके लिए किसी की जिम्मेदारी तय हुई है या नहीं हुई

है। क्या इसके लिए जिले में कोई नोडल अधिकारी नियुक्ति होगा या नहीं होगा? आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लॉ एण्ड आर्डर की सबसे बड़ी दिक्कत है और जब भी कोई आपराधिक चीज चलती है, सोशल मीडिया या किसी भी अन्य प्लेटफार्म से तो उससे लॉ एण्ड आर्डर की बड़ी समस्या बिगड़ती है। पूरे क्षेत्र का मौहाल खराब हो जाता है, क्या इसके लिए सरकार की कोई कार्य योजना है कि जो इस तरह के आपराधिक लोग हैं, उन पर कार्रवाई हो ?

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, पाँच मिनट में आप एक चीज नहीं पूछ पाये। आप बैठिये, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, पुलिस पैदल गश्त करती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि पैदल गश्त के माध्यम से पुलिस क्राइम को रोकने का काम करती है, लेकिन क्या आपने साइबर क्राइम के ऊपर डिजिटल पेट्रोलिंग के लिए कोई इस तरह की संस्था को इजाद किया है?

श्री अध्यक्ष-

इनका माइक बन्द कर दीजिए। अब आप बैठ जाइये। आपने 6 मिनट प्रश्न किया है, अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, जब से योगी सरकार आई है, तब से लगातार अपराधों में कमी हुई है और जहाँ-जहाँ अपराध हुए भी हैं तो वहाँ पर सख्त से सख्त सजा दी गई है। यहाँ तक एक्जेम्पलरी पनिशमेण्ट दिया गया, चाहे एन0सी0आर0बी0 का आँकड़ा देख लें और चाहे लोकल, हर तरह से जो अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कही गई थी, उसको पूरी तरीके से चरितार्थ किया गया है। आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल बना है और पब्लिक परसेप्शन भी यही है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति पहले की सरकारों के मुकाबले में बहुत-बहुत-बहुत बेहतर है। जहाँ तक आपने साइबर क्राइम की बात कही, परिणाम बताते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी सूचना मिलती है। उसमें मुकदमें भी दर्ज होते हैं और उसमें कार्रवाई भी होती है। आप प्रश्न का दूसरा पैराग्राफ देख लें, आपने खास तौर से पूछा था कि क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2022 से दिनांक 20-03-2023 तक साइबर अपराध के कितने मुकदमें पंजीकृत हुए हैं और हमने खास तौर से बताया कि 13,155 मुकदमें पंजीकृत किये गये। मान्यवर, अब हम आपने माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमने उसमें कार्रवाई की है और एक्जेम्पलरी कार्रवाई की है। यहाँ तक कि वर्तमान में जितने भी मुकदमें पंजीकृत हुए हैं, उसमें कार्रवाई हुई है, हम आपको उस कार्रवाई के बारे में अवगत करा दे रहे हैं। जिस पीरियड का आपने पूछा है, उस पीरियड का भी बताये दे रहे हैं।

मान्यवर, 13155 मुकदमें पंजीकृत हुये। 4372 आरोप पत्र, 4606 अंतिम रिपोर्ट, 45 खारिज हुये और 7570 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाई की गई। इसमें 89 करोड़ 45 लाख 67 हजार 670 रुपये की रिकवरी कराई गयी है। मान्यवर, कार्रवाई नहीं हुयी होती तो यह रिकवरी नहीं हुई होती। यह अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि जहाँ कहीं पर भी कोई भी सूचना मिलती है तो उसको रजिस्टर करके उस पर कार्यवाई होती है। अगर आपके जनपद का कहिये तो वह भी बता दें।

श्री अजय कुमार-

मान्यवर, विविध आकार और प्रकार वाले अनेकों कार्यों में प्रयोग किये जाने वाले चालक रहित विमान को ड्रोन कहते हैं। मान्यवर, मेरा प्रश्न ड्रोन से सम्बन्धित विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रदेश में एक सवाल था। माननीय मंत्री जी ने उसमें कई पक्ष को स्वीकार भी किया है। आज कल कई प्रकार के ड्रोन उपलब्ध हैं, प्रचलन में हैं जैसे मानव रहित विमान, मानव रहित युद्धक विमान, कृषि ड्रोन, आपूर्ति ड्रोन, लघु मानव रहित विमान, मल्टी रोल्टर और पैसेंजर ड्रोन आदि ड्रोन आज प्रचलन में है। रक्षा, कानून व्यवस्था और कृषि कार्यों में ड्रोन की उपयोगिता साबित था कि अगर हो चुकी है। मान्यवर, मेरा इस प्रश्न के माध्यम से यह कहना था कि अगर विश्वविद्यालय या कोई ऐसा संस्थान ड्रोन के सम्बन्ध में अगर हमारे प्रदेश में स्थापित होगा तो न केवल अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसमें रिसर्च कर सकेंगे और वेल एजूकेटेड स्टूडेंट की एक वर्क पॉलिसी हमें उपलब्ध होगी। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जैसे कृषि कार्यों के उपयोग के लिए हजारों ग्रेजुऐट युवाओं को ड्रोन का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित कर रही है। चूंकि यह नया विषय है इसमें रिसर्च इनोवेशन की और पढ़ाई की सख्त आवश्यकता है। ड्रोन इण्डस्ट्री अभी प्रदेश में प्रारम्भिक चरण में है और उनके विकास की सम्भावनायें बनी हुई हैं। माननीय मंत्री जी के उत्तर में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में ड्रोन विश्वविद्यालय तत्काल खोले जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। मान्यवर, तत्काल न सही लेकिन माननीय मंत्री जी सदन को यह आश्वस्त करना चाहेंगे तत्काल न सही भविष्य में इस बहुउद्देशीय ड्रोन की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में ड्रोन विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार किया जायेगा।

श्री आशीष पटेल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उस पर पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। मान्यवर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का युग है और हमने चार नयी कोशिशें शुरू की है। डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, इण्टरनेट ऑफ थिंक्स दिवस साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन टेक्नोलॉजी। जिसमें डिप्लोमा स्तर से 6 पॉलिटेक्निक पर इनको शुरू कर दिया है और डिग्री स्तर पर हमारे एम0एन0यू0पी0 में ए0के0टी0यू0 से सम्बन्धित संस्थानों में और जो प्राईवेट संस्थान है उन पर भी हमने इनको प्रोसेस से प्रारम्भ करने का काम किया है। अगर आवश्यकता प्रतीत होती है ड्रोन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट धीरे-धीरे हो रहा है, जहाँ जैसी आवश्यकता होगी भविष्य में उसको देखा जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व वाली सरकार इसको ले करके बहुत गम्भीर है।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, हम आपके बहुत आभारी है कि आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मान्यवर, हमने माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहा था कि आज जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है लगातार बेरोजगारी बढ़ने का काम हो रहा है। नियुक्ति पत्र बांट देने से बेरोजगारी के आंकड़े नहीं भुलाए जा सकते हैं। मान्यवर, हमने यह जानना चाहा था कि क्या माध्यमिक शिक्षा विभाग बढ़ती बेरोजगारी के दृष्टिगत रोजगारपरक शिक्षा देने का काम करेगा। विभाग ने एक लाइन में लिख दिया कि हां पहले से ही इस तरह की शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, अगर इसकी सूची भी दे देते कि क्या-क्या रोजगारपरक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, कौन-कौन से पाठ्यक्रम हैं तो उससे सदन भी अवगत हो जाता। लेकिन उन्होंने पूरी तौर से गैरजिम्मेदाराना उत्तर दिया कि नहीं नहीं इससे पहले ही पाठ्यक्रम जारी है। मान्यवर, आज माध्यमिक शिक्षा की स्थिति बदहाल है बहुत सी भर्तियां लम्बित पड़ी हुई हैं और आज हमारे एक सदस्य ने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से पूछा था कि क्या आप नियुक्ति करेंगे तो आपने कहा कि जैसे ही माननीय न्यायालय हमें निर्देशित करेगा, हम भर्तियां करने का काम करेंगे।

दूसरी तरफ मैने माननीय मुख्य मंत्री जी की स्पीच भी सुनी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज किसी भी विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया न्यायालय में लम्बित नहीं है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल भर्ती प्रक्रिया-2021, मैने पिछले ही सत्र में उठाया था और आज फिर से माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष उठाने का अवसर मिला है तो मैं कहना चाहूंगा कि आज बहुत सी आपकी भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में लम्बित है। जिसके कारण जो आपकी इच्छा है कि हम रोजगारपरक शिक्षा दे लें, हम शिक्षा की गुणवत्ता को मेनटेन कर लें, वह कहीं जमीनी स्तर पर नहीं दिखायी दे रही है। मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि आप इस तरह से मॉनीटरिंग कर लें कि कितनी भर्तियां आज न्यायालय के द्वारा पेंडिंग है और मैंने यह भी कहा था कि जानबूझ कर सरकार इन भर्तियों को न्यायालय के माध्यम से रोके पड़ी है, बार-बार आपके मंत्री लोग भी ऐसे बयान दे देते हैं। मान्यवर, आज बेरोजगारी के कारण बहुत बड़ा अभाव है लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, डिग्रियां लेते हुए भी रोजगार नहीं पा रहे हैं और जब कोई अपनी बात उठाना चाहता है तो आपकी सरकार बलपूर्वक कार्रवाई करती है। माननीय मुख्य मंत्री जी जिस गृह जनपद से आप आते हैं वहां कुलपति के साथ कैसा आचरण हुआ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न कीजिये।

डॉ0 संग्राम सिंह यादव-

मान्यवर, इसी से रिलेटेड है, आप हमारी सरकार पर हमला करते हैं लेकिन आज गोरखपुर जनपद में कुलपति के साथ क्या हुआ। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति का लाभ ले रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप उपस्थिति का लाभ न लीजिये, अपना प्रश्न कीजिये।

डॉ0 संग्राम सिंह यादव-

मैं क्वैश्चन यही पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा विभाग कोई ऐसी रोजगारपरक शिक्षा देने का काम करेगा जिसके कारण हमारा नौजवान स्किल डेवलप कर सके। हमारी जब सरकार थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कौशल विकास विभाग चलाया था।

श्री अध्यक्ष-

इतना समय प्रश्न पूछने के लिए नहीं दिया जायेगा, मा0 मंत्री जी आप जवाब दें।

श्री योगी आदित्यनाथ-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न किया है लेकिन अगर हमारे माननीय विद्वान सदस्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अध्ययन करके आये होते तो सम्भवतः इस प्रकार का प्रश्न सदन में नहीं पूछते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू हो चुकी है और इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के रोजगारपरक पाठ्यक्रम को भी पैरेलेल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारम्भ हो चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने उस अभियान को आगे बढ़ाया है जिसमें सामान्य पाठ्यक्रम को जारी रखते हुए पैरामेडिकल का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का डाटा एनालेसिस का, थ्री-डी पेन्टिंग का या फिर इससे सम्बन्धित यह सर्टीफिकेट कोर्सेज जो 3-6 महीने के होंगे उनको माध्यमिक शिक्षा में अध्ययन करने वाले बच्चों को भी इस पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने का एक प्रयास प्रारम्भ हुआ है और इसके लिए पहले से ही व्यवसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापक परिर्वतन करने के कार्य हो रहे हैं। जहां तक आप सभी मा0 सदस्यों का यह कहना कि कोई भी भर्ती नहीं हुयी है, यह विवशता और आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ क्योंकि पिछले 6 वर्ष में नकल विहीन परीक्षा प्रदेश के अन्दर सुचारू रूप से सम्पन्न हुयी है। पहली बार हुआ है कि जब माध्यमिक शिक्षा में हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षा जो 2 महीने 3 महीने पहले चलती थी, वह मात्र 15 दिन के अन्दर सम्पन्न हुयी और 14 दिन के अन्दर परिणाम भी आ गये। यानि परीक्षा से लेकर परिणाम तक यह कार्य 29 दिन में हुआ है। यह भी उस रिफॉर्म का परिणाम है जो आज शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है।

तीसरा जहां तक शिक्षकों की भर्ती का सवाल है, भर्ती की प्रक्रिया में कोई भी मामले न्यायालय में लम्बित नहीं हैं, लेकिन कुछ मामले भर्ती की प्रक्रिया के बाद कुछ लोग न्यायालय में गये हैं, उससे सम्बन्धित मामले वहां पर लम्बित होंगे, वह अलग विषय है। लेकिन 1 लाख 64 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में अकेले पिछले 5 वर्षों के अन्दर हुयी है और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर अगर कहीं वैकेंसी है, चाहे वह बेसिक शिक्षा में हो, माध्यमिक शिक्षा में हो, उच्च शिक्षा में हो, प्राविधिक शिक्षा में हो या व्यवसायिक शिक्षा में हो, या संस्कृत विद्यालय में हो, इन सब की भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए हमारी सरकार प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी व पूरी पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के लिए ही एक नया शिक्षा आयोग के गठन के लिए ही एक बिल लेकर आयी है और उस बिल पर आपको भी अपनी बात रखने का और उस पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा। जो भी अमूल्य सुझाव आयेंगे सरकार उसका स्वागत करेगी।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 मुख्य मंत्री जी ने अभी बहुत सी बातें रखीं, अन एम्प्लायमेंट को लेकर, और मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बताया, जो कि आ चुकी है और लागू होगी। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2022 में जो एज ग्रुप है 15 साल का उसमें कितने बच्चों की संख्या बढ़ गयी है। क्या उन बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए और उनको रोजगार दिलाने के लिए, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो यह कहते हैं कि अन एम्पालयमेंट हमारा यह है, यह एम्पलायमेंट नहीं बताते है। तो क्या उन बच्चों का रेशियो सरकार बताएगी।

श्री अध्यक्ष-

वह उससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समन्वित हो सकती है, तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक कितने बच्चे आ गये इस एज ग्रुप में, संख्या क्या होगी ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मान्यवर, बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिन्ता होने लगी है और उसी को नियत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2017 से 2022 के बीच में 15 साल के ग्रुप में बच्चों की संख्या कितनी है?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं उसी का जवाब देने के लिए खड़ा हूँ। नेता प्रतिपक्ष को इतना पेसेंस रखना चाहिए। मैं आपकी बात को सुन रहा था। मैं उसी का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है, मुझे अच्छा लगा कि इसको ऐसे कंट्रोल किया गया। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है। प्रोग्रेस अच्छा है। प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। प्रश्न संख्या-5 में मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री से भी प्रश्न पूछा जा रहा था कि एक प्रदेश, एक कोर्स, एक मूल्य यानी एक देश, एक कानून, यह भी जोड़ देते तो और अच्छा रहता। सरकार क्या कर रही है, ये तो सर्वे बताते है ?

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, क्या यह लाइव चल रहा हैं ?

श्री अध्यक्ष-

जी हाँ।

श्री अखिलेश यादव-

धन्यवाद।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 अध्यक्ष जी, अनइम्प्लॉयमेन्ट रेट इम्प्लॉयमेन्ट उपलब्ध कराने पर ही निर्भर करता है। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनइम्प्लॉयमेन्ट रेट 19 फीसदी से अधिक था और आज की तारीख में अनइम्प्लॉयमेन्ट रेट 3 से 4 फीसदी के बीच में है...

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

आज लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियाँ मिल रही हैं और नौकरी की कोई भी प्रक्रिया मा0 न्यायालय द्वारा बीच में इसलिए बाधित नहीं की जाती है, क्योंकि मा0 न्यायालय को भी मालूम है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है, शुचिता है और पूरी ईमानदारी के साथ सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है।

इस परसेप्शन के कारण ही उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में 36 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के अन्दर एक करोड़ नये नौकरी और रोजगार का सृजन करेगी। यह भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए ही 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जा रहा है।

(डा0 संग्राम यादव के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।†

प्रदेश में बहुउद्देशीय ड्रोन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ड्रोन विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार किये जाने की मांग

***9-डॉ0 अजय कुमार-**

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बहुउद्देशीय ड्रोन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ड्रोन विश्वविद्यालय स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशीष पटेल-

जी नहीं।

प्रदेश में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर ड्रोन प्रौद्योगिकी व अन्य न्यू एज कोर्स से सम्बन्धित पाठ्यक्रम पढ़ाये जा रहे हैं। प्रदेश में ड्रोन इन्डस्ट्री अभी प्रारम्भिक चरण में है और इसमें विकास की सम्भावनाएं बनी हुई हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में ड्रोन विश्वविद्यालय तत्काल खोले जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के दृष्टिगत इण्टर कालेजों के पाठ्यक्रम में विभिन्न रोजगार युक्त शिक्षा शामिल करने विषयक

***10-डॉ0 संग्राम यादव-**

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के दृष्टिगत इण्टर कालेजों के पाठ्यक्रम में विभिन्न रोजगार युक्त शिक्षा शामिल करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती गुलाब देवी)-

जी हाँ, रोजगारयुक्त पाठ्यक्रम पूर्व से लागू है।

उपरोक्त के अनुसार।

प्रदेश में भू-गर्भ जल के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा बनायी गयी योजना की जानकारी सम्बन्धी

***11-श्री अखिलेश-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू-गर्भ जल के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-† नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या-8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ,

प्रदेश में गिरते हुए जल स्तर की समस्या के निदान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 10 जनपदों यथा चित्रकूट, बाँदा, हमीरपुर, झाँसी, मुजफ्फरनगर, शामली, ललितपुर, महोबा, बागपत एवं मेरठ में अटल भूजल योजना लागू है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा कन्वर्जेन्स के माध्यम से अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भू-गर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते है, जिनमें चेकडैम का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, आन-फार्म हार्वेस्टिंग, यथा-मेढबन्धी, रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि संरचनाओं के कार्य सम्मिलित है।

अटल भूजल योजना के सादृश्य प्रदेश के अवशेष 65 जनपदों को आच्छादित करते हुए उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना लागू की गयी है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त जनपदों में लघु सिंचाई विभाग द्वारा चेकडैम का निर्माण एवं तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जाता है।

प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन एवं नियमन किये जाने हेतु 'उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम-2019' प्रख्यापित है। अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों तथा समस्त सरकारी सहायता प्राप्त भवनों एवं नियमानुसार निजी क्षेत्रों के 300 वर्ग मीटर एवं उससे अधिक के भवनों को अच्छादित करते हुए रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा भी रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना का कार्य किया जाता है।

विगत वर्षों में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में विभाग द्वारा विभागीय योजना के अन्तर्गत लगभग 2.40 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना की गयी है एवं इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50,000 वर्ग मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना की जानी है।

भारत सरकार के जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत 'कैच द रेन' की मुहिम चलाई गयी है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भू-गर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते है, जिनमें चेकडैम का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, आन-फार्म हार्वेस्टिंग, यथा-मेढ़बन्धी, रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि संरचनाओं के कार्य सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिलाओं को निशाना बनाकर किये जा रहे अपराध/साइबर क्राइम को रोकने सम्बन्धी

***12-डॉ0 रागिनी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं को निशाना बनाकर किये जा रहे अपराध/साइबर क्राइम को रोकने के लिये सरकार ने कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में महिला अपराध/साइबर क्राइम को रोके जाने की दिशा में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

i-वीमेन पावर लाइन 1090 पर महिला अपराध सम्बन्धित समस्याओं को 24x7 घण्टे सुनकर शिकायत दर्ज की जाती है तथा उनका समयबद्ध निस्तारण कराया जाता है।

ii-प्रदेश के 1584 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना/सुदृढ़ीकरण किया गया है, जिसके माध्यम से थानों पर आने वाली महिलाओं की समस्याओं का समुचित निस्तारण कराया जा रहा है।

iii-प्रदेश के समस्त जनपदों में थाना स्तर पर महिला बीट प्रणाली विकसित करते हुए कुल 10,417 महिला बीट गठित की गयी हैं। महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा बीट क्षेत्र की किसी महिला की शिकायत पर थाने/चौकी से समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्यवाही की जाती है।

iv-विभिन्न जनपदों में महिलाओं की सुरक्षा व नारी सशक्तिकरण हेतु 'एण्टी रोमियों स्क्वॉड' का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है।

v-महिलाओं की सुरक्षा को और बेहतर बनाने हेतु जनपद लखनऊ में सेफ सिटी परियोजना क्रियान्वित।

vi-बलात्कार व पॉक्सो के अपराधों के अभियोगों के समयबद्ध अनुश्रवण हेतु एनसीआरबी, भारत सरकार द्वारा संचालित ITSSO (Investigation tracking System for Sexual Offences) पोर्टल के माध्यम से अभियोगों की प्रगति का निरन्तर अनुश्रवण।

vii-साइबर अपराधों की रोकथाम व प्रभावी कार्यवाही हेतु 18 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबरक्राइम थानों तथा समस्त परिक्षेत्रीय साइबर थानों पर महिला साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है।

साइबर मुख्यालय व प्रदेश के समस्त थानों पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राइवेट माध्यमिक स्कूलों द्वारा छात्रों से मनमानी फीस व अन्य सुविधाओं के नाम पर धन उगाही को रोकने की मांग

***13-श्री महेन्द्र नाथ यादव-**

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइवेट माध्यमिक स्कूलों द्वारा छात्रों से मनमानी फीस व अन्य सुविधाओं के नाम पर धन उगाही को रोकने हेतु फीस निर्धारित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शुल्क निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 एवं उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2020 प्रभावी है।

प्रदेश में सरकार द्वारा विभागों में संविदा नियुक्तियों से अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों का नियुक्तियों में आरक्षण प्रतिशत प्रभावित होने से संविधान में प्रदत्त आरक्षण को संविदा पर नियुक्ति की व्यवस्था में लागू करने की योजना विषयक

***14-श्री अनिल कुमार-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा विभागों में संविदा के माध्यम से की जा रही नियुक्तियों के कारण अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों का नियुक्तियों में आरक्षण प्रतिशत प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार की संविधान में प्रदत्त आरक्षण को संविदा पर की जा रही नियुक्ति की व्यवस्था में लागू करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

वर्तमान में राजकीय विभागों में राजकीय कर्मचारियों के स्वीकृत पदों पर संविदा पर नियुक्ति प्रदान करने की नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में संचालित स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं आचार्यों को सरकार द्वारा वेतन भुगतान को राजकीय कोष से वेतन भुगतान हेतु निधि के प्रावधान की जानकारी सम्बन्धी

***15-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-**

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं आचार्यों को सरकार वेतन भुगतान कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या

सरकार स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं आचार्यों को राजकीय कोष से वेतन भुगतान हेतु निधि का प्रावधान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय

जी नहीं। जी नहीं। स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों के वेतन का भुगतान शासन द्वारा स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के लिये निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जाता है एवं शासनादेश संख्या-226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 के अनुसार महाविद्यालय में शिक्षण शुल्क से प्राप्त आय का कम से कम 75 प्रतिशत अंश वेतन आदि पर खर्च किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

प्रदेश में अधूरे निर्मित बन्धों को चिन्हित कर निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

***16-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने बन्धे/रिंग बंधे हैं जो अपनी पूरी लम्बाई में पूर्ण न होकर उनमें बीच-बीच में कुछ स्थानों पर गैप छूटा होने के कारण बाढ़ में नदी का पानी इसी रास्ते फैल कर कई गांवों की हजारों एकड़ फसलों के साथ ही साथ इन गांवों के अस्तित्व के लिए भी खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में ऐसे अधूरे निर्मित बंधों को चिहिन्त कर निर्माण कार्य पूर्ण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

प्रदेश में कुल 20 तटबन्ध ऐसे हैं, जिनमें गैप छूटे हुये हैं। अधिकतर गैपों में कृषकों द्वारा भूमि न दिये जाने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। किसानों की भूमि लेने के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। जहाँ-जहाँ भूमि उपलब्ध हो रही है, वहाँ निर्धारित प्रक्रियानुसार परियोजना बनाकर गैपों को पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है। बाढ़ अवधि में नदी का जल स्तर अधिक होने पर बंधों के गैप से गांवों की कृषि भूमि पर नदी का पानी फैलता है। वर्तमान में गैपों के निकट स्थित गांवों के अस्तित्व पर कोई खतरा नही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त तहसीलों में जमीन से सम्बन्धित दाखिल खारिज के लम्बित प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने विषयक

***17-श्री राम सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त तहसीलों में जमीन से सम्बन्धित दाखिल खारिज के कितने प्रकरण समयावधि के उपरान्त भी लम्बित हैं तथा उक्त के

लम्बित होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त लम्बित प्रकरण के निस्तारण हेतु कोई नयी प्रभावी कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आर0सी0सी0एम0एस0) पर उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-34 (नामान्तरण) के अन्तर्गत दिनांक 01-08-2023 तक प्रदेश की समस्त तहसीलों में दर्ज कुल 83,07,107 वादों के सापेक्ष 76,20,764 वादों का निस्तारण (91 प्रतिशत) किया गया है तथा 6,86,343 वाद निस्तारण हेतु लम्बित हैं। उक्त लम्बित 6,86,343 वादों में 4,38,277 वाद 03 माह से अधिक अवधि के हैं।

उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-34 (नामान्तरण) के अन्तर्गत प्रदेश की तहसीलों में दर्ज होने वाले वादों के निस्तारण हेतु राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-34 (7) के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

'तहसीलदार नामांतरण के अविवादित प्रकरण को उसके दर्ज किये जाने के दिनांक से पैंतालीस दिनों की अवधि के अन्दर और नामांतरण के विवादित प्रकरण को नब्बे दिनों के अवधि के अन्दर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के अन्तर्गत समाप्त नहीं होती है तो उसके लिए कारण अभिलिखित किया जायेगा।'

उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत दाखिल खारिज वादों का योजित किया जाना तथा उनका निस्तारण किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें पक्षों द्वारा आपत्ति/साक्ष्य आदि प्रस्तुत किये जाने के कारण समयावधि के उपरान्त उक्त वाद लम्बित हैं।

राजस्व न्यायालयों में योजित/लम्बित वादों के त्वरित/समयबद्ध निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-462/एक-4-2023, दिनांक 23-05-2023 के अन्तर्गत समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त निर्देशों में समस्त राजस्व न्यायालय क्रियाशील रहने, तहसीलदार (न्यायिक) के पद रिक्त होने की स्थिति में नायब तहसीलदार को तैनात किये जाने, धारा 34 के निर्विवादित वादों का समय-सीमा के अन्दर निस्तारण किये जाने तथा कुल पंजीकृत राजस्व वादों के वितरण की व्यवस्था राजस्व प्रशासनिक अधिकारियों एवं राजस्व न्यायिक अधिकारियों के मध्य 30:70 में किये जाने के निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने जाने की मांग

***18-डा0 पल्लवी पटेल, श्री त्रिभुवन दत्त, श्री मदन भैया तथा श्री मो0 ताहिर खान-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने/दोगुना किये जाने पर

सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार शिक्षामित्रों को नियमित किये जाने पर भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-32599/2015 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम आनन्द कुमार यादव में पारित आदेश दिनांक 25-07-2017 के क्रम में शासनादेश संख्या-1928/79-5-2017-282/98, शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 जारी किया गया है, जिसके द्वारा शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर नियत रु0 10,000/-प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-32599/2015 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम आनन्द कुमार यादव में पारित आदेश दिनांक 25-07-2017 के अनुपालन में पूर्व में शिक्षामित्रों को परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 19-06-2014, 08-04-2015, 22-12-2015 तथा इस क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों को शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

प्रदेश में वर्ष 2023 के मार्च माह के प्रारम्भ में कई दिनों तक हुई लगातार बारिश के कारण किसानों के फसल के नुकसान का मुआवजा देने सम्बन्धी

***19-श्री सचिन यादव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2023 के मार्च माह के प्रारम्भ में कई दिनों तक हुई लगातार बारिश के कारण किसानों के फसल के नुकसान का मुआवजा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों/कृषकों को भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-एन0डी0एम0-1 (वैल्यूम-2), दिनांक-10-10-2022 द्वारा निर्धारित मानकों एवं दरों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बारात घर से वंचित ग्राम पंचायतों में बारात घर का निर्माण कराने की मांग

***20-श्री विनोद चतुर्वेदी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर बारात घर न होने के कारण गरीबों को शादी कराने हेतु दिक्कत का सामना करना पड़ता है ? यदि हाँ,

तो क्या सरकार पंचायत स्तर पर बारात घर का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पंचायती राज विभाग में बारात घर निर्माण हेतु कोई योजना संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कांथा में वित्तीय वर्ष 2016-21 तक कराये गये विकास कार्यों की जांच के सम्बन्ध में

1-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कांथा में वित्तीय वर्ष 2016-21 तक कराये गये विकास कार्यों की संयुक्त जांच कमेटी द्वारा जांच किये जाने पर सम्बन्धित ग्राम सचिवों को सम्बन्धित सरकारी अभिलेखों को गायब करने का दोषी पाया था ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव के पत्र दिनांक 16-08-2022 द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत कांथा द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त प्रकरण संयुक्त जांच कमेटी के नामित जांच द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त प्रकरण संयुक्त जांच कमेटी के नामित जाँच अधिकारी को प्रेषित किया गया ? यदि हां, तो जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव दिनांक 16-08-2022 द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अभिलेखों की संयुक्त जांच कमेटी द्वारा स्थलीय परीक्षण/सत्यापन किया गया ? यदि हां, तो सरकार वर्ष 2022 की उक्त जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जी हाँ।

नामित जाँच अधिकारी से जाँच आख्या प्राप्त करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव के पत्र संख्या-2662, दिनांक 20-07-2022, पत्र संख्या-3116, दिनांक 16-08-2022 व पत्र संख्या-7269, दिनांक 22-02-2023 द्वारा अपेक्षा की गई है।

प्रकरण में नामित जाँच अधिकारी उपायुक्त (श्रम रोजगार), उन्नाव एवं अवर अभियन्ता (ग्रा0अभि0वि0) की संयुक्त जाँच कमेटी द्वारा जाँच कर अपने पत्र दिनांक 24-02-2023 के द्वारा जाँच/सत्यापन आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

संयुक्त जाँच कमेटी की जाँच आख्या दिनांक 24-02-2023 संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नदियों की सफाई के सम्बन्ध में

2-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित नदियों की सफाई का कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों (2017 से 2022 तक) में कौन-कौन सी नदियों की सफाई कराई गयी तथा उन पर कितना-कितना धन व्यय किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल शक्ति मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में हर घर नल जल योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में

3-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हर घर नल जल योजनान्तर्गत वर्ष 2019 से दिनांक 19-03-2023 तक कितना बजट अवमुक्त किया गया एवं उक्त में से कितना व्यय किया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत व्यय बजट से लाभान्वित ग्राम पंचायतों के लोगों के घरों में प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

प्रदेश में हर घर नल जल योजनान्तर्गत वर्ष 2019 से दिनांक 19-03-2023 तक रु0 35,582.40 करोड़ अवमुक्त किया गया है, जिसके सापेक्ष उक्त अवधि में रु0 30,576.67 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी। हर घर नल योजना से आच्छादित ग्रामों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। अद्यतन प्रदेश के 1,42,09,204 ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजस्व ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया निश्चित समयावधि में पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

4-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने राजस्व ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है एवं कितने राजस्व ग्राम शेष हैं ? क्या सरकार शेष राजस्व ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया निश्चित समयावधि में पूर्ण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-† देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ संख्या-319-320 पर।

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश के 98634 राजस्व ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है एवं 9775 राजस्व ग्राम शेष हैं।

जी हाँ, जनपदों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियोजित कार्यक्रमानुसार पूर्ण कराया जाएगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में आग की घटनाओं से प्रभावित पीड़ित परिवार को मुआवजे की धनराशि को बढ़ाये जाने की मांग

5-श्री अनिल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आग की घटनाओं से प्रभावित पीड़ित परिवार को कितना मुआवजा दिया जाता है ? क्या सरकार उक्त मुआवजे की धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में आगजनी की घटनाओं में जनहानि, पशुहानि, मकान क्षति आदि होने पर पीड़ितों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-33-03/2020-एन0डी0एम0-1 (वैल्यूम-2), दिनांक-10-10-2022 द्वारा निर्धारित मानकों/दरों के अनुसार राहत धनराशि प्रदान की जाती है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 10-10-2022 में मुख्यतः निम्नानुसार राहत सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है :-

क्र0-सं0	मद	धनराशि (रु0 में)
1	जनहानि शरीर के किसी अंग (लिम्ब) अथवा आंख/आखों की हानि होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान।	4,00,000/- प्रति व्यक्ति 74,000/-रुपये जब अपंगता 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के बीच हो। प्रति व्यक्ति 2,50,000/-रुपये जब अपंगता 60 प्रतिशत से अधिक हो।
2	ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो।	प्रति व्यक्ति 16,000/-रुपये जब एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो। प्रति व्यक्ति 5,400/- रुपये जब एक सप्ताह से कम की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो।

क्र0-सं0	मद	धनराशि (रु0 में)
3	मकान क्षति	पूरी तरह से क्षतिग्रस्त/नष्ट हुए कच्चा/पक्का घर और गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त कच्चा/पक्का घर होने पर रुपये 1,20,000/-प्रति घर। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का एवं कच्चा मकान (झोपड़ियों के सिवाय) जहां क्षति कम से कम 15 प्रतिशत है। वहां क्रमशः रु0 6,500/-एवं रु0 4,000/- प्रति घर क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गयी झोपड़ियां रु0 8,000/- प्रति झोपड़ी।
4	किसी प्राकृतिक आपदा के कारण मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने पर	रु0 2,500/-प्रति परिवार कपड़ों की आपदा के कारण हानि के लिए। **दुधारू पशु** रु0 37,500/-(गाय, भैंस, ऊँट, याक, मिथुन आदि के लिए) रु0 4,000/-(भेंड़, बकरी, सुअर के लिए)
5	पशु हानि	**गैर दुधारू पशु** रु0 32,000/-(ऊँट, घोड़ा एवं बैल आदि के लिए) रु0 20,000/-(बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर एवं हेफर आदि के लिए)

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण परिवेश की जनता के हितों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बारात घर के निर्माण कराने की मांग

6-श्री अभय सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण परिवेश की जनता के हितों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बारात घर के निर्माण कराने की नीति है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं, पंचायती राज विभाग में बारात घर निर्माण हेतु कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में प्राइमरी व जूनियर स्तर के अस्थाई भवनों में संचालित स्कूलों के लिये नये भवन बनाने तथा असेवित क्षेत्रों में उक्त नये स्कूलों की स्थापना कराये जाने सम्बन्धी

7-श्री नाहिद हसन-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में प्राइमरी व जूनियर स्तर के कितने स्कूल अस्थाई भवनों में संचालित हैं ? क्या सरकार उक्त जनपद के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थाई भवनों में संचालित स्कूलों के लिए नए भवन तथा असेवित क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जनपद शामली की विधान सभा क्षेत्र कैराना के नगर पालिका परिषद्, कैराना में कुल 03 प्राथमिक विद्यालय अस्थायी भवनों (किराये के भवन में) संचालित हैं। जूनियर स्तर का कोई भी विद्यालय अस्थायी भवनों में संचालित नहीं है।

भूमि की उपलब्धता होने पर नये भवन का निर्माण कराया जाता है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चयनित मार्गों का नवीनीकरण व मरम्मत तथा उक्त जनपद के ग्राम तपनपुर रामड़ा से कैराना नगर पालिका के बारात घर तक मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने विषयक

8-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कुल कितने मार्गों का चयन किया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष में उक्त योजना पर कितने मार्गों का नवीनीकरण कार्य योजना के अन्तर्गत मरम्मत कराया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त जनपद के ग्राम तपनपुर रामड़ा से कैराना नगर पालिका के बरात घर तक मार्ग का मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III बैच-I (2021-22) के अन्तर्गत 05 मार्गों का चयन किया गया है, जिनका उच्चीकरण कार्य प्रगति पर है। सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0-सं0	पैकेज सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0)
1	UP7320	मेरठ-करनाल मार्ग से चौसाना से ऊन मार्ग	9.900
2	UP7321	केरटू से टोडा मोड चौसाना से मुण्डेट	8.200
3	UP7322	(गढ़ी अब्दुल्ला खां) आंशिक भाग	16.500
4	UP7327	टोडा मोड (बिडौली-चौसाना ऊन मार्ग) से पन्थूपुरा	10.100
5	UP7328	रामड़ा से मलकपुरा	7.600

जनपद शामली के ग्राम तपनपुर रामड़ा से कैराना नगर पालिका के बरात घर तक मार्ग की लम्बाई 3.500 किमी0 है तथा यह मार्ग 'कम्प्रिहेन्सिव अपग्रेडेशन कम कन्सॉलिडेशन प्रायर्टी लिस्ट' (सीयूसीपीएल) में सम्मिलित नहीं है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III की गाइड लाइन के अनुसार 05 किमी0 या उससे अधिक लम्बाई के पक्के मार्गों का उच्चीकरण/चौड़ीकरण के कार्य कराये जाने का प्रावधान है। अतः जनपद शामली के ग्राम तपनपुर रामड़ा से कैराना नगर पालिका के बरात घर तक मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के दिशा-निर्देशों से आच्छादित न होने के कारण इस मार्ग का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 के चौड़ीकरण हेतु अर्जित भूमि सम्बन्धित भू-स्वामियों को शत-प्रतिशत भुगतान सम्बन्धी विवरण

9-श्री अमिताभ बाजपेई-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या-19 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में मुआवजा हेतु निर्धारित तिथि 31-07-2022 तक शेष भू-स्वामी में से कितने भू-स्वामी को शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

दिनांक 31-07-2022 तक 11548 भू-स्वामियों को 1251.67 करोड़ धनराशि शत-प्रतिशत भुगतान की जा चुकी है।

जी हाँ।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 कानपुर कन्नौज के 4/6 लेन चौड़ीकरण में कुल 18816 कृषकों की भूमि अर्जित कर प्रतिकर की कुल मु0 1824.95 करोड़ धनराशि अभिनिर्णीत की गई है। अर्जित की गई भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर की कुल मु0 1499.54 करोड़ धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। तत्समय किसानों के मध्य विभिन्न न्यायालयों में स्वत्व सम्बन्धी वादों/आर्बीट्रेशन से आच्छादित मु0 247.87 करोड़ की धनराशि को छोड़कर मु0 1251.67 करोड़ की निर्विवाद धनराशि वितरण हेतु उपलब्ध थी।

उक्त धनराशि में से 10499 भू-स्वामियों को मु0 1191.75 करोड़ धनराशि का भुगतान दिनांक 18-05-2022 तक किया जा चुका था तथा 59.92 करोड़ की धनराशि प्रभावित भू-स्वामियों को भुगतान हेतु अवशेष थी, जो दिनांक 31-07-2022 तक 11548 भू-स्वामियों को 1251.67 करोड़ धनराशि शत-प्रतिशत भुगतान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

न्यायालय उप संचालक चकबन्दी अम्बेडकरनगर द्वारा धारा-48 (3) उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 12-01-2018 को सन्तराम बनाम ग्राम सभा आदि प्रकरण में निर्णय के अनुसार अमलदरामद खतौनी में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में

10-श्री लालजी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायालय उप संचालक चकबन्दी, अम्बेडकरनगर द्वारा धारा-48 (3) उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 12-01-2018 को सन्तराम बनाम ग्राम सभा आदि प्रकरण में निर्णय किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त निर्णय के अनुसार अमलदरामद खतौनी में किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जी हाँ।

न्यायालय उप संचालक चकबन्दी, अम्बेडकरनगर द्वारा सन्दर्भ संख्या-45, सन्तराम बनाम ग्राम सभा आदि, ग्राम बेलापरसा, परगना एवं तहसील टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर अन्तर्गत धारा-48 (3) उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 12-01-2018 के क्रम में न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, अकबरपुर वाद संख्या-68, सन्तराम आदि बनाम ग्राम

सभा आदि अन्तर्गत नियम-109क (1) में पारित आदेश दिनांक 18-07-2023 द्वारा निर्गत परवाना अमलदरामद ग्राम बेलापरसा, परगना व तहसील टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर की खतौनी सन् फसली 1429 से 1434 खाता संख्या-943 पर अमलदरामद अंकित किया गया है।

उप संचालक चकबन्दी, अम्बेडकरनगर द्वारा सन्दर्भ संख्या-45 अन्तर्गत धारा-48 (3) में पारित आदेश दिनांक 12-01-2018 का विलम्ब से दिनांक 18-07-2023 को अभिलेखों में अमलदरामद किया गया है। आदेश का विलम्ब से किये गये अनुपालन के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या-3096/जी-2/23, दिनांक 24-07-2023 द्वारा प्रकरण में दोषी सम्बन्धित कार्मिकों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध तत्काल विभागीय कार्यवाही संस्थित करने हेतु जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, अम्बेडकरनगर से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के इल्तिफातगंज चौराहे पर स्थापित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व मंत्री श्री जयराम वर्मा की स्थापित मूर्ति पुलिस बूथ से एक तरफ से ढक जाने विषयक अवरोध को हटाने के सम्बन्ध में

11-श्री लालजी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के इल्तिफातगंज नगर पंचायत सीमान्तर्गत मया-टाण्डा मार्ग चौराहे पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व मंत्री श्री जयराम वर्मा की स्थापित मूर्ति के बगल में पुलिस बूथ बनाकर उक्त मूर्ति को एक तरफ ढक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सम्मान में उक्त पुलिस बूथ को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

थाना इब्राहिमपुर क्षेत्रान्तर्गत इल्तिफातगंज नगर पंचायत में इल्तिफातगंज चौराहा पर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री जयराम वर्मा की मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के आगे, दायें, बायें किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, मूर्ति सामान्यतः आने-जाने वाले जन-सामान्य को स्पष्ट रूप से दिखायी देती है। कस्बा इल्तिफातगंज नगर पंचायत क्षेत्र होने व मिश्रित आबादी होने के कारण अत्यन्त संवेदनशील कस्बा है, जिसके दृष्टिगत पुलिस बल की उपस्थिति 24 घण्टे बनी रहती है। किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में तत्काल घटना स्थल पर पहुँच कर कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली स्थिति को नियन्त्रित किया जाता है। अतः पुलिस बूथ को हटाने की आवश्यकता नहीं है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सरकार द्वारा राज्य स्तरीय जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा का गठन किये जाने विषयक

12-श्री अशरफ अली खान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य स्तरीय जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा का गठन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार राज्य स्तरीय दिशा समिति का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

भारत सरकार के कार्यक्रमों की निगरानी हेतु राज्य व जिला स्तरीय दिशा समितियों हेतु निर्गत मार्गदर्शिका-2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य स्तरीय दिशा समिति के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2021-22 के विधान सभा चुनाव में आचार संहिता का उलंघन करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के कतिपय कर्मचारियों/अध्यापकों का सस्पेंशन विवरण के सम्बन्ध में

13-श्री संदीप सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2021-22 के विधान सभा चुनाव में आचार संहिता का उलंघन करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के कतिपय कर्मचारियों/अध्यापकों का सस्पेंशन किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 30 नवम्बर, 2022 तक ग्राम पंचायतों में बनाए गए सार्वजनिक शौचालयों पर सुविधा दाता की तैनाती सम्बन्धी

14-श्री शहज़िल इस्लाम अंसारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 30 नवम्बर, 2022 तक कितनी ग्राम पंचायतों में बनाए गए सार्वजनिक शौचालयों पर सुविधा दाता तैनात कर दिए गए हैं ?

क्या सरकार ने उक्त सुविधा दाता की तैनाती हेतु कोई नियमावली बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्रदेश में 30 नवम्बर, 2022 तक सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव हेतु 52,163 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से केयर टेकर की व्यवस्था की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1758/33-3-2020-31/2019, दिनांक 15-07-2020 के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में निर्मित कराये गये सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव के लिए शासनादेश सं0-1758/33-3-2020-31/2019, दिनांक 15-07-2020 (संलग्न) के माध्यम से विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर का डाटाबेस तैयार कराने विषयक

15-श्रीमती जय देवी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर का केन्द्रीयकृत डाटाबेस सरकार तैयार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि राज्य विश्वविद्यालयों में एक शिक्षक का एक से अधिक महाविद्यालयों में अनुमोदन किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त व्यवस्था कब तक समाप्त कराकर पारदर्शिता युक्त व्यवस्था लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

राज्य विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत आने वाले स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा एक निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा करके उन्हें वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। सम्प्रति प्रदेश के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर का केन्द्रीयकृत डाटाबेस तैयार करने का कोई निर्णय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों में स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों का अनुमोदन एक निर्धारित प्रकिया के द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किया जाता है।

यू0जी0सी0 मानक योग्यता अनुसार स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन निर्धारित कर इनकी सेवा नियमावली बनाये जाने विषयक

16-श्रीमती जय देवी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की 90 प्रतिशत उच्च शिक्षा व्यवस्था स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार यू0जी0सी0 मानक योग्यता अनुसार वेतन निर्धारित कर इनकी सेवा नियमावली बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित महाविद्यालय एवं उसमें कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान एवं नियुक्ति तथा सेवा शर्तों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवायें व्यवहृत होती हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध जनपदों के महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य की सूची ऑनलाइन न होने के कारण प्रोफेसर तथा प्राचार्य के अनुमोदन में अनियमितता की जांच विषयक

17-श्रीमती जय देवी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध जनपद सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, रायबरेली तथा लखनऊ के महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य की सूची ऑनलाइन न होने के कारण प्रोफेसर तथा प्राचार्य के अनुमोदन में अनियमितता की जा रही है ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर पारदर्शिता युक्त ऑनलाइन व्यवस्था लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, रायबरेली तथा लखनऊ में स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से सहयुक्त महाविद्यालयों में अनुमोदित/कार्यरत प्राचार्य एवं शिक्षकों का

पूर्ण विवरण सहित सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट "lkouniv.ac.in" के यू0डी0आर0सी0 पोर्टल पर अपलोड है, जो सर्वजन के अवलोकनार्थ प्रदर्शित है।

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर का एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति विषयक

18-श्रीमती जय देवी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर का एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन 09 मई, 2000 के शासनादेश के अनुसार सरकार करायेगी ? क्या सरकार उक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों का उल्लेख स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित महाविद्यालय के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-226/सत्तर-2-2020-18 (31)/2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 में किया गया है। उक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन उक्त शासनादेश के अनुसार ही किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में शोध छात्र-छात्राओं को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भांति प्रतिमाह छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की मांग

19-श्रीमती जय देवी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में शोध छात्र-छात्राओं को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भांति प्रतिमाह छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में शोध छात्र छात्राओं को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भांति प्रतिमाह छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की कोई योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली की सरेनी विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत संचालित पेयजल योजना पूर्ण करने सम्बन्धी

20-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद रायबरेली की सरेनी विधान सभा क्षेत्र में कौन सी स्वीकृत पेयजल योजना संचालित है और कितनी अधिष्ठापित होने के लिए शेष हैं ? क्या सरकार शेष पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने हेतु कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र सरेनी के अन्तर्गत 10 पेयजल परियोजनाएं यथा-डिघिया, तेजगांव, घूरीखेड़ा, हथनासा, हसनापुर, तेरूखा, बहाई, उत्तरागौरी, सेमरपहा एवं जगतपुर भिचकौरा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित की जा रही हैं। उक्त के अतिरिक्त जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र सरेनी में 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत कुल 109 पाइप पेयजल योजनाएं स्वीकृत हैं एवं अधिकांश योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों को वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र में निष्क्रिय राजकीय नलकूपों को चालू करने विषयक

21-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र में कितने राजकीय नलकूप वर्तमान में निष्क्रिय हैं ? क्या उन्हें पुनः चालू करने हेतु सरकार की कोई कारगर योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

दिनांक 01-04-2023 की स्थिति के अनुसार जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के अन्तर्गत 22 राजकीय नलकूप निष्क्रिय/असफल हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'प्रदेश में 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना' प्रचलित है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में 19 राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रदेश में असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु '801 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना' के गठन की कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रस्तावित योजना में

जनपद-रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के शेष 03 असफल राजकीय नलकूप का पुनर्निर्माण सम्मिलित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में सलोनी नदी के दाएं किनारे पर पुरकाजी खादर में तटबन्ध निर्माण विषयक

22-श्री अनिल कुमार-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में सलोनी नदी के दाएं किनारे पर पुरकाजी खादर में तटबन्ध निर्माण के कार्य की परियोजना लागत 11075.00 लाख रुपए के प्रस्ताव को केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति का अनुमोदन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त समिति द्वारा परियोजना से प्रभावित परिजनों को धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

जनपद मुजफ्फरनगर में सलोनी नदी के दायें किनारे पर पुरकाजी खादर में तटबन्ध निर्माण के कार्य की परियोजना गठित की गयी। परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति की 52वीं बैठक दिनांक 02-12-2019 में अनुमोदित की गयी तथा भारत सरकार से वित्त पोषण किये जाने हेतु प्रस्तावित की गयी। परियोजना की लागत रु0 25 करोड़ से अधिक होने के कारण परियोजना भारत सरकार को तकनीकी स्वीकृति हेतु संदर्भित की गयी। भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा आयोजित 151वीं बैठक दिनांक 29-11-2022 में परियोजना की तकनीकी स्वीकृति लागत रु0 11388.00 लाख पत्र संख्या-74074/441/2022-PA (N) DTE, दिनांक 13-12-2022 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त परियोजना पर भारत सरकार से वित्त पोषण किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परियोजना के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में सलोनी नदी के दायें किनारे पर 23 किमी0 लम्बाई में तटबन्ध का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण

23-श्री नफीस अहमद

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हाँ। जनपद आजमगढ़ के 24 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के 10, प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका के 09, प्रवक्ता के 90 तथा सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिकाओं के 86 पद रिक्त हैं।

उक्तवत्।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2021-22 में दर्ज ऑनलाइन एफ0आई0आर0 के निस्तारण के सम्बन्ध में

24-श्री नफीस अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऑनलाइन एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की व्यवस्था लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2021-22 में कितनी एफ0आई0आर0 ऑनलाइन दर्ज हुई तथा उक्त में से कितने मामलों का निस्तारण किया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

(1) वर्ष 2021 में 29 मामलों में ऑनलाइन एफ0आई0आर दर्ज हुई है।

वर्ष 2021 में 29 मामलों में से 29 निस्तारण किया जा चुका है।

(2) वर्ष 2022 में 62 मामले ऑनलाइन एफ0आई0आर दर्ज हुई है।

वर्ष-2022 में 62 मामले दर्ज हुए जिसमें से 59 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है तथा 03 मामले निस्तारण हेतु शेष हैं।

विवरण उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर मण्डल की सभी तहसीलों के ग्रामों के राजस्व रिकॉर्ड को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किये जाने विषयक

25-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर मण्डल की सभी तहसीलों में कितने ग्रामों का राजस्व रिकॉर्ड पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है एवं कितने ग्रामों का राजस्व रिकॉर्ड कम्प्यूटरीकृत होना शेष है ? क्या सरकार जनपद शामली तथा सहारनपुर मण्डल की सभी तहसीलों के ग्रामों का राजस्व रिकॉर्ड समय-सीमा निर्धारित कर कम्प्यूटरीकृत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। सहारनपुर मण्डल के कुल 2696 खतौनी ग्रामों के सापेक्ष 2613 खतौनी ग्रामों का राजस्व रिकार्ड कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। शेष 83 खतौनी ग्रामों में चकबन्दी एवं सर्वे कार्य गतिमान होने के कारण राजस्व रिकार्डों का कम्प्यूटरीकृत होना अवशेष है।

चकबन्दी एवं सर्वे कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अतिशीघ्र अवशेष खतौनी ग्रामों के राजस्व रिकार्ड को कम्प्यूटरीकृत करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिरियाकलां के मजरा कुनिया में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन का नव निर्माण कराये जाने विषयक

26-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिरियाकलां के मजरा कुनिया में स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय कुनिया के भवन का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर की आख्यानुसार बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों के ध्वस्तीकरण सम्बन्धी शासनादेश संख्या-855/68-5-2020, दिनांक 03 सितम्बर, 2020 में निहित व्यवस्थानुसार निर्धारित त्रिसदस्यीय तकनीकी समिति (अध्यक्ष-अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सदस्य-सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एवं सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग) को तकनीकी जांच एवं उसकी स्पष्ट मूल्यांकन आख्या उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के आदेश पत्रांक-एस0एस0ए0 /11893-97/2020-23, दिनांक 21-12-2022 द्वारा निर्देश दिये गये हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर के पत्रांक-एस0एस0ए0/3337-43/2023-24, दिनांक 25-07-2023 द्वारा भी तकनीकी समिति से आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

तकनीकी समिति, यदि उक्त प्राथमिक विद्यालय कुनिया के भवन जर्जर होने की संस्तुति/प्रमाणित करती है, तो तकनीकी समिति से प्राप्त मूल्यांकन आख्या के अनुसार भवन की नीलामी/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कराते हुए यथावश्यक भवन के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव समग्र शिक्षा की आगामी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में किया जायेगा।

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में प्रस्तुत प्रस्ताव में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण की स्वीकृति एवं बजट प्राप्त होने के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 01 जुलाई, 2017 से 28 फरवरी, 2023 के मध्य फर्जी इन्काउन्टर, फर्जी मुठभेड़ के सम्बन्ध में

27-श्री जियाऊर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01 जुलाई, 2017 से 28 फरवरी, 2023 के मध्य फर्जी इन्काउन्टर, फर्जी मुठभेड़, पुलिस कर्मी द्वारा हत्या या हत्या के प्रयास की कुल कितनी घटनायें पंजीकृत हुयी हैं ? क्या सरकार उक्त घटनाओं में संलिप्त दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

01 जुलाई, 2017 से 28 फरवरी, 2023 के मध्य फर्जी इन्काउन्टर व मुठभेड़ की सूचना शून्य है।

पुलिस कर्मियों द्वारा हत्या के कुल 03 अभियोग पंजीकृत हुये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

1-मु0अ0सं0-391/21 थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर,

2-मु0अ0सं0-519/20 थाना घाटमपुर, कमि0 कानपुर,

3-मु0अ0सं0-1132/18 थाना गोमतीनगर, कमि0 लखनऊ।

पुलिस कर्मियों द्वारा हत्या का प्रयास सम्बन्धी 01 अभियोग मु0अ0सं0-217/2020 थाना अनूपशहर, बुलन्दशहर में पंजीकृत हुआ है।

उक्त घटनाओं में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

28-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में सत्र, 2022-23 के सभी छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली यूनिफॉर्म की धनराशि उपलब्ध कराये जाने विषयक

29-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में सत्र, 2022-23 के सभी छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली यूनिफॉर्म की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

सत्र, 2022-23 में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा-1 से 8 तक अध्ययनरत् सभी छात्र-छात्राओं को 02 सेट यूनीफॉर्म हेतु प्रति छात्र रु0 600/-की धनराशि छात्र-छात्राओं के माता-पिता/अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्तरित की गयी है। उक्त हेतु राजकीय/परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी बालकों एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के बालकों को यूनीफॉर्म मद की धनराशि का बजटीय प्रावधान समग्र शिक्षा के अन्तर्गत तथा परिषदीय/राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों के बालकों हेतु एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत् कक्षा-1 से 8 तक के समस्त छात्र-छात्राओं हेतु निःशुल्क यूनीफॉर्म का बजटीय प्रावधान राज्य बजट से किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थित नदियों/नहरों की सिल्ट सफाई हेतु सरकार की योजना के सम्बन्ध में

30-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित नदियों/नहरों की सिल्ट सफाई हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में कितनी नदियों/नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण किया गया है व कितना शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में नहरों व ड्रेनों की सिल्ट सफाई प्रति वर्ष की एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता व सफाई की आवश्यकतानुसार सिल्ट सफाई का कार्य कराया जाता है। नदियों में सिल्ट सफाई की कार्य योजना का सम्बन्ध सिंचाई व जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 की अधिकारिता क्षेत्र से नहीं है।

विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 में लक्ष्य (46385 किमी0) के सापेक्ष 50769 किमी0 लम्बाई में नहरों की सिल्ट सफाई करायी गई। (विवरण संलग्न)[†]

[†] छापा नहीं गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नही उठता।

पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थापित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के सम्बन्ध में

31-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशीष पटेल-

पश्चिमी उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन निम्नवत् विश्वविद्यालय/राजकीय अनुदानित इंजीनियरिंग कालेज संचालित हैं :-

हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।

उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज।

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बिजनौर।

उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नोएडा।

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मैनपुरी।

प्रश्न नहीं उठता है।

सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

पश्चिमी उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय/राजकीय अनुदानित इंजीनियरिंग कालेज संचालित हैं।

उक्त के अतिरिक्त एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना/निर्माण हेतु कम से कम 10 एकड़ भूमि तथा लगभग रु0 50.00 करोड़ की लागत अनुमानित है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट/मांग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था करायी जानी होगी।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत सम्प्रति पश्चिमी उ0प्र0 में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किए जाने का सम्प्रति औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

प्रदेश में फोन/इन्टरनेट नेटवर्क हेतु नेटवर्क टावर लगाये जाने व इन्टरनेट/फोन नेटवर्क से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में टावर लगाने के सम्बन्ध में

32-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फोन/इन्टरनेट नेटवर्क हेतु नेटवर्क टावर लगाये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्टरनेट/फोन नेटवर्क से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में टावर लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना भारत सरकार के क्षेत्राधिकार का विषय है। भारत सरकार विभिन्न यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फण्ड स्कीम (यूसोफ) के तहत गांवों में इन्टरनेट और मोबाइल नेटवर्क में सुधार के लिए कई कदम उठा रही है, जिसमें यूसोफ प्रोजेक्ट, 4जी सैचुरेशन प्रोजेक्ट आदि सम्मिलित हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान किया जा रहा है :-

प्रदेश के 360 गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिये 226 चिन्हित स्थानों पर मोबाइल टावर्स के निर्माण हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड को 200 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिये 79 नये चिन्हित स्थलों पर टावर्स के निर्माण हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड को राजस्व विभाग की 200 वर्गमीटर भूमि भी निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पद के सापेक्ष वर्तमान में रिक्त पदों की जानकारी तथा रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्ति कराये जाने विषयक

33-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पद के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में (अल्पसंख्यक संस्था, कानपुर एवं लखनऊ नगर निगम को छोड़कर) निम्न विवरण के अनुसार अध्यापकों के स्वीकृत पद के सापेक्ष वर्तमान में पद रिक्त हैं :-

संस्था प्रधान		प्रवक्ता		सहायक अध्यापक	
सृजित	रिक्त	सृजित	रिक्त	सृजित	रिक्त
4168	2663	20525	4384	66334	20465

जी हाँ।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जाती है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज के स्थान पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नवीन आयोग 'उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग' का गठन किया जा रहा है, जिसके निमित्त चयन बोर्ड में सदस्यों के चयन की कार्यवाही को स्थगित रखा गया है। प्रश्नगत अध्यापकों का चयन नवगठित 'उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग' द्वारा किये जाने का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज में स्थित प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भइया) राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज में वर्ष 2021-2022 एवं वर्ष 2022-2023 में महाविद्यालयों के छात्रों से वसूले गये शुल्क के सम्बन्ध में

34-श्री संदीप सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज में स्थित प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भइया) राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज में वर्ष 2021-2022 एवं वर्ष 2022-2023 में महाविद्यालयों/छात्रों से वेब शुल्क, विकास शुल्क, रोवर रेंजर शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, निरीक्षण शुल्क, अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क, सम्बद्धता शुल्क आदि लिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? क्या सरकार उक्त का विवरण एवं सम्बन्धित शासनादेश सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी हाँ।

<u>छात्र/छात्राओं हेतु</u>

वेब शुल्क	50/-
विकास शुल्क	100/-
रोवर रेंजर शुल्क	50/-
प्रोसेसिंग शुल्क	50/-

महाविद्यालयों हेतु

निरीक्षण शुल्क	25000/- + GST
अनापत्ति आवेदन शुल्क	5000/- + GST
सम्बद्धता शुल्क	75000/- + GST

प्रश्न नहीं उठता।

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भइया) राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज में आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर शिक्षकों की नियुक्ति के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में

35-श्री संदीप सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भइया) राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज में आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रकरण शासन के संज्ञान में है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार नियम विरुद्ध भर्ती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भइया) राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज में आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रकरण विधान परिषद् में नियम-105 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 22-08-2020 के माध्यम से संज्ञान में आया।

प्रकरण में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 02 रिट याचिकाएं लम्बित हैं तथा याचिकाओं में अन्तिम निर्णय मा0 न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में जमीन का बैनामा/रजिस्ट्री कराने के 35 दिनों के अन्दर में आपत्ति नहीं होने की दशा में गाटे/खेत की दाखिल खारिज के सम्बन्ध में

36-श्री संदीप सिंह तथा डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसी भी जमीन का बैनामा/रजिस्ट्री कराने के 35 दिन में आपत्ति नहीं होने की दशा में गाटे/खेत की दाखिल खारिज की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि दाखिल खारिज के विषय में कोई भी व्यक्ति अथवा बैनामा करने वाले के परिवार का सदस्य/ब्लड रिलेशन वाले ही दाखिल खारिज में आपत्ति लगा सकते हैं ? क्या सरकार उक्त से सम्बन्धित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-34 (7) में व्यवस्था दी गयी है कि तहसीलदार नामान्तरण के अविवादित प्रकरण को उसके दर्ज किये जाने के दिनांक से पैंतालिस दिनों की अवधि के अन्दर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के अन्तर्गत समाप्त नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा।

दाखिल खारिज के विषय में कोई भी व्यक्ति अथवा बैनामा करने वाले के परिवार का सदस्य/ब्लड रिलेशन वाले ही दाखिल खारिज में आपत्ति लगा सकते हैं, इस सम्बन्ध में राजस्व संहिता एवं नियमावली में स्पष्ट प्राविधान नहीं दिये गये हैं, अपितु उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-34 (2) में यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक उद्घोषणा सम्बन्धित गांव में डुग्गी पिटवाने के साथ उद्घोषित की जायेगी तथा उसकी प्रतियां तहसील तथा भूमि प्रबन्धक समिति के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी। तहसीलदार उन सभी व्यक्तियों को जो उस दाखिल खारिज में हितबद्ध दिखें तथा सह खातेदारों को, यदि कोई हो, लिखित नोटिस देगा।

जी हां, विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने के मानक में परिवर्तन किये जाने विषयक

37-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने का मानक क्या है ? क्या सरकार वर्तमान मानक का परीक्षण कर उक्त में परिवर्तन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 150 की आबादी पर 01 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगाये जाने का मानक निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने के लिये सरकार द्वारा समय-सीमा निर्धारित करने विषयक

38-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 20-03-2023 तक कितने परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्रदान किया गया है तथा

नोट :-[†] देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या-321-324 पर।

कितने शेष हैं ? क्या सरकार समय-सीमा निर्धारित कर शेष लोगों को आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से दिनांक 20-03-2023 तक कुल 34.72 लाख परिवारों को आवास आवंटित किया गया है। दिनांक 02 अगस्त, 2023 को आवास प्लस की स्थायी पात्रता सूची के अनुसार 20 मार्च, 2023 के पश्चात् 2,22,901 परिवार आवास आवंटन के लिए शेष हैं।

अवशेष पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले लक्ष्य के अधीन है।

वर्ष 2023-24 में 1,44,220 आवास निर्माण का अतिरिक्त लक्ष्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश को उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार आवास प्लस की स्थायी पात्रता सूची में इस अतिरिक्त लक्ष्य आवंटन के पश्चात् 78,681 परिवार ही आवास आवंटन के लिए शेष बचेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्डों में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में

39-श्रीमती जय देवी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्डों में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वृहत वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किए जाने का सम्प्रति अवसर नहीं है।

जनपद लखनऊ के माल, मलिहाबाद व काकोरी में श्मशान घाट के निर्माण के सम्बन्ध में

40-श्रीमती जय देवी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल, मलिहाबाद और काकोरी में श्मशान घाट का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। अन्त्येष्टि स्थल के सम्बन्ध में वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक विकास खण्ड मलिहाबाद में 3, विकास खण्ड माल में 2 एवं विकास खण्ड काकोरी में 3 अन्त्येष्टि स्थल पूर्व में आवंटित किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शासनादेश संख्या-1/325479/33-3-3002/7/2023-3/001-764/33-3-2023, दिनांक 01 जून, 2023 द्वारा प्रदेश में कुल आवंटित धनराशि के सापेक्ष जनपद लखनऊ हेतु कुल 8 विकास खण्ड के सापेक्ष 10 अन्त्येष्टि स्थल आवंटित किये गये हैं, जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त अवरोही क्रम में प्रति विकास खण्ड न्यूनतम एक अन्त्येष्टि स्थल आवंटित किया जायेगा।

शासनादेश संख्या-2/2015/33-3-2014-100 (21)/2014, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 के प्रस्तर-64 में प्रदत्त प्राविधानानुसार जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णय के उपरान्त चयनित लाभार्थी ग्राम पंचायतों को धनराशि आवंटित की जा सकेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड काकोरी, माल, मलिहाबाद में पालीटेक्निक कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

41-श्रीमती जय देवी-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड काकोरी, माल, मलिहाबाद में पालीटेक्निक कालेज की स्थापना सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशीष पटेल-

जी नहीं।

लागू नहीं।

अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ में 04 राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक यथा राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ, राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ, हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ एवं लखनऊ पालीटेक्निक, लखनऊ संचालित हैं एवं 01 राजकीय पालीटेक्निक बक्शी का तालाब (मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा से आच्छादित) निर्माणाधीन है, जिसका संचालन पी0पी0पी0 मोड पर किया जाना है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 220 संस्थान स्वीकृत हैं, जिसमें से 147 राजकीय, 19 अनुदानित एवं 02 पी0पी0पी0 मोड पर अर्थात् कुल 168 संस्थाएं संचालित हैं तथा 52 पालीटेक्निक अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं।

शैक्षिक सत्र, 2022-23 में संचालित 168 संस्थाओं की प्रवेश क्षमता 48836 निर्धारित थी, जिसके सापेक्ष प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 36109 थी तथा 12727 सीटें रिक्त रहीं।

वर्तमान में पालीटेक्निक संस्थानों में रिक्त रह गयीं सीटों तथा 52 निर्माणाधीन संस्थानों के पूर्ण होने पर बढ़ने वाली नयी प्रवेश क्षमता के दृष्टिगत जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड काकोरी, माल, मलिहाबाद में नवीन राजकीय पालीटेक्निक खोले जाने का औचित्य नहीं है।

42-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

[बहुत ब्यौरे की जानकारी के आधार पर निरस्त]

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र में स्थापित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

43-श्री पंकज पटेल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने प्राथमिक तथा कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त में से कितने विद्यालयों में विद्युतीकरण किया गया है तथा कितनों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है ? क्या सरकार सभी विद्यालयों में विद्युतीकरण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड-फूलपुर, मार्टीनगंज, मिर्जापुर एवं मुहम्मदपुर में कुल 221 प्राथमिक विद्यालय एवं 84 उच्च प्राथमिक विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हैं।

उक्त 305 परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 290 विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य किया जा चुका है। अवशेष 11 प्राथमिक विद्यालय एवं 04 कम्पोजिट विद्यालय में विद्यालय भवन से विद्युत पोल की दूरी 40 मीटर से अधिक होने के कारण विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है। इस प्रकार कुल 15 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं है।

जी हाँ।

उक्त 15 विद्यालयों का झटपट पोर्टल पर विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया है, जिनमें से विद्युत विभाग द्वारा 01 विद्यालय का आगणन उपलब्ध कराया गया है। शेष 14 विद्यालयों का आगणन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन, ग्राम कटियार में सैनिक कल्याण हेतु सैनिक पुनर्वास निधि फार्म अटारी माल, लखनऊ पर कतिपय लोगों द्वारा अवैध कब्जे के सम्बन्ध में

44-श्री पंकज पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन, ग्राम कटियार में सैनिक कल्याण हेतु सैनिक पुनर्वास निधि फार्म अटारी माल, लखनऊ पर

कतिपय लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके निर्माण करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत भू-क्षेत्र प्रायः खाली है, कुछ अंश पर आवास निर्मित होने की आशंका है, जिसकी यथार्थ नपाई कराई जा रही है।

बेशिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में निर्धारित मानक के अनुरूप कक्षा की संख्या बढ़ाये जाने विषयक

45-श्री पंकज पटेल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों के कक्षा-1 से 5 तक के विद्यालयों में कुल कितने कक्षों की स्थापना हेतु मानक निर्धारित है तथा कितने कक्षों में कक्षाएं संचालित की जाती हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रधानाध्यापक के लिए भी कोई कक्ष आरक्षित किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि प्रदेश के अधिकांश परिषदीय विद्यालयों में केवल तीन कक्ष ही स्थापित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों को चिन्हित कर कक्षा की संख्या बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 एवं 25 की अनुसूची के अनुसार-

छात्र नामांकन	शिक्षकों की संख्या
साठ छात्र	दो
इकसठ से नब्बे के मध्य	तीन
इक्यानबे और एक सौ बीस के मध्य	चार
एक सौ इक्कीस और दो सौ के मध्य	पांच
एक सौ पचास बालकों से अधिक	पांच + एक प्रधान अध्यापक
दो सो बालकों से अधिक	छात्र-शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) चालीस से अधिक नहीं होगा।

2-भवन (i) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा।

जी हाँ।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हेतु स्वीकृत भवन की डिजाइन में 2 कक्षा-कक्ष तथा एक कार्यालय कक्ष/प्रधानाध्यापक कक्ष प्राविधानित है।

यू-डायस 2021-22 के अनुरूप कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के सापेक्ष 61.83 प्रतिशत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 03 से अधिक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष स्थापित हैं।

आर0टी0ई0 मानक के अनुसार तथा विद्यालय परिसर में भूमि उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का प्रस्ताव समग्र शिक्षा अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में किया जाता है, जिसके क्रम में भारत सरकार से स्वीकृति उपरान्त अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जाता है। वर्ष 2022-23 में 1958 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2522 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है, जिनके निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।

आगामी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट आर0टी0ई0 मानक तथा विद्यालय परिसर में भूमि उपलब्धता के अनुसार कक्षा-कक्षों की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्ताव प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु सन्दर्भित किया जाता है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की नदियों में बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिये कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

46-श्री तुफानी सरोज-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नदियों में बाढ़ की विभीषिका से बचाव की कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रदेश में वर्तमान वर्ष 2023 में बाढ़ विभीषिका से बचाव हेतु क्रियान्वित की गयी नवीन बाढ़ परियोजनाओं की सूची संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित प्राइमरी स्कूलों के निकट सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाने के सम्बन्ध में

47-श्री तुफानी सरोज-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित प्राइमरी स्कूलों के निकट सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाने की कोई कार्य योजना सरकार में संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़कों के किनारे स्थित प्राइमरी स्कूलों के सामने स्पीड ब्रेकर स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] छापी नहीं गई।

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश में संचालित प्राथमिक विद्यालयों के निकट की सडकों पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाने का कार्य बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सम्पादित नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जनपद कौशाम्बी की सिराथू विधान सभा क्षेत्र में शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में

48-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शौचालयों का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार बताएगी कि उक्त हेतु कुल कितनी धनराशि का आवंटन जनपदवार किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद कौशाम्बी की सिराथू विधान सभा क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कितना कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रदेश में प्रथम चरण में 2,18,06,648 शौचालयों के निर्माण के सापेक्ष शत-प्रतिशत निर्माण करा लिया गया है। द्वितीय चरण में 20,90,966 के सापेक्ष 13,92,686 इस प्रकार कुल 2,31,99,334 शौचालयों का निर्माण हो चुका है। शेष शौचालयों के निर्माण कार्य की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रदेश में रु0 2652902.04 लाख की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

विवरण संलग्न[†] है।

जनपद-कौशाम्बी की विधान सभा क्षेत्र सिराथू में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-1 के अन्तर्गत (बी0एल0एस0, एल0ओ0बी0 एवं एन0ओ0एल0बी0) वित्तीय वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 तक कुल 64036 शौचालयों का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत पूर्ति की गयी है तथा एस0बी0एम0 फेज-2 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से अब तक कुल

नोट :-[†] देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ संख्या-325-328 पर।

4804 शौचालयों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 4677 (97.36 प्रतिशत) की पूर्ति की गयी है। अवशेष लक्ष्य की पूर्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक पूर्ण कर ली जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

49-डॉ0 पल्लवी पटेल-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना के तहत दिनांक 12-01-2023 तक पंजीकरण के सापेक्ष लाभार्थियों का विवरण

50-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो कितने लोगों ने इस योजना के तहत दिनांक 12-01-23 तक पंजीकरण कराया है एवं पंजीकरण के सापेक्ष कितने लोगों को योजना का लाभ मिला ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ, 'मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना' के एक घटक के रूप में 'उथले नलकूप निर्माण' के नाम से निःशुल्क बोरिंग योजना प्रचलित/संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 393498 कृषकों द्वारा उथले नलकूप निर्माण में पंजीकरण किया गया है, जिसके सापेक्ष दिनांक 12-01-2023 तक 189478 कृषकों को इस योजना का लाभ दिया गया है।

जी हाँ, उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर स्थित हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर प्रोन्नति/भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की जानकारी के सम्बन्ध में

51-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर स्थित हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविधालय में वर्कशाप सुपरिन्टेंडेन्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव के कितने पद कब से रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर प्रोन्नति/भर्ती के माध्यम से नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशीष पटेल-

विश्वविद्यालय में सृजित वर्कशाप सुपरिन्टेंडेन्ट का 01 पद दिनांक 01-08-2013 से एवं पुस्तकालयाध्यक्ष का 01 पद दिनांक 01-06-2010 से रिक्त है। उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव का पद विश्वविद्यालय में सृजित नहीं है।

विश्वविद्यालय में सृजित/रिक्त वर्कशाप सुपरिन्टेंडेन्ट के 01 पद एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के 01 पद पर नियमित भर्ती हेतु विज्ञापन सं0-HBTU/Estt./01/2023, दिनांक 09-06-2023, प्रकाशित किया जा चुका है। चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में कतिपय रजवाहों की राइट पटरी पर पक्का निर्माण व चौड़ीकरण के सम्बन्ध में

52-श्री अनिल कुमार-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रजवाहों की पटरी को पक्का करने की कोई योजना है ? यदि हां तो क्या सरकार जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में रजवाहा राइट मोहम्मदपुर एनएच-58 मुजफ्फरनगर बाईपास से वाया बरला बसेड़ा रोड होते हुए बरला एनएच-58 तक की पटरी का पक्का निर्माण व चौड़ीकरण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

प्रदेश में रजवाहों की पटरी को पक्का करने की सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की कोई योजना नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राजवाहे की प्रश्नगत रीच एन0एच0-58 के समानान्तर है। राजवाहे का सेवामार्ग अधिकांश लम्बाई में कच्चा है तथा सिंचाई विभाग के प्रयोजन हेतु पर्याप्त है। रजवाहे की पटरी को पक्का करने की सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की कोई योजना नहीं है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के एनएच-31 से सटी हुई गंगा नदी के जलभराव तथा कटान से कतिपय गांवों को बचाने हेतु बाढ़ निरोधक बनाये जाने विषयक

53-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के एनएच-31 से सटी हुई गंगा नदी के जल भराव तथा कटान से ग्राम पंचायत मंझौवा

पंचरोखिया (दिघार) गंगापुर, रामगढ़, केहरपुर, गोपालपुर, उदई छपरा इत्यादि गांवो को बचाने हेतु उक्त क्षेत्र में बाढ़ निरोधक कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के एन0एच0-31 से सटी हुई गंगा नदी के कटान से सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायत मंझौवा पंचरोखिया (दिघार) गंगापुर, रामगढ़, केहरपुर, गोपालपुर, उदई छपरा इत्यादि गांवों के सुरक्षार्थ 11 अदद् परियोजनाएं स्वीकृत थीं, जिसमें वर्ष 2021-22 में तीन अदद् स्पर, वर्ष 2022-23 में दो अदद् स्पर तथा तीन अदद रिवेटमेन्ट का कार्य तथा इस वर्ष 2023-24 में 03 अदद परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण कराकर उक्त गांवों को सुरक्षित कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी पर कराये जा रहे बाढ़ रोधक कार्यों को अधूरा छोड़ने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक

54-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी पर कराये जा रहे बाढ़ रोधक कार्यों में परियोजनाओं के अधिकारी एवं ठेकेदार कार्य को अधूरा छोड़ करके फरार हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का स्थलीय निरीक्षण कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

गण्डक संगठन के अन्तर्गत जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 03 अदद् परियोजनायें स्वीकृत हुई थीं, जिसमें 02 अदद् माह जून, 2023 में पूर्ण कर ली गयी हैं तथा 01 परियोजना माह जुलाई, 2023 में पूर्ण कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

55-श्री जय प्रकाश अंचल-

[01-बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-209 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम दऊ के क्षतिग्रस्त मार्ग का नव निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक

56-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम दऊ के आरती चौधरी के खेत से चेतन गुप्ता के फार्म होते हुए ग्राम राधा नगरी को जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त एवं मार्ग पर जंगली कटीले बबूल आदि के पेड़ हो जाने के कारण आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग से जंगली कटीले बबूल आदि के पेड़ों को हटवाते हुए क्षतिग्रस्त मार्ग का नव निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 1660 मीटर है। क्षतिग्रस्त 700 मीटर लम्बाई में खड़न्जा/खड़न्जा मरम्मत कार्य कराये जाने का प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 24-04-2023 में अनुमोदित है। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्नगत 1660 मीटर के मार्ग में 60 मीटर मार्ग कच्चा है, जो आरक्षित वन भूमि क्षेत्र में है एवं वन विभाग के स्वामित्व में है। मार्ग का शेष 900 मीटर भाग क्षेत्र पंचायत के स्वामित्व में है। उक्त 900 मीटर भाग के निर्माण का प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की आगामी कार्य योजना में सम्मिलित कर खुली बैठक में लिये गये निर्णयानुसार किया जायेगा।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम गोसाई खेड़ा के क्षतिग्रस्त मार्ग का नव निर्माण/मरम्मत करवाये जाने विषयक

57-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम गोसाई खेड़ा, ग्राम राधा नगरी को जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त होने एवं उक्त मार्ग पर जंगली कटीले बबूल आदि के पेड़ हो जाने के कारण राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग से जंगली कटीले बबूल आदि के पेड़ों को हटवाते हुए उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का नव निर्माण/मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 4100 मीटर है, जिसमें से 3000 मीटर भाग क्षेत्र पंचायत के स्वामित्व में है। उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत की आगामी कार्य योजना में सम्मिलित कर खुली बैठक में प्रस्ताव अनुमोदन होने के उपरान्त प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य तथा पेड़ों की कटाई/छटाई का कार्य कराया जायेगा।

अवशेष 1100 मीटर भाग पर खड़न्जा कार्य, जिसमें लगभग 27.00 लाख व्यय होने का अनुमान है, का अनुमोदन जिला पंचायत, उन्नाव की बैठक दिनांक 24-04-2023 द्वारा कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त धनराशि से प्रश्नगत मार्ग पर खड़न्जा कार्य सक्षम स्तर से स्वीकृतोपरान्त निविदा आमंत्रित कर अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए कार्य करा दिया जायेगा।

प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त (हाई स्कूल व इण्टर) विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में

58-डॉ0 अजय कुमार-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त (हाई स्कूल व इण्टर) विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने अध्यापक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इन पदों को भरने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (हाई स्कूल एवं इण्टर) में (अल्पसंख्यक संस्था, कानपुर एवं लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों को छोड़कर) निम्नलिखित विवरण के अनुसार अध्यापकों के स्वीकृत पद के सापेक्ष वर्तमान में पद रिक्त हैं :-

संस्था प्रधान			प्रवक्ता			सहायक अध्यापक		
सृजित	कार्यरत	रिक्त	सृजित	कार्यरत	रिक्त	सृजित	कार्यरत	रिक्त
4168	1505	2663	20525	16141	4384	66334	45869	20465

जी हाँ।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जाती है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज के स्थान पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नवीन आयोग 'उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग' का गठन किया जा रहा है, जिसके निमित्त चयन बोर्ड में सदस्यों के चयन की कार्यवाही को स्थगित रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत दिनांक 20-03-23 तक लाभान्वित गांवों के सम्बन्ध में

59-डॉ0 रागिनी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत दिनांक 20-03-23 तक कुल कितने गांवों को लाभान्वित किया गया है एवं कितने गांव शेष हैं ? क्या सरकार शेष गांवों को उक्त योजना में सम्मिलित करने हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत दिनांक 20-03-2023 तक प्रदेश के कुल 12,061 ग्रामों को पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किया जा चुका है। शेष 86,384 ग्रामों को पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव की तहसील-बीघापुर के अन्तर्गत ग्राम बारा हरदो में सरकारी भूमि को अवैध कब्जों के दोषियों से वसूली के सम्बन्ध में

60-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव की तहसील-बीघापुर के अन्तर्गत ग्राम बारा हरदो में सरकारी भूमि गाटा संख्या-443 रकबा 0.126 हे0 पर अवैध कब्जा कर बाउण्ड्री का निर्माण किये जाने के विरुद्ध तहसीलदार बीघापुर, उन्नाव द्वारा दोषियों से क्षतिपूर्ति हेतु रु0 3,75,000.00 की वसूली हेतु दिनांक 17-02-2023 को आदेश तथा आर0सी0 प्रपत्र-20 जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त में दोषियों से उक्त धनराशि की वसूली कर ली गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रकरण में प्रतिवादी के विरुद्ध मु0 03,75,000/-रु0 क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 26-03-2023 को जारी किया गया है। वसूली प्रक्रिया के क्रम में वसूली हेतु दिनांक 20-06-2023 को आर0सी0 प्रपत्र-36 जारी किया गया है। इसी क्रम में पुनः प्रपत्र आर0सी0-37 (गिरफ्तारी अधिपत्र) दिनांक 28-07-2023 को जारी किया गया है। इस प्रकार उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 में विहित प्राविधानों के अनुसार वसूली की कार्यवाही गतिमान है।

जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम कांथा के मोहल्ला रमना में निजी भूमि के कतिपय खाताओं पर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करते हुए अवैध शौचालय का निर्माण कराये जाने के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

61-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम कांथा के मोहल्ला रमना में निजी भूमि खाता सं0-02325, खसरा सं0-2288, 2292

क्षे0-0.5820 हे0, क्षे0-0.0760 हे0 का वाद वर्ष 2015 से विचाराधीन होते हुए भी वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थानीय अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु लगभग 06 वर्ष पूर्व स्वर्गवासी हो चुके मृतक छोटेलाल आदि के नाम शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करते हुए उक्त अवैध शौचालय का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो सरकार दोषियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उनके विरुद्ध विधिक दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

छोटेलाल के नाम से भूमि न होने के बावजूद उस जमीन पर स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत रुपये 12000 खर्च करते हुए शौचालय निर्माण कराया गया था। उक्त के दृष्टिगत रुपये 12000 की वसूली सुनिश्चित की जा चुकी है तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

जहां तक शौचालय के हटाने का प्रश्न है मौके पर गाटा संख्या-2288 एवं 2292 में शौचालय के अलावा अन्य मकान भी बने हुए हैं एवं इस सम्बन्ध में प्रकरण सिविल कोर्ट में लम्बित है। अतः इसमें प्रशासनिक रूप से कोई कार्यवाही किया जाना विधि संगत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा अन्तर्गत ग्राम पंचायत कांथा में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण प्रकरण में कतिपय दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

62-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा अन्तर्गत ग्राम पंचायत कांथा में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण आदि विकास सम्बन्धी कार्यों में सरकारी धनराशि के दुरुपयोग करने एवं सम्बन्धित सरकारी अभिलेखों को गायब करने में तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत कर्मचारीगण आदि को संयुक्त जांच कमेटी द्वारा दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो सरकार उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए विधिक दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जिला विकास अधिकारी, उन्नाव के कार्यालय पत्र दिनांक 19-03-2021 के द्वारा विभागीय कार्यवाही करते हुए श्री सुरेश कुमार सिंह, सचिव, ग्राम पंचायत को निलम्बित किया किया गया था। जिला विकास अधिकारी उन्नाव के कार्यालय आदेश दिनांक 24-09-2021 के द्वारा श्री सुरेश कुमार सिंह, सचिव, ग्राम पंचायत को वर्ष 2021 की वेतनवृद्धि रोकने एवं दुरुपयोगित धनराशि की वसूली करने का दण्ड देते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की गयी।

तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत कॉथा श्री सुरेश कुमार सिंह, से मु0-96000.00 रुपये की वसूली की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

63-श्री रविदास मेहरोत्रा-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

प्रदेश की अदालतों में लम्बित मुकदमों के निस्तारण हेतु नई अदालतों की स्थापना के सम्बन्ध में

64-डॉ0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि प्रदेश की अदालतों में लम्बित मुकदमों की अधिक संख्या के निस्तारण के दृष्टिगत, नई अदालतें स्थापित किए जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रकरण पहले से ही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर में किराये के भवनों में संचालित परिषदीय विद्यालयों को निकटतम विद्यालय में शिफ्ट किए जाने के सम्बन्ध में

65-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद कानपुर नगर में परिषदीय विद्यालय शिक्षण कार्य हेतु शिफ्ट किए जा रहे हैं ? यदि हाँ, तो उक्त के क्या कारण है तथा शिफ्टिंग में किस विद्यालय की पूर्व के विद्यालय से दूरी क्या है ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों के निकटतम विद्यालय में शिफ्ट कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-1392/68-5-2020, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुक्रम में जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर ऐसे परिषदीय विद्यालय जो किराये के भवन में संचालित हैं, उनको निकटतम परिषदीय विद्यालयों में शिफ्ट/संचालित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

उक्त के क्रम में 101 विद्यालयों को शिफ्ट किया गया। शिफ्ट किये गये उक्त विद्यालयों की मूल विद्यालयों से दूरी लगभग 200 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर में पुलिस विभाग ओर निजी भवनों में स्थापित पुलिस थानों व चौकियों के सम्बन्ध में

66-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में कितने और कौन से थाने एवं चौकी पुलिस विभाग की जमीन पर स्थापित हैं एवं कितने और कौन से थाने एवं चौकी किराये के भवन में संचालित हैं ? क्या सरकार किराये के भवनों में संचालित थाने एवं चौकी पुलिस विभाग की जमीन पर बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

कमिश्नरेट कानपुर नगर में पुलिस विभाग की जमीन पर 43 पुलिस थाने व 05 पुलिस चौकियां स्थापित हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

पुलिस थाने-

(1-कोतवाली, 2-कलक्टरगंज, 3-हरवंश मोहाल, 4-अनवरगंज, 5-रायपुरवा, 6-बेकनगंज, 7-छावनी, 8-रेलबाजार, 9-चकेरी, 10-सीसामऊ, 11-बजरिया, 12-फजलगंज, 13-नजीराबाद, 14-स्वरूपनगर, 15-नवाबगंज, 16-बाबूपुरवा, 17-जूही, 18-गोविन्दनगर, 19-नौवस्ता, 20-कल्यानपुर, 21-फीलखाना, 22-मूलगंज, 23-अर्मापुर, 24-चमनगंज, 25-ग्वालटोली, 26-बर्रा, 27-पनकी, 28-बिठुर, 29-महाराजपुर, 30 नर्वल, 31-घाटमपुर, 32-विधनू, 33-सजेती, 34-बिल्हौर, 35-शिवराजपुर, 36-चौबेपुर, 37-ककवन, 38-सचेण्डी, 39-साढ, 40-महिला थाना, 41-गुजैनी, 42-हनुमंतविहार तथा 43-अरौल।)

पुलिस चौकियां-

(1-श्यामनगर, 2-रिपोर्टिंग चौकी खडेसर, 3-महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी सजेती, 4-महिला रिपोर्टिंग चौकी सचेण्डी तथा 5-महिला रिपोर्टिंग चौकी चौबेपुर।)

कमिश्नरेट कानपुर नगर में 6 पुलिस थाने व 08 पुलिस चौकियाँ किराये के भवन में संचालित हैं जिनका विवरण निम्नवत् है :-

पुलिस थाने

(1-जाजमऊ थाना, 2-रावतपुर थाना, 3-बादशाही नाका, 4-किदवई नगर, 5-कोहना तथा 6-काकादेव।)

पुलिस चौकियाँ

(1-लेबर कालोनी, 2-हरवंश मोहाल, 3-छोटे मियां हाता, 4-पनकी, 5-अहिरवां, 6-चकेरी, 7-भीतरगांव तथा 8-मकनपुर।)

किराये के भवनों में संचालित थाना एवं चौकियों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में यथासमय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के ब्लाक सुकरौली में नागरिक पुलिस थाना बनाये जाने के विषयक

67-श्री मोहन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के ब्लाक सुकरौली में नागरिक पुलिस थाना बनाये जाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पुलिस आयोग की रिपोर्ट 1960-61 में नवीन थाने की स्थापना हेतु क्षेत्रफल का मानक 293.76 वर्ग किमी0 निर्धारित है। जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के ब्लाक सुकरौली में नवीन थाने की स्थापना हेतु प्रेषित प्रस्ताव में थाने का क्षेत्रफल 28 वर्ग किमी0 होने की सूचना दी गयी है, जो निर्धारित मानक से 265.76 वर्ग किमी0 कम है। अतएव सुकरौली में नागरिक पुलिस थाना बनाये जाने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

68-श्री मोहन वर्मा-

[बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-208 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद न्यायालय चित्रकूट के भवन निर्माण, अवस्थापना सुविधा (पेयजल, सड़क, अधिवक्ताओं के चैम्बर, फर्श आदि) हेतु कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में

69-श्री अनिल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद न्यायालय चित्रकूट के भवन निर्माण, अवस्थापना सुविधा (पेयजल, सड़क, अधिवक्ताओं के चैम्बर, फर्श आदि) हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जनपद चित्रकूट में इन्टीग्रेटेड कोर्ट काम्पलेक्स (समस्त न्यायिक सुविधायें एकीकृत रूप से) से सम्बन्धित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के ग्राम कुड़ाना में पशुचर हेतु आवंटित सरकारी भूमि खसरा संख्या-1813 को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने विषयक

70-श्री विनोद शंकर अवस्थी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के ग्राम कुड़ाना में पशुचर हेतु आवंटित सरकारी भूमि खसरा संख्या-1813, क्षेत्रफल लगभग 40 बीघा है, जिस पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, शामली से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम कुड़ाना वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रिया के अधीन है। चकबन्दी अधिकारी से प्राप्त आख्या के अनुसार खसरा नं0-1813 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका संख्या-3018/2009 विचाराधीन है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28-01-2009 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। स्थगन आदेश को निरस्त कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

स्थगन आदेश निरस्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण छात्राओं की शिक्षा को सुगम बनाने हेतु जूनियर हाई स्कूल को अपग्रेड करके इण्टर कालेज की मांग विषयक

71-श्री स्वामी ओऊमवेश-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण छात्राओं को शिक्षित करने के लिए जूनियर हाई स्कूल को अपग्रेड करके इण्टर कालेज करने की किसी योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा (माध्यमिक) (पूर्ववर्ती-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उ0प्र0) के केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दिशा-निर्देशों तथा मानक के अनुरूप ऐसे क्षेत्रों में जहां पर 05 किमी0 की परिधि में हाई स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्चीकृत कर हाई स्कूल की कक्षाओं की संकल्पना है तथा जहां पर 07-10 किमी0 की परिधि में इण्टरमीडिएट की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां हाई स्कूल को उच्चीकृत कर इण्टरमीडिएट की कक्षाओं की संकल्पना है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड गौरा के राजस्व ग्राम पंचायत नौड़ेरा की सरकारी भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

72-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड गौरा के राजस्व ग्राम पंचायत नौड़ेरा की खसरा गाटा संख्या-3141, क्षेत्रफल 0.0060 हेक्टेयर जोकि चकमार्ग के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है, पर भू-माफियाओं का कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गाटा संख्या की सरकारी जमीन को भू-माफियाओं से मुक्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार तहसील रानीगंज के ग्राम नौड़ेरा की गाटा संख्या-3141, रकबा 0.006 हे0 राजस्व अभिलेख में चकमार्ग खाते की भूमि है, जो खतौनी में दर्ज रकबे के 0.0060 मौके पर खाली है। उक्त चकमार्ग पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड शिवगढ़ के राजस्व ग्राम तवंकलपुर (तौकलपुर) की सरकारी भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने विषयक

73-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड शिवगढ़ के राजस्व ग्राम पंचायत तवंकलपुर (तौकलपुर) की खसरा गाटा संख्या-1060, क्षेत्रफल 0.2050 हेक्टेयर, जोकि पाठशाला के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है, पर भू-माफियाओं का कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गाटे संख्या की

सरकारी जमीन को भू-माफियाओं से मुक्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार ग्राम तवंकलपुर, तहसील रानीगंज के गाटा संख्या-1060, रकबा 0.205 हे0 वर्तमान खतौनी में पाठशाला के नाम अंकित है। उक्त गाटा के क्षेत्रफल 0.095 हे0 पर कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय तवंकलपुर, शिवगढ़ द्वारा बाउन्ड्रीवाल निर्मित किया गया है एवं 0.104 भूमि मौके पर खाली है। गाटा संख्या-1060 के रकबा 0.006 पर मो0 इरशाद, निवासी ग्राम तवंकलपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था।

अतिक्रमणी के विरुद्ध ज0वि0अधि0 की धारा-122बी/उ0प्र0रा0 संहिता-2006 की धारा-67 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 22-06-2016 को बेदखली का आदेश पारित किया जा चुका है।

अतिक्रमणी को अवैध कब्जा हटाने हेतु दिनांक 23-05-2023 को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन का अवसर दिया गया था कि यदि अतिक्रमणी द्वारा निर्धारित अवधि में अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो राजस्व टीम द्वारा नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाया जायेगा। उपरोक्त के वाबजूद अतिक्रमणी द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाया गया, तो दिनांक 02-08-2023 को राजस्व टीम व पुलिस बल द्वारा अवैध कब्जा हटवा दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधान सभा सदस्यों को पूर्व की भांति इण्डिया मार्का हैण्डपम्प का कोटा बहाल करने विषयक

74-श्री अनिल कुमार-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधान सभा सदस्य को पूर्व में मिलने वाला इण्डिया मार्का हैण्डपम्प का कोटा वर्तमान में नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा सदस्यों का पूर्व की भांति इण्डिया मार्का हैण्डपम्प का कोटा बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ। वर्ष 2019 के पूर्व त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत नियोजन विभाग द्वारा मा0 विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों को इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प आवंटित किये जा रहे थे। वर्तमान में जल जीवन मिशन लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 1000 से अधिक की आबादी के मजरे को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर ग्राम पंचायत घोषित करने सम्बन्धी

75-श्री अनिल कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1000 से अधिक की आबादी के मजरे जो राजस्व ग्राम घोषित नहीं हैं, को क्या सरकार राजस्व ग्राम का दर्जा देकर ग्राम पंचायत घोषित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 यथा संशोधित की धारा-4 की उपधारा-20 में यह उल्लिखित है-

'गांव' का तात्पर्य, किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है, जो चाहे घना हो या नहीं, तत्सम्बन्धी जिले के राजस्व अभिलेख में गांव के रूप में अभिलिखित हो और उसके अन्तर्गत ऐसा क्षेत्र भी है जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष अधिसूचना द्वारा गांव के रूप में घोषित करे;

इसके अतिरिक्त उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 (यथा संशोधित) की धारा-6(2) में यह उल्लिखित है कि 'राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं को समामेलित, पुनः समायोजित, विभाजित करके या किसी अन्य रीति से, वह चाहे जो भी हो, परिवर्तित कर सकती है या किसी ऐसे राजस्व क्षेत्र को समाप्त कर सकती है:

परन्तु किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करने के किसी प्रस्ताव पर इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व राज्य सरकार आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए ऐसे प्रस्तावों को विहित रूप से प्रकाशित करेगी और ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में की गई आपत्तियों पर विचार करेगी'।

उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत आबादी के आधार पर राजस्व ग्राम घोषित करने की कोई समेकित नीति नहीं है, अपितु क्षेत्र के आधार पर घोषित करने की नीति है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत पिपरा बाजार में आम-जनमानस को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में

76-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत पिपरा बाजार में आम-जनमानस को पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए पानी की टंकी का निर्माण सरकार द्वारा 10 वर्ष पूर्व कराया गया था, किन्तु पानी की सप्लाई अभी तक बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार पिपरा बाजार स्थित पानी की टंकी से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत पिपरा बाजार पेयजल योजना में लीकेज की समस्या का निराकरण कराकर पेयजल आपूर्ति करा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष को विदेश जाने के लिये लिखित में सूचना देने एवं अनुमति लेने विषयक प्रावधान के सम्बन्ध में

77-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष को विदेश जाने के लिये किसी को कोई लिखित में सूचना देने एवं अनुमति लेने का प्रावधान हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-55 में जिला पंचायत अध्यक्ष को लोक सेवक माना गया है। अतः जिला पंचायत अध्यक्ष को विदेश जाने के लिये लिखित सूचना देने एवं अनुमति लेना आवश्यक है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मियों की समस्याओं के निदान के सम्बन्ध में

78-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मियों को कार्य की अधिकता, अवकाश, वेतन विसंगतियों तथा साप्ताहिक अवकाश आदि समस्याओं के समाधान हेतु सरकार कोई प्रारूप बनाकर उक्त का निदान करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा-22 के अन्तर्गत पुलिस कार्मिकों के सदैव कर्तव्यरूढ़ होने और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किये जाने के प्राविधान विद्यमान है।

पुलिस कर्मियों द्वारा लम्बी व अनियमित ड्यूटियों के कारण अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के अवकाश की पृथक व्यवस्था की गयी है, जिसमें एक माह का आकस्मिक अवकाश, एक माह

का उपार्जित अवकाश, अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को रविवार/सार्वजनिक अवकाशों में किये गये कार्य के एवज में एक माह का अतिरिक्त वेतन भी प्रदान किया जाता है।

पुलिस कर्मियों का वेतन राज्य सरकार द्वारा गठित की गयी वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर समय-समय पर पुनरीक्षित किया जाता रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के तहसील-सदर, थाना-भावनपुर, ग्राम-किनानगर की कृषि भूमि खसरा संख्या-162 व 200 के अवैध कब्जे को हटवाये जाने विषयक

79-श्री अभय सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के तहसील-सदर, थाना-भावनपुर, ग्राम-किनानगर की कृषि भूमि खसरा संख्या-162, रकबा 0.4360 हेक्टेयर तथा कृषि भूमि खसरा संख्या-200, रकबा-3.2410 हेक्टेयर के 1/4 भाग पर हुए अवैध कब्जे को सरकार हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम-किनानगर, तहसील-सदर, जनपद-मेरठ की खतौनी फसली वर्ष 1427 से 1432 तक के खाता संख्या-488 के खसरा संख्या-162/0.4360 हे0 व 200/3.2410 हे0 में श्रेणी-1-क के अन्तर्गत बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज पक्षकारों/सहखातेदारों के मध्य क्रय-विक्रय कब्जे को लेकर विवाद है। प्रकरण में खसरा संख्या-162 के सम्बन्ध में एक वाद न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी, मेरठ के समक्ष तथा खसरा संख्या-200 के सम्बन्ध में एक वाद न्यायालय सदस्य राजस्व परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज के समक्ष विचाराधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिलों में हर घर जल योजना के अन्तर्गत पूर्ण/शेष कार्य की जानकारी के सम्बन्ध में

80-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में हर घर जल योजना के अन्तर्गत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितने जनपदों में शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पाइप पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पाइप पेयजल योजनाएँ निर्माणाधीन हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-55 के उत्तर के सम्बन्ध में क्रम में नाला/इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

81-श्री पंकज कुमार मलिक-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-55 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नाला/इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य क्षेत्र पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कर पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत कार्य क्षेत्र पंचायत की वित्तीय वर्ष 2023-24 के कार्य योजना में सम्मिलित है। धनराशि की उपलब्धता होने पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करा दिया जायेगा।

प्रदेश में चैगामा नहरों को जल प्रवाहित करने वाले कल्लरपुर एवं लोई राजवाहों की जल वहन क्षमता बढाने के सम्बन्ध में

82-डॉ0 अजय कुमार-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चैगामा नहरों को जल प्रवाहित करने वाले कल्लरपुर एवं लोई राजवाहों की जल वहन क्षमता घट गयी है ? यदि हां, तो क्या कल्लरपुर एवं लोई राजवाहों की क्षमता की पुनर्स्थापना हेतु सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली में प्रवाहित होने वाले राजवाहा कल्लरपुर एवं राजवाहा लोई की क्षमता पुनर्स्थापना कार्य का प्रस्ताव परियोजना लागत रु0 454.29 लाख में किया गया है एवं परियोजना मुख्य अभियन्ता समिति द्वारा अनुमोदित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट व्यवस्था में परियोजना पर रु0 300.00 लाख का प्राविधान है। परियोजना पर कार्य कराये जाने हेतु परियोजना की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या-61 के उत्तर के क्रम में नाला व मार्ग का निर्माण पंचायत कार्य योजना पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

83-श्री पंकज कुमार मलिक-

विधान सभा के तृतीय सत्र 2022 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-61 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत नाला व मार्ग पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कर निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत कार्य क्षेत्र पंचायत की वित्तीय वर्ष 2023-24 के कार्य योजना में सम्मिलित है। धनराशि की उपलब्धता होने पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करा दिया जायेगा।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों पर चयन हेतु कार्यवाही विषयक

84-डॉ0 अजय कुमार-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं तथा उक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के कुल 969 पद वर्तमान में रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में थाना कोतवाली चिनहट में पंजीकृत मु0अ0सं0-545/2022 के सम्बन्ध में

85-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में थाना कोतवाली चिनहट में मु0अ0सं0-545/2022 अ0 धारा-363, भा0द0सं0 के अन्तर्गत शिव शंकर वर्मा के गायब व अपहरण होने के बावत दिनांक 07-07-2022 को मुकदमा पंजीकृत है ? यदि हां, तो उक्त में नामित दोषियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

उक्त अभियोग की विवेचना के मध्य अपहृत की बरामदगी हेतु स्थानीय थाने से टीम गठित की गयी है तथा आस-पास एवं सम्भावित स्थानों पर लगे सी0सी0टी0वी0 फुटेज का भी विधिवत् अवलोकन किया गया एवं सी0डी0आर0 प्राप्त कर बरामदगी हेतु जगह-जगह पम्पलेट छपवाकर चस्पा करते हुए सार्वजनिक व सम्भावित स्थानों पर पम्पलेट व फोटो दिखाकर पूछतांछ व तलाश के क्रम में डी0सी0आर0बी0 को रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा मिसिंग चाइल्ड पोर्टल पर भी सूचना अपलोड करायी गयी है। उक्त के अतिरिक्त दैनिक समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया है तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन हेतु रिपोर्ट प्रेषित कर सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मीडिया ग्रुप व पब्लिक ग्रुप में फोटो वायरल कर अपहृत की बरामदगी के लिए प्रयास करते हुए जनपद बाराबंकी जी0आर0पी0 को फोटो दिखाकर जानकारी की गयी, तो ज्ञात हुआ कि ट्रेन से कटकर गुमशुदा की मृत्यु हो गयी है, जिसके सम्बन्ध में शिनाख्त हेतु परिजनों को बुलाया गया। परिजन द्वारा शिव शंकर वर्मा, उम्र 17 वर्ष अपने बेटे के रूप में शिनाख्त की गयी। विवेचना के क्रम में दिनांक 12-02-2023 को मुकदमा उपरोक्त में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित करते हुए विवेचना समाप्त की गयी।

पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कतिपय बिन्दुओं पर एतराज करते हुए प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट रोकते हुए साक्ष्य संकलन करने हेतु पुनः विवेचना के आदेश दिये गये हैं। प्रश्नगत अभियोग मे विवेचना कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के थाना-बेवर में पंजीकृत मु0अ0सं0 -259/2022 के सम्बन्ध में

86-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01-09-2022 को जनपद मैनपुरी के थाना-बेवर के अन्तर्गत थाना बेवर में मु0अ0सं0-259/2022, धारा-384, 364 व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नृशंसता-3(2) (ट) निवारण अधिनियम, 1989 (संशोधन, 2015) के तहत पंजीकृत मुकदमा में दोषियों की गिरफ्तारी कर कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कब तथा क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

मु0अ0सं0-259/2022, धारा-384/364 भादंवि व 3 (2) 5 एससी/एसटी एक्ट बनाम 1-मोनू उर्फ शिवेन्द्र सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह, निवासी बझेरा, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी, 2-विष्णू पुत्र अरविन्द सिंह, 3-अतुल कुमार पुत्र उदयवीर सिंह, 4-सुदीप कुमार पुत्र बृजपाल

सिंह निवासीगण खिरिया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी पंजीकृत हुआ। विवेचना में नामित अभियुक्तगण 1-विष्णू पुत्र अरविन्द सिंह, 2-अतुल कुमार पुत्र उदयवीर सिंह, 3-सुदीप कुमार पुत्र बृजपाल सिंह, निवासीगण खिरिया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी को दिनांक 04-09-2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

विवेचना के मध्य अभियोग में नामित अभियुक्तगण 1-मोनू उर्फ शिवेन्द्र सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह, निवासी बझेरा, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी, 2-विष्णू पुत्र अरविन्द सिंह, 3-अतुल कुमार पुत्र उदयवीर सिंह, 4-सुदीप कुमार पुत्र बृजपाल सिंह, निवासीगण खिरिया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी की घटना में संलिप्तता के साक्ष्य न पाये जाने पर अभियोग से दिनांक 07-10-2022 को इनके नाम पृथक कर नामजदगी गलत पाई गई।

शिवम उर्फ जेपी पुत्र राजकपूर जाटव व करू उर्फ सुबोध शर्मा पुत्र गंगाचरन निवासीगण खिरिया, थाना बेवर, मैनपुरी की घटना में संलिप्तता पाये जाने पर अभियोग में इनके नाम प्रकाश में लाये गये तथा अभियोग में धारा-364/384 भादंवि का लोप किया गया।

प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1-शिवम उर्फ जेपी पुत्र राजकपूर जाटव, 2-करू उर्फ सुबोध शर्मा पुत्र गंगाचरन, निवासीगण खिरिया, थाना बेवर, मैनपुरी को दिनांक 08-10-2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्त शिवम उर्फ जेपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल तमंचा बरामद हुआ। जिला कारागार मैनपुरी में निरुद्ध अभियुक्तगण 1-विष्णू पुत्र अरविन्द सिंह, 2-अतुल कुमार पुत्र उदयवीर सिंह, 3-सुदीप कुमार पुत्र बृजपाल सिंह, निवासीगण खिरिया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी की धारा-169 द0प्र0सं0 की कार्यवाही हेतु दिनांक 08-10-22 को मा0 न्यायालय में आवेदन किया गया। मा0 विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट मैनपुरी ने आवेदन पर संज्ञान लेकर जिला कारागार में निरुद्ध अभियुक्तगण 1-विष्णू पुत्र अरविन्द सिंह, 2-अतुल कुमार पुत्र उदयवीर सिंह, 3-सुदीप कुमार पुत्र बृजपाल सिंह, निवासीगण खिरिया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी का दिनांक 18-10-2022 को न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड निरस्त किया गया।

विवेचना के मध्य उपलब्ध साक्ष्य बयान वादिया व गवाहान निरीक्षण घटना स्थल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बयान चिकित्सक आदि के आधार पर अभियुक्तगण 1-शिवम उर्फ जेपी पुत्र राजकपूर जाटव, निवासी ग्राम खिरिया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी के विरुद्ध जुर्म धारा 302/201 भादंवि व 2- करू उर्फ सुबोध शर्मा पुत्र गंगाचरन निवासी खिरिया थाना बेवर मैनपुरी के विरुद्ध धारा-302/201 भादंवि व 3 (2) 5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या-278/2022, दिनांक 11-11-2022 को प्रेषित कर विवेचना समाप्त की जा चुकी है। अभियोग में कोई विवेचनात्मक कार्यवाही शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत राजेसुल्तानपुर में अग्निशमन केन्द्र (फायर स्टेशन) की स्थापना विषयक

87-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के आलापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजेसुल्तानपुर में अग्निशमन केन्द्र (फायर स्टेशन) की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील आलापुर में अग्निशमन केन्द्र स्थापित व संचालित है। विकास खण्ड जहांगीरगंज के ग्राम राजेसुल्तानपुर बाजार, तहसील आलापुर के अन्तर्गत स्थित है, जिसकी दूरी अग्निशमन केन्द्र आलापुर से लगभग 35 किमी0 है और जनपद आजमगढ़ के अग्निशमन केन्द्र महराजगंज से राजेसुल्तानपुर बाजार, विकास खण्ड जहांगीरगंज की दूरी लगभग 09 किमी0 है। तहसील आलापुर में स्थित अग्निशमन केन्द्र एवं जनपद आजमगढ़ के अग्निशमन केन्द्र महराजगंज से नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर की अग्नि दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश की प्रत्येक तहसील में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के लालगंज, सरेनी एवं डलमऊ में परती भूमि तथा अनुपयोगी भूमि को उपजाऊ बनाने विषयक

88-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में विकास खण्ड लालगंज, सरेनी एवं डलमऊ में परती तथा अनुपयोगी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु कोई कारगर योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

परती/बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु पूर्व में संचालित विश्व बैंक पोषित सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन योजना दिसम्बर, 2018 में समाप्त हो गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों के पालन की सरकार द्वारा कार्यवाही की जानकरी विषयक

89-श्री सचिन यादव, श्री संदीप सिंह तथा श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है ? क्या सरकार उक्त की जांच कर उक्त के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2017 से 01-02-2023 तक महिलाओं एवं बच्चियों के साथ दुराचार की घटनाओं के सम्बन्ध में

90-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से 01-02-2023 तक महिलाओं और बच्चियों के साथ दुराचार, बलात्कार एवं हत्या की कितनी घटनाएं हुईं तथा कितने आरोपियों को सजा दी गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में वर्ष 2017 से 2023 तक महिलाओं और बच्चियों के साथ दुराचार, बलात्कार एवं हत्या की कुल घटनाओं/आरोपियों को दी गयी सजा की संख्या का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

बलात्कार/दुराचार/महिला हत्या

वर्ष	घटनाओं की संख्या	आरोपियों की संख्या जिनको सजा दी गई	घटनाओं की संख्या	आरोपियों की संख्या जिनको सजा दी गई
1	2	3	4	5
2017	4246	1196	1149	624
2018	3946	1188	1101	696
2019	2858	1041	981	763
2020	2317	627	881	277

1	2	3	4	5
2021	2376	1262	849	539
2022	2724	861	826	1066
01-01-2023 से 01-02-2023	213	58	48	52

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0 एन0 लाल वोकेशनल इ0 का0 आलमबाग लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में

91-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 एन0 लाल वोकेशनल इ0 का0 आलमबाग, लखनऊ में श्री मोहित श्रीवास्तव को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिनांक 20-12-2016 से नियुक्त को अप्रैल, 2017 से 31-03-2023 तक वेतन की प्राप्ति नहीं हुई है ? क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय द्वारा उक्त कर्मचारी का वेतन भुगतान के आदेश दिनांक 15-04-2019 को पारित किया गया है ? क्या सरकार उक्त कर्मचारी को वेतन का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

श्री मोहित श्रीवास्तव की नियुक्ति अधिनियमित व्यवस्था के अन्तर्गत न पाये जाने एवं सम्प्रकृति के प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या-865/2021 स्टेट ऑफ यू0पी0 बनाम प्रधानाचार्य, अभय नन्दन इण्टर कालेज व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-09-2021 के अनुपालन में याची के वेतन भुगतान की देयता का औचित्य नहीं पाये जाने के कारण।

प्रदेश में राजस्व विवादों के निस्तारण हेतु थाना अध्यक्ष को निर्देशित करने सम्बन्धी जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी के अधिकार विषयक

92-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजस्व विवादों में डी0एम0, एस0डी0एम0 अथवा तहसीलदार को यह अधिकार प्राप्त है कि विवादित मामले के निस्तारण हेतु थाना अध्यक्ष को निर्देशित करें ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। (मा0 न्यायालय में किसी प्रकरण के विचाराधीन होने पर राजस्व विवादों में डी0एम0, एस0डी0एम0 अथवा तहसीलदार को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह विवादित मामले के निस्तारण हेतु थाना अध्यक्ष को निर्देशित करें।)

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित डायल-112 के सम्बन्ध में

93-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित डायल-112 को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि डायल-112 द्वारा राजस्व के मामले में हस्ताक्षेप किया जाता है ? यदि हां, तो उक्त की नियमावली सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश में पुलिस आपातकालीन प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत नागरिकों को सार्वजनिक सुरक्षा से सम्बन्धित एकीकृत पुलिस आपात सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यूपी-112 परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। सम्पूर्ण राज्य से दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों सहित, आपातकालीन सन्देशों को प्राप्त करने के लिए लखनऊ में एक केन्द्रीकृत सम्पर्क केन्द्र स्थापित किया गया है।

उक्त परियोजना अन्तर्गत कुल 3200 चार पहिया व 1600 दो पहिया पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल (पी0आर0वी0) वाहन का संचालन पूरे प्रदेश में किया गया।

उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 16 अप्रैल, 2015 द्वारा डायल-100, एकीकृत यातायात प्रबन्धन, स्मार्ट सिटी सर्विलांस, हाई-वे पुलिस तथा अन्य नागरिक केन्द्रित सेवाओं का धीरे-धीरे विस्तार करते हुए पूरे प्रदेश को आच्छादित करने के उद्देश्य से इन्टीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इनैबल्ड सिटीजन सेन्ट्रिक सर्विस (आई0टी0ई0सी0सी0एस0) का गठन किया गया है।

इसी सन्दर्भ में शासनादेश दिनांक 29-12-2015 द्वारा आकस्मिकता की स्थिति में पूरे प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को उन्नत स्तर की पुलिस सेवायें तत्काल उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रणाली (पी0ई0एम0एस0) डायल-100 परियोजना लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। आम जनता से किसी विवाद, अपराध अथवा शान्तिभंग के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर यूपी-112 की पी0आर0वी0 तत्काल मौके पर पहुंचती है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करती है।

उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16 अप्रैल, 2015 एवं शासनादेश दिनांक 29-12-2015 संलग्न† है।

राजस्व के मामले में यूपी-112 द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। भूमि सम्बन्धी विवादों के निस्तारण का प्रारम्भिक दायित्व राजस्व विभाग का है। आम-जनमानस से विवाद अथवा अपराध की सूचना प्राप्त होने पर यूपी-112 द्वारा तत्काल मौके पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में पहुँचकर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सम्बन्ध में

94-श्री जगदीश नारायण-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजना का मानक पांच किमी0 से घटा कर तीन किमी0 करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेन्सी (एन0आर0आई0डी0ए0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III संचालित है। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपग्रेडेशन हेतु प्रस्तावित मार्गों की लम्बाई 05 किमी0 या उससे अधिक होना आवश्यक है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में संचालित ऑपरेशन कायाकल्प योजना के सम्बन्ध में

95-श्री चंदन चौहान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कितने आदर्श विद्यालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण कर लिया गया है और कितने शेष हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सभी विद्यालयों में डिजिटल क्लास रूम, स्वच्छ जल, अलग-अलग शौचालय आदि जैसी सभी 19 आधारभूत सुविधाओं में सुधार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-† देखिये नत्थी (ङ) आगे पृष्ठ संख्या-329-333 पर।

श्री संदीप कुमार सिंह-

ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत अभी तक 32,268 परिषदीय विद्यालयों को निर्धारित 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है और शेष विद्यालयों को संतृप्त करने की कार्यवाही गतिमान है।

ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत अभी तक 32,268 परिषदीय विद्यालयों को निर्धारित 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है, उक्त निर्धारित 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में डिजिटल क्लास रूम से आच्छादन सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विगत माह में बेमौसम बारिश होने के कारण किसानों की फसलें नष्ट होने से उनका सर्वे कराकर मुआवजे की भरपाई के सम्बन्ध में

96-श्री चंदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत माह में बारिश होने के कारण किसानों की गेहूँ, मटर एवं सरसो की फसल नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वे कराकर किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रदेश में माह मार्च, 2023 में बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि के कारण प्रदेश के कुल 15 प्रभावित जनपदों में क्षतिग्रस्त फसलों का विस्तृत सर्वे कराकर राहत की वेबसाइट पर प्रभावित 68,064 कृषकों का आंकड़ा फीड कराया गया है। उक्त फीडेड आंकड़ों के सापेक्ष 53,537 कृषकों को रु0 19,98,47,683/- की धनराशि ई-कुबेर के माध्यम से सम्बन्धित कृषकों के खाते में अन्तरित की जा चुकी है। अवशेष कृषकों का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की ऊसर, परती एवं बेकार भूमि को खेती योग्य बनाने की कार्य योजना विषयक

97-श्री उमाशंकर सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी के कारण खेती योग्य भूमि के निरन्तर घटने से अनाज के उत्पादन में कमी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार की प्रदेश के ऊसर, परती एवं बेकार भूमि को खेती योग्य बनाने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार उ0प्र0 में वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक वर्षानुवर्ष खाद्यान्न उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसका विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	खाद्यान्न (लाख मी0 टन)
2017-18	573.84
2018-19	604.15
2019-20	601.84
2020-21	619.39
2021-22	623.80

वर्तमान में ऊसर एवं परती भूमि को खेती योग्य बनाने की परती भूमि विकास विभाग में कोई योजना संचालित नहीं है।

कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार खाद्यान्न की बढ़ती आवश्यकता के दृष्टिगत वर्ष 2022-23 से बीहड़ एवं बंजर भूमि के उपचार हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना संचालित है। वर्ष 2022-23 में इस योजनान्तर्गत कुल 41728 हे0 भूमि का सुधार कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में समय-सीमा निर्धारित कर सार्वजनिक शौचालय बनवाने के लिए योजना के सम्बन्ध में

98-डॉ0 रागिनी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय बनवाने के लिए सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण एवं समय-सीमा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रदेश में कुल 57702 ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 01 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। इस प्रकार सामुदायिक शौचालय से प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत शत-प्रतिशत आच्छादित हैं। इसमें समय-सीमा निर्धारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बाढ़ से विस्थापित होने वाले लोगों को स्थाई रूप से बसाने की योजना के सम्बन्ध में

99-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़ से विस्थापित होने वाले लोगों को स्थाई रूप से बसाने की सरकार की योजना क्या है ? क्या सरकार जनपद बलिया में गंगा और घाघरा नदी की बाढ़ से विस्थापित लोगों को बसाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर निर्णय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में तीव्र बाढ़ से बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2010/1-10-12-33(37)/12 टी0सी0-1, दिनांक 31-07-2012 में विहित व्यवस्था के अनुसार भूमि क्रय कर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को निःशुल्क आवंटित की जाती है।

उपरोक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के क्रम में जनपद बलिया की तहसील सदर के ग्राम गंगापुर में गंगा नदी के कटान से प्रभावित परिवारों को बसाने हेतु ग्राम गंगापुर के नवीन परती के आ0नं0-265, रकबा 0.093 हे0 भूमि पुनर्वास हेतु आरक्षित की गयी है तथा मौजा गंगापुर के आ0नं0-165, 166, 160, 159, 199, 200 व आ0नं0-910 के सहखातेदारों से 0.686 हे0 भूमि क्रय कर 66 परिवारों को स्थायी रूप से बसाया गया है। तहसील बैरिया में गंगा नदी के कटान से प्रभावित 52 परिवारों को ग्राम सभा की भूमि में बसाया गया है तथा घाघरा नदी के कटान से प्रभावित 56 परिवारों में से 03 परिवार ग्राम रेवती, 09 परिवार ग्राम चाई छपरा में, 30 परिवार ग्राम गोपालनगर में अपनी निजी जमीन पर तथा 14 परिवार सुरेमनपुर सरकारी जमीन में मकान/झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं। इनको जमीन क्रय कर बसाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगंज के ग्राम करनपुर में किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए नये राजकीय नलकूप की स्थापना कराये जाने विषयक

100-श्री अरमान खान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगंज के ग्राम करनपुर में किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए नये राजकीय नलकूप की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

वर्तमान में प्रदेश में प्रचलित '2100 नवीन राजकीय नलकूप निर्माण की परियोजना' के अन्तर्गत जिला नलकूप स्थल चयन समिति द्वारा जनपद लखनऊ के विकास खण्ड-मोहनलालगंज के ग्राम करनपुर का स्थल चयन कर लिया गया है। राजकीय नलकूप के निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में राजघाट नहर प्रणाली के अन्तर्गत कतिपय निर्माण में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में

101-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में राजघाट नहर प्रणाली के अन्तर्गत सीपरी एवं अम्बाबाय रजवाहा तथा अम्बाबाय रजवाहा से निकली लकारा अल्पिका के निर्माण में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा के भुगतान किसानों कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या यह सही है कि ग्राम बिजौली एवं सारमऊ के किसानों को अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों के किसानों को मुआवजे का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

राजघाट नहर प्रणाली के अन्तर्गत सीपरी रजवाहा एवं अम्बाबाय रजवाहा के निर्माण में कृषकों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान निर्माण के समय वर्ष 2005-06 में कर दिया गया था, किन्तु कुछ कृषकों द्वारा तत्समय भूमि मुआवजा की दरों से सहमति नहीं दिये जाने या जिनके आपसी पारिवारिक हिस्सा-बंटवारा आदि के प्रकरण विभिन्न मा0 न्यायालय में लम्बित थे, उनका मुआवजा दिया जाना अवशेष है, जिसके भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही नियमानुसार प्रक्रियाधीन है। अम्बाबाय रजवाहा से निकली लकारा अल्पिका के निर्माण में कृषकों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान पूर्णरूप से निर्माण के समय वर्ष 2005-06 में कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फतेहपुर के मजरे जाफराबाद के कतिपय तालाब गाटा संख्या-352(ख) की नीलामी में की गयी अनियमितता के सापेक्ष उप जिलाधिकारी बिन्दकी को प्रेषित/उपलब्ध कराये गये असत्य एवं फर्जी दस्तावेजों की जांच कराये जाने विषयक

102-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के मजरे जाफराबाद के तालाब गाटा संख्या-352 (ख) की नीलामी में की गयी अनियमितता के सापेक्ष उप जिलाधिकारी, बिन्दकी के पत्रांक-283/वि0लि0/आई0जी0आर0एस0/2022-23, दिनांक 27 जनवरी, 2023 द्वारा प्रेषित/उपलब्ध कराये गये असत्य एवं फर्जी दस्तावेजों की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0-149963, दिनांक 01 मार्च, 2023 आई0जी0आर0एस0 सं0-18166230038890 के माध्यम से प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार प्रश्नगत प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी, बिन्दकी से करायी गयी। ग्राम जाफराबाद बाहर क्षेत्र के तालाब की गाटा संख्या-352ख/0.4720 भूमि की बोली हेतु दिनांक 20-12-2022 को उक्त तालाब की बोली लगाने हेतु श्री राहुल प्रिय गौतम पुत्र जगदीश नरायण व विजय बहादुर पुत्र मेड़ालाल व रामबाबू पुत्र ननकू प्रसाद व देशराज पुत्र भगवानदीन व राजू पुत्र रामपाल के द्वारा अवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त तालाब की नीलामी के समय देशराज पुत्र भगवानदीन व राजू पुत्र रामपाल ही शामिल हुए। शामिल व्यक्तियों के मध्य सबसे अधिक बोली देशराज पुत्र भगवानदीन द्वारा बोली गयी है, जिसमें नियमानुसार आवंटन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के श्रीपालपुर में स्थित भीखी राम, रामदेव राम रे0 ए0 चैरिटेबल ट्रस्ट बस्ती की अधिग्रहीत भूमि पर सिंचाई विभाग द्वारा जल निकासी हेतु नाले के निर्माण कार्य की जानकारी व मुआवजे का भुगतान विषयक

103-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के श्रीपालपुर में स्थित भीखी राम, रामदेव राम रे0 ए0 चैरिटेबल ट्रस्ट बस्ती की अधिग्रहीत भूमि पर सिंचाई विभाग द्वारा जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कार्य किया जा चुका है, किन्तु उक्त भूमि के मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार भीखी राम रामदेव राम रे0ए0 चैरिटेबल ट्रस्ट के सोल ट्रस्टी को उक्त भूमि का मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं, प्राकृतिक नाला है। भुगतान की आवश्यकता नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मनौरी नाला एक प्राकृतिक नाला है।

जनपद बस्ती के हथियागढ़ में निर्माणाधीन राजकीय इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण कार्य को पूर्ण करते हुए कालेज को संचालित करने की समय-सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में

104-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के हथियागढ़ में निर्माणाधीन राजकीय इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के 3 वर्षों बाद तक भी अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण करते हुए कालेज को संचालित करने की कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशीष पटेल-

जी हाँ। भूमि का आंशिक भाग विवादित होने के कारण निर्माण बाधित रहा था।

कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 02-08-2023 द्वारा शैक्षिक सत्र-2023-24 से डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय का सहयुक्त कालेज बनाकर राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बस्ती के पठन-पाठन का कार्य इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ में संचालित कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विगत वर्षों से परिषदीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरित होने वाली पुस्तकें देर से पहुंचने की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के विवरण के सम्बन्ध में

105-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत वर्षों से परिषदीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरित होने वाली पुस्तकें देर से पहुंचने की समस्या से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार विगत 3 वर्षों में उक्त समस्या से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

विगत वर्षों में कोविड-19 महामारी एवं गत वर्ष 2022-23 में रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण कागज व कच्चेमाल की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण परिषदीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरित होने वाली पाठ्य-पुस्तकों के देर से पहुंचने की समस्या उत्पन्न हुई।

बच्चों का पठन-पाठन बाधित न हो इसके लिए नवीन पाठ्य-पुस्तकें प्राप्त होने तक गत वर्ष की पाठ्य पुस्तकों को संकलित कर बच्चों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराते हुए पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि शैक्षिक सत्र, 2023-24 में समस्त प्रक्रियाओं एवं आपूर्ति को समयान्तर्गत पूर्ण कराते हुए सत्रारम्भ में ही 01 अप्रैल, 2023 को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों का वितरण भव्य कार्यक्रम आयोजित कराते हुए मा0 जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के माध्यम से पूर्ण कराया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जनपदवार ट्रांसफर हो चुके कर्मचारी/अधिकारी वर्तमान में अटैचमेन्ट के माध्यम से अपनी पुरानी तैनाती के स्थान पर कार्यरत को मूल तैनाती स्थान पर भेजने का विचार किये जाने विषयक

106-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जनपदवार ट्रांसफर हो चुके कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी वर्तमान में अटैचमेन्ट के माध्यम से अपनी पुरानी तैनाती के स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को इनके मूल तैनाती स्थान पर भेजने का विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के परिपत्र दिनांक 23-09-2011 की व्यवस्थानुसार जनपदवार स्थानान्तरित होने के पश्चात् पुरानी तैनाती के स्थान पर सम्बद्धता के आधार पर कार्यरत कार्मिकों की संख्या का विवरण संलग्न[†] है।

कार्मिकों की सम्बद्धता समाप्त कर मूल तैनाती स्थल पर भेजने के प्राविधान भी उक्त परिपत्र दिनांक 23-09-2011 में उल्लिखित है। इसके अनुसार समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

नोट :-[†] देखिये नत्थी (च) आगे पृष्ठ संख्या-334-335 पर।

प्रदेश में कतिपय वर्षवार पुलिस कार्रवाई के दौरान मौतें हुईं और लोगों को पुलिस की गोली लगने/इसके सापेक्ष वर्ष 2012-17 के दौरान पुलिस कार्रवाई में कुल हुयी मौतें व इस अवधि में वर्षवार पुलिस कर्मियों पर हुये आक्रमण की जानकारी के सम्बन्ध में

107-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में पुलिस कार्रवाई के दौरान कितनी मौतें हुईं और कितने लोगों को पुलिस की गोली लगी ? इनमें से कितनी मौतें थाना परिसर में हुईं ? क्या सरकार बतायेगी कि इसके सापेक्ष वर्ष 2012-17 के दौरान कुल कितनी मौतें पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई थीं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अवधि में वर्षवार पुलिस कर्मियों पर कितने आक्रमण हुये ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

(1) पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई मौत-

1-वर्ष 2017-18-	37
2-वर्ष 2018-19-	30
3-वर्ष 2019-20-	42
4-वर्ष 2020-21-	26
5-वर्ष 2021-22-	27

(2) कितने लोगों को पुलिस की गोली लगी-

1-वर्ष 2017-18-	392
2-वर्ष-2018-19-	627
3-वर्ष 2019-20-	862
4-वर्ष 2020-21-	956
5-वर्ष 2021-22-	727

(3) इनमें से कितनी मौतें थाना परिसर में हुयीं-

1-वर्ष 2017-18-	0
2-वर्ष 2018-19-	0
3-वर्ष 2019-20-	4
4-वर्ष 2020-21-	0
5-वर्ष 2021-22-	2

(4) वर्ष 2012 से 2017 के दौरान पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई मौतें-41

(5) उक्त अवधि में वर्षवार पुलिस कर्मियों पर हुये आक्रमण-

1-वर्ष 2017-18- 1064

2-वर्ष 2018-19- 1136

3-वर्ष 2019-20- 1231

4-वर्ष 2020-21- 1303

5-वर्ष 2021-22- 1238

(6) वर्ष 2012 से 2017 के दौरान पुलिस कर्मियों पर हुये आक्रमण- 4361

उत्तर प्रदेश सिविल सेवा कोटिक्रम सूची में अंकित गृह जनपद में ही किसी प्रथम श्रेणी अधिकारी की तैनाती के प्रावधान से सम्बन्धित आदेश के विवरण विषयक

108-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सिविल सेवा कोटिक्रम सूची में अंकित गृह जनपद में ही किसी प्रथम श्रेणी अधिकारी की तैनाती का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त से सम्बन्धित आदेश का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2023-24 में प्रथम श्रेणी अर्थात् समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तथा द्वितीय श्रेणी अर्थात् समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किये जाने का प्राविधान है।

एम0जी0ओ0 के प्रस्तर-31 में किसी सरकारी सेवक का गृह जनपद उसके सेवाकाल में मात्र एक बार परिवर्तित किये जाने का प्राविधान है। उक्त प्राविधानानुसार यदि किसी सरकारी सेवक द्वारा अपने पूर्व घोषित गृह जनपद को परिवर्तित कराया जाता है, तो नयी कोटिक्रम सूची तैयार होने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक का परिवर्तित गृह जनपद अंकित किया जाता है। अधिकारियों की तैनाती उनके अद्यावधिक गृह जनपद में नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की तैनाती व सरकार द्वारा रिक्त पदों पर नियुक्ति विषयक

109-श्री जियाऊर्रहमान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कितने सहायक अध्यापकों के पद वर्तमान में रिक्त हैं तथा प्रदेश के ऐसे कितने प्राथमिक

विद्यालय हैं जिनमें सिर्फ एक सहायक अध्यापक तैनात है ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 तथा नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं तथा प्रदेश में ऐसे 4046 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें एक सहायक अध्यापक कार्यरत है।

परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 एवं आरक्षण के सुसंगत नियमों के अनुपालन में आवश्यकतानुसार समय-समय पर रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज, पुरानी सदर तहसील स्थित जामा मस्जिद के दक्षिण तरफ चिउरहां मऊपाकड़ में स्थित कतिपय आबादी पर भू-माफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा से मुक्त कराए जाने विषयक

110-श्री मोहन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज, पुरानी सदर तहसील स्थित जामा मस्जिद के दक्षिण तरफ चिउरहां मऊपाकड़ में स्थित आराजी सं0-1160, रकबा 0.016 हे0 आबादी पर भू-माफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, महराजगंज द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार जनपद महराजगंज के तहसील सदर के ग्राम चिउरहां मऊपाकड़ तप्पा कटहरा में स्थित गाटा सं0-1160/0.0160 आबादी जेरे इन्तजाम कलेक्टर श्रेणी-6(2) के नाम से अभिलेख में अंकित है, जिस पर जामा मस्जिद कमेटी महराजगंज का कब्जा है।

प्रकरण के सम्बन्ध में कमेटी जामा मस्जिद ऊर्दू बाजार, गोरखपुर बनाम फून्नी उपाध्याय वाद संख्या-96/1987 न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड) महराजगंज में मुकदमा योजित था, जिसे कमेटी जामा मस्जिद ऊर्दू बाजार, गोरखपुर ने उक्त मुकदमे को वापस ले लिया।

सन् 1995 में सिविल जज (अवर खण्ड) महराजगंज कमेटी जामा मस्जिद ऊर्दू बाजार, गोरखपुर ने पुनः वाद संख्या-973/1995 योजित किया, जिसमें प्रतिवादी फून्नी उपाध्याय को बनाया गया, जिसे मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 18-03-2021 को उभय पक्षों की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया।

पुनः मा0 न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड) महराजगंज में वाद संख्या-1156/2022 मुमताज अली बनाम रोजन वगैरह योजित किया गया, जिसमें मृतक फून्नी उपाध्याय के पुत्र श्री योगेन्द्र उपाध्याय के द्वारा मा0 न्यायालय में पक्षकार बनाये जाने के लिये आदेश-01 नियम-10 के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों को ठीक कराकर पुनः चालू कराये जाने विषयक

111-श्री मोहन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में कितने इण्डिया मार्का हैण्डपम्प वर्तमान में खराब हैं और कितने ठीक हैं ? क्या सरकार खराब इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों को ठीक कराकर पुनः चालू करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विधान सभा क्षेत्र हाटा के ग्रामीण क्षेत्रों में 4566 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापित हैं। उक्त में से 143 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प खराब हैं, जिसमें से 109 मरम्मत एवं 34 रि-बोर योग्य हैं तथा 4423 हैण्डपम्प ठीक हैं।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुपूरक कार्य योजना में सम्मिलित कराते हुए खराब इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को ठीक करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में पेयजल की टंकियों को सुचारु रूप से संचालित कराये जाने विषयक

112-श्री मोहन वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में कितनी पेयजल की टंकियां हैं, जो वर्तमान में संचालित नहीं हो रही हैं ? क्या सरकार इन टंकियों को सुचारु रूप से संचालित कराते हुए क्षेत्रीय जनता के पेयजल संकट का समाधान करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत कुल 191 पाइप पेयजल योजनाएँ पूर्व से निर्मित हैं। उक्त में से 137 पाइप पेयजल योजनाएँ उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अनुरक्षणाधीन हैं, जिसमें

96 पाइप पेयजल योजनाएँ सुचारु रूप से संचालित हैं तथा 41 पाइप पेयजल योजनाएँ बन्द हैं और 54 पाइप पेयजल योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तगत कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित पाइप पेयजल योजनाओं में से 36 पाइप पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति की जा रही है एवं 18 पाइप पेयजल योजनाएँ बन्द हैं। सुचारु रूप से कार्य न कर रही पाइप पेयजल योजनाओं को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत रेट्रोफिटिंग की कार्यवाही प्रगति पर है। शीघ्र ही जलापूर्ति सुचारु रूप से प्रारम्भ कराया जाना लक्षित है।

मार्च, 2024 तक लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती में सरकार आरक्षित वर्ग की 6800 सीटों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई की जानकारी विषयक

113-श्री संदीप सिंह तथा डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती में सरकार आरक्षित वर्ग की 6800 सीटों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0-13156/2020 महेन्द्र पाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध याचिकाओं में दिनांक 13-03-2023 को पारित आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में विशेष अपील सं0-172/2023 महेन्द्र पाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध अन्य विशेष अपील योजित की गयी है, जो सम्प्रति मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत ग्राम सभा अछोला में पानी की टंकी के लिए जमीन आवंटन के बाद पानी की टंकी के अधूरे निर्माण कार्य को सरकार द्वारा टंकी का निर्माण कार्य पूरा कराते हुऐ पानी की सप्लाई सुचारु रूप से शुरू कराये जाने विषयक

114-श्री संदीप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत ग्राम सभा अछोला में पानी की टंकी के लिए जमीन आवंटन के बाद पानी की टंकी का आधा निर्माण के बाद कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पानी की टंकी का निर्माण पूरा कराते हुए पानी की सप्लाई सुचारु रूप से शुरू करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

विश्व बैंक सहायतित नीर निर्मल परियोजना बैच-2 के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज के ब्लाक उरुवा में अछोला पेयजल योजना निर्माणाधीन है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक ओवर हेड टैंक, एक पम्प हाउस, एक स्टाफ क्वार्टर एवं 6.45 किलोमीटर पाइप लाइन प्राविधानित है। योजना के अन्तर्गत 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजनान्तर्गत पम्प हाउस की भूमि विवादित होने के कारण कार्य बाधित है। भूमि विवाद निस्तारण होने के उपरान्त 03 माह के अन्तर्गत अवशेष कार्य पूर्ण कराकर शुद्ध पेयजलापूर्ति की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय में विभागवार प्रत्येक शिक्षक के अधीन पंजीकृत सामान्य/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को वर्ष 2015 से 2021 तक शोध की उपाधि प्रदान किये जाने विषयक

115-श्री अतुल प्रधान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय में विभागवार प्रत्येक शिक्षक के अधीन पंजीकृत सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जाति के कितने छात्र-छात्राओं को वर्ष 2015 से 2021 तक शोध की उपाधि प्रदान की गयी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी हां। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में विभागवार प्रत्येक शिक्षक के अधीन एवं 2015 से 2021 तक शोधरत् छात्रों एवं ऐसे छात्रों, जिनको पी0एच0डी0 उपाधि प्रदान की जा चुकी है, की समेकित संख्या निम्नवत् है :-

1-पंजीकृत छात्रों की संख्या-2253

2-उपाधि प्राप्तकर्ता छात्रों की संख्या-1262

विश्वविद्यालय में शोधरत् छात्रों एवं शोध उपाधि प्राप्त छात्रों की श्रेणीवार सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जाति की सूची के अभिलेख अब तक पृथक से नहीं रखे जाते रहे हैं। सम्प्रति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा पी0एच0डी0 प्रवेश परीक्षा के पश्चात् वर्ष 2023 से छात्रों की श्रेणीवार सूची तैयार की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

116-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

[01-गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-204 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में पी0ए0सी0 तथा सशस्त्र पुलिस में कतिपय पदों पर वर्ष 2012 के बाद से पदोन्नति न होने के कारणों का निराकरण कराते हुये पदों पर सरकार द्वारा पदोन्नति कराये जाने की जानकारी विषयक

117-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पी0ए0सी0 तथा सशस्त्र पुलिस में आरक्षी पद का वर्ष 1996 से, मुख्य आरक्षी पद का वर्ष 2004 से तथा उप निरीक्षक पद का वर्ष 2012 के बाद से पदोन्नति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त कारणों का निराकरण कराते हुये उक्त पदों पर पदोन्नति करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पी0ए0सी0/सशस्त्र पुलिस में आरक्षी के पद से मुख्य आरक्षी के पद पर एवं मुख्य आरक्षी के पद से उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर वर्ष 2023 तक तथा उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद से निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/दलनायक के पद पर वर्ष 2020 तक पदोन्नति की गयी है।

उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर 7 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कर्मियों के उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2021 एवं 2022 में पदोन्नति नहीं हुई।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की तहसील बिसण्डा के ग्राम बाघा में सिद्ध बाबा देव स्थान को जाने वाले मार्ग को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

118-श्री अखिलेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील बिसण्डा के ग्राम बाघा में सिद्ध बाबा देव स्थान को जाने वाले मार्ग की कुल लम्बाई 1620.00 मीटर के डामरीकरण का अनुमानित व्ययभार रुपया 93.30 लाख होने के कारण जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में विगत कई बार से अस्वीकार कर दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 18-03-2023 को सम्पन्न जिला पंचायत, बांदा की बोर्ड बैठक में उक्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, जिसे सभी मा0 सदस्यों द्वारा अस्वीकार करते हुए प्रश्नगत कार्य को लोक निर्माण विभाग, बांदा से कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

जिला पंचायत, बांदा की बोर्ड बैठक दिनांक 18-03-2023 में लिए गये निर्णय के क्रम में कार्यालय जिला पंचायत, बांदा के पत्र दिनांक 24-03-2023 द्वारा प्रश्नगत कार्य को लोक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरित करने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में जिला पंचायत बांदा का कतिपय पत्रांक व स्थान की ओर 6 मीटर चौड़ी सड़क की गलत रिपोर्ट भेजकर निविदा कराये जाने की सरकार द्वारा जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

119-श्री अखिलेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में जिला पंचायत बांदा का पत्रांक-708/रा0वि0यो0/जि0प0 बांदा/2019-20, दिनांक 05-02-2020 द्वारा निकाली गयी निविदा के क्रमांक-57 पर अंकित कार्य जो ग्राम पंचायत अतर्रा ग्रामीण में बांदा, मेन रोड से मछली पालन के बगल से वीरेन्द्र कुशवाहा के बगल से कोदा के पुरवा की ओर 6 मीटर चौड़ी सड़क की गलत रिपोर्ट भेज कर निविदा करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम पंचायत अतर्रा ग्रामीण बांदा-इलाहाबाद मेन रोड से मछली पालन के बगल से वीरेन्द्र कुशवाहा के बगल से कोदा के पुरवा की ओर सोलिंग कार्य की लम्बाई 396 मी0 है, जिसकी लागत रु0 6.00 लाख चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत स्वीकृत हुआ था। उक्त मार्ग पर स्थानीय निवासियों/काश्तकारों के जमीन विवाद के कारण प्रश्नगत कार्य शुरू नहीं हो पाया है।

उक्त से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय एवं सिविल जज जू0डि0 अतर्रा के न्यायालय में वाद योजित किये जाने के कारण प्रकरण मा0 न्यायालयों में विचाराधीन है।

अपर मुख्य अधिकारी, बांदा द्वारा तत्कालीन अवर अभियन्ता, जिला पंचायत, बांदा को त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन बनाने का दोषी मानते हुए कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है। उक्त के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के ग्राम औना, थाना अतरौली, तहसील-सण्डीला के गाटा संख्या-806 ख भूमि के कतिपय भाग पर तत्कालीन लेखपाल एवं ग्राम सचिव द्वारा अवैध/गलत रिपोर्ट लगाकर प्रधानमंत्री आवास बनवा देने के बदले नवीन परती (सरकारी जमीन) भूमि में आवंटित किये जाने विषयक

120-श्री अखिलेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई, ग्राम औना, थाना अतरौली, तहसील सण्डीला के गाटा संख्या-806 (0.2500 हे0) (संशोधित गाटा संख्या-806 ख) भूमि के कतिपय भाग पर तत्कालीन लेखपाल एवं ग्राम सचिव द्वारा अवैध/गलत रिपोर्ट लगाकर प्रधानमंत्री आवास बनवा दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त ग्राम में क्षेत्रफल लगभग 11.4430 हे0 भूमि नवीन परती (सरकारी जमीन) है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गाटा संख्या-806ख (0.2500 हे0) के बदले नवीन परती (सरकारी जमीन) भूमि में आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं, ग्राम औना, थाना अतरौली, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई की गाटा संख्या-806क, रकबा 0.2500 हे0, खाता संख्या-259 में चन्द्र उर्फ चन्द्र प्रकाश व दिनेश व राजेश पुत्रगण रामलाल, निवासी ग्राम के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है व ग्राम औना की खाता संख्या-512 पर गाटा संख्या-806ख रकबा 0.8600 श्रेणी-6(2) आबादी के नाम दर्ज है। प्रधानमंत्री आवास गाटा संख्या-806ख/0.8600 में कतिपय व्यक्तियों के कब्जे की भूमि पर ही बने हैं तथा अवैध नहीं है। तत्कालीन लेखपाल एवं ग्राम सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं लगायी गयी है।

खाता संख्या-505 पर कुल गाटा 106 कुल क्षेत्रफल 11.443 हे0 नवीन परती के नाम दर्ज अभिलेख है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गाटा संख्या-806ख/0.860 आबादी के खाते की भूमि है, इसलिए नवीन परती की भूमि से बदलने का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र अतरौलिया के विकास खण्ड अहिरौला के समदी में राजकीय महिला महाविद्यालय में स्नातकोत्तर एवं बी0एड0 व बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने पर सरकार द्वारा विचार किये जाने सम्बन्धी

121-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र अतरौलिया के विकास खण्ड अहिरौला के समदी में राजकीय महिला महाविद्यालय में स्नातकोत्तर एवं बी0एड0 व बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

नहीं।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र अतरौलिया के विकास खण्ड अहिरौला में 01 राजकीय महाविद्यालय एवं विकास खण्ड अहिरौला के 10 किमी0 की परिधि में 06 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है :-

राजकीय महिला महाविद्यालय समदी, अहिरौला, आजमगढ़-कला वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय।

माँ शारदा महाविद्यालय शम्भूपुर गहजी-बी0एड0, बी0टी0सी0 तथा एम0ए0।

हर्षा कालेज ऑफ एजुकेशन वाजिदपुर-बी0एड0, बी0टी0सी0।

गजाधर गुरुकुल महाविद्यालय-बी0एड0, बी0टी0सी0।

आदर्श देवकली बाबा स्मारक उदैना अहिरौला-बी0एड0, बी0टी0सी0 तथा एम0ए0।

उदय राज राम प्यारी महाविद्यालय, कौड़िया-बी0एड0, बी0टी0सी0।

सद्भावना विद्यापीठ शिवा समिति डींगुरपुर-बी0टी0सी0।

उक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत विकास खण्ड अहिरौला के समदी में राजकीय महिला महाविद्यालय में स्नातकोत्तर, बी0एड0 व बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम को सम्मिलित किए जाने का सम्प्रति अवसर नहीं है।

जनपद लखनऊ के ग्राम भदोई, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर के फसली वर्ष 1426-1431 की कतिपय खाता संख्या की जांच करा कर त्रुटि का संशोधन कराते हुये दबंगों के कब्जे से भूमि को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में

122-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ग्राम-भदोई, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर के फसली वर्ष 1426-1431 की खाता संख्या-359 कुल रकबा 34.2800 हे0 श्रेणी 6-4 में दर्ज है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ के आदेश दिनांक 09-08-2019 द्वारा गाटा संख्या-505ख, रकबा 0.515 हे0 ऊसर के खाते से निरस्त होकर खेल का मैदान एवं गाटा संख्या-552, रकबा 0.2010 हे0 में से 0.063 हे0 भूमि आयुर्वेदिक चिकित्सालय दर्ज किया गया है, पर कतिपय दबंगों ने कब्जा कर लिया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि खतौनी में गाटा संख्या-505 ख की जगह गाटा संख्या 505स अंकित है, जिसका रकबा 0.1200 हे0 एवं खाता संख्या-319 का भाग है, जो श्रेणी-2 की असंक्रमणीय भूमि है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर त्रुटि का संशोधन कराते हुये उक्त भूमि को कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम भदोई, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ की वर्तमान खतौनी 1426-1431 फसली खाता संख्या-359 पर दर्ज आदेश उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ के आदेश दिनांक 09-08-2019 के अनुसार गाटा संख्या-505 रकबा 0.515 हे0 ऊसर के खाते से निरस्त होकर खेल का मैदान के नाम अंकित है, जो वर्तमान में खाली है तथा ग्राम भदोई के खतौनी सन 1426-1431 के खाता संख्या-359 गाटा संख्या-552 रकबा 0.201 हे0 ऊसर के रूप में दर्ज है एवं जिलाधिकारी, लखनऊ के आदेश दिनांक 16-10-2019 के द्वारा गाटा संख्या-552 रकबा 0.2010 हे0 में से रकबा 0.0630 हे0 भूमि आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन के पक्ष में पुनर्ग्रहीत करना दर्ज है। वर्तमान में मौके पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय निर्मित है।

जी हां।

गाटा संख्या-505स की जगह शुद्ध गाटा संख्या-505ख संशोधित कर दी गयी है। भूमि कब्जा मुक्त है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के अन्तर्गत ग्राम बद्री कुशवाहा का पुरवा का मार्ग कच्चा एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होने से सरकार द्वारा मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक

123-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अन्तर्गत ग्राम बद्री कुशवाहा का पुरवा, मौजा जबरापुर, थाना फतेहगंज, तहसील अतर्रा मार्ग कच्चा एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु दिनांक 18-03-2023 को जनपद बांदा के अन्तर्गत ग्राम बद्री कुशवाहा का पुरवा, मौजा जबरापुर थाना फतेहगंज, तहसील अतर्रा मार्ग कच्चा लम्बाई 370 मी0 एवं चौड़ाई 4.00 मी0 के निर्माण कार्य कराये जाने पर सम्पन्न जिला पंचायत, बांदा की बोर्ड बैठक में विचार किया गया । मा0 सदस्यों द्वारा चर्चा के उपरान्त उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निष्प्रयोज्य हाथरस पैरेलल ब्रांच (540 क्यूसेक क्षमता) का रेस्टोरेशन (पुनःस्थापना) कर सरकार द्वारा संचालित कराए जाने विषयक

124-श्री मनीष असीजा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निष्प्रयोज्य हाथरस पैरेलल ब्रांच (540 क्यूसेक क्षमता) का रेस्टोरेशन (पुनःस्थापना) कर सरकार संचालित कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

वर्तमान में जनपद हाथरस में समानान्तर हाथरस शाखा कुल लम्बाई 62.400 किमी0 एवं परिकल्पित डिस्चार्ज 540 क्यूसेक है। समानान्तर हाथरस शाखा की पूर्ण लम्बाई में आन्तरिक अनुभाग की पुनर्स्थापना काउन्टर बर्म एवं स्टील गेटों की रिपेयरिंग के कार्य की परियोजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों को अनुदान पर लेते हुये इनमें कार्यरत लगभग 3000 अनुमोदित शिक्षकों को विनियमित/ यू0जी0सी0 न्यूनतम वेतनमान प्रदान कराये जाने पर सरकार द्वारा विचार करने के सम्बन्ध में

125-श्री मनीष असीजा-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों को अनुदान पर लेते हुये इनमें कार्यरत लगभग 3000 अनुमोदित शिक्षकों को विनियमित/यू0जी0सी0 न्यूनतम वेतनमान प्रदान कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश दिनांक 21 अगस्त, 2000 द्वारा अर्थोपाय की कठिन स्थिति के दृष्टिगत अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन संदाय के लिये तथा अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों में नये विषय खोलने पर आवश्यक शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन के लिये राज्य सरकार द्वारा किसी भी रूप में कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

जनपद फिरोजाबाद में 2011 के एस0ई0सी0सी0 की सूची के अतिरिक्त पात्र लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आवास प्रदान करने पर विचार किये जाने विषयक

126-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में 2011 के एस0ई0सी0सी0 की सूची के अतिरिक्त ऐसे कितने पात्र लाभार्थी हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आवास प्राप्त नहीं हुआ है ? क्या सरकार उक्त पात्र लाभार्थियों को आवास प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद फिरोजाबाद में एस0ई0सी0सी0-2011 की सूची संतृप्त होने के उपरान्त प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास सॉफ्ट पोर्टल पर अपात्र लाभार्थियों के

रिमाण्ड के पश्चात् आवास प्लस की स्थायी पात्रता सूची में 7930 लाभार्थियों का डाटा उपलब्ध था। उपलब्ध डाटा में से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2881, 2021-22 में 1006 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3561। इस प्रकार कुल 7448 लाभार्थियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवास आवंटन किया जा चुका है। 482 लाभार्थी आवास आवंटन के लिए शेष हैं।

वर्तमान में आवास सॉफ्ट पोर्टल पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जनपद फिरोजाबाद को 206 आवासों का लक्ष्य ग्राम पंचायतवार आवंटित किया गया है। आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष पात्र लाभार्थियों के आवासों की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

तत्पश्चात् आवास प्लस की स्थायी पात्रता सूची में 276 लाभार्थी आवास आवंटन के लिए शेष रह जाएंगे, जिन्हें आवास आवंटित किया जाना भारत सरकार के अग्रेतर निर्देश प्राप्त होने पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उ0प्र0 याची संख्या-19737/2018 एवं 274/2020 में पारित आदेशों के क्रम में शेष शिक्षकों को जनपद आवंटन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कतिपय पत्र पर कार्यवाही की जानकारी विषयक

127-श्री मनीष असीजा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0 याची संख्या-19737/2018 एवं 274/2020 में पारित आदेशों के क्रम में शेष शिक्षकों को जनपद आवंटन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग को प्रेषित पत्रांक-क-6 नं0-602476, दिनांक 02-01-2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में बेला भेला रजवहा पर नहर का पुल क्षतिग्रस्त होने से आम जनमानस का आवागमन प्रभावित होने से पुल का नव निर्माण कराये जाने विषयक

128-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में बेला भेला रजवहा पर नहर का पुल क्षतिग्रस्त होने से आम जनमानस का आवागमन प्रभावित हो रहा है ? यदि

हां, तो क्या सरकार पुल का नव निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रायबरेली के अन्तर्गत भेला रजवाहा दायीं की कुल लम्बाई 19.700 किमी0 है व इसका डिस्चार्ज 165 क्यूसेक है एवं भेला रजवाहा बायीं की कुल लम्बाई किमी0 5.400 है व डिस्चार्ज 20 क्यूसेक है।

भेला रजवाहा दायीं व भेला रजवाहा बायीं पर कोई भी पुल क्षतिग्रस्त नहीं है, जिससे जनमानस का आवागमन प्रभावित हो रहा हो। वर्तमान में सभी पुलों पर आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है।

समय-समय पर पुलों के पैरापेट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिनकी मरम्मत का कार्य लगातार कराया जाता है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में बालिकाओं के शिक्षण हेतु कोई राजकीय इण्टर कालेज न होने से बालिकाओं के भविष्य को देखते हुए विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में सरकार द्वारा राजकीय बालिका इण्टर कालेज का निर्माण कराए जाने विषयक

129-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में बालिकाओं के शिक्षण हेतु कोई राजकीय इण्टर कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार बालिकाओं के भविष्य को देखते हुए विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में राजकीय बालिका इण्टर कालेज का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा (माध्यमिक) (पूर्ववर्ती-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उ0प्र0) के केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दिशा-निर्देशों तथा मानक के अनुरूप ऐसे क्षेत्रों में जहां पर 05 किमी0 की परिधि में हाई स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां उच्च

प्राथमिक विद्यालय को उच्चीकृत कर हाई स्कूल की कक्षाओं की संकल्पना है तथा जहां पर 07-10 किमी0 की परिधि में इण्टरमीडिएट की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां हाई स्कूल को उच्चीकृत कर इण्टरमीडिएट की कक्षाओं की संकल्पना है।

जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया के पत्रांकः/4147-47/2023-24, दिनांक 03-08-2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में नियमानुसार/मानकानुसार 07 से 10 किमी0 की परिधि में सरदार पटेल बालिका इण्टर कालेज, सिरसिया, नं0-1, रामपुर कारखाना, देवरिया, शोभा बालिका इण्टर कालेज, रामपुर पोखरापार, देवरिया संचालित है। इसके अतिरिक्त सह शिक्षा के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर कालेज क्रमशः जनता इण्टर कालेज, रामपुर कारखाना, अशोक इण्टर कालेज डुमरी, रामपुर कारखाना, देवरिया, कृषक इण्टर कालेज विशुनपुरकलाँ, देवरिया, एन0पी0 शाही इण्टर कालेज बरियारपुर, देवरिया, सुभाष इण्टर कालेज भटनी, देवरिया, ए0डी0 इण्टर कालेज गम्भीरपुर मालीवारी देवरिया, ए0आर0टी0 इण्टर कालेज, बभनी, देवरिया, शहीद मधुबन करामद इण्टर कालेज खोरीवारी देवरिया, मणिनाथ इण्टर कालेज नोनापार, देवरिया, गांधी इण्टर कालेज महुआपाटन, देवरिया आदि विद्यालय इण्टर तक संचालित हैं। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना सेवित/संतृप्त है। अतः ऐसी स्थिति में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की आवश्यकता नहीं ।

जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के निवासी शहीद मुकेश कुमार के गांव में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सहित शहीदों के नाम से गांव का नाम, सड़कें, स्कूल व अस्पताल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में

130-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री समग्र योजना के अन्तर्गत शहीदों के गांव के विकास की योजना है ? यदि हां, तो जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के ग्राम छपिया जयदेव के निवासी शहीद विजय मौर्या जी तथा सॅवरेजी ग्राम के निवासी शहीद मुकेश कुमार के गांव में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सहित उक्त शहीदों के नाम से गांव का नाम, सड़कें, स्कूल व अस्पताल का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ। मुख्य मंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत समेकित एवं स्थायी विकास हेतु प्रदेश के पिछड़े राजस्व ग्रामों का चयन किया जाता है, जिसके चयन का आधार देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों के ग्राम भी हैं।

मुख्य मंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जनपद देवरिया के चयनित ग्रामों में ग्राम छपिया जयदेव तथा ग्राम सॅवरेजी का नाम सम्मिलित नहीं है। यद्यपि मुख्य मंत्री समग्र ग्राम

विकास योजना में उक्त ग्राम चयनित नहीं है, तदापि छपिया जयदेव व सॅवरेजी में ग्राम पंचायत द्वारा शासन से विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशि से कार्य कराये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जनपद देवरिया के चयनित ग्रामों में प्रश्नगत ग्राम छपिया जयदेव तथा ग्राम सॅवरेजी का नाम सम्मिलित नहीं है।

प्रदेश में 15 मार्च से 25 मार्च, 2023 के बीच ओलावृष्टि से किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों की सूची तथा प्राप्त मुआवजे की रकम के साथ सरकार द्वारा दिये गये विवरण के सम्बन्ध में

131-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 15 मार्च से 25 मार्च, 2023 के बीच हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो क्या मुआवजा प्राप्त किसानों की सूची मुआवजे की रकम के साथ सदन के पटल पर सरकार रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में 15 मार्च से 25 मार्च, 2023 के बीच हुई ओलावृष्टि से प्रदेश के कुल 16 प्रभावित जनपदों द्वारा प्रभावित 71,077 कृषकों का डाटा राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर फीड कराया गया है। वेबसाइट पर फीडेड आंकड़ों के सापेक्ष 60,433 कृषकों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-33-03/2020-एन0डी0एम0-1(वैल्यूम-2), दिनांक-10-10-2022 द्वारा निर्धारित मानकों एवं दरों के अनुसार रु0 22,36,38,000/- की धनराशि का भुगतान किया गया है। अवशेष कृषकों का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में लगातार गिरते भू-जल स्तर को रोकने के लिये सरकार द्वारा योजना बनाये जाने विषयक

132-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में लगातार गिरते भू-जल स्तर को रोकने के लिये सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

लखनऊ शहर में लगातार गिरते भू-जल स्तर की समस्या के निदान एवं प्रदेश में भू-जल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन एवं नियमन किये जाने हेतु प्रदेश में 'उत्तर प्रदेश ग्राउण्ड वाटर (मैनेजमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट- 2019' प्रख्यापित है।

अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर तथा समस्त सरकारी सहायता प्राप्त भवनों एवं नियमानुसार निजी क्षेत्रों के 300 वर्ग मीटर एवं उससे अधिक के भवनों को अच्छादित करते हुए रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित किये जाने का प्राविधान है।

विगत वर्षों में लखनऊ शहर में विभाग द्वारा विभागीय योजना के अन्तर्गत 11 स्थलों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना की गयी है एवं इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3500 वर्ग मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना की जानी है।

भारत सरकार के जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत 'कैच द रेन' की मुहिम चलाई गयी है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिनमें चेकडैम का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, आन-फार्म हार्वेस्टिंग, यथा-मेढ़बन्धी, रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि संरचनाओं के कार्य सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय जो बिजली कनेक्शन से वंचित हैं सभी प्राथमिक विद्यालयों में सरकार द्वारा बिजली कनेक्शन करवाए जाने विषयक

133-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है ? क्या सरकार बिजली कनेक्शन से वंचित सभी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली कनेक्शन करवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा कुल 87,202 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिसमें से 82,607 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन हैं और 4595 विद्यालय विद्युत कनेक्शन विहीन हैं।

जी हां।

उक्त सभी अविद्युतीकृत विद्यालयों का झटपट पोर्टल पर आवेदन कर विद्युत कनेक्शन कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अमृत सरोवर योजना के तहत् जल संचयन एवं संवर्धन हेतु तालाबों की खुदाई 1 मीटर मानक से अधिक कराने के सम्बन्ध में

134-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अमृत सरोवर योजना के तहत् जल संचयन एवं संवर्धन हेतु तालाबों की खुदाई 1 मीटर गहराई तक की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत तालाबों की खुदाई की 1 मीटर मानक से अधिक कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अमृत सरोवर की दिशा-निर्देश एवं राज्य स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या-245/अड़तीस-7-2022-46नरेगा/2019, दिनांक 27-04-2022 में तालाबों की खुदाई 1 मीटर तक ही करने की कोई बाध्यता नहीं है। 1 मीटर से अधिक भी खुदाई की जा सकती है।

जी नहीं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अमृत सरोवर की दिशा-निर्देश में तालाबों का क्षेत्रफल कम से कम एक एकड़ तथा जल संग्रहण क्षमता कम से कम 10 हजार क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। इस हेतु तालाबों को कम से कम 2.5 मीटर गहरा होना अनिवार्य है। जनपदों द्वारा अमृत सरोवर योजना के तहत 2.5 मीटर से 3 मीटर खुदाई की जा रही है।

प्रदेश में वर्तमान में पुलिस संख्या तथा जनसंख्या का अनुपात व सरकार द्वारा जिलेवार सूची जारी करने के सम्बन्ध में

135-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो अनुसार पुलिस तथा जनसंख्या का अनुपात क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान में प्रदेश में पुलिस संख्या तथा जनसंख्या का अनुपात क्या है ? क्या सरकार उक्त की जिलेवार सूची जारी कर सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा अक्टूबर, 2011 की आगणित जनसंख्या के आधार पर दिनांक 01-08-2012 को प्रस्तुत आख्या में प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस का अनुपात 181.25 था जो मई 2023 के आगणन में 206.14 है।

वर्तमान में प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस का अनुपात 206.14 है।

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ की आख्यानुसार पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत द्वारा प्रत्येक वर्ष पुलिस संगठनों के प्रदेशवार आंकड़े जारी किये जाते हैं। जिसमें जनपद/इकाइयों का नियतन/उपलब्धता सम्मिलित रहता है। इस परिप्रेक्ष्य में पृथक से जनपदवार आंकड़े जारी नही किये जाते हैं। प्रदेशवार कुल नियतन में विभिन्न संवर्ग जैसे-सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस/पी0ए0सी0, लिपिक संवर्ग, आरमोरर, बिगुलर, परिवहन शाखा, फायर सर्विस, रेडियो, कम्प्यूटर संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी सम्मिलित रहते हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली के तहसील सदर के केन्द्रीय अभिलेखागार में कतिपय अभिलेखों में वादी पक्ष द्वारा फर्जीवाड़ा के सम्बन्ध में

136-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के तहसील सदर के केन्द्रीय अभिलेखागार में क्रमाक सं0-3102/22 व बैनामा सं0-2172/1972 अभिलेखों में नाम से दर्ज है ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बरेली, थाना वारादरी वर्ष 2023 अभियोग नं0 30/23 जिसमें वादी पक्ष द्वारा 3102/22 में बैनामा सं0-2172/1972 में फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपना नाम दर्शाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दस्तावेज परीक्षण कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

केन्द्रीय अभिलेखागार के नकल रजिस्टर क्रमांक-3102/22 पर बैनामा संख्या-2172 की नकल निर्गत किया जाना दर्ज नहीं है।

केन्द्रीय अभिलेखागार में संरक्षित बैनामा संख्या-2172/1972 विलेखानुसार विक्रेता सरदार खां पुत्र विलायत खां, साकिन मौजा नरखेड़ा, परगना शाही तहसील व जिला बरेली द्वारा क्रेता रामरक्ष पाल पुत्र छोटे लाल, साकिन मौजा नरखेड़ा व श्रीमती नवाब बेगम जौज़ा श्री सरदार खान, साकिन मौजा नरखेड़ा शाही, तहसील व जिला बरेली से सम्बन्धित विक्रय विलेख/बैनामा दर्ज है।

थाना बारादरी जनपद बरेली में मु0अ0संख्या-30/2023, धारा-420/467/468/525/506 मामूर खां बनाम गुलाम हुसैन आदि पंजीकृत है। इस वाद की पुलिस द्वारा विवेचना प्रचलित है।

प्रकरण में उपरोक्तानुसार पुलिस विवेचना में पाये गये तथ्यों के आधार पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के प्रथम सत्र 2023 के प्रथम मंगलवार के कतिपय अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर की जांच आख्या के सम्बन्ध में

137-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-70 के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत जनपदीय समिति में कौन-कौन से अधिकारी तथा उनके पदनाम क्या थे ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि निर्माण स्थल से जो 2 सैम्पल केन्द्रीय प्रयोगशाला लोक निर्माण विभाग, बरेली भेजे गये, उसकी जांच आख्या आ गई ? यदि हाँ, तो उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

प्रश्नगत निर्माण की गुणवत्ता जांच हेतु गठित जनपदीय समिति में जिला समन्वयक बालिका शिक्षा, समग्र शिक्षा, शाहजहांपुर, जिला समन्वयक निर्माण समग्र शिक्षा, शाहजहाँपुर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर तथा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-1, शाहजहांपुर सम्मिलित हैं।

जी हाँ, लोक निर्माण विभाग, बरेली की प्रयोगशाला की लैब रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है।

लोक निर्माण विभाग, बरेली की प्रयोगशाला से प्राप्त लैब रिपोर्ट संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र कटरा में एन0एच0एम0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से बनाये गये कतिपय ग्रामों में हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक

138-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र कटरा में एन0एच0एम0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से बनाये गये ग्राम कुरगांव (खुदागंज), शंकरपुर पिटरहाई, नगरिया कला, वतलैया, कजआरी, चरखोला, मझिला, आलमपुर में हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर की दीवारें चटक गईं, लिन्टर टपक रहे हैं तथा किसी भी सेन्टर पर बिजली, पानी की फिटिंग न होने के कारण बन्द हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-[†] देखिये नत्थी (छ) आगे पृष्ठ संख्या-336-338 पर।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

विधान सभा क्षेत्र कटरा जनपद शाहजहांपुर में एन0एच0एम0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, शाहजहांपुर द्वारा ग्राम कुरगांव (खुदागंज), शंकरपुर पिटरहाई, नगरिया कला, वतलैया, कजआरी (शुद्ध नाम रूजवारी) चरखोला, मझिला, आलमपुर में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर बनाये गये। उपरोक्त संदर्भित सभी भवनों में दीवारें व लिन्टर सही स्थिति में हैं। आन्तरिक विद्युतीकरण, पानी की फिटिंग आदि समस्त कार्य पूर्ण कराते हुये सम्बन्धित प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को दिनांक 27-04-2022 से दिनांक 17-05-2022 के मध्य हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर नगरिया कला ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण कार्य पूर्ण कर सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के उपरान्त भवनों की सुरक्षा/मरम्मत एवं उन्हें क्रियाशील किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग का होता है।

प्रदेश में बैनामों के दाखिल खारिज की प्रक्रिया एवं राजस्व मामलों की जानकारी के सम्बन्ध में

139-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बैनामों के दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो राजस्व मामले विवाद (विहीन) हैं उनके नामान्तरण के लिये सक्षम अधिकारी किसे नामित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। निबंधन कार्यालय से बैनामा विलेख सम्बन्धित तहसीलदार के न्यायालय में ऑनलाइन प्राप्त होने पर बैनामों के दाखिल-खारिज की कार्यवाही उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की संगत धाराओं (धारा 34 व 35) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के संगत नियमों (नियम-33 व 34) के अन्तर्गत की जाती है।

उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-34(7) के अन्तर्गत अविवादित नामान्तरण के वादों के निस्तारण के लिए तहसीलदार को सक्षम अधिकारी नामित किया गया है।

जी हां, विवरण संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-[†] देखिये नत्थी (ज) आगे पृष्ठ संख्या-339-347 पर।

प्रदेश के जनपदो में चकबन्दी प्रक्रिया संचालन की स्थिति के सम्बन्ध में

140-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में चकबन्दी प्रक्रिया संचालित है तथा कितने जिलों में प्रस्तावित है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश के सभी 75 जनपदों में चकबन्दी प्रक्रिया संचालित है तथा प्रदेश के 23 जनपदों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रस्तावित है।

जी हाँ।

विवरण संलग्न है।†

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र संडीला में स्वीकृत महाविद्यालय का निर्माण कार्य सरकार द्वारा शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में

141-श्रीमती अलका सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र संडीला में महाविद्यालय बनाये जाने की स्वीकृति की गई है ? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय का निर्माण कार्य सरकार शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वृहत वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र संडीला में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किए जाने का सम्प्रति अवसर नहीं है।

प्रदेश में सहायक सचिव कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, शौचालय केयरटेकर एवं प्रधान के मानदेय की व्यवस्था विषयक

142-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहायक सचिव कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, शौचालय केयरटेकर एवं प्रधान के मानदेय की व्यवस्था करने के लिए कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-† देखिये नत्थी (झ) आगे पृष्ठ संख्या-348-349 पर।

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों की स्थापना के अन्तर्गत पंचायत सहायक कम डाटा इंट्री ऑपरेटर की तैनाती एवं मानदेय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-42/2021/1235/33-3-2021-989/2021, दिनांक 25-07-2021 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव हेतु सफाईकर्मी/केयर टेकर के मानदेय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1759/33-3-2020-31/2019, दिनांक 15-07-2021 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-58/2021/2350/33-3-2021-2257/2021, दिनांक 16-12-2021 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के विकास खण्ड पडरौना और विशुनपुरा के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों पर अग्निशमन सिलेंडरों को लगाये जाने व वर्तमान वर्ष में दिनांक 07-02-23 तक अग्निशमन सिलेंडर की रीफिलिंग किये जाने के सम्बन्ध में

143-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के विकास खण्ड पडरौना और विशुनपुरा के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों पर अग्निशमन सिलेंडर लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान वर्ष में दिनांक 07-02-23 तक कितने प्राथिमक विद्यालयों में अग्निशमन सिलेण्डर की रीफिलिंग की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

विकास खण्ड पडरौना में 182 एवं विशुनपुरा के 114 विद्यालयों में अग्निशमन सिलेण्डर की रीफिलिंग की गयी है।

जी हाँ।

विवरण संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-[†] देखिये नत्थी (ञ) आगे पृष्ठ संख्या-350-357 पर।

प्रदेश में मुख्य मंत्री आवास योजना चयन के मानक तथा योजना के अन्तर्गत दिनांक 23-3-2023 तक के निर्माण कार्य के विवरण के सम्बन्ध में

144-श्री जगदीश नारायण-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य मंत्री आवास योजना चयन का मानक क्या है तथा उक्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 23-03-23 तक कितने आवासों का निर्माण हुआ है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मुख्य मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पूर्णतया राज्य सहायतित योजना है, जो फरवरी 2018 में प्रारम्भ की गयी है।

पात्रता श्रेणी-

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित आवास विहीन परिवार।

कालाजार से प्रभावित आवास विहीन परिवार।

वनटंगिया एवं मुसहर, सहरिया, कोल, थारू, नट, चेरों, पछइया लोहार/गढ़इया लोहार, बैगा एवं बोक्सा वर्ग के आवास विहीन परिवार।

जे0ई0/ए0ई0एस0/कुष्ठ रोग से प्रभावित आवास विहीन परिवार एवं दिव्यांगजन परिवार।

पात्र किन्तु प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता सूची में सम्मिलित होने से वंचित आवास विहीन परिवार।

योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों/ग्रामों के अतिरिक्त किन्हीं विशिष्ट प्रकरणों में विशिष्ट लाभार्थियों/ग्रामों में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने का अधिकार मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 को होगा।

वर्ष 2018-19 से अब तक कुल 1,61,900 मुख्य मंत्री आवास आवंटित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष दिनांक 23 मार्च, 2023 तक 1,19,603 मुख्य मंत्री आवास निर्मित हुए हैं।

जनपदवार वर्ष 2018-19 से 23-03-2023 तक आवंटित एवं निर्मित आवासों का विवरण संलग्न है।[†]

उपरोक्तानुसार।

नोट :-[†] देखिये नत्थी (ट) आगे पृष्ठ संख्या-358-360 पर।

प्रदेश में पंचायत विभाग द्वारा सी0सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन की योजना के सम्बन्ध में

145-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंचायत विभाग द्वारा सी0सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन की योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो उक्त योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना बजट प्रदान किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सी0सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन विभाग द्वारा संचालित योजना नहीं है। ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें एवं जिला पंचायतें अपनी आवश्यकतानुसार वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से कई तरह के कार्य कराती है। इन कार्यों में सी0सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन निर्माण भी कर सकती है।

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 8400.00 करोड़ एवं 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 7547.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इस धनराशि के व्यय करने हेतु निर्गत दिशा निर्देश की शर्तें पूरी करके अनुमन्य कार्यों के साथ सी0सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन के कार्य पंचायतें अपनी आवश्यकतानुसार करा सकती हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों के त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु कतिपय शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध निस्तारण प्रक्रिया के अनुरूप पालन होने अथवा न होने के विवरण के सम्बन्ध में

146-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों के त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 तथा 2016 की संगत धाराओं/नियमों में प्राविधानित व्यवस्थाएं प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग के पत्र संख्या-653/15-4-2018-रा0-4, दिनांक 27-3-2018 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या रिट-144/एक-4-2022, दिनांक 26-12-2022 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-12 के पत्र संख्या-2801/12-10 रिट/2022, दिनांक 9-9-2022 तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-12 के पत्र संख्या-4844/12-एल (2)/2021, दिनांक 28-12-2021 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में सहारनपुर मण्डल के समस्त राजस्व न्यायालयों में न्यायालयवार विवादित उत्तराधिकार, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा

सूचना धारा-36, किसी भूल अथवा लोप का सुधार धारा-38, सीमा सम्बन्धी विवाद, मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार, औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग तथा धारा-34 के कुल कितने वाद दिनांक 23-03-23 तक लम्बित हैं ? क्या सरकार न्यायालयवार लम्बित वादों की दशा में प्रत्येक श्रेणी के लम्बित वादों की वादवार स्थिति तथा लम्बित समय व लम्बित काल का कारण व उपरोक्त शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध निस्तारण प्रक्रिया के अनुरूप पालन होने अथवा न होने का टिप्पणी सहित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

सहारनपुर मण्डल के समस्त राजस्व न्यायालयों में दिनांक 23-03-2023 तक विचाराधीन वादों की संख्या 4645 है, जिसका जनपदवार विवरण निम्नवत् है-

जनपद-सहारनपुर-2287

जनपद-मुजफ्फरनगर-1853

जनपद शामली-505

कुल वाद-4645

सहारनपुर मण्डल के समस्त राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन वादों की दिनांक 23-03-2023 तक धारावार एवं जनपदवार स्थिति निम्नवत् है-

क्र0-सं0		सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	शामली	कुल
1	उत्तराधिकार रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा सूचना धारा-36	0	0	0	0
2	किसी भूल अथवा लोप का सुधार धारा-38	41	51	12	104
3	सीमा सम्बन्धी विवाद धारा-24	340	75	136	551
4	मार्गाधिकारी और अन्य सुखाचार, धारा-25/26	0	01	0	01

क्र0-सं0		सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	शामली	कुल
5	औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिये जोत का उपयोग धारा-80	80	14	05	99
6	धारा-34	1826	1712	352	3890
	योग	**2287**	**1853**	**505**	**4645**

नोट :-

जनपद-सहारनपुर में धारावार कुल 2287 वाद लम्बित हैं, जिनमें से कोई भी वाद तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं है।

जनपद मुजफ्फरनगर में धारावार कुल 1853 वाद विचाराधीन हैं, जिसमें से मात्र 01 वाद, 03 वर्ष अधिक किन्तु 04 वर्ष से कम अवधि का है।

जनपद-शामली में धारावार कुल 505 वाद लम्बित हैं, जिसमें कोई भी वाद 03 वर्ष से अधिक अवधि का लम्बित नहीं है।

राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों का त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में किसानों को कृषि कार्य हेतु मजदूरों को खेतों तक ट्रैक्टर ट्राली से ले जाने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में

147-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में किसानों को कृषि कार्य हेतु मजदूरों को खेतों तक ट्रैक्टर-ट्राली से ले जाने हेतु ट्रैक्टर-ट्राली से आने-जाने की अनुमति देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

''केन्द्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 2 (ग) में 'कृषि ट्रेलर' से साधारण रूप से ऐसा ट्रेलर अभिप्रेत है जो एकल/दोहरी धुरी की संरचना सहित खुला होता है और जिसे किसी ट्रैक्टर के साथ दो हुकों की सहायता से जोड़ दिया जाता है और जिसका प्रयोग मुख्यतः कृषि सामग्री के परिवहन के लिए किया जाता है।'' नियमावली की उक्त व्यवस्था जनपद में लागू है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक

148-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त में विलम्ब के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये शेष लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या-888/आंकिक/पी0एम0ए0वाई0जी0/2023-24, दिनांक 02-08-2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के अनुसार विधान सभा चरथावल में 20 पात्र लाभार्थी चयनित थे, जिनको लाभान्वित कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के गांवों में हर घर जल योजना के अन्तर्गत पानी की टंकी का निर्माण कराकर घरों में जलापूर्ति कराये जाने विषयक

149-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में किन-किन गांवों में हर घर जल योजना के अन्तर्गत पानी की टंकी का निर्माण कराकर घरों में जलापूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद मुजफ्फरनगर की चरथावल विधान सभा क्षेत्र में कुल 86 ग्राम पंचायतें शामिल हैं, जिसमें से 20 ग्राम पंचायतों में पूर्व से पाइप पेयजल योजनाएँ संचालित है। 16 ग्राम पंचायतें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा 04 ग्राम पंचायतें जल जीवन मिशन के रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत संचालित हैं। शेष 66 ग्राम पंचायतों (76 राजस्व ग्राम) को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आच्छादित करते हुये उक्त ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित कार्य प्रगति पर है। 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर के विधान

सभा क्षेत्र चरथावल सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों को वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं को मानदेय देने विषयक

150-श्री अतुल प्रधान-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं को मानदेय देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

शासनादेश सं0-ई0एम0-1443/15-7-2021-1 (191)/2000, दिनांक 10 अगस्त, 2001 द्वारा प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को परिलब्धियों के निर्धारण की व्यवस्था है।

जनपद फिरोजाबाद में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों को राहत देने हेतु मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

151-श्री मनीष असीजा -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष में जनपद फिरोजाबाद में हुई असमय वर्षा के कारण किसानों की कटाई के लिये तैयार पकी हुई फसलों को नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्राकृतिक आपदा से जनपद फिरोजाबाद के किसानों की फसलों की कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है ? क्या सरकार पीड़ित किसानों को राहत देने हेतु मुआवजा प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

वर्तमान वर्ष, 2023 में जनपद-फिरोजाबाद में असमय वर्षा के कारण कृषकों की 15 प्रतिशत से कम फसल क्षति हुई है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 33-03/2020-एन0डी0एम0-1 (वैल्यूम-2), दिनांक 10-10-2022 द्वारा निर्धारित मानकों एवं दरों में फसलों की 33 प्रतिशत या उससे अधिक की क्षति होने पर ही कृषि निवेश अनुदान देय हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में गोमती रिवर फ्रन्ट की तर्ज पर नारायणी रिवर फ्रन्ट का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में

152-श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में गोमती रिवर फ्रण्ट की तर्ज पर नारायणी रिवर फ्रण्ट का निर्माण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

घाटों के निर्माण से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा सम्प्रति घाटों के निर्माण पर नहीं, बल्कि सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, बायोडायवर्सिटी, नेचुरल फार्मिंग से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर वरीयता दी जा रही है।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलपूर्ति विभाग के पास घाटों के निर्माण हेतु पृथक से बजटीय प्राविधान उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना में टौंस नदी के दक्षिणी भाग पर पुल से सरयां गांव तक क्षतिग्रस्त बन्धा का पुनः निर्माण कर लेपन स्तर तक का कार्य कराये जाने विषयक

153-श्री राजेन्द्र कुमार-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना में टौंस नदी के दक्षिणी भाग पर पुल से सरयां गांव तक बन्धा क्षतिग्रस्त है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बांध का पुनः निर्माण कर लेपन स्तर तक का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

मुहम्मदाबाद शहर में सुरक्षा बांध की कुल लम्बाई 4.500 किमी0 है। इस बन्धे के निर्माण काल से ही भूमि नहीं मिलने के कारण कुल 8 अदद् गैप हैं, जिसकी कुल लम्बाई

702.00 मीटर है एवं 02 अदद रेगुलेटर का निर्माण कार्य अवशेष है। वर्तमान वर्ष 2023 के वर्षाकाल के उपरान्त बांध की संवेदनशीलता के दृष्टिगत विस्तृत सर्वेक्षण करते हुए पुनः परियोजना का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की विधान सभा क्षेत्र संडीला में मुंसिफ कोर्ट के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में

154-श्रीमती अलका सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की विधान सभा क्षेत्र संडीला में मुंसिफ कोर्ट के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त मुंसिफ कोर्ट कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कोर्ट के गठन का प्रस्ताव मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त होने पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश में 01 अप्रैल 2017 से 23-03-2023 तक पुलिस भर्ती निकाले जाने व भर्ती में अभ्यर्थियों को स्थाई सरकारी नौकरी के विवरण दिये जाने विषयक

155-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01 अप्रैल, 2017 से 23-03-2023 तक कितनी पुलिस भर्ती निकाली गई ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त भर्ती में कितने अभ्यर्थियों को स्थाई सरकारी नौकरी दी गई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पुलिस भर्ती के अन्तर्गत 01 अप्रैल, 2017 से 23-03-2023 तक कुल 1,12,384 पदों की भर्तियां निकाली गयीं।

उक्त भर्तियों के सापेक्ष विभिन्न पदों पर कुल 1,11,654 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। उक्त के अतिरिक्त पूर्व में प्रचलित अधियाचन के सापेक्ष कुल 37,419 पदों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में विभिन्न भर्तियों के 5,601 पदों पर अर्थात् उक्त

अवधि में कुल 1,54,674 (1,11,654+37,419+5,601) पदों पर चयन किया गया। चयनित सभी पद स्थायी हैं, जिसे विभागीय प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर पूर्ण किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 कृष्ण गोपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक जनपद कौशाम्बी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

156-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-डी0जी0-दो-अ-56 (पु0उपा0स्था0)-2022, दिनांक 19 अगस्त, 2022 द्वारा पुलिस उपाधीक्षक जनपद कौशाम्बी के डा0 कृष्ण गोपाल सिंह का स्थानान्तरण पुलिस उपाधीक्षक जनपद अलीगढ़ के पद पर किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इसके पश्चात् भी वे पुलिस उपाधीक्षक कौशाम्बी का कार्यभार संभाल रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या-डीजी-दो-अ-56 (पु0उपा0 स्था0)-2022 दिनांक 29-08-2022 के द्वारा जनपद कौशाम्बी में नियुक्त पुलिस उपाधीक्षक डा0 कृष्ण गोपाल सिंह का स्थानान्तरण पुलिस उपाधीक्षक के पद पर जनपद अलीगढ़ हेतु किया गया है जिसके अनुपालन में डा0 कृष्ण गोपाल सिंह द्वारा जनपद अलीगढ़ में पुलिस उपाधीक्षक के पद का कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है। वर्तमान में वह पुलिस उपाधीक्षक कौशाम्बी का कार्यभार नहीं सँभाल रहे हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम राहपुर में राजकीय पालीटेक्निक कालेज में शिक्षण कार्य शीघ्र शुरू करवाये जाने विषयक

157-श्री तसलीम अहमद-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम राहपुर में राजकीय पालीटेक्निक कालेज में शिक्षण कार्य शुरू न होने के कारण छात्र/छात्राओं को दूर-दराज के कालेजों में एडमिशन लेना पड़ रहा है ? जिससे क्षेत्र के

छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजकीय पालीटेक्निक कालेज में शिक्षण कार्य शुरू करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशीष पटेल-

अवगत कराना है कि प्रश्नगत राजकीय पालीटेक्निक में शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य पी0पी0पी0 मोड के माध्यम से निजी सहभागिता के साथ किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। उक्त संस्था संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया में सफल निविदाकर्ता सी0एस0सी0 ई-गर्वर्नेंस सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड को आवंटित की गयी है तथा संस्था के संचालन हेतु कन्सेशन एग्रीमेन्ट भी पूर्ण कर लिया गया है।

जी हाँ।

आगामी सत्र, 2024-25 से।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दू अन्त्येष्टि स्थलों के विकास एवं अवस्थापना सुविधायें मुहैया कराने हेतु सरकार द्वारा प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने विषयक

158-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दू अन्त्येष्टि स्थलों के विकास एवं अवस्थापना सुविधायें मुहैया कराने हेतु सरकार ने कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-2/2015/33-3-2014-100 (21)/2014, दिनांक 02-09-2014 के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना संचालित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में नमामि गंगे स्वच्छ पेयजल योजना के अन्तर्गत कतिपय योजना को पूर्ण कराकर शेष कार्य समय-सीमा अन्तर्गत सरकार द्वारा पूर्ण कराये जाने विषयक

159-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में नमामि गंगे स्वच्छ पेयजल योजना के अन्तर्गत हर घर जल पहुँचाने की कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ? यदि हाँ, तो उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद जालौन में कितने घरों तक उक्त योजना को पूर्ण कर लिया गया है तथा कितना शेष है ? क्या सरकार समय-सीमा अन्तर्गत उक्त कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद जालौन में कुल 921 ग्रामों में से वर्तमान तक 125 ग्रामों के 40,000 घरों को शुद्ध पाइप पेयजल उपलब्ध कराया गया है तथा 796 ग्रामों में 1,72,020 घरों को शुद्ध पाइप पेयजल आपूर्ति कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मार्च, 2024 तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में शत-प्रतिशत क्रियाशील गृह नल जल संयोजन कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दिवैनी पक्की सड़क से रामकुमार के पम्पिंग सेट तक मार्ग का नव निर्माण कार्य कराए जाने विषयक

160-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दिवैनी पक्की सड़क से रामकुमार के पम्पिंग सेट तक मार्ग का नव निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दिवैनी पक्की सड़क से श्री रामकुमार के पम्पिंग सेट तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 250 मी0 है, जो वर्तमान में कच्चा मार्ग है। उक्त मार्ग पर खड़न्जा निर्माण कार्य की अनुमानित लागत रु0 5.00 लाख है। प्रश्नगत खड़न्जा निर्माण कार्य को वर्ष 2023-24 की अनुपूरक कार्य योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा एवं बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त होने पर तद्नुसार निर्माण कार्य कराया जायेगा।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कौलापुर में पक्की सड़क से रणजीत के घर तक मार्ग का निर्माण कराए जाने विषयक

161-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कौलापुर में पक्की सड़क से रणजीत के घर तक मार्ग नव निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम पंचायत कौलापुर, विकास खण्ड गौरा को राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 5.12 लाख एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 5.60 लाख अर्थात् वर्ष में कुल धनराशि रु0 10.72 लाख प्राप्त होती है। ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक के मानदेय एवं सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव सहित केयर टेकर के मानदेय आदि पर कुल धनराशि

रु0 2.40 लाख व्यय होती है। साथ ही ग्राम पंचायत में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के रि-बोर/मरम्मत कायाकल्प व प्लेटफार्म/चबूतरा आदि पर कुल धनराशि रु0 3.40 लाख व्यय हो गयी है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के अन्य छोटे-छोटे कार्यों पर धनराशि व्यय हो जाती है। ग्राम पंचायत कौलापुर में पक्की सड़क से रणजीत सिंह के घर तक नव निर्माण कार्य पर लगभग धनराशि रु0 36.20 लाख की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत नई कोट में पक्की सड़क से आर0 डी0 बिन्द के घर तक मार्ग का नव निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में

162-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत नई कोट में पक्की सड़क से आर0डी0 बिन्द के घर तक मार्ग का नव निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम पंचायत नई कोट को राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 4.14 लाख एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 4.90 लाख अर्थात् वर्ष में कुल धनराशि रु0 09.04 लाख प्राप्त होती है। ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक के मानदेय एवं सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव सहित केयर टेकर के मानदेय आदि पर कुल धनराशि रु0 2.40 लाख व्यय होती है। साथ ही ग्राम पंचायत में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के रि-बोर/मरम्मत एवं पंचायत भवन मरम्मत आदि पर कुल धनराशि रु0 4.25 लाख व्यय हो गयी है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के अन्य छोटे-छोटे कार्यों पर धनराशि व्यय हो जाती है। ग्राम पंचायत नई कोट में पक्की सड़क से आर0डी0 बिन्द के घर तक नव निर्माण कार्य पर लगभग धनराशि रु0 57.98 लाख की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत गाजी का बाग मुबारकपुर मार्ग से सुकाल का पूरा तक मार्ग का नव निर्माण कराए जाने विषयक

163-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत गाजी का बाग मुबारकपुर मार्ग से सुकाल का पूरा तक मार्ग का नव निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के अन्तर्गत गाजी का बाग मुबारकपुर रोड से सुकाल का पूरा तक लम्बाई लगभग 600 मीटर है। उक्त मार्ग पर ग्राम पंचायत में खड़न्जा पूर्व से निर्मित है, जो आवागमन हेतु सुलभ है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत साढ़ में पक्की सड़क से जवाहर पटेल के घर तक मार्ग का नव निर्माण कराए जाने विषयक

164-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत साढ़ में पक्की सड़क से जवाहर पटेल के घर तक मार्ग का नव निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, साढ़ में पक्की सड़क से जवाहर पटेल के घर तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 165 मी0 है, जिस पर लगभग 2 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत से खड़न्जा निर्मित है एवं आवागमन हेतु सुलभ है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने हेतु शिक्षकों की भर्ती कराए जाने के सम्बन्ध में

165-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रति 30 छात्र-छात्राओं पर 01 शिक्षक का मानक पूर्ण है ? यदि नहीं, तो उक्त मानक को पूर्ण करने एवं शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने के उद्देश्य से सरकार शिक्षकों की भर्ती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निहित प्राविधानानुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35:1 निर्धारित है। प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात 38:1 है। शिक्षामित्रों को

सम्मिलित करते हुए छात्र-शिक्षक अनुपात 26:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात 43:1 है। अनुदेशकों को सम्मिलित करते हुए छात्र-शिक्षक अनुपात 35:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के कतिपय ग्राम में जर्जर मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक

166-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम सिकहरा में ग्राम खेडा से सिकहरा बेहड़ वाली माता मन्दिर तक मार्ग लम्बाई लगभग 800 मीटर जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 600 मी0 है। उक्त मार्ग वर्तमान में कच्चा है। संदर्भित मार्ग के लेपन निर्माण कार्य हेतु रु0 34.83 लाख व्यय होने का अनुमान है। चालू वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्य योजना जिला पंचायत की बैठक दिनांक 25-03-2023 में अनुमोदित हो गयी है। उक्त कार्य योजना में प्रश्नगत कार्य सम्मिलित नहीं है। प्रश्नगत मार्ग के निर्माण कार्य का प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की आगामी वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर सदन द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

167-श्रीमती जय देवी-

[01-शुक्रवार के अता0प्र0सं0-104 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड काकोरी, माल तथा मलिहाबाद में नहरों की सिल्ट सफाई कराये जाने विषयक

168-श्रीमती जय देवी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड काकोरी, माल तथा मलिहाबाद में नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य न होने के कारण नहरों में पानी नहीं आता है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में सिल्ट सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जी हाँ।

रबी फसली पूर्व नहरों की सिल्ट सफाई कराये जाने की वर्ष प्रतिवर्ष की सतत् व्यवस्था विद्यमान है और इस व्यवस्था के अन्तर्गत आगामी रबी 1431 फसली पूर्व जनपद लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड काकोरी, माल तथा मलिहाबाद की नहरों की भी सिल्ट सफाई कराये जाने की कार्य योजना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बी0टी0सी0 प्रशिक्षण संस्थानों में एक शिक्षक का एक से अधिक संस्थानों में अनुमोदन रोकने के दृष्टिगत सरकार द्वारा शिक्षकों का केन्द्रीय कृत डाटाबेस तैयार कराकर सूची को सार्वजनिक किये जाने विषयक

169-श्रीमती जय देवी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बी0टी0सी0 प्रशिक्षण संस्थानों में एक शिक्षक का एक से अधिक संस्थानों में अनुमोदन रोकने के दृष्टिगत सरकार उक्त शिक्षकों का केन्द्रीयकृत डाटाबेस तैयार कर सूची सार्वजनिक करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

कार्यवाही गतिमान है, शीघ्र ही डी0एल0एड0 संस्थानों में अनुमोदित संकाय सदस्यों का डाटा एकीकृत रूप से सार्वजनिक (पब्लिक डोमेन में) किया जाएगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में ऑफलाइन टेण्डरिंग के स्थान पर 10 लाख रुपये तक के निर्माण कार्यों को लोक निर्माण विभाग की ही भांति ई-टेण्डरिंग करवाने विषयक

170-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 10 लाख रुपये तक के कराये जाने वाले सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण एवं भवन निर्माण के कार्यों की ऑफलाइन टेण्डरिंग में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 10 लाख रुपये तक के निर्माण कार्यों को लोक निर्माण विभाग की ही भांति ई-टेण्डरिंग करवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-6/2018/256/78-2-2018-42आई0टी0/2017, दिनांक 24 अप्रैल, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में ई-टेन्डरिंग विषयक कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को चिन्हित कर ठीक कराये जाने विषयक

171-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में कुल कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प वर्तमान में खराब हैं ? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को चिन्हित कर ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में 29 हैण्डपम्प रि-बोर कराया जाना है तथा 46 हैण्डपम्पों की लघु मरम्मत कराया जाना है। इस प्रकार कुल 75 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प वर्तमान में खराब हैं।

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुपूरक कार्य योजना में सम्मिलित कराते हुए खराब इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प को ठीक करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में स्थित विधान भवन/लोक भवन तथा बी0जे0पी0 कार्यालय के सामने मार्च, 2017 से दिनांक 31-12-2022 तक कुल आत्मदाह प्रयास/मृत का विवरण व आत्मदाह को विवश करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक

172-श्री तुफानी सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में स्थित विधान भवन/लोक भवन तथा बी0जे0पी0 कार्यालय के सामने मार्च, 2017 से दिनांक 31-12-2022 तक कुल कितने लोगों द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया है तथा उनमें से कितने मृत हुए हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध कराते हुए आत्मदाह करने हेतु विवश करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मार्च, 2017 से दिनांक 31-12-2022 तक कुल 35 लोगों द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया, जिनमें कुल 04 लोगों की मृत्यु हुई, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

(1) साफिया पत्नी स्व0 समीर, निवासी जामो, भाना जामो, उम्र 50 वर्ष।

(2) अंजली तिवारी, निवासी वीर बहादुर नगर, जिला महराजगंज।

(3) बलराम तिवारी पुत्र कृष्ण कुमार तिवारी, निवासी बालागंज, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ उम्र 50 वर्ष।

(4) सुरेन्द्र चक्रवर्ती पुत्र हरिन्दर चक्रवर्ती, निवासी 155, डायमण्ड डेरी, उदयगंज, थाना हुसैनगंज, लखनऊ।

आत्मदाह करने हेतु विवश करने वाले लोगों के विरुद्ध कोतवाली हजरतगंज पर कुल 03 अभियोग पंजीकृत किये गये, जिसमें से कुल 06 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया एवं थाना हुसैनगंज पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के मुख्यालय में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकों को सम्बद्ध करते हुए समायोजन क्षेत्रीय कैडर से मुख्यालय कैडर में कराये जाने विषयक

173-श्री तुफानी सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के मुख्यालय में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकों को सम्बद्ध करते हुए उनका समायोजन क्षेत्रीय कैडर से मुख्यालय कैडर में किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि समायोजन में किस नियम/उपनियम का अनुपालन किया गया है ? क्या सरकार उक्त नियम/उपनियम सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

कालान्तर में विभाग में वर्कचार्ज कार्मिकों को शासनादेशानुसार अधिसंख्य के पद पर विनियमित किया गया। मुख्यालय कैडर में समय-समय पर कार्मिकों के सेवानिवृत्ति/मृत होने के कारण रिक्त पदों पर वर्कचार्ज कार्मिकों के समायोजन होने तक भर्ती पर लगी रोक के दृष्टिगत शासकीय कार्यहित में क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कनिष्ठ सहायकों को मुख्यालय पर रिक्त कनिष्ठ

सहायक के पदों पर समायोजित करते हुए सम्बन्धित कार्मिकों को ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे स्थान प्रदान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलिस कर्मियों की प्रतिदिन ड्यूटी का प्रावधान व कर्मियों से प्रतिदिन 8 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी के कारणों की जानकारी विषयक

174-श्री प्रदीप कुमार यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों की प्रतिदिन कितने घंटे की ड्यूटी का प्रावधान है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कर्मियों से प्रतिदिन 8 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा-22 के अन्तर्गत प्राविधान है कि पुलिस कार्मिक सदैव कर्तव्यरूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किये जा सकेंगे।

पुलिस विभाग में अपेक्षाकृत कार्य की अधिकता रहती है। पुलिस कर्मियों द्वारा लम्बी व अनियमित ड्यूटियों के कारण अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के अवकाश की पृथक व्यवस्था की गयी है, जिसमें एक माह का आकस्मिक अवकाश, एक माह का उपार्जित अवकाश, अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को रविवार/सार्वजनिक अवकाशों में किये गये कार्य के एवज में एक माह का अतिरिक्त वेतन भी प्रदान किया जाता है।

पुलिस कर्मियों को लगातार ड्यूटी के उपरान्त प्रत्येक 10वें दिवस पर 01 दिन का रेस्ट (आफ ड्यूटी) दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के अन्तर्गत कतिपय फर्जी शस्त्र लाइसेंस जारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक

175-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के अन्तर्गत शस्त्र लाइसेंस संख्या-5836 एन0पी 315 बोर राईफल नं0-995332 स्वीकृत वर्ष 1999 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा फर्जी होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो

क्या सरकार गलत प्रपत्र के आधार पर उक्त शस्त्र लाइसेंस जारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक श्री मुन्ना सिंह द्वारा निवास के तथ्यों को छिपाते हुये पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर की संस्तुति के आधार पर शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत कराया गया था। निवास के भौतिक सत्यापन पर तथ्यों को छिपाने एवं आपराधिक इतिहास होने के कारण एन0पी0 315 बोर राइफल संख्या-995332 तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए शस्त्र मालखाने में जमा करा दिया गया है।

प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच प्रचलित है।

प्रश्नगत प्रकरण में मूलरूप से आवेदक श्री मुन्ना सिंह ही प्रथम दृष्टया उत्तरदायी हैं, जिनके द्वारा आवेदन-पत्र में भ्रामक सूचनाएं अंकित कर शस्त्र अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किया गया था। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर के स्तर से कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला के ग्राम तुरनादेव में गाटा संख्या-202 (चकमार्ग) के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज, पर अवैध कब्जा को हटावाये जाने विषयक

176-श्री पल्टूराम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला के ग्राम तुरनादेव में गाटा संख्या-202 (चकमार्ग) के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि गाटा संख्या-202 पर कतिपय लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर अपने-अपने खेतों में मिला लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार गाटा संख्या-202 पर अवैध कब्जा को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम तुरनादेव, परगना व तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई फसली वर्ष 1429-1434फ0 की खाता संख्या-262 की गाटा संख्या-202/0.0370 हे0 बतौर चकमार्ग के नाम दर्ज कागजात है।

उक्त गाटे की ग्रामवासियों की उपस्थिति में पैमाइश करने पर पाया गया कि चकमार्ग आंशिक रूप से प्रयोग में न होने के कारण झाड़ियों से युक्त है तथा कुछ भाग प्रयोग में है। उक्त गाटे पर कोई स्थायी निर्माण व फसल नहीं पायी गयी। वर्तमान में चकमार्ग कब्जा मुक्त है। ग्रामवासियों की उपस्थिति में चकमार्ग की पैमाइश करके निशान लगा दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नियुक्ति पूर्व टेट पास शिक्षामित्रों को यथावत् समायोजित करने सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका इन्द्रपाल सिंह व अन्य बनाम सरकार में न्यायालय द्वारा मांगे गये काउण्टर के निस्तारण विषयक

177-श्री मदन भैया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नियुक्ति पूर्व टेट पास शिक्षामित्रों को यथावत् समायोजित करने सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या-19539/2022, इन्द्रपाल सिंह व अन्य बनाम सरकार में न्यायालय द्वारा मांगा गया काउण्टर सरकार द्वारा न्यायालय में जमा कर केस का निस्तारण करा लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-19539/2022, इन्द्रपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 25-07-2023 को प्रति-शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है। उक्त वाद मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में राजकीय पालीटेक्निक कालेज खोले जाने विषयक

178-श्री हंसुराम-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में राजकीय पालीटेक्निक कालेज खोलने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशीष पटेल-

जी नहीं।

अवगत कराना है कि जनपद बलिया में 05 राजकीय/अनुदानित संस्थायें स्वीकृत हैं, जिसमें से 03 संस्थायें यथा राजकीय महिला पालीटेक्निक, बलिया, राजकीय पालीटेक्निक, जिगरसण्ड, बलिया, टाउन पालीटेक्निक, बलिया (अनुदानित संस्थान) संचालित हैं एवं 02 संस्थायें यथा राजकीय पालीटेक्निक, बांसडीह, बलिया, राजकीय पालीटेक्निक, बैरिया, बलिया

(मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा से आच्छादित) निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल 220 संस्थान स्वीकृत हैं, जिसमें से 147 राजकीय, 19 अनुदानित एवं 02 पी0पी0पी0 मोड पर अर्थात् कुल 168 संस्थाएं संचालित हैं तथा 52 पालीटेक्निक अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं।

प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थी (बालक/बालिका) किसी भी जनपद में स्थापित/संचालित संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। शैक्षिक सत्र, 2022-23 में संचालित 168 संस्थाओं की प्रवेश क्षमता 48836 निर्धारित थी, जिसके सापेक्ष प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या-36109 थी तथा 12727 सीटें रिक्त रहीं।

अतएव वर्तमान में राजकीय संस्थानों में रिक्त रह गयी सीटों तथा 52 निर्माणाधीन संस्थानों के पूर्ण होने पर बढ़ने वाली नयी प्रवेश क्षमता के दृष्टिगत जनपद बलिया के बेल्थरा रोड तहसील में नवीन राजकीय पालीटेक्निक खोले जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के अन्तर्गत भीमपुरा को नया ब्लाक बनाने विषयक

179-श्री हंसुराम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के अन्तर्गत भीमपुरा को नया ब्लाक बनाने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

शासन की पृथक-पृथक अधिसूचना दिनांक 20-12-2016 द्वारा नवसृजित 28 विकास खण्डों को क्रियाशील किये जाने अथवा निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें जनपद-बलिया के अन्तर्गत नवसृजित विकास खण्ड-भीमपुरा नं0-1 भी सम्मिलित है, के क्रम में प्रकरण विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर, विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के मजरे जयभगवानपुर में कतिपय ग्राम पंचायत को पूर्ण दर्जा प्रदान कराए जाने विषयक

180-श्री अनिल कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के मजरे जयभगवानपुर ग्राम पंचायत छपार तथा बसेड़ी ग्राम पंचायत बसेड़ा जिनकी आबादी 1500 से ज्यादा है, को ग्राम पंचायत का पूर्ण दर्जा प्राप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों मजरों को राजस्व ग्राम घोषित कर पूर्ण ग्राम पंचायत का दर्जा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मजरों को ग्राम पंचायत का पूर्ण दर्जा प्राप्त नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के शाहपुर भोजपुर, बाँसी बूढ़ी राप्ती के बांया तट पर बाँध के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृति और उसमें से दिनांक 23-03-2023 तक व्यय धनराशि की जानकारी तथा कतिपय बन्धे को पूर्ण कराये जाने विषयक

181-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के शाहपुर भोजपुर, बांसी बूढ़ी राप्ती के बायां तट पर बाँध के निर्माण के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी और उसमें से कितनी दिनांक 23-03-2023 तक व्यय की गयी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त बाँध पूरा न होने से तहसील डुमरियागंज के अधिकांश गांव बाढ़ में पूरी तरह से डूब जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सिंगारजोत से लेकर शाहपुर तक तथा शाहपुर से लेकर तिघरा घाट के आगे तक बन्धे को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

गण्डक संगटक के नियंत्रणाधीन सिंचाई निर्माण खण्ड, सिद्धार्थनगर के क्षेत्रान्तर्गत राप्ती नदी के बायें तट पर निर्माणाधीन भोजपुर-शाहपुर बांध के अवशेष कार्यों के निर्माण हेतु रु0 7472.16 लाख एवं बांसी-डुमरियागंज बांध के अधूरा गैप्स को पूर्ण किये जाने हेतु रु0 2233.26 लाख की परियोजना स्वीकृत हुई है। भोजपुर-शाहपुर बांध के गैप्स को पूर्ण किये जाने हेतु मार्च, 2023 तक कुल रु0 728.85 लाख तथा बांसी-डुमरियागंज बांध पर रु0 524.00 लाख का धनावंटन प्राप्त हुआ था, जिसका व्यय मार्च, 2023 में कर लिया गया है।

जी हाँ। गैप्स के कारण अधिकांश गांव बाढ़ से डूब जाते हैं। प्रभावित कृषकों से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में मार्च, 2024 तक स्वीकृत परियोजना में प्राविधानित कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में संस्कृत विद्यालय में शिक्षक की तैनाती एवं जर्जर भवनों के निर्माण कार्य की योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

182-श्री सचिन यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में 03 संस्कृत विद्यालय हैं, जिनमें केवल 01 शिक्षक तैनात है एवं इन विद्यालयों के भवन भी जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संचालित संस्कृत स्कूलों में शिक्षक तथा अन्य स्टाफ की तैनाती तथा जर्जर भवनों के निर्माण कार्य की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जनपद-फिरोजाबाद में 03 संस्कृत विद्यालयों में 01 संस्कृत माध्यमिक विद्यालय तथा 02 संस्कृत महाविद्यालय हैं।

संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में 03 मानदेय शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं।

02 संस्कृत महाविद्यालयों में से हनुमान संस्कृत महाविद्यालय, फिरोजाबाद में 01 स्थायी प्रवक्ता कार्यरत है तथा प्रबन्धक आर्य गुरुकुल महाविद्यालय, सिरसागंज द्वारा 01 प्राचार्य, 04 प्रवक्ता एवं 02 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से प्राप्त हो चुका है।

शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2023 द्वारा लागू प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था है।

माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में शासनादेश दिनांक 13 मार्च, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन की व्यवस्था है। संस्कृत महाविद्यालयों में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की परिनियमावली, 1978 के अन्तर्गत चयन का प्राविधान लागू है।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों के जर्जर भवनों की जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण हेतु प्रोजेक्ट अलंकार योजना लागू है।

प्रश्न नहीं उठता है।

183-श्री अतुल प्रधान-

[01-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-207 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत आशापुर में पंचायत भवन से राकेश के घर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य कराए जाने विषयक

184-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत आशापुर में पंचायत भवन से राकेश के घर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विकास खण्ड गौरा की ग्राम पंचायत महमदपुर पाली के अन्तर्गत राजस्व ग्राम आशापुर आता है। ग्राम पंचायत महमदपुर पाली को राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 07.01 लाख एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 07.14 लाख अर्थात् वर्ष में कुल धनराशि रु0 14.15 लाख प्राप्त होती है। ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक के मानदेय एवं सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव सहित केयर टेकर के मानदेय आदि पर कुल धनराशि रु0 2.40 लाख व्यय होती है। साथ ही ग्राम पंचायत में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प रि-बोर/मरम्मत एवं पंचायत भवन मरम्मत आदि पर कुल धनराशि रु0 04.60 लाख व्यय हुई है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के अन्य छोटे-छोटे कार्यों पर धनराशि व्यय हो जाती है। ग्राम आशापुर में पंचायत भवन से राकेश के घर तक मार्ग के नव निर्माण पर धनराशि रु0 47.81 लाख की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

185-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

[01-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-210 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत पटहटिया खुर्द में पक्की सड़क से सरोज बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण कार्य कराए जाने विषयक

186-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत पटहटिया खुर्द में पक्की सड़क से सरोज बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पटहटिया खुर्द में पक्की सड़क से सरोज बस्ती तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 250 मी0 है, जिस पर वर्ष 2022-23 में क्षेत्र पंचायत द्वारा खड़न्जा निर्मित कराया गया है, जो सन्तोषजनक स्थिति में है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय धनुहा से रामशरण के घर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य कराए जाने विषयक

187-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय धनुहा से रामशरण के घर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम पंचायत धनुहा को राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत धनराशि रु0 8.90 लाख एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 9.12 लाख अर्थात् वर्ष में कुल धनराशि रु0 18.02 लाख प्राप्त होती है। ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक के मानदेय एवं सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव सहित केयर टेकर के मानदेय आदि पर कुल धनराशि रु0 2.40 लाख व्यय होती है। साथ ही ग्राम पंचायत में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के रि-बोर/मरम्मत एवं अन्य छोटे-छोटे कार्यों पर पर्याप्त मात्रा में धनराशि व्यय हो जाती है। ग्राम पंचायत धनुहा में प्राथमिक विद्यालय धनुहा से रामशरण के घर तक मार्ग के नव निर्माण कार्य पर धनराशि रु0 40.98 लाख की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत उगईपुर में पक्की सड़क से भोलानाथ के घर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य कराए जाने विषयक

188-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत उगईपुर में पक्की सड़क से भोलानाथ के घर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उगईपुर में पक्की सड़क से भोलानाथ के घर तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 275 मीटर है। उक्त मार्ग पर इण्टरलॉकिंग का कार्य कराया गया है, जो आवागमन हेतु सुलभ है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सहायता प्राप्त/शासकीय महाविद्यालयों में नियुक्त सहायक आचार्यों के स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण अवधि नियुक्ति तिथि से 5 वर्ष अवधि को 3 वर्ष करने पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में

189-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहायता प्राप्त/शासकीय महाविद्यालयों में नियुक्त सहायक आचार्यों के स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण अवधि नियुक्ति तिथि से 5 वर्ष है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवधि को 3 वर्ष करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में नियुक्त सहायक आचार्यों के स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण अवधि नियुक्ति तिथि से 05 वर्ष एवं शासकीय महाविद्यालयों में नियुक्त सहायक आचार्यों के स्थानान्तरण कार्मिक विभाग की स्थानान्तरण नीति एवं उच्च शिक्षा अनुभाग-5 की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत किए जाते हैं।

जी नहीं।

सहायता प्राप्त/शासकीय महाविद्यालयों की स्थानान्तरण नीति के दृष्टिगत।

जनपद जालौन में वर्ष 2017 से 23 मार्च, 2023 तक नहर विभाग को आवंटित धन से बेतवा नहर जालौन प्रथम/द्वितीय द्वारा कुठौन्द शाखा/हमीरपुर शाखा की कुल सफाई/ धन व्यय की जानकारी के सम्बन्ध में

190-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 2017 से 23 मार्च, 2023 तक नहर विभाग को कितना धन आवंटित किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बेतवा नहर जालौन प्रथम/द्वितीय द्वारा कुठौन्द शाखा/हमीरपुर शाखा की कितने किमी0 सफाई की गई तथा उक्त पर कितना धन व्यय हुआ ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद-जालौन में बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम/द्वितीय, उरई को वर्ष 2017 से मार्च, 2023 तक रु0 9134.06 लाख का धनावंटन हुआ है।

बेतवा नहर प्रखण्ड-प्रथम एवं द्वितीय उरई के वर्ष 2017 से मार्च, 2023 तक कुठौंद एवं हमीरपुर शाखा पर की गयी सिल्ट सफाई के कार्य एवं व्यय का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष	हमीरपुर शाखा		कुठौंद शाखा	
	सिल्ट सफाई (किमी0 में)	व्यय (लाख रु0 में)	सिल्ट सफाई (किमी0 में)	व्यय (लाख रु0 में)
2017-18	248.265	78.47	361.308	99.94
2018-19	431.785	142.15	468.104	166.20
2019-20	402.714	156.15	552.75	193.06
2020-21	579.295	120.00	532.843	154.15
2021-22	964.478	240.34	590.539	231.82
2022-23	833.505	184.50	526.455	185.30

जी हाँ। (संलग्न)†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ग्रामों में पानी की टंकी लगाकर वर्तमान में जलापूर्ति की जानकारी के सम्बन्ध में

191-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में किन-किन ग्रामों में पानी की टंकी लगाकर वर्तमान में जलापूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद जालौन के कालपी विधान सभा क्षेत्र में कुल 361 ग्राम हैं, जिनमें से 08 ग्रामों में अवर जलाशय के माध्यम से (रेट्रोफिटिंग द्वारा कार्य पूर्ण कर) जलापूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 113 नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजनाओं से 183 ग्रामों में तथा सतही स्रोत आधारित रायपुरा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत 83 ग्रामों में तथा कोटा-मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना से 77 ग्रामों में दिसम्बर, 2023 तक शुद्ध

नोट :-† देखिये नत्थी (ठ) आगे पृष्ठ संख्या-361 पर।

पेयजलापूर्ति कराया जाना लक्षित है। उक्त के अतिरिक्त पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत 09 नलकूप आधारित निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से 10 ग्रामों में दिसम्बर, 2023 तक शुद्ध पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के अन्तर्गत प्रदेश के मण्डल में राज्य विश्वविद्यालय खोलने की योजना के सम्बन्ध में

192-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के अन्तर्गत प्रदेश के किस-किस मण्डल में राज्य विश्वविद्यालय खोलने की योजना सरकार ने बनाई है ? क्या सरकार उक्त योजना में हुई प्रगति का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

प्रत्येक मण्डल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के अन्तर्गत देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, विन्ध्याचल मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय एवं मुरादाबाद मण्डल में मुरादाबाद राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। उपरोक्त राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि चयन किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तथा अन्य तहसीलो में बाढ़ से पीड़ित किसानों की फसल क्षतिपूर्ति विषयक

193-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तथा अन्य तहसीलों में बाढ़ से पीड़ित किसान जिनकी पूरी फसल नष्ट होना पाया गया, को दिनांक 24-03-23 तक कितनी फसल क्षतिपूर्ति की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तथा अन्य तहसीलों में बाढ़ से पीड़ित 66,938 किसानों को रु0 35,11,66,550/-की धनराशि कृषि निवेश अनुदान के रूप में वितरित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ के पास बानगंगा बैराज पर घुमावदार बनावट के कारण प्रत्येक वर्ष नौजवानों की डूब कर मृत्यु हो जाने की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा उपाय किये जाने के सम्बन्ध ने

194-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ के पास बानगंगा बैराज पर घुमावदार बनावट के कारण प्रत्येक वर्ष नौजवानों की डूब कर मृत्यु हो जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के रोकथाम हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ में बानगंगा बैराज पर घुमावदार बनावट के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई, अपितु लापरवाही पूर्वक स्नान करने के उद्देश्य से गहरे पानी में चले जाने से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई।

बानगंगा बैराज पर चेतावनी बोर्ड स्थापित है, साथ ही सुरक्षा हेतु रेलिंग एवं कुछ हिस्से तक अपस्ट्रीम में कटीले तार लगे हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में घरों के मध्य इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने का मानक/वर्तमान मानक में परिवर्तन करने पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में

195-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने घरों के मध्य इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने का मानक क्या है ? क्या सरकार वर्तमान मानक में परिवर्तन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

प्रदेश में घरों के मध्य इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कोई मानक निर्धारित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में कतिपय कार्यों में मानक विहीन एवं निम्न प्रकार के पाइप में कार्यों की गुणवत्ता कम करने तथा अपव्यय आदि की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

196-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में गत 6 वर्ष बेहटा पेयजल स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त योजना के कार्यों में मानक विहीन एवं निम्न प्रकार के पाइप व अन्य यंत्र प्रयोग में लाये गये हैं ? क्या सरकार उक्त योजना में कार्यों की गुणवत्ता तथा अपव्यय आदि की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ। प्रकरण में योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच एवं धन अपव्यय की जांच पृथक-पृथक क्रमशः उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की तकनीकी समिति एवं सम्परीक्षा दल से करायी गयी समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में तत्समय योजना का कार्य देख रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र निर्गत कर जांच संस्थित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों में से वर्तमान में आवेदकों को आवास मिलने की जानकारी के विषयक

197-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदकों को वर्तमान तक आवास प्राप्त हुआ हैं ? क्या सरकार उक्त की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आजमगढ़ ने पत्र संख्या-2034/अभि/वि0ए0अ0प्र0/2023-24, दिनांक 02 अगस्त, 2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के मार्ग निर्देशानुसार प्रधानमंत्री

आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवेदन-पत्रों से आवास आवंटित किये जाने का प्राविधान नहीं है। यह सामाजिक, आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 एवं आवास प्लस सूची में चिन्हित पात्र लाभार्थियों को आवासीय सुविधा वरीयता क्रम में उपलब्ध कराया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में आवंटित किये गये आवासों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	विधान सभा का नाम	विकास खण्ड	एस0ई0सी0सी0 डाटा 2011 में कुल चिन्हित पात्र लाभार्थियों की संख्या	आवास प्लस डाटा में चिन्हित लाभार्थियों की संख्या	कुल चिन्हित लाभार्थी	आवंटित किये गये आवासों की संख्या	अवशेष आवासों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोपालपुर	बिजरियागंज	566	4150	4716	4716	0
2	गोपालपुर	महराजगंज	972	6271	7243	7243	0
3	गोपालपुर	हरैया	0	0	0	0	0

जी हाँ। (सूची संलग्न है)[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत समस्त नहरों के किनारे का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

198-श्री नफीस अहमद-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नहरों के किनारों पर कच्ची सड़कों का डामरीकरण किये जाने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत समस्त नहरों के किनारे का डामरीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

नहर के सर्विस रोड/पटरी का इस्तेमाल नहर संचालन एवं निरीक्षण कार्य हेतु किया जाता है।

[†] छापा नहीं गया।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत कतिपय गंगा घाटों को सरकार द्वारा पक्का कराये जाने विषयक

199-श्री संदीप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत गंगा घाट छतवा, बिजौरा, नरवर चैकठा, सिरसा, महेवा में गंगा घाटों को सरकार पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

घाटों के निर्माण से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही थी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा सम्प्रति घाटों के निर्माण पर नहीं बल्कि सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, बायोडायवर्सिटी, नेचुरल फार्मिंग से जुड़े प्रोजेक्टस पर वरीयता दी जा रही है।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलपूर्ति विभाग के पास घाटों के निर्माण हेतु पृथक से बजटीय प्राविधान उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत ग्राम सभा दिघिया में पानी की टंकी निर्माण के उपरान्त पानी की सप्लाई सुचारु रूप से शुरू कराये जाने विषयक

200-श्री संदीप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत ग्राम सभा दिघिया में पानी की टंकी निर्माण के उपरान्त पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पानी की टंकी से पानी की सप्लाई सुचारु रूप से शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

विश्व बैंक सहायतित नीर निर्मल परियोजना बैच-2 के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड माण्डा में दिघिया पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत कुल 03 नलकूप निर्मित हैं, जिनमें से नलकूप संख्या-1 द्वारा आंशिक पेयजल आपूर्ति की जा रही है। नलकूप संख्या-2 पर विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नलकूप संख्या-3 पर मोटर लोवरिंग का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर सुचारु रूप से जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में कतिपय नहरों से निकलने वाले सिल्ट/कचरे को हटाने की व्यवस्था विषयक

201-श्री जगदीश नारायण-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में खण्ड 36, 39 तथा लघु डाल द्वारा नहरों की सिल्ट की सफाई करा दी गयी है ? यदि हाँ, तो उक्त से निकलने वाले सिल्ट/कचरे को हटाने की क्या व्यवस्था है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

निकाली गयी सिल्ट को सर्विस रोड एवं बैंक मरम्मत हेतु उपयोग किया गया है।

जी हाँ। (विवरण संलग्न है)†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में

202-श्री हंसुराम-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

जनपद बलिया में 01 राज्य विश्वविद्यालय, 01 राजकीय महाविद्यालय, 01 निर्माणाधीन राजकीय संघटक महाविद्यालय, 10 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं 127 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के 10 किमी0 की परिधि में 01 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 09 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त महाविद्यालय द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की

नोट :-† देखिये नत्थी (ड) आगे पृष्ठ संख्या-362-369 पर।

आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किए जाने का अवसर नहीं है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में हर घर जल योजना के अन्तर्गत बेल्थरा रोड के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने की योजना के विषयक

203-श्री हंसुराम-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में हर घर जल योजना के अन्तर्गत बेल्थरा रोड के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ। जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल योजना पैकेज-3 (मनियर) में सम्मिलित किया गया है। विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के समस्त ग्राम पंचायतों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

204-श्री राम अवतार सिंह-

[01-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पीलीभीत के तहसील पूरनपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जाट सिक्खों को जाति प्रमाण-पत्र ऑफलाइन/ऑनलाइन जारी कराये जाने विषयक

205-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के तहसील पूरनपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जाट सिक्खों को प्रमाण-पत्र ऑनलाइन जारी नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त तहसील में अभी तक कुल कितने जाट सिक्खों के ऑफलाइन/ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र जारी किये गये ? क्या सरकार जाट सिक्खों को पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन जारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं, तहसील पूरनपुर, जनपद पीलीभीत में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जाट सिक्खों को पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र वैध साक्ष्यों के परीक्षणोपरान्त नियमानुसार ऑनलाइन जारी किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जाट सिक्ख के अब तक 80 प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के कतिपय विकास खण्ड में खाल निकालने के स्थान पर सरकार द्वारा पैमाइश कराकर अवैध कब्जा हटाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए गाटा संख्याओं का सीमांकन करवाये जाने विषयक

206-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के विकास खण्ड-खुनियांव, पोस्ट-करही, ग्राम-पचमोहनी के गाटा सं0-200 जोकि धोबी घाट है तथा गाटा सं0-201 जोकि खाल निकालने का स्थान है, पर अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पैमाइश कराकर उक्त अवैध कब्जा हटाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए गाटा संख्याओं का सीमांकन करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम पचमोहनी तप्पा करही स्थित गाटा संख्या-200/0.021हे0 राजस्व अभिलेखों में धोबी घाट दर्ज है तथा गाटा संख्या-201/0.013 हे0 राजस्व अभिलेखों में खाल निकालने का स्थान के रूप में दर्ज है, जिन पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर में एन0टी0पी0सी0 टाण्डा के विस्तार में कतिपय ग्राम के निवासियों का आवासीय भवन अधिग्रहीत किये जाने व विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अनुदान का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में

207-श्री लालजी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर में एन0टी0पी0सी0 टाण्डा के विस्तार के लिये ग्राम सलाहपुर, रज्जौर, हुसेनपुर, सुधाना के निवासियों का आवासीय भवन भी अधिग्रहीत किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अनुदान का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अनुदान के अन्तर्गत निजी भूमि के लिए पुनर्वास हेतु 1143 में से 921 लोगों को भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सलाहपुर रजौर, हुसेनपुर सुधाना और हाशिमपुर की आबादी भूमि का भी पुनर्ग्रहण किया गया जिस पर स्थित आवासीय भवन के पुनर्वास हेतु एक मुश्त समाधान राशि का प्राविधान है। आबादी भूमि से विस्थापित कुल 1238 विस्थापितों में से 830 विस्थापितों को भुगतान किया जा चुका है।

जिन लोगों ने भुगतान नहीं प्राप्त किया है, वे भूमि के प्रकार (निजी भूमि एवं आबादी) के अनुसार भूमि अध्याप्ति अधिकारी (SLAO) कार्यालय एवं तहसील कार्यालय में सम्पर्क कर भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली की सरेनी विधान सभा क्षेत्र में उतरावाँ से घुरवारा मार्ग का नवीनीकरण नीति के अन्तर्गत 3 वर्षों से लम्बित काम को सुदृढ़ीकरण हेतु आदेश दिये जाने विषयक

208-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली की सरेनी विधान सभा क्षेत्र में उतरावां से घुरवारा 10 किमी0 मार्ग का नवीनीकरण नीति के अन्तर्गत 3 वर्षों से लम्बित है ? क्या सरकार उक्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 02 पैकेजों के अन्तर्गत है, प्रथम भाग घुरवारा करकसा (इकसाना) लम्बाई 06 किमी0 पैकेज संख्या यू0पी0 58207 के अन्तर्गत एफडीआर में निर्माणाधीन है। मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाइड लाइन के अनुसार ट्रायल पैच का कार्य हो चुका है। प्रथम भाग की लम्बाई 06 किमी0 का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण का कार्य एफडीआर के अन्तर्गत प्रगति में है।

द्वितीय भाग भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पैकेज यू0पी0 58112 (ऐहार से डलमऊ रोड) का भाग है। उतरावाँ से इकसाना (करकसा) तक मार्ग की लम्बाई 04 किमी0 का पीरियाडिक रिन्यूवल का कार्य 01 वर्ष पूर्व कराया गया था, वर्तमान में मार्ग सन्तोषजनक है। द्वितीय भाग की लम्बाई 04 किमी0 05 वर्षीय अनुरक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के स्वशासी मेडिकल कालेज के कतिपय शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत् छात्र शैलेन्द्र सिंह की आत्महत्या में नामजद आरोपियों के विरुद्ध अब तक की गयी कार्यवाही के विषयक

209-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के स्वशासी मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2022-23 एम0बी0बी0एस0 प्रथम वर्ष में अध्ययनरत् छात्र शैलेन्द्र सिंह की आत्महत्या में नामजद आरोपियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

स्वशासी मेडिकल कालेज में शैक्षणिक सत्र 2022-23 एम0बी0बी0एस0 प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्र शैलेन्द्र सिंह की आत्महत्या के सम्बन्ध में वादी श्री उदय सिंह शंखवार पुत्र श्री रामस्वरूप, नि0 कौशल्या नगर, थाना-उत्तर, जनपद-फिरोजाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी तहरीर के आधार पर थाना-नारखी पर मु0अ0सं0-593/2022, धारा 306 भादवि व 3(2) 5 एससी/एसटी एक्ट बनाम 1-डा0 संगीता अनेजा (कालेज प्राचार्य), 2-गौरव सिंह (परीक्षा नियंत्रक), 3-मुनीश खन्ना (वार्डन), 4-डा0 नौशाद अली, 5-आयुष जैन, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जलेसर रोड, दौलतपुर, थाना-नारखी, जनपद-फिरोजाबाद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। तमाम विवेचना से अभियोग में नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध मृतक को जाति के नाम पर प्रताड़ित किये जाने के साक्ष्य उपलब्ध नहीं पाये जाने के फलस्वरूप विवेचना जरिये अन्तिम रिपोर्ट संख्या-47/2023, दिनांक 06-07-2023 को समाप्त की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड अछनेरा के ग्राम रायभा रेलवे फाटक से बिचपुरी रोड तक आबादी भाग मार्ग बने में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक

210-श्री बाबूलाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड अछनेरा के ग्राम रायभा रेलवे फाटक से बिचपुरी रोड तक आबादी भाग का मार्ग जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार रायभा रेलवे फाटक से बिचपुरी रोड तक आबादी भाग में सी0सी0 कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रश्नगत कार्य जिला पंचायत, आगरा की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा एवं बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[12:24] श्री सौरभ श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा को उनके जन्मदिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई

अध्यक्ष-

आज दिनांक 08 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश के विधान सभा के मा0 सदस्य श्री सौरभ श्रीवास्तव का जन्म दिवस है। आप निर्वाचन क्षेत्र-वाराणसी कैण्ट, जिला-वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम स्व0 हरीश चन्द्र श्रीवास्तव है। आपका जन्म 08 अगस्त, 1975 को हुआ था। आपने एम0 बी0 ए0 की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस पर हम पूरे सदन की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।

(सभी सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

विवाहोपरान्त श्री राजीव तरारा द्वारा सदस्यगण के लिए दिये जा रहे मध्याह्न भोज की सूचना

श्री अध्यक्ष-

एक और सूचना देना चाहता हूँ। यह बड़ा कम अवसर होता है, जब कोई मा0 सदस्य विधायक बनने के बाद शादी करता है। हमारे मा0 सदस्य श्री राजीव तरारा जी का विवाह गत माह हुआ था। श्री राजीव तरारा जी ने सभी मा0 सदस्यों को कल दिनाँक 09 अगस्त, 2023 को दोपहर में कैफेटेरिया में लंच पर आमंत्रित किया है।

(सभी सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

अतारांकित प्रश्न संख्या-10 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा आज एक अतारांकित प्रश्न संख्या-10 लगा था। उसका माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि विभागीय कार्यवाही संस्थित करने हेतु जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, अम्बेडकरनगर से अनुरोध किया गया है। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी अनुरोध कर रहे हैं। आज इस सरकार की प्रतिष्ठा इस तरह से घट गई है कि माननीय मुख्य मंत्री जी कार्यवाही करने के लिये जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी से अनुरोध कर रहे हैं। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी अनुरोध नहीं, निर्देशित करते हैं। कृपया बैठिये।

[12:26] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 08 अगस्त, 2023 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 82 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई :-

पहली सूचना श्री अशरफ अली खान की जनपद शामली के ग्राम हींड पुलिया से ग्राम बाबरी बुटराडा तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री विवेकानन्द पाण्डेय की जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत खड्डा-सिसवा मार्ग एवं नेबुआ-जटाहा मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद कानपुर नगर के कतिपय तहसीलों के न्यायिक क्षेत्राधिकार के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री पंकज सिंह की जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय कन्या डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गोला बाजार सरयू नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहारन के ग्राम बुढाखेडा से गांगनौली से सधान सेर तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री रवि शर्मा की जनपद झाँसी नगर में ललितपुर रोड पर झाँसी-मानिकपुर रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री गणेश चन्द्र की जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा के अन्तर्गत ग्राम मलौली में स्थित औद्योगिक जमीन पर पराग/अमूल प्लाण्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे पर बल्देव के पास कट बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर नगर में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री नफीस अहमद की उ0प्र0 में मत्स्य पालकों को कृषि दर पर बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री शाहिद मंजूर की जनपद मेरठ के तहसील मवाना में खाटूश्याम मंदिर जाने वाले कतिपय दर्शनार्थियों की दुर्घटना में मृत्यु उपरान्त मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ में मु0 आजम व हरिराम प्रसाद, सहायक अध्यापकों को सातवें वेतन के अनुसार एरियर का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना डॉ0 रागिनी की जनपद जौनपुर के कतिपय परिषदीय विद्यालयों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर में विधान सभा क्षेत्र कटरा के विकास खण्ड कलान के ग्राम पंचायत परौर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री राजेश चौधरी की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट की मुख्य रोड छाता शेरगढ़ गौतम मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्रीमती केतकी सिंह

की जनपद बलिया की बांसडीह विधान सभा क्षेत्र के बड़ागाँव में चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी की जनपद बुलंदशहर के ग्राम गढ़िया से पवसरा रजवाहे की पटरी पर काली सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली में स्थित मारूखपुर-नैढ़ी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र में बस डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा इक्कीसवीं सूचना श्री उमर अली खान की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के बादशाही बाग तहसील बेहट में नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम-हींड पुलिया से ग्राम बाबरी बुटराडा तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

श्री अशरफ अली खान-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम-हींड पुलिया से ग्राम-बाबरी बुटराडा तक सम्पर्क मार्ग (लम्बाई लगभग 12.00 कि0मी0) क्षतिग्रस्त/जर्जर अवस्था में है जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त ग्राम-हींड पुलिया से ग्राम-बाबरी बुटराडा तक सम्पर्क मार्ग (लम्बाई लगभग 12.00 कि0मी0) का विशेष मरम्मत/पुनः नवनिर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत खड्डा-सिसवा मार्ग एवं नेबुआ-जटाहा मार्ग के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 329-खड्डा, जनपद कुशीनगर अन्तर्गत महराजगंज एवं नेपाल देश तथा यू0पी0 बिहार को जोड़ने वाली सड़क, दो चीनी मिल को जाने का प्रमुख मार्ग खड्डा-सिसवा मार्ग एवं नेबुआ जटाहा मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कानपुर नगर के कतिपय तहसीलों के न्यायिक क्षेत्राधिकार के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[मान्यवर आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अत्यन्त गम्भीर विषय की ओर आकृष्ट कराते हुये, कानपुर नगर की तहसीलों बिल्हौर एवं घाटमपुर का न्यायिक क्षेत्र जो 20 जुलाई 2013 को माती, कानपुर देहात स्थानान्तरित कर दिया गया था के सम्बन्ध में मेरे द्वारा सदन में उठाये गये विषय के उपरांत सरकार द्वारा यह अवगत कराया गया कि बिल्हौर एवं घाटमपुर का न्यायिक क्षेत्र जरिये अधिसूचना स0/2019/527/सात-न्याय-2-2019-191-जी/2017 जारी कर कानपुर नगर मे जोड़ दिया गया है।

परन्तु अभी तक उक्त अधिसूचना का क्रियान्वन नही किया गया, जारी अधिसूचना का कियान्वन कब तक होगा ?

कानपुर का अधिवक्ता समाज लगातार आंदोलन कर रहा है।

अतः वादकारियों एवं वकीलों की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुये सरकार से यह मांग करते हैं कि जारी गजट का तत्काल क्रियान्वन कराते हुये घाटमपुर एवं बिल्हौर तहसीलों के मुकदमें की पत्रावलियाँ माती कानपुर देहात से वापस कानपुर नगर स्थानान्तरित कराने का कष्ट करें।]

जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय कन्या डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा शहर एक सघन आबादी वाला शहर है नोएडा प्राधिकरण द्वारा गांव के किसानों की जमीनें अधीग्रहीत करने के पश्चात् कृषि से जुड़े रोजगार लगभग समाप्त हो चुके हैं। यहां कि अधिकांश जनसंख्या न्यूनतम आय वाली है जोकि गांव और कालोनियों में निवास करती है। शहर में निजी विश्वविद्यालय/कालेज काफी संख्या में हैं जबकि इतने बड़े शहर में एक मात्र राजकीय पी0जी0 कालेज (बालक/बालिका) संचालित है, जिसमें सीटों की संख्या सीमित है।

हर वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हजारों की संख्या में उच्च शिक्षा के लिए राजकीय पी0जी0 कालेज में आवेदन करते हैं। लेकिन सीमित सीटें होने एवं निजी कालेजों की फीस के चलते गरीब बच्चे प्रवेश से वंचित रह जाते हैं, जिनमें से कई बच्चे गाजियाबाद/दिल्ली

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के पास के कालेजों में चले जाते हैं। जबकि कुछ को मजबूरन आगे की पढ़ाई छोड़नी पड़ती है जिनमें अधिकतर संख्या लड़कियों की होती अगर नोएडा में एक राजकीय कन्या डिग्री कालेज खोल दिया जाए तो इससे बालिकाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा साथ ही पूर्व में संचालिक राजकीय पी0जी0 कालेज में उन बच्चों को भी प्रवेश मिल सकता है जो दिल्ली/गाजियाबाद जैसे शहरों में पलायन करने को मजबूर हैं। इस सम्बन्ध में विभाग को कई बार पत्र के माध्यम से अवगत भी करा चुका हूँ।

अतः जनहित में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गोला बाजार सरयू नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश विपाठी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत गोला बाजार सरयू नदी पर बन रहे पुल और आजमगढ़ क्षेत्र के हाजीपुर तक बनने वाले एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य गत एक वर्ष से बन्द है। इस पर कई सौ करोड़ खर्च हो चुके हैं। आज करोड़ों खर्च होने के बाद भी यह पुल और एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा है, इससे शासन के धन की बर्बादी नजर आ रही है। जबकि जनहित में यह पुल और सड़क बननी आवश्यक है। इस कार्य के रुकने से लोगों में जनाक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरयू नदी पर बन रहे पुल और आजमगढ़ क्षेत्र के हाजीपुर तक बनने वाले एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य समयबद्ध सीमा में पूर्ण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहारन के ग्राम बुढाखेड़ा से गांगनौली से सधान सेर तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवन्द्र कुमार निम-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारान, जनपद-सहारनपुर में ग्राम बुढाखेड़ा से गांगनौली शुगर मिल होते हुए सधान सेर तक खड़न्जा निर्मित है जो काफी पुराना व जर्जर हो चुका है। गांगनौली शुगर मिल तक आने-जाने का यह एकमात्र रास्ता है जिस कारण से आस-पास के किसानों को अपना गन्ना शुगर मिल तक लाने ले जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। शुगर मिल के द्वारा इस सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। जनहित में इस सड़क का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद झाँसी में ललितपुर रोड पर झाँसी-मानिकपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि शर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र झाँसी-नगर में ललितपुर रोड पर झाँसी-मानिकपुर रेलवे क्रासिंग अत्यधिक व्यस्त क्रासिंग है। प्रायः यहाँ गाड़ियों का लम्बा जाम लगने के कारण नागरिकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। झाँसी -मानिकपुर रेल सेक्शन के समपार संख्या 369 झाँसी-ललितपुर मार्ग की लोकेशन 1131/0-1 पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण का प्रारम्भिक आगणन मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नि0), उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड लखनऊ द्वारा रुपये 13420.64 लाख की लागत का आगणन प्रेषित किया गया है, परन्तु अभी तक इसमें कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त रेलवे क्रासिंग पर रोड ओवरब्रिज बनाये जाने की माँग स्थानीय नागरिकों द्वारा कई वर्षों से की जा रही है। इस सम्बन्ध में कई बार स्थानीय प्रशासन से, शासन स्तर पर पत्राचार करके एवं व्यक्तिगत मिलकर भी अनुरोध किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि रेलवे विभाग द्वारा भी झाँसी-मानिकपुर रेलवे क्रासिंग पर रोड ओवरब्रिज बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। उक्त रेलवे क्रासिंग पर रोड ओवरब्रिज बनाया जाना जनहित में अत्यावश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की माँग करता हूँ।]

जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा के अन्तर्गत ग्राम मलौली में स्थित औद्योगिक जमीन पर पराग/अमूल प्लाण्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गणेश चन्द्र-

[मान्यवर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-धनघटा के विकास खण्ड हैंसर के अन्तर्गत ग्राम मलौली में स्थित औद्योगिक जमीन पर पराग/अमूल दूध प्लाण्ट लगाया जाना जनहित में अति आवश्यक है। हमारे यहाँ दुधारू पशुओं की संख्या अत्यधिक है। पशुपालकों को दूध को औने-पौने दामों में बेचना पड़ता है जिससे उनकी आय में कोई इजाफा नहीं हो पाता है। प्लाण्ट लगने से रोजगार का सृजन होगा और पशुपालकों को भी लाभ मिलेगा।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे पर बलदेव के पास कट बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र बलदेव, जनपद मथुरा के अन्तर्गत बलदेव (दाऊजी) भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई प्रसिद्ध दाऊ जी महाराज का मंदिर है तथा यहां का हुरंगा विश्व प्रसिद्ध है। साथ ही पूरे एक माह यहां पर मेला भी लगता है। बलदेव में श्रद्धालुओं/पर्यटकों का प्रतिदिन देश-विदेश से लाखों की संख्या में आना-जाना बना रहता है। नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे बलदेव से निकल रहा है। इसके पास कोई कट न होने के कारण श्रद्धालुओं/पर्यटकों को बलदेव आने के लिए काफी दूरी व समय तय करना पड़ता है, जिसके कारण श्रद्धालुओं/पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे जिस संस्था (ग्रुप) द्वारा बनाया गया था, वह संस्था (ग्रुप) दिवालिया हो जाने के कारण सम्बन्धित कार्य इस संस्था द्वारा नहीं कराया जा सकता है, लेकिन श्रद्धालुओं/पर्यटकों की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे पर बल्देव जनपद मथुरा के पास एक कट बनवाया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर नगर में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जनपद सहारनपुर इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा जनपद-सहारनपुर में नया निवेश व इण्डस्ट्रीज विस्तारीकरण के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपये के एम0ओ0यू0 साइन किये गये, परन्तु उक्त कार्य को धरातल पर लाने के लिए भूमि की समस्या आ रही है। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि रिक्त नहीं है। जनपद के विस्तार के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित न होने के कारण नयी औद्योगिक इकाइयां स्थापित नहीं हो पा रही हैं। जनहित में जनपद सहारनपुर में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है, ताकि प्रदेश के राजस्व एवं विकास में दोगुनी रफ्तार से वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

उ0प्र0 में मत्स्य पालकों को कृषि दर पर बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नफीस अहमद-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि प्रदेश में मत्स्य पालकों को कृषि का दर्जा प्राप्त है, जबकि कृषि से सबन्धित कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलता है। जिसमें सबसे महत्व विषय कृषि दर पर बिजली न देना है। लाखों लोग मत्स्य पालन रोजगार से जुडे हुए हैं। कामर्शियल बिजली की दर महंगे होने से मत्स्य पालकों की इसकी लागत आना मुश्किल होता जा रहा है। जिसकी वजह से रोजगार में लगातार गिरावट आती जा रही है। सरकार द्वारा उ0प्र0 कृषि दर पर बिजली व अन्य सुविधा दी जाय, तो मत्स्य पालकों आन्ध्र प्रदेश के मत्स्य पालकों से आगे जा सकते हैं।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त समस्या का निराकरण किये जाने हेतु सरकार से कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मेरठ के तहसील मवाना में खाटूश्याम मंदिर जाने वाले कतिपय दर्शनार्थियों की दुर्घटना में मृत्यु उपरान्त मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शाहिद मंजूर-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि दिनांक 11-07-2023 को सुबह करीब 04 बजे ग्राम धनपुर, तहसील-मवाना, जनपद मेरठ के रहने वाले अपनी गाड़ी से श्री खाटूश्याम मंदिर, राजस्थान दर्शन हेतु जा रहे थे। मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे (एन0एच0ए0आई0 रोड) पर उल्टी दिशा से आ रही बस के टक्कर मारने से श्री नरेन्द्र यादव (आयु 45 वर्ष), पत्नी श्रीमती अनीता यादव (उम्र 40 वर्ष), बबिता यादव (उम्र 35 वर्ष), दीपांशु यादव (उम्र-14 वर्ष), हिमांशु यादव (उम्र 12 वर्ष), वंशिका (उम्र 06 वर्ष) की मृत्यु हो गई तथा अन्य 02 गम्भीर रूप से घायल हो गये। मृतक के परिवार को सरकार की तरफ से 02-02 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है, जो कि नाकाफी है, क्योंकि यह दुर्घटना उल्टी दिशा से आ रही एन0एच0ए0आई0 के नियमों के विरुद्ध बस की लापरवाही के कारण हुई है। मैं सरकार से मृतकों के परिवारों को 01-01 करोड़ रुपये मुआवजा दिये जाने तथा परिवारजनों में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकारी दिये जाने की मांग करता हूँ।

सरकार ने इस दुर्घटना में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के प्रति क्या कार्यवाही की है और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो इस पर सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त पर कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ में मो0 आजम व हरिराम प्रसाद, सहायक अध्यापकों को सातवें वेतन के अनुसार एरियर का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्था डाक्टर अम्बेडकर प्राइमरी पाठशाला चन्दौका शिक्षा क्षेत्र पल्हनी जनपद आजमगढ़ में मो0 आजम व हरिराम प्रसाद सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे, जो दिनांक 31-03-2022 को सेवानिवृत्त हो गये हैं। सेवानिवृत्त होने के उपरान्त छठवां एवं सातवां वेतन निर्धारण के अनुसार वेतन/एरियर माह फरवरी, 2013 से माह फरवरी, 2019 तक का बकाया है। जबकि कुछ अध्यापकों का एरियर मिल भी चुका है, लेकिन अधिकतर लोगों का शेष है। अध्यापकों द्वारा एरियर का भुगतान किये जाने हेतु कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से अनुरोध किया गया, परन्तु आज तक भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं पेंशन भी जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं दी जा रही है, जबकि इनकी नियुक्ति वर्ष 2004 के पहले हुई थी, जिसके कारण इनका परिवार भुखमरी के कगार पर है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बकाया एरियर एवं पेंशन का लाभ दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के कतिपय परिषदीय विद्यालयों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 रागिनी-

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत लगभग 205 परिषदीय विद्यालय हैं। इन सभी विद्यालयों का विद्युतीकरण न हो पाने के कारण बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। इन विद्यालयों का विद्युतीकरण न हो पाने का कारण पोल का अधिक दूरी पर होना है। परिषदीय विद्यालयों में बिजली की उचित व्यवस्था कराने हेतु विद्युत विभाग से आगणित धनराशि की मांग की गई है, परन्तु विभाग द्वारा इस विषय पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जिससे कहीं न कहीं सर्वशिक्षा अभियान की मंशा पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है। मा0 मुख्य मंत्री द्वारा भी बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान परिषदीय विद्यालयों के विद्युतीकरण हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परिषदीय विद्यालयों हेतु निधार्रित 19 मानकों में विद्युतीकरण भी शामिल है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः हजारों छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य हेतु इस लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार द्वारा जनपद जौनपुर के लगभग 205 परिषदीय विद्यालयों में विद्युतीकरण कराए जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद शाहजहांपुर में विधान सभा क्षेत्र कटरा के विकास खण्ड कलान के ग्राम पंचायत परौर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीर विक्रम सिंह-

[मान्यवर अवगत कराना है कि जनपद-शाहजहाँपुर में विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा अन्तर्गत विकास खण्ड कलान में ग्राम पंचायत परौर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अत्यन्त जर्जर एवं दयनीय स्थिति में हो जाने के कारण क्षेत्रवासियों को अपने उपचार हेतु दर-दर भटकना पड़ता है। परौर से कलान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी लगभग 20 किमी0 एवं मिर्जापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी लगभग 25 किमी0 होने के कारण क्षेत्रवासियों का उपचार सुचारु रूप से नहीं हो पाता है। उपरोक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अति जर्जर होने के कारण कभी भी गिर सकता है, जिससे जनहानि होने की प्रबल सम्भावना बनी हुयी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत परौर में जर्जर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाना जनहित में अति आवश्यक है, जिससे क्षेत्रीय मरीजों का उपचार सुचारु रूप से होता रहेगा। मेरे द्वारा शासन-प्रशसन में इस सम्बन्ध में कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है, परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है।

अतः नियम-301 के इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड कलान की ग्राम पंचायत परौर में जर्जर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कराते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र माँट की मुख्य रोड छाता-शेरगढ़-गौतम मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश चौधरी-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद मथुरा तहसील माँट की मुख्य रोड छाता-शेरगढ-नौहझील-बाजना-गौतम मार्ग (प्र0जि0मा0) जगह-जगह से टूटा हुआ है, रोड की हालत बहुत खराब है, यह रोड कई जिलों को आपस में जोड़ती है, छाता से गौतम तक सफर तय करने में जहाँ 50 मिनट से कम समय लगना चाहिये वहीं अब 2 घण्टे से ज्यादा समय

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

छाता से गौतम तक का सफर तय करने में लगता है, रोड की स्थिति जर्जर होने के कारण आये दिन हादसे होते रहते हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए पूछना चहाता हूँ कि छाता-शेरगढ-नौहझील-बाजना-गौतम मार्ग (प्र0जि0मा0) मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा और अभी मार्ग के सुदृढ़ीकरण कार्य को स्वीकृत करने की प्रक्रिया किस स्तर पर है और कब तक पूरी कर ली जायेगी।]

जनपद बलिया की बांसडीह विधान सभा क्षेत्र के बड़ागाँव में चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती केतकी सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-362, बांसडीह, जनपद बलिया उ0प्र0 के अन्तर्गत बड़ागाँव, सुखपुरा, सहतवार नगर पंचायत में कोई डाक्टर न होने के कारण आम-जनमानस को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त जगहों पर डाक्टर की तैनाती कराना आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये वक्तव्य की मांग करती हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम गढ़िया से पवसरा रजवाहे की पटरी पर काली सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि ग्राम गढ़िया से पवसरा रजवाहे की पटरी ग्राम जौलीगढ़ तक काफी खराब रास्ता है, इस रास्ते की लम्बाई लगभग 9 किमी0 है, ये रास्ता पूरी तरह दयनीय स्थिति में है, यह रास्ता आने-जाने योग्य नहीं है, इसलिए ग्रामवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए रास्ते का निर्माण कराना अति आवश्यक है।

इस रास्ते के निर्माण से क्षेत्र की जनता आपकी सदैव अभारी रहेगी, जनहित में उपरोक्त रास्ते का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।]

जनपद चन्दौली में स्थित मारूखपुर-नैढ़ी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[मान्यवर, आपका ध्यान जनपद चन्दौली में स्थित मारूखपुर-नैढ़ी सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत की तरफ दिलाना चाहता हूँ, यह लोक निर्माण विभाग, जनपद चन्दौली से सम्बन्धित है, लगभग 05-07 वर्ष पूर्व में यह मार्ग पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्मित किया गया था। वर्तमान समय में सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, पैदल चलना भी दूभर हो गया है, लोगों का अवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। विभाग को बार-बार पत्रों के माध्यम से मेरे द्वारा अवगत कराया गया है, परन्तु आज तक न तो सड़क को गड्ढा मुक्त किया गया और न ही इसकी मरम्त का कार्य किया गया है। किसान हित, जनहित में उपरोक्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार से मांग कराता हूँ कि किसान हित व जनहित को ध्यान में रखते हुए मारूखपुर-नैढ़ी सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने हेतु सरकार द्वारा विभाग को निर्देशित कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र में बस डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार-

[मान्यवर आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-13, पुरकाजी के निवासीगण हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र के पुरकाजी कस्बा में रोडवेज का बस स्टैण्ड है, जहां पर परिवहन विभाग के बसों का स्टापेज है और काफी संख्या में यात्रियों का आवागमन बना रहता है। क्योंकि पुरकाजी कस्बे से ही उत्तराखण्ड राज्य में सड़क मार्ग से आवागमन होता है। यहां पर परिवहन विभाग की कई वर्षों से खाली पड़ी भूमि है, जिस पर अस्थायी रूप से उप-डिपो का संचालन हो रहा है, जिस कारण से परिवहन विभाग की अधिकांश बसें कस्बे से न होकर बाईपास से गुजर जाती हैं। जिससे क्षेत्र की जनता को काफी असुविधा होती है। क्षेत्रीय जनता की लम्बे समय से मांग है कि स्थायी डिपो घोषित कर यहां पर परिवहन विभाग की ओर से भवन का निर्माण व डिपो के रूप में सभी अनुमन्य सुविधाएं करायी जाएं जिससे यात्रियों को सुविधाएं मिल सकें।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त परिवहन विभाग की खाली पड़ी भूमि पर भवन निर्माण कराने व स्थायी डिपो के रूप में सभी अनुमन्य सुविधाएं दिलाने जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के बादशाही बाग, तहसील बेहट में नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमर अली खान-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के बादशाही बाग से ग्राम मगनपुरा के बीच में नदी का पुल काफी वर्षों से क्षतिग्रस्त है। जिसमें

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा यात्रियों को नदी से गुजर कर जाना पड़ता है और नदी का पुल काफी ग्रामों का मुख्य मार्ग है, जिससे नदी में पानी आ जाने के कारण काफी कठिनाई होती है। उक्त पुल के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद-सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के बादशाही बाग, तहसील बेहट में नदी में पुल बनाये जाने की कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

[12:27] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत कुल 03 सूचनाएँ प्राप्त हुईं। दो सूचनाएं ग्राह्यता हेतु सुनी जायेंगी। पहली सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी की है।

प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों/ प्रोटोकॉल का अनुपालन न करने से विधायिका की गिरती हुई गरिमा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करूँगा कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाली विधायिका से सम्बन्धित हमारी इस नोटिस को आपने ग्राह्यता पर सुनने के लिए विचार किया है। मान्यवर, हमारे लोकतंत्र के ढाँचे में जनप्रतिनिधियों के रूप में राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सिलसिले में उन्हें प्रायः शासन के अधिकारियों से मिलने की आवश्यकता अनिवार्य रूप से पड़ती है। प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों के बीच सरकारी कार्य-व्यवहार से सम्बन्धित दिशा-निर्देश, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य विभाग के द्वारा भी समय-समय पर जारी किये गये हैं। उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में विधान सभा की विशेषाधिकार समिति तथा प्रोटोकाल उल्लंघन के मामले की अनुश्रवण समिति द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करके कार्यवाही की जाती है। मान्यवर, आज जिस मुद्दे पर हम आपसे संरक्षण चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष-

पाण्डेय जी ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

यह सम्पूर्ण विधान मण्डल में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों का सवाल है। जिस खूबसूरत लोकतंत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं, उस लोकतंत्र को बनाने वाली और बचाने वाली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह विधायिका और यहाँ बैठे हुए माननीय सदस्य हैं। समय-समय पर देश के तमाम महत्वपूर्ण लोगों ने इस विषय पर अपनी चर्चा भी की। भारत की संविधान के स्थापना के प्रारम्भ में जब इस पर चर्चा हो रही थी तब भारत के संविधान के अनुच्छेद-149 और वर्तमान में भारत के संविधान के अनुच्छेद-167 पर विद्यमान है और उसको अंगीकृत किया गया है। इसके गठन के समय ही कल्पना की गयी कि विधायिका राज्य विधान मण्डल के सदस्य जो जनता से निर्वाचित हो करके आयेंगे, जहाँ वह कानून को बनाने में सफल होंगे वहीं वह अपनी विधान सभा क्षेत्र एवं राज्य के जनहित के कार्यों को कराने में भी सहायक होंगे।

मान्यवर, संविधान सभा की बैठक में और उसके संशोधन में प्रोफेसर के0 पी0 शाह की कोटेशन को अगर हम पढ़ें तो उन्होंने उसी समय चिन्ता व्यक्त की थी कि विधायिका विधायक के जनमत के द्वारा स्थापित होती है। जनता की अपार उम्मीदें विधायक व विधायिका से होती हैं, इसलिए विधायिका के अधिकार और सम्मान को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण साहू जो निवर्तमान उड़ीसा के जनरल थे, उन्होंने अपने संशोधन में कहा कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ लाड्र्स है, लेकिन उसमें लोकतंत्र का कम और राज्यतंत्र का महत्व ज्यादा नजर आता है। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के उस कोटेशन का जिक्र करें, जिसमें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि विधायिका के सम्मान में विधायिका की स्थिति यह न हो जाए कि कहीं कार्यपालिका ऊपर हो जाए और विधायिका कमजोर हो जाए। अगर हम श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए विधायिका का सशक्त और मजबूत होना अति आवश्यक है। हमें लगता है कि यह पीड़ा पूरे उत्तर प्रदेश के इस सदन की होगी कि आज जब एक मा0 विधायक निर्वाचित होकर आता है, जनता की उससे अपार उम्मीदें होती हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ।

हमारी सरकार में भी इसके लिए चार शासनादेश जारी हुए थे, इस सरकार में भी समय-समय पर शासनादेश जारी हुए हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि यदि किसी उच्च अधिकारी को फोन करते हैं तो वह तो सम्मान और शिष्टाचार दे देता है, लेकिन नीचे के अधिकारी को हम लोग जैसे ही बताते हैं कि मैं फला विधायक बोल रहा हूँ तो उसका दूसरा शब्द आता है कि 'हां बोलो, हां बताओ'। वह नमस्कार करना और अभिवादन करना भी उचित नहीं समझता है। यह सारे सदस्यों की पीड़ा है। मैंने कहा कि इसके लिए लगातार शासनादेश जारी हुए हैं। स्थिति है कि यदि कोई घटना अगर विधायक के स्वयं के क्षेत्र में या राज्य के किसी क्षेत्र में हो गयी है। हम अपने क्षेत्र के लिए चुनकर नहीं आये हैं हम राज्य की विधान सभा के सदस्य होकर आये हैं। अगर किसी घटना को हमने जाकर देखा और उस घटना पर हमने तीन पन्ने का डी0ओ0 लिखा। हमने देखा कि यहां यह-यह घटना घटित हुई है। स्थिति यह है कि वह सम्बन्धित अधिकारी उस पत्र का कोई संज्ञान नहीं लेना चाहता है। उस पर कम से कम सम्मानजनक कार्यवाही होनी चाहिए। हम जिस बड़े लोकतंत्र की परिकल्पना कर रहे हैं,

बिना विधायिका को मजबूत किये हुए, बिना विधायकों के सम्मान को बचाए हुए, बिना उनके प्रोटोकाल को सुरक्षित रखे हुए उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज धीरे-धीरे कार्यपालिका हावी होती जा रही है। अगर मैं चार लोकसभा के स्पीकर की कोटेशन को इस सदन में रखूं तो उन्होंने उस समय भी चिन्ता व्यक्त की थी और लगातार चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए आप इस विधान सभा के हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, हम सबके संरक्षक हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां पर उपस्थित हैं। हम यह चाहेंगे कि इस विषय पर बिना वाद-विवाद के बिना, इस पर कहे हुए कि मनोज कुमार पाण्डेय इस बात पर बोल रहे हैं और वह समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, बल्कि इस पर चर्चा करनी चाहिए कि जिस मजबूत स्वस्थ लोकतंत्र की हम परिकल्पना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उसके संरक्षण में हम सब जनता के हितों की बातों को रख भी पायेंगे और उसको कार्यपालिका से करा भी पायेंगे। वह तभी सुरक्षित रहेगी जब विधायिका को संरक्षण और विधायकों को संरक्षण मिले। आज मैं यह सम्पूर्ण सदन से आग्रह भी करूंगा कि इसको मजबूत करने की दिशा में इस पर जरूर विचार और कार्यवाही हो।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी, उप संचालक चकबन्दी से अनुरोध किया गया है और अनुरोध माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है।

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी ने इसके लिए व्यवस्था दे दी है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। जो समितियों का विषय आपने उठाया है।

श्री अध्यक्ष-

समितियों का विषय नहीं बल्कि प्रोटोकाल का विषय उठाया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, हमने प्रोटोकाल का विषय उठाया है और विधायिका को मजबूत करने का विषय उठाया है।

श्री अध्यक्ष-

यह मनोज कुमार पाण्डेय जी हैं राकेश प्रताप जी नहीं हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, विषय आपने दोनों उठाया है, समितियों का भी विषय उठाया है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं समितियों का नही उठाया है। वह अभी आएगा, वह अभी लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, वह पिछले सत्र में था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मनोज जी अभी समितियों का भी जिक्र आपने किया था।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी वह बाद में लेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, वह विषय पिछले वाले सत्र में उठाया था।

श्री अध्यक्ष-

समितियों वाला विषय बाद में लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, दो विषय हैं। किसी को यहां पर हँसने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं यहां पर हँसने की जरूरत नही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें कोई हँसने की आवश्यकता नहीं है। एक जो प्रोटोकाल की बात आपने कही है यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने समय-समय पर इसमें अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी लोग जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि, खासतौर से उनके नम्बर अपने मोबाइल में फीड करें, और अगर विशेष वजह से किसी मीटिंग में व्यस्त होने के कारण या किसी प्रकार से अगर वह उस वक्त जिस समय माननीय जनप्रतिनिधि कोई फोन करते हैं उस समय अगर फोन उठाने में समर्थ न हों, या उस समय ऐसी परिस्थिति न हो, तो उसके लिए कॉल बैक जरूर करें, और अभी इस सत्र से ठीक पहले एक शासनादेश भी जारी हुआ और विशेष रूप से जब माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में दोबारा यह विषय लाया गया तो अगर आपने इस बात पर ध्यान दिया हो तो इस पूरे सदन ने मैं समझता हूँ कि इस बात को देखा भी होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कि खासतौर से यह कहा गया कि कड़े निर्देश इस बात पर दिए गए कि किसी भी स्थिति में कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा न रहे कि जिसका कॉल बैक न हो या तो उस समय अगर परिस्थिति हो तो उस समय बात करें और अगर नहीं परिस्थिति है तो उसका कॉल बैक जरूर होना चाहिए, इस बात के लिए लिखित रूप से भी आदेश है और पुनः इसको दोहराया भी गया है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे अभी पूरी-पूरी बात को सुनिए, पूरी बात को पहले आ जाने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पुनः इस बात को सुनिश्चित करता हूं, खासतौर से आज ही इस बात के सख्त निर्देश दे दिए जाएंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति भी यहां पर है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे अब हो गया है अगर माननीय मुख्य मंत्री जी के उपस्थिति में कोई बात कही जा रहीं है तो माननीय मुख्य मंत्री जी का जो आदेश आएगा उसके ऊपर किसी का आदेश नही होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपकी बात का संज्ञान ले लिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों की बात का संज्ञान ले लिया गया है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप लोगों की बात का संज्ञान ले लिया गया है, माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पुनः इसके लिए कड़ाई से निर्देश दे दिए जाएंगे। इसका पालन जरूर हो, या तो उस समय अधिकारी बात करें, और नहीं तो उसका कॉल बैक जरूर करें। यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष-

देखिए माननीय मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में माननीय मुख्य मंत्री जी का नाम लेकर जो बात कही गई है उसके ऊपर किसी भी बात के ऊपर चर्चा करने का या प्रश्न लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, उसका पालन होगा।

(सदस्य मनोज कुमार पाण्डेय जी द्वारा अपनी बात रखने पर)

श्री अध्यक्ष-

अगर मनोज पाण्डेय जी आप बात को बिगाड़ना चाहते हैं तो बोलिए। मैंने श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी को सुना और मैंने मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह नियम-300 में नहीं आता है, इसलिए इसे मैं अग्राह्य करता हूँ।

[12:39] मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थाई समितियों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राकेश प्रताप सिंह-

धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को स्वीकार किया और मुझे बोलने की अनुमति दी। उत्तर प्रदेश विधान सभा माननीय अध्यक्ष के निर्देश संख्या-99 में

मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य-विधि के नियमों का प्राविधान है। विधान सभा के गठन के बाद जैसे सरकार का गठन होगा उसी प्रकार विधान सभा की विभिन्न समितियों का गठन होता है। जिसके माध्यम से विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। 30 स्थायी समितियां जो विभिन्न विभागों को परामर्श देती हैं तथा विभागों के कार्य कलाप पर कार्य कलाप बजट इत्यादि का पर्यवेक्षण भी करती है, का गठन अभी तक नहीं हो सका है। महोदय, विधान सभा के दिनांक 26 मई, 2022 के उपवेशन में आपको समितियों के गठन हेतु अधिकृत भी कर दिया गया था तथा विभिन्न दलों से सदस्यों के नाम भी प्रेषित कर दिये गये हैं, परन्तु अभी तक स्थायी समितियाँ गठित नहीं हुयी हैं। पूर्व में भी 17वीं विधान सभा में उक्त समितियाँ गठित नहीं की गयी हैं, जिससे कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण का सिद्धान्त स्थापित नहीं हो पा रहा है। अतः मैं इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, जो कुछ भी मा0 सदस्य ने कहा है संविधान में यह व्यवस्था नहीं है। पहले मा0 अध्यक्ष की पीठ से यह व्यवस्था दी गयी थी और इसीलिये निदेश में इसका जिक्र है और हम इससे सहमत हैं।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैंने संविधान की बात ही नहीं की, मैंने आप ही के आदेश संख्या के बारे में बताया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 सदस्य जवाब तो सुन लें। नियम-300 में यह व्यवस्था है कि ''औचित्य का प्रश्न और उन पर विनिश्चय-(1) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है''। मान्यवर, हम इस बात से सहमत हैं कि समितियाँ होनी चाहिये और हमने पहले भी यह कहा है, क्योंकि पीठ का निर्देश भी हमारे लिये उतना ही महत्वपूर्ण है। मान्यवर, मैं सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि आपकी अनुमति से जल्दी ही इन समितियों का गठन हो जायेगा।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, यह भी बता दें कि कितने समय में हो जायेगा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अगले उपवेशन से पहले हो जायेगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, आपने पिछली बार भी यही कहा था कि अगले उपवेशन से पहले हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 पाण्डेय जी, आप हर बार खड़े हो जाते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सदन की वह समितियाँ जिसके लिये आपको ज्यादा चिन्ता थी वह गठित हो चुकी हैं और लगातार नियमित रूप से उनकी बैठकें भी हो रही हैं। इन समितियों का भी गठन जल्दी ही हो जायेगा। इस पर तो हमारी चिन्ता ज्यादा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 राकेश प्रताप सिंह जी को सुना। मैंने मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूँ। अब अगली मद संख्या-2 लेते हैं।

[12:42] राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-269/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-206-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(263)-2023, दिनांक 01 मार्च, 2023[†]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-269/ ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-206-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(263)-2023, दिनांक 01 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-270/ग्यारह-2- 23- 9(47)-17-टी0सी0-207-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(264)-2023, दिनांक 01 मार्च, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-270/ ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0 सी0-207-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(264)-2023, दिनांक 01 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

[†] छापी नहीं गयी।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-271/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-208-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(265)-2023, दिनांक 01 मार्च, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-271/ ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-208-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(265)-2023 दिनांक 01 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-272/ग्यारह-2-23- 9(47)-17-टी0सी0-209-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(266)-2023, दिनांक 01 मार्च, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-272/ ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0 सी0-209-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(266)-2023, दिनांक 01 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-04/ग्यारह-2-23-9 (42)-17-टी0सी0-65-उ0प्र0 जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(267)-2023, दिनांक 20 मार्च, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-04/ ग्यारह-2-23-9(42)-17-टी0सी0-65-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(267)-2023, दिनांक 20 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-509/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-210-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(268)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-509/ ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-210-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(268)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-510/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-211-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(269)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-510/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-211-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(269)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-512/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0 सी0-212-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(270)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-512/ ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0 सी0-212-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(270)- 2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा- 166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-513/ग्यारह-2- 23-9(47)-17-टी0 सी0-213-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(271)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-513/ग्यारह-2- 23-9(47)-17-टी0 सी0-213-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(271)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-514/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0 सी0-214-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(272)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-514/ग्यारह-2- 23-9(47)-17-टी0 सी0-214-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(272)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-515/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0 सी0-215-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(273)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-515/ ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0 सी0-215-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(273)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-511/ग्यारह-2-23-9 (42)-17-टी0सी0-66-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(274)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-511/ ग्यारह-2-23-9(42)-17-टी0सी0-66-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(274)-2023, दिनांक 24 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-693/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-216-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(275)-2023, दिनांक 18 मई, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-693/ ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-216-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(275)- 2023, दिनांक 18 मई, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-694/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-217-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(276)-2023, दिनांक 13 जून, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-694/ ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-217-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(276)-2023, दिनांक 13 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-7 की उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ की वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-7 की उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ की वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट को विलम्ब के कारणों सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-12 की 13 अगस्त, 1980 को जनपद मुरादाबाद में हुए दंगों की जांच रिपोर्ट (विलम्ब के कारणों सहित)†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से गृह (पुलिस) अनुभाग-12 की 13 अगस्त, 1980 को जनपद मुरादाबाद में हुए दंगों की जांच रिपोर्ट को विलम्ब के कारणों सहित जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3 (4) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

पंचायती राज अनुभाग-2 की उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत) अधिशासी अभियंता (सिविल) केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग सेवा नियमावली, 2023 की अधिसूचना संख्या-1546/33-2-2023, दिनांक 30 जून, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत) अधिशासी अभियन्ता (सिविल) केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग सेवा नियमावली, 2023 की अधिसूचना संख्या-1546/33-2-2023, दिनांक 30 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33 सन् 1961) की धारा-44 के साथ पठित धारा-237 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

पंचायती राज अनुभाग-2 की उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 की अधिसूचना संख्या-1548/33-2-2023-80 जी-2000, दिनांक 30 जून, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 की अधिसूचना संख्या-1548/33-2-2023-80 जी-2000, दिनांक 30 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम

† छापी नहीं गयी।

संख्या-33 सन् 1961) की धारा-237 की उपधारा (1) और धारा-117 की उपधारा (2) के अधिन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राजस्व अनुभाग-4 का लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2023 (लो0आ0), दिनांक 06-04-2023 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राजस्व अनुभाग-4 का लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2023 (लो0आ0), दिनांक 06-04-2023 स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 (विलम्ब के कारणों सहित)†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 को विलम्ब के कारणों सहित प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा-8(3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राजस्व क्षेत्र पर अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-4†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राजस्व क्षेत्र पर अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-4 को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का बाणसागर नहर परियोजना तथा चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम आधुनिकीकरण परियोजना के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-2†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का बाणसागर नहर परियोजना तथा चौधरी चरण सिंह लहचुरा डैम आधुनिकीकरण परियोजना के सतह सिंचाई के प्रतिफलों की निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन,

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश सरकार का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-2 को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-3[†]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-3 को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

ऊर्जा अनुभाग-1 की पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की सोलहवीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-2019[† †]

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ऊर्जा अनुभाग-1 की पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की सोलहवीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-2019 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

ऊर्जा अनुभाग-1 की दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सोलहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 †

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ऊर्जा अनुभाग-1 की दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सोलहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

ऊर्जा अनुभाग-1 की दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सत्रहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 †

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ऊर्जा अनुभाग-1 की दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सत्रहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

[†] छापा नहीं गया।

[† †] छापी नहीं गई।

ऊर्जा अनुभाग-1 का उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का सत्रहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021†

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ऊर्जा अनुभाग-1 का उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का सत्रहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

परिवहन अनुभाग-2 के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2013-2014 (विलम्ब के कारणों सहित)†

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-2 के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2013-2014 (01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक) विलम्ब के कारणों सहित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33 (4) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

परिवहन अनुभाग-2 के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2014-2015 (विलम्ब के कारणों सहित)†

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-2 के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2014-2015 (01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक) विलम्ब के कारणों सहित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 (4) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

परिवहन अनुभाग-2 के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2015-2016 (विलम्ब के कारणों सहित)†

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-2 के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2015-2016 (01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक) विलम्ब के कारणों सहित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33 (4) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

परिवहन अनुभाग-2 के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2016-2017 (विलम्ब के कारणों सहित)†

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-2 के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2016-2017 (01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक) विलम्ब के कारणों सहित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33 (4) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

परिवहन अनुभाग-2 के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2017-2018 (विलम्ब के कारणों सहित)†

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-2 के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2017-2018 (01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) विलम्ब के कारणों सहित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33(4) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

परिवहन अनुभाग-4 की उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित किये जाने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना संख्या-21/2023/ 814/तीस-4-2023-8(19)-2018 टी0सी0, दिनांक 12 जून, 2023††

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 को संशोधित किये जाने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना संख्या-21/2023/ 814/तीस-4-2023-8(19)-2018 टीसी, दिनांक 12 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59 सन् 1988) की धारा-211 और धारा-65 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

परिवहन अनुभाग-4 की उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित किये जाने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना संख्या-17/2023/715/तीस-4-2023-30-4099/22-2022, दिनांक 19 मई, 2023††

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित किये जाने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना संख्या-17/2023/ 715/तीस-4-2023-30-4099/22-2022, दिनांक 19 मई, 2023 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59 सन् 1988) की धारा-65, 95, 96 तथा 111 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-09/2023/ 2017/80-1-2023-80-1001-318-2019, दिनांक 13 जुलाई, 2023†

कृषि एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-09/2023/2017/80-1-2023-80-1001-318-2019,

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

दिनांक 13 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा-40 की उपधारा (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-37 में आज कुछ नहीं है। अब मद संख्या-38

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की 'याचिका समिति' (2022 2023) का प्रथम प्रतिवेदन, जो ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित है, सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो नगर विकास विभाग से सम्बन्धित है, सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति''(2022-2023) का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का तृतीय प्रतिवेदन, जो समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित है, सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का पंचम प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का पंचम प्रतिवेदन, जो चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है, सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का षष्ठम् प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का षष्ठम् प्रतिवेदन, जो पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है, सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का सप्तम् प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो पर्यटन विभाग से सम्बन्धित है, सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का अष्टम् प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का अष्टम् प्रतिवेदन, जो नगर विकास विभाग से सम्बन्धित है, सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का नवम् प्रतिवेदन†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-2023) का नवम् प्रतिवेदन, जो सहकारिता विभाग से सम्बन्धित है, सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का षष्ठम् प्रतिवेदन†

श्री विपिन कुमार डेविड-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-23) का षष्ठम् प्रतिवेदन, जो मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 के अध्याय-4 पर अलीगढ़ मण्डल के जनपद अलीगढ़, एटा एवं हाथरस की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का सप्तम् प्रतिवेदन†

श्री विपिन कुमार डेविड-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-23) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12, 2012-13 के अध्याय-4 पर लखनऊ व अलीगढ़ मण्डलों के जनपद लखीमपुर खीरी, उन्नाव एवं एटा की जिला पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का अष्टम् प्रतिवेदन†

श्री विपिन कुमार डेविड-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-23) का अष्टम् प्रतिवेदन, जो मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 के अध्याय-4 पर लखनऊ मण्डल के जनपद हरदोई एवं रायबरेली की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का नवम् प्रतिवेदन†

श्री विपिन कुमार डेविड-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचायती राज समिति उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-23) का नवम् प्रतिवेदन, जो मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 के अध्याय-4 पर प्रयागराज मण्डल के जनपद जनपद प्रयागराज एवं कौशाम्बी की जिला पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का दशम् प्रतिवेदन†

श्री विपिन कुमार डेविड-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचायती राज समिति उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-23) का दशम् प्रतिवेदन, जो मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 के अध्याय-4 पर प्रयागराज मण्डल के जनपद

† छापा नहीं गया।

फतेहपुर की जिला पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का ग्यारहवां प्रतिवेदन†

श्री विपिन कुमार डेविड-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-23) का ग्यारहवां प्रतिवेदन, जो मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 के अध्याय-4 पर अयोध्या मण्डल के जनपद अयोध्या की क्षेत्र पंचायत तारून से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का बारहवां प्रतिवेदन†

श्री विपिन कुमार डेविड-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-23) का बारहवां प्रतिवेदन, जो मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 के अध्याय-4 पर अयोध्या मण्डल के जनपद अयोध्या की क्षेत्र पंचायत सोहावल से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का तेरहवां प्रतिवेदन†

श्री विपिन कुमार डेविड-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-23) का तेरहवां प्रतिवेदन, जो मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 के अध्याय-4 पर आगरा मण्डल के जनपद आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी एवं मथुरा की जिला पंचायतों से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-2023) का चौदहवां प्रतिवेदन†

श्री विपिन कुमार डेविड-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2022-23) का चौदहवां प्रतिवेदन, जो मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक

† छापी नहीं गयी।

प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 व 2013-14 के अध्याय-4 में प्रस्तर संख्या-4.1 पर आगरा मण्डल के जनपद आगरा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी की जिला पंचायतों से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-56 में विशेषाधिकार का कोई विषय नहीं है। अब मद संख्या-57

याचिकाओं का उपास्थापन

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय (उपस्थित), डॉ0 सुरभी (उपस्थित), श्री जय कुमार सिंह जैकी (उपस्थित), श्री प्रभात कुमार वर्मा, (उपस्थित), श्री अजय सिंह (उपस्थित), श्री जवाहर लाल राजपूत (अनुपस्थित), श्री रामरतन कुशवाहा (उपस्थित), श्री मौहम्मद फहीम इरफान (अनुपस्थित), श्री सचिन यादव (उपस्थित), श्री लक्ष्मी राज सिंह (उपस्थित), श्रीमती अनुपमा जायसवाल (उपस्थित), श्री चन्द्रपाल सिंह (उपस्थित), श्री चंदन चौहान (उपस्थित), श्री बाबूलाल (उपस्थित), डॉ0 आर0 के0 पटेल (उपस्थित), डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा (उपस्थित), श्री भगवान सिंह कुशवाहा (उपस्थित), श्री मूल चन्द्र सिंह (उपस्थित), श्री महेन्द्र नाथ यादव (उपस्थित), श्री मनोज कुमार पाण्डेय (उपस्थित), डॉ0 एम0 पी0 आर्य (उपस्थित), श्री मनीष रावत (उपस्थित), श्री रमेश चन्द्र मिश्र (उपस्थित), श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (उपस्थित), श्रीमती रेखा वर्मा (उपस्थित), श्री आशुतोष शुक्ल (उपस्थित), श्री प्रदीप कुमार यादव (उपस्थित), श्री विनोद चतुर्वेदी (उपस्थित), डॉ0 पल्लवी पटेल (उपस्थित), श्री अतुल प्रधान (उपस्थित), श्री लालजी वर्मा (उपस्थित), श्री स्वामी ओउ्मवेश (उपस्थित), श्री राम अचल राजभर (उपस्थित), श्री श्याम सुन्दर (उपस्थित), श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' (उपस्थित), श्री अमिताभ बाजपेई (उपस्थित)।

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका[†]

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा कोडर में स्थित महर्षि पतांजलि जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु शासन में लम्बित पत्रावली की स्वीकृति के सम्बन्ध श्री विपिन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका[†]

डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत सिवाराखास को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री जय कुमार सिंह जैकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री जय कुमार सिंह जैकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के विकास खण्ड खजुहा में खूंटा से गढ़ी मार्ग पर रिंद नदी पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत रेनुवा से दौलतपुर ग्रन्ट-अल्लीपुर मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भरत लाल विश्वकर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मुख्यालय करनैलगंज में पावर स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अध्यक्ष-

जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं अगर यह शाम तक उपस्थित रहेंगे तो मानी जायेगी शाम को चले जायेंगे तो कट जायेगी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद झांसी के अन्तर्गत मोठ मण्डी की उपमण्डी समथर का विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पूराकलां में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुलायम सिंह लोधी व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जिला मुरादाबाद के तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम सिहाली माला से समाथल ज्यातरत होते हुए नया गांव तक 2 किमी0 सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री सौरभ निवासी जिला मुरादाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के गांव नगला नाहर में श्री रामपाल जी के घर से प्रवेश जी के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत बुलन्दशहर-झाझर मार्ग से ग्राम नवादा की आबादी तक काली सड़क निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री पिताम्बर प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच के अन्तर्गत ग्रा0 पं0 इमलिया में मोहम्मदपुर वाली रोड से ज्वाला प्रसाद बाग होते हुए जूनियर स्कूल इमलिया तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्वाला प्रसाद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र डिबाई के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विरौरा में प्राइमरी स्कूल हरजीपुरा से रेलवे लाइन तक 600 मी0 सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मराज व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत जौली रोड से ग्राम रूढ़कली तक मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने

---

† छापी नहीं गयी।

के सम्बन्ध में श्री मौ0 उस्मान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा जनपद आगरा के ब्लाक अछनेरा के ग्राम साधन में कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कोमल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत रामपुर-गोपालपुर-जुड़पुर-जयरामपुर सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 ज्ञान प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा, जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत जलोपुरा में सम्पर्क मार्ग से आलमपुर के सामने हनुमान मंदिर एवं शहीद स्मारक के बगल से बम्बा तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री अवनीश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ के ब्लाक जगनेर के ग्राम वाजीदपुर से ग्राम भोपुर (गंगापुर) तक लगभग 02 किमी0 नई सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन की तहसील कोंच के अन्तर्गत ग्राम जगनपुरा चौकी (थाना कैलिया) का पुलिस चौकी भवन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजू कुमार व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के सदर अस्पताल का आवागमन सुलभ बनाने हेतु गेट नं0-2 खोले जाने हेतु सम्बन्धित को आदेशित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुहैल व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली की ग्राम पंचायत तीर का पुरवा में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल को ऊंचाहार से जोड़ने वाले मार्ग का चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा विष्णु यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम सनेकपुर से ग्राम सन्तोषपुर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रंजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में सिंहपुर-बसैडी सम्पर्क मार्ग सराय तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जिला जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत अगरौरा और बलुआ चौहान बस्ती के मध्य लंकेश्वर नाले पर बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका†

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत लाखी से लालपुर तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलासा राम व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र विधूना के अन्तर्गत औरैया-कन्नौज मार्ग सी0एच0सी0 सहार के ग्राम पुरवा तरा से निकलते हुए पुरवा ललउ, पुरवा कड़ा, बराउ, सबलपुर, पौथी, सहायल गांवों को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हिमांशू गौतम व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री आशुतोष शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका†

श्री आशुतोष शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर व ब्लाक सुमेरपुर के अन्तर्गत ग्राम बक्सर में सिद्ध पीठ माँ चन्द्रिका देवी धाम में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर के अन्तर्गत अछल्दा बाई-पास रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भरत खन्ना व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत विकास खण्ड जालौन के ग्राम दहगुवां से महिया कमलपुर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के नारा ग्राम पंचायत उभार रोडडोली पर से राम सजीवन निर्मल नारा के घर के पास तक रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सजीवन व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका†

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना के फलावदा से मीठेपुर तक रजवाहे की पटरी पर लेपन का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 सबी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत ग्राम चाँदपुर, महमूदपुर एवं जलालपुर में चकबन्दी की प्रकिया लागू की जाने के सम्बन्ध में श्री कुसुम यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड नूरपुर के ग्राम मिलक से बिराल सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सैदापुर-इटरौरा सम्पर्क मार्ग से ग्राम सभा रोशनगढ़ भागीरथी राजभर के घर तक पिच कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सभईराम राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका†

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद रायबरेली में महाराजगंज-इन्हौना मार्ग से कैड़वा तक पक्के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आदर्श भारती, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम गौरा, काल्हामऊ, बिहार को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने वाले सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की कानपुर नगर में पुराने नाना राव पार्क में स्थित तरण ताल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजत बाजपेई, निवासी जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

[01:14] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन की कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 07 अगस्त, 2023 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 08 अगस्त, 2023 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण करा लिया जाय :-

1-उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023

2-उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

3-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

4-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

2-दिनांक 09 अगस्त, 2023 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण करा लिया जाय :-

1-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023

2-उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023

3-उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023

4-उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

5-उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

3-दिनांक 10 अगस्त, 2023 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण करा लिया जाय :-

1-उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

शेष कार्यक्रम यथावत् रहेंगे।

---

† छापी नहीं गयी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-59 में कुछ नही है। अब मद संख्या-60

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

नोट :- † दिनांक 08 अगस्त, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

[01:16] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 08 अगस्त, 2023 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा, शेष सूचनाओं पर ध्यानाकर्षित करेंगे। पहली सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री राकेश प्रताप सिंह, श्री अतुल प्रधान, श्री अखिलेश, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री शिव प्रताप यादव, इंजी0 बृजेश कठेरिया, श्री अनिल प्रधान एवं श्री पंकज कुमार मलिक की प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आप में से कौन बोलेगा ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैं इस पर बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से अधिक लोगों से जुड़ी हुई इस ज्वलन्त समस्या पर आपने बोलने का अवसर दिया। आदरणीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान बढ़ती हुई महंगाई पर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज स्थिति यह है कि विगत पांच वर्षों में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गयी है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन-यापन व दिनचर्या के काम में आने वाली वस्तुएं उनके घरेलू बजट से बाहर होती जा रही हैं। बढ़ती महंगाई के कारण आज पारिवारिक क्लेश व आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं वहीं आपराधिक घटनाओं में भी उत्तरोतर बढ़ोतरी हो रही है। यहां तक कि दिनचर्या की खाने-पीने की वस्तुएं अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, रिफाइंड, सरसों का तेल इत्यादि में लगभग 36.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं आटा में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि, दूध में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। डीजल-पेट्रोल में

लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि होने से ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा महंगी हुई, इसका असर अन्य चीजों पर भी पड़ा। वहीं बिल्डिंग मैटेरियल जैसे सीमेंट, सरिया, मौरंग, बालू व गिट्टी पर भी लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर हम गैस सिलेण्डर पर बात करें तो इस पर अकेले लगभग 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि गरीब पुनः लकड़ी से खाना बनाने पर मजबूर हो गया है। कालाबाजारी और भ्रष्टाचार बढ़ती हुई महंगाई के मुख्य कारण हैं। महंगाई के कारण हर सामान्य आदमी को परिवार एवं घर चलाना मुश्किल हो गया है। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि अगर हम सब्जियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टमाटर की स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश की बड़ी एवं प्रतिष्ठित कालोनियों से लेकर छोटी-छोटी बस्तियों में लाइन लग रही है और यह हम नहीं कह रहे हैं, यह सी0ए0सी0 की रिपोर्ट कह रही है कि देश में यह पहली बार होगा जब ढाई सौ रुपये किलो टमाटर मिल रहा होगा। अधिष्ठाता महोदय, अगर हम टमाटर से अलग हटकर बात करें तो आज अदरक जिसका मूल्य एक माह पहले 60 रुपये था वह आज 110 रुपये किलो है, अगर लहसुन की बात करें तो वह 55 की जगह 95 रुपये में बिक रहा है, धनिया की बात करें तो वह 28 रुपये की जगह 55 रुपये में बिक रही है, हरी मिर्च की बात करें तो 30 रुपये की जगह 75 रुपये में बिक रही है, परवल की बात करें तो 35 रुपये के सापेक्ष आज 75 रुपये में, लौकी की बात करें तो 20 रुपये की जगह में 40 रुपये में, कद्दू की बात करें तो 20 रुपये से बढ़कर 50 रुपये में, अगर हम आलू की बात करें तो 10 रुपये से बढ़कर 30 रुपये में, शिमला मिर्च की बात करें तो 25 रुपये से बढ़कर 50 रुपये प्रति किलो में बिक रही है। मान्यवर, गरीब की थाली से अरहर की दाल की कटोरी तो पहले ही गायब हो गयी थी, लेकिन जब दूसरा सेशन आया तो इनकी कृपा से सब्जी की कटोरी भी गायब हो गयी, फिर गरीब के पास केवल यह बचा था कि वह टमाटर व मिर्च की चटनी बनाकर अपना पेट भर लेता था, लेकिन आज 250 रुपये प्रति किलो बिकने वाले टमाटर ने गरीब को उससे भी दूर करने का काम किया है।

(इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 17 मिनट पर अधिष्ठाता श्री पंकज सिंह पीठासीन हुए)

अगर आज हम देखें, आज देश के प्रतिष्ठित समाचार-पत्र क्या लिख रहे हैं, 'सब्जियों के बाद अब दाल की कीमत ने रुलाया, महंगाई ने बिगाड़ा घर का बजट, टमाटर, लहसुन और अदरक ने मारा सैकड़ा, थाली सब्जी से भी दूर, कीमतें आसमान पर, रसोई से टमाटर कोसों दूर, सब्जियाँ महंगी और दाल की कीमत में भारी उछाल, सब्जियाँ खाने लगी भाव तो टमाटर हुआ लाल, दाल-रोटी हुई महंगी तो 60 रुपये उछले अरहर के दाम।' मान्यवर, यह स्थिति महंगाई की हो गयी है और इस गम्भीर विषय पर आज सदन में चर्चा होनी चाहिए। आज महंगाई जिस तरीके से चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है, गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए आज उनको दो जून की रोटी दूर हो गयी है। 2017 में जो सपना दिखाया गया,

जो सपना दिखाया गया 2014 में जो सपना दिखाया गया 2019 में, आज वह सपने लोगों के टूट ही नहीं गए, बल्कि आज लोग घरों में बैठकर पछतावा कर रहे हैं कि किन झूठे सपनों को देख करके हमने इस विचारधारा से जुड़ करके काम किया था। मान्यवर, महंगाई की यह स्थिति है, व्यक्ति की आमदनी लगातार घटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, घर का जो आर्थिक संतुलन था, वह बिगड़ गया है, लोग आत्महत्याएँ कर रहे हैं, भुखमरी की कगार पर हैं और स्थिति तो यह आ गयी है कि आज गरीब आदमी के यहाँ दो जून की जगह एक जून खाना बनने लगा है और जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर कौन लोग इसके पीछे हैं, जिनके इशारे पर टमाटर बढ़ा, वह कौन लोग हैं, जिन्होंने टमाटर को अपने गोदामों में रख रखा है ? सच्चाई यह है कि टमाटर का अभाव नहीं है, टमाटर गोदामों में पैक है, प्याज गोदामों में पैक है, लहसुन लोगों को मिल नहीं रहा है, परवल खा नहीं सकते, लौकी दूर है, सबसे कडुवा मिर्चा भी अब आम जनता से बहुत दूर है। तो आज यह परिस्थितियां मान्यवर, महंगाई की हैं और महंगाई इस प्रदेश के आम व्यक्ति से मध्यम श्रेणी के व्यक्ति से, गरीब व्यक्ति से जुड़ी हुई है, मजदूर से जुड़ी हुई है, इसलिए मान्यवर, आज आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह महंगाई उत्तर प्रदेश के लिए एक चुनौती भी है, एक समस्या भी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यह कृत्रिम समस्या है या वास्तविक समस्या है। सवाल यह आता है कि जब महंगाई इतनी बढ़ रही है तो इस पर राज्य सरकार और सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों ने क्या कोशिश की, कालाबाजारी क्यों नहीं रोकी गयी, आम आदमी से यह क्यों दूर होता चला जा रहा है और मान्यवर, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि बड़े आदमी तो खा लेंगे, सब्जी कितनी भी महंगी हो जाए, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में जो 25 करोड़ में 23 करोड़ की आबादी है, आज वह टमाटर से दूर हो गयी, प्याज से दूर हो गयी, आज वह सब्जियों से दूर हो गयी, अरहर की दाल वह खा नहीं सकता तो हम कैसे कल्पना कर रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश खुशहाल है। मान्यवर, यह विषय लोक महत्व से जुड़ा है, अतः मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस पर 02 घण्टे की चर्चा करायी जाय। मान्यवर, चर्चा के बाद इसमें कठोर और मजबूत निर्णय लेने की आवश्यकता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

इस पर अभी श्री राकेश प्रताप सिंह जी को भी बोलना है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, उन्हें नहीं बोलना है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी।

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय पाण्डेय जी की बात से मेरी सहमति है कि अरहर की दाल में पैसे बढ़े हैं, उरद की दाल का पैसा बढ़ा है, टमाटर का पैसा बढ़ा है, लेकिन मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूँ, मान्यवर, पिछली ही बार चना की दाल 72 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

(इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 24 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, आज चने की दाल में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। पिछली बार मूंग की दाल 107 रुपए प्रति किलो ग्राम थी जो आज 102 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। पिछली बार मसूर की दाल 91 रुपए प्रति किलोग्राम थी और आज उसमें कमी होकर 89 रुपए प्रति किलो बिक रही है। पिछली बार मूंगफली का तेल 193 रुपए प्रति किलोग्राम था। पिछली साल की तुलना में सरसों के तेल में 18 प्रतिशत की कमी आई है, वनस्पति के तेल में 16 प्रतिशत की कमी आई है, सूरजमुखी के तेल में 10 प्रतिशत की कमी आई है और पॉम ऑयल में 18 प्रतिशत की कमी आई है। पिछले वर्ष की तुलना में आलू के भाव में कम से कम चार रुपए प्रति किलो की कमी आई है। जहां तक इन्होंने यह बात कही थी कि आज कल प्रत्येक व्यक्ति को पेट्रोल और डीजल का काम है, उ0प्र0 में पेट्रोल 96 रुपए 57 पैसे, आंध्रा में 111 रुपए 76 पैसे, राजस्थान में 108 रुपए बिक रहा है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

कल आपने कहा था कि यहां पर दूसरे स्टेट की तुलना नहीं की जाएगी, आप दूसरे स्टेट की बात क्यों कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

आपने डीजल और पेट्रोल को कोट किया, इसलिए जवाब देना जरूरी है। अगर कम्परेटिव चार्ज बढ़ाया है, यह आपके भाषण में आया है।

(घोर व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अखिलेश यादव)-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी कन्फ्यूज हैं, विपक्ष और हम मा0 सदस्य पूछ रहे हैं महंगाई पर और यह बता रहे हैं मूंगफली के तेल का।

श्री अध्यक्ष-

क्या मूंगफली का तेल महंगाई में नहीं है।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, महंगाई में है, लेकिन मूंगफली के तेल का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि मंत्री जी कन्फ्यूज हो गए हैं।

उन्हें यह लगता है कि जिस तरीके से मिक्स्ड रिफाइण्ड तेल गरीबों को चुनाव के समय पर पिलाया था। मा0 मंत्री जी बतायें कि जो गरीबों को रिफाइण्ड तेल दिया गया था उसमें आपने कितने तेल मिलाये थे। तेल मिला दिया था, इसीलिए सस्ता हो गया था। मा0 मंत्री जी बतायें कि क्या मिलावट की चीज सस्ती बता रहे हैं। कोई चीज सस्ती नहीं है, महँगाई कम की बात यह कह रहे हैं। महँगाई तो है न, तो यह सरकार स्वीकार क्यों नहीं करती है कि महँगाई है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, कोई मिलावट नहीं है। जहाँ मिलावट होती है, वहाँ कार्यवाही भी जरूर होती है।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं केवल मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि गरीबों को आप जो रिफाइण्ड तेल दे रहे थे, उसमें मस्टर्ड के साथ कौन-कौन सा तेल मिलाकर आप पिला रहे थे ?

श्री अध्यक्ष-

आपके पास जानकारी है तो आप ही बता दो कि आपके पास जानकारी है।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 मंत्री जी बतायें, मेरे पास तो जानकारी है ही, मा0 मंत्री जी बतायें न।

श्री अध्यक्ष-

आप ही बताओ।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी जानकारी जरूरी नहीं है, जरूरी यह जानना है कि मा0 मंत्री जी गरीबों को रिफाइण्ड में क्या मिलाकर दे रहे थे ?

श्री अध्यक्ष-

तेल दे रहे थे।

(सदन में हँसी)

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 पाण्डेय जी कह रहे थे कि अन्य राज्यों से तुलना नहीं होगी। मैं इसी राज्य की तुलना कर रहा हूँ। आपके जमाने में डीजल पर 17 रुपये 48 पैसे टैक्स था हमारा आज भी 17 रुपये 08 पैसे का टैक्स है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने के प्रयास पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें।

श्री लक्ष्मी नारायण-

अब चुन-चुनी काहे को लग रही है सुन लें न। (सदन में हँसी) आपके समय में डीजल पर 26 रुपये वैट टैक्स था और हमारा आज की तारीख में डीजल पर 19 रुपये का वैट टैक्स है। आपके समय से 7 रुपये डीजल पर टैक्स कम है। मैं यह तुलना नहीं कर रहा हूँ, यह आपको अभी बता रहा हूँ।

(सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह के खड़े होकर बोलने के प्रयास पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य राकेश प्रताप सिंह, आप मा0 मंत्री जी का जवाब तो सुन लीजिए, आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने सब महँगाई कम कर दी, सिलेण्डर की महँगाई कम होगी या नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष-

वह इनके हाथ में नहीं है, उसे केन्द्र सरकार को तय करना है।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सरकार आने से पहले इस प्रदेश में प्रति सिलेण्डर 300-400 रुपये ब्लैक में बिका करता था और आज हमारी सरकार दो-दो सिलेण्डर मुफ्त दे रही है।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आप सिलेण्डर सस्ता करेंगे, क्या सिलेण्डर का दाम सस्ता होगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मनोज कुमार पाण्डेय जी को सुना, मैंने मा0 मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है, मैं इसको अग्राह्य करता हूँ।

श्री अखिलेश यादव-

आज सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(तत्पश्चात् नेता विरोधी दल अपने दल व राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यों सहित सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

चूँकि जब तक नियम-56 चल रहा है तब तक के लिए इन्होंने वॉकआउट किया है, इसलिए आगे नियम-56 की सूचनायें इनकी स्वीकार नहीं होंगी। पूरे नियम-56 पर आपने वॉकआउट किया है, पहले आप लोग तय करके आए। अब आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया है तो आप लोग बाहर चलिए।

श्री उमाशंकर सिंह-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर आपने मुझे सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ...

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें हमने भी अपना नाम दिया है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं इसमें आपका नहीं है। इसमें आपका नाम नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी हमने भी नाम दिया है, आप इसको एक बार देख लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने देखा है, मेरे सामने है।

श्री उमाशंकर सिंह-

यह आदत हो गयी है क्या आप लोगों को। मेरे बाद आप खड़े होकर बोलिएगा। नेता प्रतिपक्ष महोदय की कमी को आप पूरा कर रहे हैं, मैं तो आप ही के साथ हूँ।

बाधक बनने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी पर्याप्त हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मैं बाधक नहीं बन रहा हूँ, मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ।

श्री उमाशंकर सिंह-

तो बीच में बोल कर सहयोग करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपस में बात-चीत नहीं करें, मुझसे बात करें, मैं यहां बैठा हूँ।

श्री उमाशंकर सिंह-

अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने विषय पर बोलिये।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आपने किसी को बोलने की अनुमति दे दी और बीच में कोई व्यक्ति खड़ा होता है, तो माइक वाले को भी उनका माइक ऑन नहीं करना चाहिए। सीनियारिटी को देखकर न किया जाये, चूंकि आपने किसी को अनुमति दी तो बीच में दूसरे को नहीं बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आपको अनुमति है, आप बोलिये।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं काफी महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। प्रदेश में जो अनियमित वर्षा होने से हमारे किसान दो तरह से प्रभावित हुए हैं। इसमें कुछ जनपद ऐसे हैं, जहां 60 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत बारिश नहीं हुई है। जहां के किसान सूखे से परेशान हो गये हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जहां पर 80 से 60 प्रतिशत बारिश कम हुई है। इनमें से कुछ जनपदों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ-हमीरपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, शामली, हाथरस, कानपुर देहात, वाराणसी, बलिया, हरदोई, अमेठी, गाजीपुर, आजमगढ़, सन्तकबीरनगर, झाँसी और कानपुर नगर। मान्यवर, यहां बारिश कम आँकी गयी हैं। इसी तरह से लगभग 40 प्रतिशत से कम बारिश जहां, उसमें प्रयागराज, देवरिया, बाँदा, पीलीभीत, कुशीनगर, चन्दौली, मऊ, मिर्जापुर, कौशाम्बी है। अध्यक्ष जी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, चूंकि यहां औसत से काफी कम बारिश हुई है। मैं मान ले रहा हूँ कि मा0 मंत्री जी, जो हम सबके अभिभावक हैं, उन्हीं का जवाब आयेगा, वह विद्वान हैं। इसमें मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि इस अनियमित वर्षा में आपका कोई रोल है, लेकिन हम यह जानते हैं कि इस तरह की अनियमित वर्षा का जो प्रकोप है, वह उत्तर प्रदेश की जनता को हमेशा भुगतना पड़ता है, लेकिन हम कभी भी इसकी ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जिससे जनता की यह समस्याएँ कम हो सकें। उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ, चूंकि यहां हमारे आदरणीय सिंचाई मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, बहुत-सी ऐसी नहरें हैं, जहां पर लगभग 2-3 सालों से एक बार भी पानी नहीं छोड़ा गया। उदाहरण के तौर पर बता दूं कि मऊ से एक नहर आती है, जो हमारे जनपद के कई माइनरों को जोड़ती है। वहां पर यदि अधिकारी से बात की जाये कि इस नहर में पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो उनका जवाब आता है कि इधर के कुछ लोग पानी रोक दे रहे हैं,

पानी जाने नहीं दे रहे हैं। अब पानी का संचालन यदि कुछ लोग रोक कर अपने-अपने खेतों में ले जाएंगे तो फिर उन नहरों को खुदवा करके, उन नहरों के किनारे बसे हुए किसानों से उसका अब रेवन्यू जोड़ें या उनको सूखे की त्रासदी में झेलें, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। चूंकि हमारा सौभाग्य है कि माननीय सिंचाई मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, वह इसका संज्ञान जरूर लेंगे। साथ ही दूसरी जो वैकल्पिक व्यवस्था हम कर सकते थे, चूंकि हम नहीं कह रहे हैं कि अनियमित वर्षा में आपका कोई योगदान है, लेकिन हम इसके लिए क्या-क्या उपाय कर सकते हैं, यह आपके हाथ में है और इसकी हम प्लानिंग पहले से कर सकते थे। माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, मैं मानता हूँ कि विद्युत की डिमाण्ड बहुत बढ़ी है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी आप भी अपने घरों में, अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो भीड़ आ रही है और लगातार फोन आ रहे हैं, जो जनता मिल रही है, वह केवल इसलिए मिल रही है कि उनका ट्रांसफार्मर जले हुए 20 दिन हो गये हैं, 25 दिन हो गये हैं, एक महीना हो गया है। इनमें से कुछ किसानों ने अपने ट्यूबवेल का प्रॉपर कनेक्शन लिया हुआ है, चूंकि हम इस व्यवस्था को पूरी तरह से संचालित नहीं कर पाये, जिससे कि जो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, उनका हमसे निराकरण कर दें। इससे भी हम उन किसानों की कुछ समस्याओं का समाधान कर सकते थे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, यदि अनियमित वर्षा को हटा दें।

माननीय अध्यक्ष जी, यहां ऊर्जा मंत्री जी भी हैं। पूर्वांचल में एक समस्या आ रही है, किसान के यहां एक बल्ब अधिक जल रहा है या कोई अधिक कनेक्शन चला रहा है, तो उसके यहां बिजलेंस की टीम छापे मार रही है। किसान चाह रहा है कि सरकार उसे 2 हार्स पॉवर का मोटर लगाने का कनेक्शन दे दे। किसान उसका बिल देने को तैयार है, इससे आपकी बहुत बड़ी बिजली चोरी रुकेगी। किसानों से कहा जाता है कि 5 हार्स पॉवर का कनेक्शन लो, जबकि उसको 5 हार्स पॉवर की आवश्यकता नहीं है, वह इसलिए क्योंकि उसके खेत एक जगह पर नहीं हैं। लघु सीमान्त वाले किसान हैं, कई-कई जगहों पर खेत हैं। किसान अपने हर खेत में 2 हार्स पॉवर के मोटर पर कनेक्शन लेने को तैयार है। किसान अपनी सिंचाई अगर चोरी से कर भी रहा है और आप उसे लीगल कनेक्शन दे देंगे तो उससे यह फायदा होगा कि वह किसान चोरी नहीं करेगा, बल्कि वह अपने हर खेत में जो उसका पार्ट-पार्ट बना हुआ है, वहां पर 2 हार्स पॉवर का कनेक्शन ले लेगा। किसान 2 बीघे के खेत में 5 या साढ़े 7 हार्स पॉवर का मोटर का कनेक्शन लेकर क्या करेगा ? अगर एक जगह उसकी 20 बीघा या 50 बीघा की खेती हो तब तो वह कनेक्शन ले सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी अगर मिल जायें तो माननीय कृषि मंत्री जी की काफी समस्या का समाधान किया जा सकता है। संयोग भी अच्छा है, कभी-कभी ऐसा अवसर आता है और आज आप सभी लोग यहां मौजूद हैं, आप

इसका जरूर संज्ञान लें। अध्यक्ष जी, अगले साल फिर हम मानसून सत्र में बैठेंगे और फिर इस समस्या पर रोयेंगे, क्योंकि आज जो इन्वायरमेंट है उस पर हमारा आपका अधिकार नहीं है। पेड़-पौधे लगभग समाप्त हो चुके हैं। आप लगातार 30-35 करोड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य दे रहे हैं, इसके पहले गिनीज बुक में रिकार्ड आया था, लेकिन उन पौधों की ट्रैकिंग नहीं कराई गयी कि हमारे कितने पौधे जीवित हैं, निश्चित रूप से इसमें अभी समय लगेगा। अगर आप चाहेंगे कि इस तरह से इन्वायरमेंट को हम बढ़ा रहे हैं, हम बारिश को अनियमित होने से रोकेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसमें अगर ऊर्जा विभाग और सिंचाई विभाग अपना कुछ हाथ बटायें, तो बेहतर परिणाम आयेंगे। प्रदेश की ऐसी नहरें जिनमें इस साल में एक दिन भी पानी नहीं छोड़ा गया है, उसके लिए जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिये। इस तरह से जब मैसेज देंगे तब उन किसानों के घाव पर मरहम लगेगा। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों को कहीं बाढ़ से नुकसान हुआ है, कहीं अत्यधिक बारिश हो गयी है, कहीं पर उनकी फसलें बर्बाद हो गयी हैं, कहीं पर बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई, वहां की फसलें बर्बाद हो गयी हैं, यहां कृषि मंत्री जी भी हैं, मैं चाहूंगा कि उन किसानों के घावों पर मरहम लगाने के लिए उनको एक बढ़िया पैकेज दिया जाय। हम लोगों की जब दलीय बैठक हुई थी तो उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इस बात पर गम्भीरता से चिन्ता व्यक्त की थी और स्पष्ट कहा था कि नहीं ये बहुत जेन्युइन है। आदरणीय मोना जी ने इस बात को रखा था और यह बात आयी थी कि इस पर गम्भीर चर्चा होगी। कृषि मंत्री जी जब खड़े हों तो थोड़ा दिल दिखाते हुए जिन किसानों की क्षति हुई है उन्हें एक अच्छी क्षतिपूर्ति दें, जिससे लगे कि उनका दिल बड़ा है, माननीय मंत्री जी बड़े हैं, माननीय मंत्री जी वरिष्ठ हैं, इस तरह की घोषणा करें और माननीय सिंचाई मंत्री जी से व माननीय ऊर्जा मंत्री जी से एक समन्वय बना लें कि कैसे उन किसानों को आगे इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की समस्त कार्रवाई रोक करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय अध्यक्ष जी, इस वक्त यह प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कृषि आधारित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की लगभग 65-70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है। आज किसान सबसे ज्यादा अनियमित वर्षा से, सूखे से और बाढ़ से परेशान है। आपने मुझे सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अगर हम कुछ आंकड़ों को देखें तो प्रदेश में 29 जुलाई तक 282.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गयी, जो कि सामान्य वर्षा जो लगभग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

357.8 मिलीमीटर होती है, उसका केवल 78 प्रतिशत है। प्रदेश में लगभग 40 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से सूखे से ग्रसित हैं। भारतीय मौसम विभाग केन्द्र लखनऊ के मुताबिक 28 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 40 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है।

धान उत्पादन में रुहेलखण्ड अग्रणी है। पीलीभीत जैसे लगभग 7 जिले हैं, जहाँ पर धान का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इन 7 जिलों में पीलीभीत, सन्तकबीरनगर, मऊ, मिर्जापुर, देवरिया कुशीनगर और कौशाम्बी है, ये ऐसे जिले हैं, जहाँ पर 80 प्रतिशत से भी कम बारिश आँकी गई है। हम यह मान सकते हैं कि आने वाले समय में धान की जो फसल होगी, उसका जो प्रोडक्शन होगा, वह कितना कम होगा और ये केवल हमारे किसानों को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। खीरी, उन्नाव, अम्बेडकरनगर, मथुरा, शाहजहाँपुर जैसे 33 जिले हैं, जहाँ पर 55 प्रतिशत से भी कम बारिश हुई। दूसरी तरफ जो खरीफ की हमारी फसल होती है, इसमें लगभग 96.20 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले केवल 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई अभी तक हो पाई है। यह आने वाले समय में एक और भी बड़ी त्रासदी हमारे सामने आयेगी, क्योंकि जो प्रोडक्शन है, वह कम हो जायेगा। माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, मैं चाहूँगी कि इस पर उनका भी ध्यान आकर्षण हो, सिंचाई विभाग के आँकड़ों के मुताबिक प्रदेश में लगभग 71 जलाशय हैं, जिनकी कुल क्षमता 10,843.67 एम0सी0एम0 है। ये मेरे आँकड़े नहीं हैं, ये विभाग के आँकड़े हैं।

इन जलाशयों में आज के समय में जो पानी है, वह लगभग 2868.41 एम0सी0एम0 है, जो कि केवल 26 प्रतिशत है। मतलब आज हमारे पास जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं है और यही वजह है कि जब जलाशयों में पानी नहीं है, तो नहरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुँच पा रहा है। प्रदेश में लगभग 165.98 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है और इन खेती वाले इलाकों में जो 30 प्रतिशत सिंचाई होती है, वह कृत्रिम यानी नहरों के माध्यम से होती है। जब जलाशयों में पानी नहीं होगा तो नहरों में पानी नहीं पहुँच पायेगा। इसकी वजह से जो सूखे की स्थिति है, वह और भयावह होती चली जा रही है। शारदा सहायक जो सबसे बड़ी नहरों में से एक है और जिसके माध्यम से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। मेरी विधान सभा क्षेत्र भी इससे प्रभावित है। समय से नहरों में पानी न छोड़े जाने से किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ डीजल के दाम इतने ज्यादा हो गये हैं कि अगर वह डीजल का पम्पिंग सेट लगाकर सिंचाई करने का प्रयास कर रहा है, तो वह भी उसके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ है। मान्यवर, माननीय बिजली मंत्री जी भी बैठे हैं, बिजली की कटौती भी चरम पर है। प्रदेश में पिछले महीने लगभग 12 सौ से 14 सौ ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त हुए, क्योंकि उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ रहा। अगर इसको बदलने का समय से प्रयास नहीं किया गया, तो किसानों के ऊपर और बड़ी समस्या आयेगी।

श्री अध्यक्ष-

मोना जी, धन्यवाद।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, बाढ़ पर भी बोलने दीजिए। बाढ़ से लगभग 16 जिले प्रभावित हुए हैं, जिसमें 400 से ज्यादा गाँव इसकी चपेट में आए हैं। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश इससे प्रभावित है। यह अनियमित वर्षा है, दैवीय आपदा है, इस पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूँगी कि ये जो सबसे बड़ी त्रासदी किसानों पर आने वाली है। मान्यवर, इसको देखते हुये क्या सरकार किसानों की फसल की क्षतिपूर्ति के लिए कोई पैकेज अनाउन्स करेगी, करना चाहिए ताकि किसानों की इसकी क्षतिपूर्ति मिले और किसानों के साथ-साथ जो मवेशियों की क्षति हुई है जहाँ बाढ़ के इलाके हैं तो उनके ऊपर भी सरकार को उसका मुआवजा देना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करूंगी माननीय मुख्य मंत्री जी का, जब सर्वदलीय बैठक में मैने इस बात को उठाया तो उन्होंने संवेदनशील हो कर कहा था कि यह बड़ी समस्या है और इस पर कम-से-कम दो दिन चर्चा होनी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि यह अविलम्बनीय प्रश्न है, पूरे प्रदेश से जुड़ा प्रश्न है, किसानों से और सभी जनमानस से जुड़ा प्रश्न है। कम-से-कम दो दिन इस पर चर्चा करायें और सरकार प्रदेश की जनता को और किसानों को आश्वस्त करे कि इसकी क्षतिपूर्ति होगी।

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, जैसा माननीय उमाशंकर सिंह, माननीय मोना जी ने कहा। मान्यवर, पूर्वांचल के अधिकांश जिलों में अल्पवर्षा के कारण खरीफ की फसल सूख रही है। सिंचाई के लिए नहरों में जिस क्षमता से पानी आना चाहिए वह पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैंने चीफ इंजीनियर से बात किया। विशेषकर हमारे अम्बेडकर जिले में शारदा सहायक कैनॉल है, उसके तमाम जो माइनर हैं, उसमें पानी नहीं चढ़ पा रहा है क्योंकि मुख्य नहर से पानी नहीं आ पा रहा है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ छोटे-छोटे किसान हैं। बिजली के पम्प लगाकर वह सिंचाई करने का काम करते हैं। उनको बिजली समय से नहीं मिल पा रही है। ट्रांसफार्मर रोज फुंक रहे हैं। एक-एक ट्रांसफार्मर प्रतिदिन फुंक जाता है। मान्यवर, कई ऐसे गाँव है, मैं नाम ले करके समय नहीं जाया करूंगा लेकिन ट्रांसफार्मर एक बार बदला गया, दूसरे दिन फिर फुंक गया, एक महीने में 16-16 बार ट्रांसफार्मर फुंका है। इस तरह की स्थिति बनी है। किसान के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि उसको बिजली का छोटा पम्प लगाने के लिए कनेक्शन का जब एस्टीमेट बनाया जाता है तो लाख, सवा लाख का एस्टीमेट बनता है। जब सवा लाख या डेढ़ लाख का एस्टीमेट बनेगा तो छोटा किसान जिसको दो हार्स पावर या तीन हार्स पावर का कनेक्शन चाहिए, वह डेढ़ लाख या सवा लाख रूपया देकर उस कनेक्शन को नहीं ले पाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज सूखे की भयंकर समस्या को देखते हुये अगर कहीं से कटिया लगा कर चला रहा है तो उस पर इतना छापा पड़ रहा है कि उसको 42 हजार 43 हजार रुपये का जुर्माना अलग से लगाया जा रहा है। उसकी सिंचाई हो नहीं पा रही है, जुर्माना भी लगाने का काम किया जा रहा है। कनेक्शन दिया नहीं जा रहा है कहते हैं किसी ट्रांसफार्मर पर एक या दो लाइट का कनेक्शन है, उसके खेत में वह ट्रांसफार्मर लगा है तो उस पर यहाँ से एम0डी0 का आदेश चला गया कि अगर एक भी लाइट का कनेक्शन है तो उससे तीन हार्स पावर, पांच हार्स पावर बिजली का कनेक्शन न दिया जाये यानि उसका अलग से एस्टीमेट बनेगा। अलग से ट्रांसफार्मर का एस्टीमेट बनेगा तो सवा लाख, डेढ़ लाख रुपया उसके ऊपर थोपा जायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। किसानों से सम्बन्धित समस्या है हम किसानों को फ्री में नहर की सिंचाई देते हैं तो बिजली भी उनको फ्री कर दें। वह अपने खेत की सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग करे। सूखे के समय आप उसको राहत दे दीजिये। अगर वह किसी भी तरह से अपने खेत की सिंचाई के लिए मोटर लगाता है तो उसका उत्पीड़न करने का काम न किया जाय। साथ ही साथ उसको कनेक्शन आसानी से उपलब्ध कराने का काम करें। हमारे यहाँ सिंगल फेस से मोटर चलता है। सिंगल फेस से दो हार्स पावर की मोटर लगा कर वह सिंचाई कर सकता है। आप पहले ट्यूबवेल से सम्बन्धित 68 हजार रुपये सब्सिडी देने का काम करते थे आपने उसको बन्द कर दिया। 51 हजार रुपये तमाम लोगों का पैसा जमा है कनेक्शन के लिए चार-चार साल से जमा है। फरवरी, 2017 के बाद से लगातार नवम्बर के पहले तक उनका पैसा जमा है लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, इस तरह से किसान की फसल सूख रही है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कार्य-स्थगन करके इस विषय पर दो दिन की चर्चा करा लें जिससे इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सके।

***जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतन्त्र देव सिंह)-**

मान्यवर, पहले मैं अपना जवाब दे दूं। 71 जलाशय, इसमें दो जलाशय का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए है, 22 जलाशयों में 50 प्रतिशत पानी है, बारिश के पानी को जलाशय में स्टोर किया गया है, पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे टेल लगभग 10 हजार 471 हैं, जिसमें से 8 हजार 523 तक हम पानी पहुंचा चुके हैं। बलिया की बात सही है कि बलिया में 96 में 67 टेलों तक पानी पहुंचाया जा चुका है। अम्बेडकरनगर की प्रगति ज्यादा है 130 टेलों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में से 110 टेलों तक पानी हमारा पहुंच जायेगा। कठिनाइयां हमारे सामने हैं, हमें भी किसान फोन किया करते हैं, गुस्सा भी करते हैं मान लो किसी ने मुझे फोन किया कि मेरे टेल तक पानी नहीं आया, मैंने कहा कि तीन दिन में पहुंच जायेगा तो 3 दिन बाद फिर फोन करता है, धमकाता भी है, उसको हम समझाते हैं, इंजीनियर को फोन करते हैं और बताते हैं कि दो दिन में पहुंच जायेगा। जब दो दिन में उसका पानी पहुंचा तो मैसेज आया। मैंने एक्स0ई0एन0 से पूछा कि पूरा पानी पहुंच गया, उसने कहा हां तो मैंने कहा कि उसके आगे पानी बढ़ाओ तो पता चला कि वह नहर को घेर कर 32 बीघे खेत की सिंचाई कर रहा था। ये स्थितियां हैं फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बारिश आ जाती है तो और आनन्द आ जाता है। आज भी जाकर देखेंगे तो हमारी शारदा नहर लबालब चल रही है, उसके टेल तक पानी पहुंचाने में क्या कठिनाई है उसके बारे में आप सभी जानते हैं, हमें उस पर बोलना नहीं है। नहर चले, रास्ते में कोई कटिंग न करे क्योंकि एकाएक धान रुपाई का काम शुरू हुआ है और बारिश हो नही रही है। मैं स्वयं टेल तक पहुंचा हूं, 200 किलोमीटर नहर की पटरी पर चला हूँ तो काशीपुर तक पानी पहुंचना था।

श्री लालजी वर्मा-

हमारे यहां दूसरा रजबहा है।

श्री अध्यक्ष-

जवाब आ जाने दें।

कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

माननीया आराधना मिश्रा 'मोना' जी ने और कुछ शारदा सहायक के बारे में आदरणीय लालजी वर्मा जी ने अतिवर्षा और कमवर्षा पर चर्चा की है। कुछ क्षेत्रों में नदियों में आकस्मिक रूप से पर्वतीय राज्यों से पानी ज्यादा आने से जल स्तर बढ़ा है। लेकिन राज्य सरकार इन सारी स्थितियों की निरन्तर और सतत् समीक्षा कर रही है, सतर्क और सजग है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने 29 जून को ही आपदा से सम्बन्धित एक बैठक की थी और विचार किया था। आच्छादन के बारे में समीक्षा की गई थी और मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि खरीफ के इस साल के आच्छादन का लक्ष्य 96 लाख 30 हजार हेक्टेयर था। उसके मुकाबले 91 लाख 58 हजार हेक्टेयर से ज्यादा खेतों में फसले लगायी जा चुकी हैं। 95 प्रतिशत से ज्यादा जमीन जो खरीफ की फसल में बोई जा चुकी है। सामान्यतः फसल के आच्छादन की कोई समस्या आज की तारीख में नहीं है। गत वर्ष की तुलना में पिछले साल 90 लाख हेक्टेयर जमीन का आच्छादन हो पाया था। इस साल उससे 1 लाख 58 हजार हेक्टेयर के भीतर ज्यादा आच्छादन हुआ है, इसलिए सदन में जैसा कि मा0 सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, मैं समझता हूँ उतना चिंतित होने की आवश्यकता नही है। मा0 मुख्य मंत्री जी के यहां जो दिनांक 29 जून 2023 को बैठक हुयी थी, उसमें मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस बात पर

स्पष्ट निर्देश दिये थे कि सभी नहरे चलायी जाएं और टेल तक पानी की आपूर्ति की जाए। कुछ जगहों पर नहरों के कटने के समाचार उस समय थे, तो उसके लिए पेट्रोलिंग कराये जाने के भी निर्देश दिये गये और इस समय नहरों का कटान नहीं है। सभी नहरों में पर्याप्त पानी है। राजकीय नलकूपों की दृष्टि से भी मुख्य मंत्री जी ने यह निर्देश दिये थे कि सभी ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदल दिये जाएं जहां पर ट्रांसफार्मर जले हुये हैं, या मैकेनिकल दोषों से वह बंद हैं तो उनको तुरंत चालू कर दिया जाये और यह निरंतर प्रक्रिया है ट्रांसफार्मर जलने की, लेकिन उनको तुरंत बदला जा रहा है। मैकेनिकल दोषों से भी उनका निवारण किया जा रहा है और पूरी स्ट्रैन्थ के साथ हमारे नलकूप व नहरें चल रही है। राज्य के भीतर इस बात के लिए जहां पर जल जमाव हुआ था, उसके बारे में भी मुख्य मंत्री जी ने उस दिन निर्देश दिये थे और उसके मुताबिक आपदा की उस समय पूरी समीक्षा की गयी थी।

जो आकस्मिक जल जमाव है गंगा व जमुना में, वह ऊपरी क्षेत्र से आया था और जिसकी वजह से मेरठ मण्डल के कुछ जनपदों के भीतर और कुछ मुरादाबाद के जनपदों के भीतर जल प्लावन की घटनाएं हुयी थीं और स्थिति को देखते हुये उस समय 7 जनपद ऐसे थे जहां बताया गया था कि वहां पर जल जमाव की स्थिति है। फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, कासगंज, खीरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर के 168 गांव के भीतर इस बात की जानकारी मिली है। इनमें लगातार हमारे सर्च के कार्यक्रम होते रहे थे, रेस्क्यू भी उसके लिए चलायी गयी थी और आपदा को बचाव की दृष्टि से एन0 डी0 आर0 एफ0 की एक टीम, एस0 डी0 आर0 एफ0 की एक टीम और पी0ए0सी0 की 3 टीम इस तरह से 5 टीमों के द्वारा बचाव के कार्य भी प्रारम्भ किये गये हैं और उसके लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 26 हजार 9 सौ 64 राशन किट उनको उपलब्ध करवाये गये हैं। 1 लाख 40 हजार से ज्यादा लंच पैकेट भी प्रभावित लोगों को दिये गये हैं। उनको री हैबिटेट किये जाने के लिए व चारे आदि का प्रर्याप्त प्रबंध किया गया है। इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, राज्य के उसी क्षेत्र में मुख्य मंत्री जी ने बाढ़ से प्रभावित या आने वाले समय में आने वाले दिनों में संभावित स्थिति होती है तो उसके लिए भी मा0 मुख्य मंत्री जी ने पर्याप्त सतर्कता के निर्देश दिये हैं, जिसके भीतर 909 बाढ़ की चौकियां बनायी गयी हैं, 522 पशु शिविरों को भी चिन्हित किया गया है। यहां पर यदि कोई इस प्रकार की भी कठिनाई आती है, तो वहां पर उनका समाधान किया जायेगा। फिलहाल राज्य के भीतर इस तरीके की भयावह स्थिति नहीं है जहां पर बाढ़ की बात कही जा सके और इसी तरीके से सूखे का जो मानक है उसके हिसाब से कहीं सूखे का प्रभाव नहीं है। राज्य सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि हम किसानों को बीच में मिनी किट के माध्यम से राज्य के भीतर बड़े पैमाने पर इस वर्ष किसान भाईयों को निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करवायी गयी है। जिसके माध्यम से इस खरीफ के सीजन में मोटे अनाजों की 57 हजार 530 मिनी किट उपलब्ध

करवायी गयी है। इसी प्रकार से दलहन के उड़द और मूंग की 3 लाख 68 हजार 475 किसानों को मिनी किट दी गई है।

मा0 अध्यक्ष जी, मूंगफली के छः हजार और सोयाबीन के सात हजार मिनी किट किसानों को उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार से 4 लाख 39 हजार 5 किसानों को निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करायी गयी है। जिन क्षेत्रों में जून के अंतिम सप्ताह में बारिश नहीं हुई, प्राथमिकता के आधार पर वहाँ पर मिनी किट दिये जाने की व्यवस्था बनायी गयी है और बरसात आने के बाद परिस्थितियों को देखते हुए हमारे वे सभी मिनी किट लगाये गए हैं, जिससे आच्छादन बढ़ा है।

राज्य के भीतर वस्तुस्थिति यह है कि इस समय 13 जनपद ऐसे हैं, जहाँ पर एक्सेस बरसात हुई है। 21 जनपद ऐसे हैं, जहाँ 80 से 120 फीसदी बरसात हुई है, जो नार्मल कैटेगिरी के भीतर है। इस तरीके से 34 जनपदों के भीतर पर्याप्त मात्रा में बरसात हुई है, जिससे वहाँ पर कोई कठिनाई नहीं है। 18 जनपद ऐसे हैं, जिनके भीतर 60 से 80 फीसदी बरसात हुई है, वहाँ पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। 14 जनपद ऐसे रहे है, जहाँ पर 40 से 60 फीसदी बरसात हुई है। वहाँ पर भी परिस्थितियां चिंताजनक नहीं हैं। राज्य सरकार इसके बारे में बराबर नजर बनाए हुए है और जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क रखा गया है कि किसी प्रकार की अगर कहीं पर कठिनाई होगी, तो उसका समाधान किया जायेगा। हमारे 9 जनपद ऐसे हैं, जिनके भीतर इस वर्ष जो बरसात हुई है, वह 115 मिली मीटर से 171 मिली मीटर के भीतर है, यानी 24 प्रतिशत से 37 प्रतिशत बरसात हुई है।

अध्यक्ष जी, फिर भी उन जनपदों के भीतर, जहाँ पर नहरें हैं, वहाँ पर नहरों का पूरा संचालन किया जा रहा है। खासतौर पर कुशीनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बस्ती में नहरों का संचालन पर्याप्त मात्रा में किया जा रहा है। पीलीभीत के भीतर भी संचालन हो रहा है। पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, महराजगंज के जिलाधिकारी से कल मेरी वार्ता हुई थी। ऐसी कोई भयावह स्थिति नहीं है, जिसकी वजह से कोई कठिनाई हो। राज्य सरकार इसके लिए निरंतर किसान भाइयों के साथ है।

प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के भीतर 31 जुलाई की जो अंतिम तारीख होती थी। मानसून देर से आने के कारण हम लोगों ने भारत सरकार से अनुरोध किया और भारत सरकार ने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए बीमा की तारीख 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। जिसके कारण जो किसान के0सी0सी0 लेते हैं और स्वेच्छा से यदि वे लिखकर नहीं देते हैं, तो स्वयं उनका बीमा हो जाता है। ऐसे सभी किसानों का भी बीमा कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। इसी तरीके से अन्य बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ बात-चीत की गयी, जिसके माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर निवेश करने की स्थिति उनकी बन जाए। किसान भाइयों को लगभग 17 हजार करोड़ रुपये से ऊपर की फाइनेंशियल सपोर्ट भी के0सी0सी0 के माध्यम

से हुए है। इस कारण मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार सतर्क है। हर तरीके से व्यवस्था कर रही है।

सिंचाई विभाग ने 2900 राजकीय नलकूप पिछले साल और इस साल मिलाकर लगाए हैं। उसके माध्यम से भी हमारी सिंचन क्षमता बढ़ी है। पिछले पाँच वर्षो में हम लोगों ने 39 हजार से ज्यादा सोलर पम्प किसान भाइयों को उपलब्ध कराए हैं। उसके माध्यम से भी प्रदेश की स्थायी सिंचन क्षमता बढ़ी है और लगभग साढ़े चार हजार सोलर पम्प पिछले साल से लेकर अभी तक हम लोगों ने लगाए है। उसके माध्यम से भी किसान भाइयों की सिंचाई की क्षमता बढ़ी है। राज्य सरकार हर तरीके से सतर्क है और अभी भी जिन क्षेत्रों के भीतर किसान भाइयों की बुआई नहीं हुई है, वहाँ पर हमने एक सकुर्लर जारी किया है कि हाई ब्रीड सीड, खास तौर पर बाजरा, ज्वार और मक्के की फसल लगायी जा सकती है। हाई ब्रीड सीड पर 50 फीसदी अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार अपनी राज्य योजना से दे रही है, जिसके माध्यम से किसानों को सुविधा मिल जायेगी। इसलिए इस तरीके की चिंता की कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 ऊर्जा मंत्री जी।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मा0 अध्यक्ष जी, यहाँ सूखे को लेकर जो चिंता व्यक्त की गयी है। उसको मैं और मेरा विभाग अच्छी तरह से समझ रहा है कि इसमें ऊर्जा की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और है। और उसको लेकर के हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं, रात-दिन हम सब इस बात की चिन्ता कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी बार-बार इस बात को कहा है और विशेष रूप से कल, परसों ही इस बात को कह रहे थे कि सूखे की परिस्थिति में ऊर्जा विभाग, सिंचाई विभाग और कृषि विभाग एक साथ मिल करके काम करें। उस दृष्टि से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जहाँ तक नलकूपों का सवाल है, आपको कुछ फीगर अगर दूँ तो पिछले साल अप्रैल महीने से योगी 2.0 गवर्मेण्ट आयी, उसके बाद से 86,425 नलकूपों के लिए कनेक्शन दिये गये हैं। इस साल की बात करूँ-अप्रैल, मई, जून और जुलाई में भी 14 हजार से ऊपर नलकूपों के कनेक्शन रिलीज किये जा चुके हैं। कुल कनेक्शन की अगर बात करूँ तो इन्हीं चार महीनों में राज्य में 4,44,434 नये कनेक्शन विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को दिये हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हर महीने 01 लाख से ज्यादा कनेक्शन हम लोग रिलीज कर रहे हैं और वह गति हमारे झटपट पोर्टल पर तेजी से बढ़ रही है कि यहाँ जो चिंता व्यक्त की गयी कि लोगों को कनेक्शन मिलने में दिक्कत हो रही है, यह अब पुरानी बात हो गयी है।

वर्तमान में यह प्रक्रिया बहुत आसान कर दी गयी है और लाखों लोग जैसा मैंने कहा प्रति महीने कनेक्शन ले रहे हैं। एक फीगर और आप सबकी जानकारी के लिए देना चाहता हूँ, जैसा कि माननीय उमाशंकर जी ने कहा कि गर्मी की वजह से हर क्षेत्र में बिजली की माँग बढ़ी है। यह माँग माननीय अध्यक्ष जी, सामान्य नहीं बल्कि अप्रत्याशित और ऐतिहासिक रूप से बढ़ी

है। मैं एक फीगर बताऊँ 2012 से 2017 के वर्षो में जो वार्षिक पीक डिमाण्ड थी उसका एवरेज 12 से 13 हजार मेगावाट हुआ करता था जो मैक्सिमम 2016-2017 में 16 हजार मेगावाट तक गया था उसके पीछे के वर्षों में 12, 13 व 14 हजार मेगावाट रहा था जिसका औसत 13 हजार मेगावाट था। इस साल जुलाई महीने में जो हमारी पीक माँग थी वह 28,824 मेगावाट थी जो उस समय के डिमाण्ड से दो गुना से ज्यादा थी। हम इस समय डिमाण्ड को मैनेज कर रहे हैं और इसलिए स्वभाविक बात है कि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उस पर प्रेशर आता है, उससे भी निपटने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक और फीगर आपको दूँ, 01 अप्रैल, 2017 को हमारे राज्य में विद्युत ट्रांसफॉर्मर्स की संख्या 12,07,541 थी। आज 6 वर्षों में जो काम योगी सरकार के दौरान हुआ है, यह देखने, समझने लायक है आज हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स की संख्या 26,36,333 है मतलब दो गुने से भी ज्यादा है।

वर्तमान में जो समस्या है बिजली ज्यादा जा रही है, पुरानी व्यवस्था है जिसमें तारों के जलने की, जर्जर तारों के टपकने व जल जाने की समस्या है, ट्रांसफॉर्मर्स के अधिभारित होने से भी समस्यायें आ रही हैं। लेकिन जो हमारा अनुरक्षण का काम है पिछले साल भी हमने उस पर जोर दिया था। कई बार तेल न डालने की वजह से ट्रांसफॉर्मर्स जलते थे, कई बार फ्यूज ठीक से न लगाने से जलते थे, अधिभारित होना एक बड़ा कारण तो है ही। हमने अपने कर्मचारियों पर पूरा दबाव बनाया है और यही कारण है कि यद्यपि बड़ी संख्या में ट्रांसफॉर्मर्स जलते हुए दिख रहे हैं लेकिन फिर भी यह पिछली साल की अपेक्षा कम है। अगर प्रतिशत की बात की जाए कुल ट्रांसफार्मरों की संख्या के सापेक्ष तो इस साल पिछली साल की अपेक्षा 0.55 प्रतिशत अर्थात् एक प्रतिशत से थोड़े कम की संख्या में हमारे ट्रांसफॉर्मर्स जले हैं फिर भी हम इस चुनौती को समझ रहे हैं तथा यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और मान्यवर, बढ़ती हुई उमस और सूखे की परिस्थिति में हमारे विभाग का काम बढ़ा है। मैं केवल चार महीने का फीगर दूं तो इस साल हम लोगों ने 5,288 ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि की है। 801 नये सब स्टेशन हमने लगवाये हैं। जो तार जर्जर हैं, जल जाते हैं, टपक जाते हैं, उनकी बात होती रहती है, ऐसी 6,845 किमी0 की नयी ए0बी0 केबल लगवाने का काम किया है। इतनी बड़ी संख्या में इतना ज्यादा काम हुआ है। जहां ट्रांसफार्मरों के जलने की बात है, आप बता रहे हैं कि 20 दिन या 25 दिन तक ट्रांसफार्मर सही नहीं होते हैं। अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक केस हो तो आप मेरे संज्ञान में लायें, मैं उसकी तह तक जाने का प्रयास करूंगा कि इतना समय क्यों लगा। वैसे वास्तव में सामान्य रूप से 24 घण्टे, 48 घण्टे की हमारी सूचनाएं हैं। मैं वही कह रहा हूँ।

मैंने पिछले दिनों मा0 विधायकगण के साथ, मा0 सांसदगण के साथ अपने विभाग के सम्मेलन की सूचना दी थी। बहुत सारी जगह पर आप लोगों ने उसमें रूचि लेकर उनके साथ बैठे भी हैं। मेरा आग्रह है, मेरे अपने विभाग पर प्रेशर है कि ट्रांसफार्मर बदलने की जो समयावधि है, उसको कम किया जाए। हम लोग उसको दिन-रात मॉनीटर भी कर रहे हैं। मेरा

ऐसा आग्रह है कि 24 घण्टे और 48 घण्टे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके संज्ञान में कहीं ऐसा आया है और कहीं का ऐसा कोई केस है जैसा आपने कहा कि 20 दिन 25 दिन लग रहे हैं तो आप हमें अवश्य बताइयेगा, हम उसकी तह तक जायेंगे। हम और आप मिलकर इस व्यवस्था को अवश्य सुधारेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई के इन चार महीनों में हमने 94,847 ट्रांसफार्मर जले हुए बदले हैं। जलने की संख्या काफी है, लेकिन उतना ही भागीरथ प्रयास हमारा विभाग ट्रांसफार्मर बदलने का भी कर रहा है। गर्मी में बिजली की मांग बढ़ी है। मा0 शाही जी ने राजकीय नलकूपों की बात की है, उसमें 34000 नलकूप हैं, जिनके ऊपर भी हमारा पूरा ध्यान है। ए0डी0सी0 की स्कीम में हमारा तार बदलने का काम चल रहा है। एक और बात जो आप सबके संज्ञान में होनी चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। केन्द्र सरकार की एक योजना पी0एम0 कुसुम सी-1 है, जिसके अन्तर्गत हम किसानों के पम्प का सोलराइजेशन करते हैं। उनको सोलर द्वारा ऊर्जीकृत कर दिया जाए, तो बाद में आगे चलकर उससे आमदनी हो सकती है। इसमें जो हमारी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वनटांगिया हैं, मुसहर जाति के लोग है, इस तरह के जो हमारे पिछड़े समुदाय के लोग हैं, उनके लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी की योजना है। कृपा करके आप अपने-अपने क्षेत्र में जहां कहीं भी ऐसी परिस्थितियां दिख रही हों, उन पम्पों को सोलराइज करने में हमारी भी मदद करें और किसानों की भी मदद करें। वैसे ही पी0एम0 कुसुम-2 योजना है, जिसमें कृषि फीडरों का सोलराइजेशन किया जाता है। इसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी देने का हमारा प्राविधान है। इसमें हम लोग 90 प्रतिशत तक सब्सिडी देते हैं। गर्मी के चलते जो बिजली की मांग बढ़ी है, उस पर हमारा निरन्तर ध्यान है। हम लोग दिन-रात इस समस्या से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

विजलेंस का छापा न पड़े, वह अपना बिजली का कनेक्शन ले सकें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री उमाशंकर सिंह जी, श्रीमती आराधना मिश्रा जी, श्री वर्मा जी, मा0 मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए इसको अग्राह्य करता हूँ।

श्री राजपाल सिंह बालियान-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं गन्ने पर बोलने से पहले कुछ और बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप गन्ने से पहले और गन्ने के बाद मत बोलिये। आप सिर्फ गन्ने पर ही बोलिये।

श्री राजपाल सिंह बालियान-

मा0 अध्यक्ष जी, गन्ने पर बोलने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इसका मतलब है कि हम वहां पर संदेश दे देंगे कि आपके लिए गन्ना दूसरे नम्बर पर है। श्री प्रसन्न कुमार जी आप बैठिए और श्री सूर्य प्रताप शाही जी आप बोलिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, नियम-103 के अन्तर्गत आपकी अनुज्ञा से मैं सरकार की ओर से कल अधिकृत वक्तव्य दूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि जब तक आप चाहें लोक महत्व के इस विषय पर राज्य सरकार इस बात को लेकर के सहमत है कि हम इस पर चर्चा कराएंगे। राज्य सरकार इसको कराना चाहती है और मैं आपको लिखित रूप से नियम-103 के भीतर सूचना देता हूँ और आप उसके ऊपर चर्चा करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

सूर्य प्रताप शाही जी आप बैठ जाइए। जो आपने प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव से पहले आदरणीय नेता कांग्रेस सुश्री मोना जी ने यह स्वयं कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक में इस बात को कहा था आप दोनों ने कहा और आप भी उसमें उपस्थित थे। आपके प्रस्ताव से पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि इसके ऊपर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। आपके प्रस्ताव की उसमें आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि पहले से ही यह निर्णय हो चुका था और निर्णय को आज औपचारिक रूप से माननीय कृषि मंत्री जी ने सदन के अन्तर्गत इसको बताया है तो उसके लिए मैं समय और दिन निर्धारित करूंगा और वह मैं आपको बताऊंगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, नियम-103 की सूचना पर चर्चा आप करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

इस सम्बन्ध में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से और मा0 कृषि मंत्री जी से विचार-विमर्श कर के बता देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा यह अनुरोध है कि कल यह प्रस्ताव रख देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब उस पर विचार-विमर्श कर के अगर कल होगा तो फिर कल बता देंगे। श्री प्रसन्न कुमार जी अब आप बोलिए।

***श्री प्रसन्न कुमार-**

मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्वलन्त मुद्दा गन्ने पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। आपके माध्यम से मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि एक गन्ना किसान 24 घंटे और एक साल मेहनत करता है और इस गन्ने की मिठास को प्रदेश और देश में बल्कि विश्व में पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन बड़ी विडम्बना है कि जब वह गन्ने के पेमेंट के लिए बात करता है तो उस किसान को मिल मालिकों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है गन्ने के पेमेंट के लिए किसानों को धरना-प्रदर्शन करना पड़ता है। परन्तु निर्दयी सरकार किसान की ओर ध्यान न दे कर के केवल और केवल उन पूंजीपतियों के साथ खड़ी हो जाती है। यदि मैं उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की बात करूं जिनमें शामली, मुजफ्फरनगर, और बागपत जिला आता है तो इस साल का 20 दिसम्बर तक का ही कुल पेमेंट हुआ है। यदि मैं एक आंकड़ा आपके सामने शामली जिले का बताऊं तो तीन मिल शामली जिले में हैं, और छः सौ अड़सठ करोड़ रुपये का पेमेंट बकाया किसानों का मिलों पर है। यदि मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मुजफ्फरनगर जिले की एक मिल है उसका ढ़ाई सौ करोड़ रुपये बकाया है। यदि मैं बागपत की बात करूं तो बागपत जिले की एक मिल है उसका लगभग साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये बकाया है। ऐसे समय में जब किसान को पैसों की आवश्यकता होती है कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई पर पैसा लगा सके, अपनी बीमारी में पैसा लगा सके, उस समय वह अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है। ऐसे समय में आवश्यकता है कि सरकार किसानों की ओर ध्यान दे। सरकार ने आज लगभग डेढ़-दो साल पहले घोषणा की थी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पहले टर्म में भी घोषणा की थी कि किसान की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी होगी, लेकिन किसान का दुर्भाग्य है कि उसकी आय एक चौथाई रह गयी है। मेरे पास गन्ने से सम्बन्धित एक आँकड़ा है कि महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि यदि हम एक बीघे में गन्ना बोते है तो उसका खर्च लगभग 15 से 16 हजार रुपये आता है और यदि किसान को सवा तीन सौ तथा साढ़े तीन सौ के हिसाब से गन्ने का मूल्य मिलता है तो वह मुश्किल से 17 हजार रुपये बैठता है। इस तरह से यदि हिसाब लगाया जाये तो किसान की आय घटी है।

आज इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और सरकार ने कहा है कि 14 दिनों में गन्ने का भुगतान करायेंगे, लेकिन सरकार गन्ने का भुगतान नहीं करा पा रही है। आदरणीय गन्ना मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं तो आदरणीय मुख्य मंत्री जी तथा आदरणीय गन्ना मंत्री जी से मेरा आग्रह है और मैं चाहता हूँ कि यह सरकार कम से कम 14 दिनों में किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कराने की व्यवस्था करे। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस गन्ने की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेल्ट के किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिलना चाहिये था जिससे वहाँ का किसान सम्पन्न हो और उसकी आय भी दोगुनी हो, लेकिन सरकार ने दो साल से गन्ने का मूल्य भी नहीं बढ़ाया है। इसलिये मेरी मांग है कि जो चार-पाँच ऐसे जिले बचे हुये हैं जहाँ लगभग 4000 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान नहीं हुआ है, सरकार उसके भुगतान की व्यवस्था करे जिससे उन किसानों के बच्चों की पढ़ाई में पैसा खर्च हो सके, उनकी बीमारी में पैसा खर्च हो सके। मान्यवर, अंत में मैं आपका धन्यवाद प्रकट करते हुये पुनः आग्रह करता हूँ कि शायद इन किसानों की पीड़ा सरकार तक पहुँची होगी। धन्यवाद।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, क्षेत्र तो सभी लोगों का है, उनका अकेले का क्षेत्र नहीं है। गन्ने के क्षेत्र से केवल वह अकेले नहीं आते हैं, सभी लोग आते हैं। आपने नोटिस नहीं दिया है, इसलिये आप कृपया बैठ जायें। मा0 गन्ना मंत्री जी, आप उत्तर दे दें।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है मैं उस बात को मानता हूँ और इस सम्बन्ध में सरकार पूरी तरह से सचेत है। इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में जो गन्ने की खरीद हुयी है वह 38 हजार 51 करोड़ रुपये की हुई है और अभी तक हम 32774.47 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान कर पाये हैं।

(इसी मध्य सदस्य श्री गुलाम मौहम्मद के अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य ने जो विषय उठाया है, पहले उसका उत्तर आ जाने दीजिये।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, अभी तक हम कुल व्यय का लगभग 86.13 प्रतिशत भुगतान कर चुके हैं और 5276 करोड़ रुपये अभी भी भुगतान हेतु शेष है। मान्यवर, इस बार 118 मिलों ने गन्ने की पेराई की थी जिसमें से 74 मिल ऐसी हैं जिन्होंने मिल बन्द होने के 14 दिनों के अन्दर शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया था। इसके अतिरिक्त 10 मिलें ऐसी है जिन्होंने अब तक 80 से 85 प्रतिशत तक भुगतान कर दिया है। यदि मैं पूर्व की बात करूँ और मा0 सदस्य ने जैसा कि चिन्ता जाहिर की है तो वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ना बोया जाता था। मान्यवर, हमारी सरकार में पेमेन्ट टाईम पर देने की वजह से आज उत्तर प्रदेश

में 29 लाख हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता है। हमारी सरकार में 9 लाख हेक्टेयर गन्ना अधिक बढ़ा है। इससे अपने आप में जाहिर होता है कि किसान को फायदा हो रहा है तभी वह आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं पहले की बात करूँ तो वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक कुल 5 वर्ष में 52 हजार 131 करोड़ रुपये का गन्ने का भुगतान हुआ था, 2012 से 2017 तक की सरकार में 95,215 करोड़ का गन्ने का भुगतान किया गया था और हमारी सरकार ने 6 साल में 2,15,903 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। पिछले 10 सालों में हमने 4-5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का गन्ने का भुगतान किया है। मा0 सदस्य किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे। हमने किसानों को अच्छे बीज दिए हैं, हमने समूहों के द्वारा नई तकनीक भी किसानों को बताई है। गन्ने की खेती में लाभ होने की वजह से किसानों ने अपना रकबा बढ़ाया है और मैं यह कह सकता हूँ कि गन्ने के पेमेन्ट को लेकर हम पूरी तरह से सजग है।

शामली की 2 चीनी मिलों ने 15 दिनों में लगभग 43 करोड़ रुपये की पेमेन्ट की है। हम पूरी तरह सजग है और अभी आप थानाभवन की बात कर रहे थे तो इसके बारे में मैं बता सकता हूँ कि पिछले सप्ताह में यदि आप देखेंगे तो साढ़े 28 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। आप सबको पता होगा कि जब कोविड काल में पूरी दुनिया में साईकिल से लेकर हवाई जहाज तक बंद थे तब हमने किसानों की चिन्ता करते हुए एक भी शुगर मिल बंद नहीं होने दी थी। मैं पिछले वर्षों की बात नहीं करना चाहता हूँ लेकिन जब उत्तर प्रदेश में किसान ज्यादा गन्ना बोया करता था तो कभी-कभी बड़े नेताओं को यह कहना पड़ता था कि यदि खेत में जगह न हो तो हमारे सिर पर गन्ना बो दो, इसलिए गन्ने की पिराई रह जाती थी, गन्ने में आग लगायी जाती थी। उत्तर प्रदेश की सरकार में जब से मा0 योगी जी आए हैं तब से एक भी गन्ना खेत में खड़ा नहीं रहा है।

श्री प्रसन्न कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं काउन्टर में जवाब देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

काउन्टर में जवाब मत दें, यदि आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।

***श्री प्रसन्न कुमार-**

मा0 अध्यक्ष जी, जैसा कि मा0 मंत्री जी ने कहा है, मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल के मुकाबले 3500 हेक्टेयर गन्ना शामली में कम हुआ है। किसान भीख नहीं मांग रहा है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब किसान ने अधिक गन्ना बोया है और उसने अपनी मेहनत से अधिक गन्ना पैदा किया है तो पेमेन्ट भी अधिक ही करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैने मा0 सदस्य श्री प्रसन्न कुमार जी को सुना और मा0 मंत्री जी को सुना है। अब मैं इस सूचना को आग्राय करता हूँ।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, पंजाब और हरियाणा के अलावा पूरे देश में सबसे ज्यादा राहत उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है।

श्री अध्यक्ष-

एक महत्वपूर्ण सूचना जो श्री राम अवतार सैनी जी ने, श्री शाहिद मंजूर जी ने, श्री अतुल प्रधान जी ने, श्री पंकज मलिक जी ने मेरठ में कांवड़ियों के सम्बन्ध में दी थी उसके ऊपर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, कांवड़ियों के सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्यों की सूचना है, उसके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूँ कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई और इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। यह बहुत ही अफसोसजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सदस्यों ने जिस बात की जिज्ञासा की थी। जिन लोगों की उस दुर्घटना में मृत्यु हुई थी उन्हें 5-5 लाख रुपये दे दिये गये। जो लोग घायल हुए थे उन लोगों को 50 हजार रुपये तथा उनके इलाज की व्यवस्था के लिए कह दिया गया है। यह मुख्य मंत्री जी की तरफ से घोषणा हो चुकी है और इसका कार्यान्वयन भी हो चुका है। माननीय सदस्यों की उनके परिवारों के प्रति जो जिज्ञासा थी वह मैं समझता हूँ और उनकी जिज्ञासा को अब शान्त हो जाना चाहिए।

***श्री शाहिद मंजूर-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, यह घटना मेरे क्षेत्र की है बल्कि मेरे क्षेत्र की नहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की है और जहां-जहां कावड़ यात्रा निकलती है, वहां की और पूरे प्रदेश की यह समस्या है। मेरे पास इसी कावड़ यात्रा में लगभग 22 और 23 लोगों की मृत्यु होने की सूचना है और मेरे पास नाम भी हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

जितनी भी सूचना दीजिए, वह सबको देंगे।

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने 5-5 लाख रुपये दे दिये है। इनके पास सूचना अपूर्ण है। इन्होंने 50-50 हजार रुपये देने की बात की है, वह भी सूचना अपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

हो सकता है यहां से दे दिया गया हो, वहां ट्रान्सफर होने में टाइम लगे।

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अध्यक्ष जी, वह पैसा दिया गया लेकिन वह किसान दुर्घटना बीमा का पैसा दिया गया जो लोग धार्मिक यात्रा के दौरान मरे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि धार्मिक यात्रा कोई मामूली यात्रा नहीं है। इस यात्रा के संरक्षण के लिए पहले से भी हैलीकाप्टर का इस्तेमाल किया जाता था कि उनको कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। उसी यात्रा पर सरकार की तरफ से हैलीकाप्टर से फूल बरसाये गये। यह खुशी की बात है। मैं इसका स्वागत करता हूँ कि आप धार्मिक यात्रा के दौरान कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। मैं इस कार्य की सराहना करता हूँ। मैं साथ ही साथ यह भी मांग करता हूँ कि जब फूल बरसाने की बात है उसके लिए स्वागत है लेकिन जब उनके फूल चुने जाते हैं तो सरकार की तरफ से उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता।

श्री अध्यक्ष-

उन्हें मुआवजा दिया गया।

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे यहां 6 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हुई। उनके परिवार को मुआवजा दिया जाये। ये घायलों को मुआवजा देने की बात कर रहे हैं कि हमने घायलों को मुआवजा दे दिया। माननीय मंत्री जी मात्र 4-5 लोगों को मुआवजा दिया गया जबकि 15 लोग इन्जर्ड हैं। बात यहीं की नहीं है। धार्मिक यात्रा से सम्बन्धित एक और दुर्घटना हुई जिसमें मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गयी। वह भी हमारे ही जिले की है।

श्री अध्यक्ष-

आप वह भी लिख दीजिए। इसमें जो लिखा हुआ है, उसका जवाब दें।

श्री शाहिद मंजूर-

माननीय अध्यक्ष जी, खाटू श्याम यात्रा के लिए मेरठ से पूरा परिवार गया था। उस परिवार के 6 लोग मौके पर नहीं रहे। एक बच्चा और एक और जन बचा। सरकार की तरफ

से 2-2 लाख रुपये मुआवजे के लिए भेजे गये हैं। मेरी मांग है कि जो धार्मिक यात्रा के दौरान मौते हुई हैं। जिन पर आप फूलों की वर्षा कर रहे थे, मेरा आग्रह है कि उन पर फूलों की वर्षा करना स्वागत योग्य है लेकिन उनके परिवारों को भरपूर मुआवजा जरूर दें। मान्यवर, मेरा सरकार से निवेदन है कि उनके परिवारों को भरपूर मुआवजा जरूर दें जिससे कि उनकी दिनचर्या चल सके। यहां पूरा सदन जानता है कि आज के दौर में 10-5 लाख रुपये किसी के परिवार को देने से उसका भला नहीं होता है। हमारे दल के तमाम साथियों की मांग है कि धार्मिक आयोजनों में मरने वाले लोगों को एक-एक करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसमें सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, मा0 मंत्री जी को बोलने दीजिए। यहां कोई डिबेट स्वीकर नहीं हो सकती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि कांवड़ यात्रा के लिए पूरे ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाता है और सम्मान पूर्वक कांवड़ यात्रा कराने के लिए पूरी सुविधा सरकार की तरफ से की जाती है और फूल बरसाये जाते हैं। जहां तक मुआवजे की बात है तो कोई व्यक्ति अगर मरता है हम उसे मुआवजा नहीं देते हैं, हम तो उसके परिवार को सहायता देते हैं, केवल आंसू पोछने के लिए, मौत की कोई कीमत नहीं होती है लेकिन मुख्य मंत्री सहायता कोष से चार-चार लाख रुपये और एक-एक लाख रुपये विद्युत विभाग की तरफ से और इसके अतिरिक्त प्रत्येक मृतक के वारिसान को विद्युत विभाग की ओर से एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

किसान दुर्घटना वाला नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जिन-जिन लोगों की सूचना आयी थी जो लोग घायल हुए हैं उनको पचास-पचास हजार रुपये इलाज के लिए दिये गये हैं। जिन अस्पतालों में वह भर्ती हैं उनके इलाज की व्यवस्था के लिए कह भी दिया गया है कि सरकारी स्तर पर उनका इलाज भी कराया जायेगा।

श्री शाहिद मंजूर-

मान्यवर, जसराना में और कई जगह हैं तो उनको अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप उनको अलग से लिख कर दीजिए। मा0 इंद्रजीत सरोज जी के द्वारा जनपद प्रयागराज में छात्रावास के सम्बन्ध में व मा0 चंदन चौहान जी ने जो सूचना दी थी उस पर सरकार ने ध्यान आकर्षित कर लिया है। मा0 नगर विकास मंत्री जी, बिल को प्रस्तुत करिये।

[02:45] उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023

नगर विकास एवं शहरी समग्र विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मा0 अध्यक्ष, जी मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय। मा0 अध्यक्ष जी, सदन के संज्ञान में है कि इस वर्ष स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगरपालिकाओं, व नगर पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हुए हैं। मैं इस अवसर पर राज्य के सभी कर्मियों, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को बधाई और धन्यवाद भी दूंगा जिन्होंने चुनाव सफलता पूर्वक संपन्न कराने में अपना योगदान दिया।

हम जो अध्यादेश अधिनियम में परिवर्तित करने के लिए लाये हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैं उस पर बात करूँगा। हमारे राज्य में नगर निकायों के संचालन के लिए प्रमुख रूप से दो अधिनियम हैं जिसमें एक है उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और दूसरा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959। इससे पहले वर्ष 2017 में जो चुनाव हुए थे उस समय हमारे पास 653 नगर निकाय थे। इस बार के चुनाव में हमारे पास कुल 762 नगर निकाय थे उनमें से 760 नगर निकायों में हमने चुनाव कराया है। इससे पहले जब हम लोग इसकी तैयारी करते थे तो हम लोगों ने इसकी सारी प्रक्रिया ससमय पूर्ण कर ली थी। हमने दिनांक 05 सितम्बर, 2022 को चुनाव की अनन्तिम अधिसूचना भी जारी कर दी थी, लेकिन सदन के संज्ञान में है कि कुछ लोगों ने मा0 उच्च न्यायालय में कुछ मुद्दों को लेकर रिट पिटीशन दाखिल की। मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 को एक आदेश पारित किया जिसमें सरकार की अनन्तिम अधिसूचना को रद्द कर दिया और कहा कि आप डेडिकेटेड कमीशन बनाकर चुनाव कराईये और बैकवर्ड क्लासेज के आरक्षण के बिना ही चुनाव कराने के लिए आगे बढ़िये। जहां तक डेडिकेटेड कमीशन बनाने की बात थी, तो राज्य सरकार ने दूसरे ही दिन डेडिकेटेड कमीशन बना दिया। लेकिन दूसरी बात हम लोगों को स्वीकार्य नहीं थी। मा0 मुख्य मंत्री जी और हमने कहा, बार-बार कहा कि हम ओ0बी0सी0 रिजर्वेशन के बिना चुनाव नहीं करायेंगे।

माननीय हाई कोर्ट के संज्ञान में यह बात भी लाई गई कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय का जो कृष्णमूर्ति जजमेंट और जो विकास जजमेंट किशनराव गवली जजमेंट था, जिसके आधार पर डेडीकेटेड कमीशन बनाने की बात चल रही है तो जब से 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ है तब से रैपिड सर्वे कराकर ओ0बी0सी0 की संख्या जानकर उसके आधार पर रिजर्वेशन देने की प्रथा हमारे यहां चली आ रही है। वर्ष 2005 और वर्ष 2017, यहां तक कि पिछले सारे चुनाव

रैपिड सर्वे के आधार पर होते आये हैं। इसलिये हमने जो इस बार के चुनाव की अनन्तिम अधिसूचना जारी की वह रैपिड सर्वे के आधार पर जारी की। फिर भी हाई कोर्ट ने कहा कि आप कमीशन बनाईये और अगर डेडिकेटेड कमीशन बनाने की प्रक्रिया में विलम्ब होता है तो बिना रिजर्वेशन के आप चुनाव में आगे बढ़िये। हम लोगों ने पहली बात जो डेडीकेटेड कमीशन बनाने की थी उसे तो माना, लेकिन दूसरी बात राज्य सरकार को स्वीकार नहीं थी क्योंकि इससे ओ0बी0सी0 के हितों का हनन हो रहा था और उनके हितों के संरक्षण में बाधा पहुँच रही थी। हम लोग तुरन्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय गये। मा0 सर्वोच्च न्यायालय से हमने कहा कि जहां तक समय से चुनाव कराने की बात है तो....

(इसी मध्य अपराह्न 02 बजकर 46 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए)

हमने समय से चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी थी लेकिन बीच में हाई कोर्ट के आदेश से बाधा आई है और हमने कमीशन भी बना दिया है। हमें थोड़ा समय और दिया जाये। हम ओ0बी0सी0 के रिजर्वेशन के साथ चुनाव कराना चाहते हैं। मा0 प्रधान मंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी की 'सबका साथ, सबका विकास' की जो नीति है और हमारी जो ओ0बी0सी0 के प्रति जो भावनायें हैं उनका सम्मान मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने किया। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ठीक है, आपने जो डेडिकेटेड कमीशन बनाया है उसमें आप जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे दीजिये और उसके बाद आप चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़िये। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम लोगों ने 28 दिसम्बर को 05 सदस्यीय डेडिकेटेड कमीशन बनाया था और हमें उसकी रिपोर्ट 09 मार्च को मिल गई। हमारी सरकार द्वारा उस रिपोर्ट को 09 मार्च को ही स्वीकार भी कर लिया गया और जो आयोग ने संस्तुतियाँ की थीं उसके क्रियान्वयन के लिए हमें अपने दोनों अधिनियमों में सुधार करने पड़े। उस समय चूंकि विधान सभा का सत्र नहीं था और चुनाव समय से कराना आवश्यक था इसीलिए हमें आर्डिनेन्स करके इन दोनों अधिनियमों में कुछ बदलाव करना पड़ा था। उसी आर्डिनेन्स को अब अधिनियम में बदलने के लिए हम सदन के समक्ष आये हैं। हमारी पहले की जो चुनाव कराने की प्रथा थी उसमें आयोग ने कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की भी सिफारिश की थी।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 मंत्री जी आप 65 पर बोल रहे हैं या 66 पर बोल रहे हैं ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मैं 65 पर बोल रहा हूँ। 65 में भी दोनों अधिनियमों का संशोधन है। इसीलिए मैं दोनों संशोधन की बात कह रहा हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, जो आयोग की रिपोर्ट आयी उसके क्रियान्वयन के लिए हमें इन दोनों अधिनियमों में कुछ संशोधन करने पड़े और वह अध्यादेश के जरिये किया और उस अध्यादेश को अधिनियम में बदलने के लिए हम सदन के समक्ष आये हैं मेरा अनुरोध है कि मा0 सदन उन अधिनियमों को पारित करे। धन्यवाद।

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 लाया गया है, जैसा मा0 मंत्री जी ने कहा कि कोर्ट के चुनाव रोक देने के बाद इस तरह की परिस्थितियाँ बनीं। लेकिन परिस्थितियाँ क्यों बनीं। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। जो हमारा अधिनियम था जिसमें हम संशोधन लाये हैं रिजर्वेशन के बारे में उसमें व्यवस्था की गयी लेकिन जातीय जनगणना न करने के कारण रैपिट स्टे द्वारा किया गया जिसको मा0 हाई कोर्ट ने उसको मानने का काम नहीं किया। इसलिए हमें जातीय जनगणना कराने की आवश्यकता थी। जिसको हम कराने का काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, रिजर्वेशन का उलटफेर अव्यवस्थित हो रहा है। जबकि इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि मण्डलों में अनुसूचित जातियों के पदों को इस प्रकार आवंटन, एक मण्डल हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो। मान्यवर, कई बार चुनाव हो गया। 1995 के बाद से लगातार चुनाव हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जो चक्र घूमना चाहिए चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग के लिए हो, वह चक्र घूम नहीं रहा है। बार-बार वही नगर पालिका या वही नगर पालिका परिषद् एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में फिर उसी वर्ग में आरक्षित हो जा रही है। जबकि इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वह चक्रानुक्रम का एक चक्र पूरा होने बाद तब तक चलेगा जब तक कोई अवशेष नहीं बचेगा। इस तरह की नियमों में शिथिलता का प्रयोग हम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जब यह कमियाँ रह जा रही हैं तो घूम-फिरकर एक नगर पालिका पिछड़े वर्ग में रिजर्व थी फिर दो साल बाद वही रिजर्व हो गयी। जबकि बहुत सी पिछड़े वर्ग के लिए रह गयीं। बहुत सी अनुसूचित जाति के लिए रह गयीं। इसलिए एक परिपूर्ण अधिनियम बने। उसकी आवश्यकता है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन एक परिपूर्ण नियम बने जिससे इस तरह की विसंगति न रह जाये। किसी को आपत्ति करने का अवसर नहीं मिले। जब हमें चक्रानुक्रम से रिजर्वेशन देना है तो चार की संख्या भी होगी तब तक जायेगा। तो फिर वह चक्र घूमनें में दिक्कत क्यों आ रही है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम उसको अपने ढंग से इन्टरप्रेट कर रहे हैं और जिसके कारण वह चक्र पूरी तरह से आज तक पांच-छः बार चुनाव हो जाने के बाद भी घूम नहीं पाया है। इसलिए इस अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और नगरों की एक सूची वर्ष 2011

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जातीय जनगणना के आधार पर और पिछड़े वर्ग की जातीय जनगणना अलग से कराकर, उसी के आधार पर एक सूची अधिनियम के साथ ही लग जाए कि इस चक्र में हमारा चक्र चलेगा। अगर एक सूची पहले से हो जायेगी क्योंकि बाद में हर साल जनगणना होगी, वर्ष 2021 में जनगणना हुई नहीं, वर्ष 2023 में भी जनगणना नहीं हो पा रही है एवं वर्ष 2024 में भी नहीं हो पा रही है, भगवान जाने जनगणना कब होगी। इसलिए एक आधार वर्ष चुनें, उस वर्ष नगरों की जनगणना की रिपोर्ट को लेकर आप जातीय जनगणना कराईये और एक वर्ष की आधार जनगणना, मान लीजिए अगले वर्ष यह दिक्कत नहीं आए, वर्ष 2023 चल रहा है, इसी वर्ष उस जनगणना को कराकर और उस सूची को भी लगाया जाए कि हमारा चक्र अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लिए इस तरह से घूमेगा। फिर किसी भी तरह की विसंगति नहीं आएगी और इससे आपको हाई कोर्ट के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। इसलिए परिपूर्ण अधिनियम बने, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस अधिनियम को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जिससे प्रवर समिति विचार करके, सारवान ढंग से जिसमें किसी तरह से हमारी इच्छा पर निर्भर न हो कि इस नगरपालिका को हमे रिजर्व कर देना है, इसको रिजर्व से मुक्त कर देना है, यह हमारी इच्छा पर न हो, नियमों के अनुसार हो, हमारे अनुकूल हो या विपरीत हो। उस ढंग से वह चक्र चलता रहे इसके लिए एक परिपूर्ण अधिनियम बनाने की आवश्यकता है इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें क्योंकि अभी तत्काल कोई भी चुनाव होना नहीं है, इसलिए इसकी कोई तत्काल आवश्यकता भी नहीं है, चुनाव हो गया है। इसलिए तीन महीने के अन्दर आ जायेगा और उसी के आधार पर यह अधिनियम बन जायेगा तो मैं समझता हूँ कि बार-बार संशोधन की आवश्यकता नही पड़ेगी। इसलिए मैं अपनी प्रवर समिति के प्रस्ताव पर जोर देता हूँ और साथ ही साथ इसके साथ जातिगत जनगणना अनिवार्य रूप से कराई जाए इसकी भी मैं मांग करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी लालजी वर्मा जी ने संशोधन प्रस्ताव रखा है मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूँ और मैं पुनः उन बातों को दोहराऊँगा नहीं। हमारा पिछला नगर निकाय का चुनाव सम्पन्न हो गया है। इसमें मा0 मंत्री जी की तरफ से आया है कि चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपरोक्त विषय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश नगरपालिका संशोधन अध्यादेश, 2023 उत्तर प्रदेश पुनः प्रख्यापित कर दिया गया, यानी प्रख्यापित कर दिया गया, इलेक्शन हो गया। हम लोग बहुत पुराने सदस्य नहीं हैं। कभी-कभी सत्र में ऐसा भी दिखना चाहिए कि कोई ऐसे इश्यूज आ जाएं तो तत्कालिक 24 घण्टे के अन्दर में कभी-कभी सत्र बुलाया जाए कि इसमें बहुत बड़ा एजेण्डा है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तो हमने अपने आरक्षण पर कमेटी बनाकर उसको करा दिया, लेकिन जब वह रिपोर्ट आ गयी

तो हमको तुरन्त सत्र भी बुलाना चाहिए और आज जो चुनाव हो गया है हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं और हमारे उस निर्णय से कुछ बदल भी नही सकता है, हमारे जो संशोधन हैं, उस संशोधन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैने इस तरह का कई बातों में उल्लेख किया है। पूरे प्रदेश को लगता कि क्या इश्यू है कि विधान सभा इमरजेन्सी में बुलाई गयी है।

एक ही विषय रहता उस पर चर्चा हो जाती। खैर, ऐसा नहीं हो सका है, अधिष्ठाता महोदय मेरा इसके आगे यह जोड़ना है कि जो हम उसमें आरक्षण की प्रक्रिया फॉलो किये हैं, अगर संशोधित भी किये हैं, उसमें एक चीज हम जोड़ नहीं पाये हैं, जैसे अनुसूचित जाति का आरक्षण। जिस तरह हम उसमें आरक्षण की सीमा निर्धारित किये है, जैसाकि गाइडलाइन है कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से कम रहेगी, इसमें हमारी ओ0बी0सी0 की सीमा है वह तो 27 प्रतिशत की हिस्सेदारी पूरी है। लेकिन आप पूरा अध्ययन करेंगे तो अनुसूचित जाति की आरक्षण की हिस्सेदारी है, मान लीजिये 21 प्रतिशत, 20 प्रतिशत या 19 प्रतिशत जो भी होना चाहिए उसमें उनके कोटे के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दी गयी है। यह आज से नहीं, बहुत पहले से आ रहा है। उसमें इन्होंने ये नहीं देखा है कि एस0सी0 को 20 प्रतिशत आरक्षण देना ही देना है, इस बार का जो रोटेशन बना है उसमें कहा गया कि जो एस0सी0 की आबादी के अनुसार से उनका आरक्षण तय किया जायेगा। इसलिए उनका परसेण्टेज आप उठाकर देख लेंगे तो किसी-किसी जिले में 1 से 2 प्रतिशत ही बना है। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि मा0 मंत्री जी को इसमें संशोधन लाना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति की जो हिस्सेदारी है जिसे हम कहते हैं कि वे आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, मान लीजिए 02 प्रतिशत अदर आरक्षण हैं, 27 प्रतिशत आरक्षण ओ0बी0सी0 का है लेकिन अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी उसमें नहीं मिल पायी है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जैसा कि वर्मा जी ने कहा इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें जिससे अनुसूचित जाति की जो आबादी है उन्हें भी हम उनकी आबादी के हिसाब से नहीं बल्कि जितना हम उन्हें आरक्षण देते हैं उस परसेण्टेज के हिसाब से उनका आरक्षण तय करें तो निश्चित रूप से सबको सहभागिता बराबर मिलेगी।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपका आभार है कि आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं लालजी वर्मा एवं मा0 उमाशंकर सिंह जी से स्वयं को सम्बद्ध करती हूँ। मेरा इसमें एक सुझाव है और अपनी एक बात रखना चाहती हूँ कि आरक्षण का जो चकानुक्रमांक होता था, मैं भी 15 वर्ष ब्लाक प्रमुख रही हूँ, लगभग 03 बार ब्लाक प्रमुख रही हूं, चक्रानुक्रम जब चलता था, तब यह सुनिश्चित रहता था कि किसी भी सीट पर आरक्षण का लाभ मिल सके चाहे वह एस0सी0 का आरक्षण हो, चाहे महिला का आरक्षण हो या सामान्य का हो या पिछड़ी जाति का हो। पर जो पिछला चुनाव अभी बीता, जिसके लिए यह बिल प्रस्तुत

किया जा रहा है, इसमें हमने देखा कि निकाय चुनाव में कुछ जगह मण्डल को यूनिट माना और कुछ जगह प्रदेश को माना। ऐसा पिछले चुनाव में भी देखने को मिला। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर हम सीट की लिस्ट देखते हैं, कि पिछले कई चुनावों में चक्रानुक्रम के आधार पर उस सीट का आरक्षण चेंज नहीं हुआ। अगर उसका आरक्षण चेंज नहीं होगा तो जो हमारा आशय है उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो पायेगी। हमारा आशय है कि हर जगह आरक्षण का लाभ एस0सी0, बैकवर्ड एवं महिलाओं को मिल सके। मेरा यह अनुरोध है कि इसकी पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि इसका यूनिट तय कर दिया जाए, ताकि हमेशा उसी अनुरूप चक्रानुक्रम आरक्षण हो सके। मेरा बस एक ही अनुरोध है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, ताकि भविष्य में, क्योंकि यह चुनाव तो बीत गया इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आने वाले चुनावों में आरक्षण का लाभ सभी को मिल सके। अतः इसे प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहां मा0 लालजी वर्मा एवं माननीय मोना जी ने कहा कि चक्रानुक्रम जो है, उसे अपना पूरा सर्कल घूमना चाहिए, सिद्धान्ततः मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन लालजी वर्मा जी चले गए हैं, उनको याद होगा कि चकानुक्रम को सच में डिस्टर्ब करने का काम सबसे पहले 2012 में हुआ था। 2012 में यह कहा गया कि पीछे के इलेक्शन को हम इलेक्शन नहीं मानेंगे, आज से नयी शुरुआत होगी। इस बार परिस्थिति एकदम अलग थी, परिस्थिति एकदम नयी थी, क्योंकि 909 हाई कोर्ट मैटर बनी, सुप्रीम कोर्ट मैटर बनी, डेडिकेटेड कमीशन बना, कमीशन की अलग पैटर्न पर इलेक्शन कराने की सिफारिशें आयीं कि मण्डल के लेवल पर करिए, नगर पालिका का जिले के लेवल पर करिए, नगर पंचायत का। सारी परिस्थितियाँ चूँकि नयी थीं, इसलिए इस बार भी हमें चक्रानुक्रम को जीरो मान करके आगे बढ़ना पड़ा। अब मैं आशा रखता हूँ, चूँकि यह पूरी व्यवस्था माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार हुई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का उस पर स्टैम्प है, उन्होंने भी देखा, समझा और कहा कि आप इस व्यवस्था से आगे बढ़िये और डेडीकेटेड कमीशन अब हमेशा-हमेशा के लिए एक प्रख्यापित व्यवस्था बन गयी है। मैं आशा रखता हूँ कि भविष्य में यह चक्रानुक्रम आगे बढ़ता रहेगा। इस आशा के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि हमारे इस विधेयक को पास करें। दूसरी बात एक कही गयी, माननीय उमाशंकर जी ने कही, उनको लगता है अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी कम है।

मैं सदन में स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी समुदाय के रिजर्वेशन के लिए संविधान में व्यवस्था है, उसमें लेस मात्र भी कहीं कोई कमी नहीं की गयी है। मैं ओ0बी0सी0 से शुरुआत करूँ तो यहाँ तक मैं कहूँगा कि जो 05 दिसम्बर, 2022 को हमने अनन्तिम अधिसूचना जारी की थी, उसमें भी पूरा का पूरा 27 प्रतिशत आरक्षण ओ0बी0सी0 को दिया

गया था। जो लोग हाई कोर्ट में गए, आपके ही लोग थे, आप लोग जानते हैं, कौन लोग थे और किन कारणों से गए थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। समस्या यह थी कि उनकी सीटें ओ0बी0सी0 हो गयीं तो हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने एक उचित मुद्दा पकड़ लिया कि आपके राज्य में डेडिकेटेड कमीशन नहीं बना है, बनना चाहिए। बात भी सही थी, कोई इसको नकार नहीं सकता था, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय था, तो हम लोग उसको भी बना करके आगे बढ़े और साथ में यह भी कहा कि बिना ओ0बी0सी0 रिजर्वेशन के हम चुनाव नहीं करायेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कहने का मतलब यह है कि जो हमने प्रथम अनन्तिम सूचना जारी की थी, 05 दिसम्बर, 2022 को उसमें भी ओ0बी0सी0 का रिजर्वेशन सम्पूर्ण था और अन्त में जिसके तहत् चुनाव हुआ है, उसमें भी ओ0बी0सी0 का सम्पूर्ण रिजर्वेशन देने के साथ हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर अनुसूचित जाति की बात उठायी गयी। संविधान में अनुसूचित जाति के लिए जो व्यवस्था है, उस सारी की सारी व्यवस्था का अनुपालन करते हुए हमने चुनाव कराया है। ओ0बी0सी0 का रिजर्वेशन था, लेकिन डेडिकेटेड कमीशन के संज्ञान में सारी बातें आयी थीं और सदन की जानकारी के लिए बता दूँ, डेडिकेटेड कमीशन आने के बाद कुछ चीजें उनके संज्ञान में आयीं कि कुछ जिलों को रिजर्वेशन का ज्यादा लाभ मिल रहा है, लेकिन कुछ जिले उससे थोड़े वंचित रह जा रहे हैं या उनको कम लाभ मिल रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मण्डल स्तर पर और जिले स्तर पर आप देख लीजिए कि क्या रिजर्वेशन का चक्र घुमाया जा सकता है। जब हम लोगों ने यह किया तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूँ, पहले 39 जनपदों में अनुसूचित जाति को रिजर्वेशन नहीं मिल पाता था, पहले की जो व्यवस्था थी, जिसके तहत् आप लोगों ने चुनाव कराया, 2012 में कराये और उससे पहले कराये। अब ऐसे जिलों की संख्या बढ़ गयी है, लगभग पुरानी हो गयी, जिनमें अनुसूचित जाति को भी सम्पूर्ण रिजर्वेशन मिला है, एक ही जिले में ज्यादा मिल जाए तो बात अलग है, उनका कोटा पूरा हो जाता है, लेकिन सभी जिलों में उनको प्रतिनिधित्व मिले, यह भी डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर काफी हद तक सुनिश्चित हुआ है। उसी तरह से बैकवर्ड को भी लाभ ज्यादा जिलों में हुआ है। महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, वह भी ज्यादा जिलों में बढ़ा है। इसलिए किसी भी समुदाय का, चाहे वह अनुसूचित जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, सबके पक्ष में, सबके लाभ में इसकी पूरी प्रक्रिया करते हुए हमने चुनाव सम्पन्न कराया है। अधिनियम पुख्ता है, परिपूर्ण है और परिपक्व है, इसलिए मैं सदन से दरख्वास्त करूँगा कि इसे पास करें।

श्री अधिष्ठाता-

जो शंका थी, माननीय मंत्री जी ने उसका समाधान किया है। उमाशंकर जी, अब आप समर्थन कर सकते हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अधिष्ठाता जी, इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

यह तो आप बोल चुके हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

अधिष्ठाता जी, इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनने के बाद मैंने आपको एक मौका दिया। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और विस्तार तथा प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए होगा।

(3) यह दिनांक 29 मार्च, 2023 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916 की धारा 9-क का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में धारा 9-क की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(5) नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के पद, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए नीचे दी गयी रीति से आरक्षित तथा आवंटित किये जाएगे:–

(1) अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन

(क) इस उपधारा के अधीन अध्यक्ष के पदों का आरक्षण और आवंटन, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए इसमें उपबंधित रीति से पृथक–पृथक किया जाएगा।

(ख) आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या–

(एक) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए इस रीति से अवधारित की जायेगी कि उसमें राज्य में कुल पदों की संख्या का यथाशक्य लगभग वही अनुपात होगा जैसाकि राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों का अनुपात अथवा राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात, राज्य में ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुसार हो और यदि ऐसी संख्या में पदों का अवधारण करने में अवशेष आता है तो यदि वह आधा हो या भाजक के आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो तो भागफल में एक की वृद्धि हो जायेगी और इस प्रकार हुई संख्या, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित की जाने वाली पदों की संख्या होगी।

(दो) पिछड़े वर्गों हेतु इस रीति से अवधारित की जायेगी कि उसमें राज्य में कुल पदों की संख्या का यथाशक्य लगभग वही अनुपात होगा जैसा कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों का अनुपात, राज्य में ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुसार हो और यदि ऐसी संख्या में पदों का अवधारण करने में अवशेष आता है तो उसे छोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या, पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी:

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में कुल पद संख्या के सत्ताईस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(तीन) उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु पद संख्या, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों हेतु पदों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी और यदि ऐसी पद संख्याओं का अवधारण करने में अवशेष आता है, तो भागफल में एक की वृद्धि हो जायेगी और इस प्रकार हुई संख्या यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी।

(चार) महिलाओं हेतु मद (तीन) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुए राज्य में कुल पदों की संख्या के एक–तिहाई से कम नही होगी और ऐसी संख्या में पदों का अवधारण करने में अवशेष आता है तो भागफल में एक की वृद्धि हो जायेगी और इस प्रकार हुई संख्या महिलाओं हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी।

स्पष्टीकरण-एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि इस उपखण्ड में आने वाले शब्द "राज्य का नगरीय क्षेत्र" का तात्पर्य यथास्थिति समस्त नगरपालिका परिषदों अथवा समस्त नगर पंचायतों के नगरीय क्षेत्र से हैं और वे उनमें सम्मिलित हुये समझे जायेंगे।

(ग) राज्य की नगरपालिका परिषदों के संबंध में :–

(एक) अनुसूचित जातियों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित अनुसूचित जातियों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (एक) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन किसी इकाई के रूप में मण्डलों में इस रीति से किया जायेगा कि किसी मण्डल में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात, उस मण्डल में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसा कि उक्त मण्डल के नगरीय

क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों का अनुपात उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार हो :

परन्तु यह कि यदि किसी मण्डल में पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस मण्डल में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगा:

परन्तु यह और कि यदि राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य के मण्डलों के मध्य आवंटित किये जाने हेतु शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का आवंटन, उन मण्डलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक हो:

परन्तु यह भी कि मण्डलों में अनुसूचित जातियों के पदों का इस प्रकार आवंटन, एक मण्डल हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा; और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो।

(दो) अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित अनुसूचित जनजातियों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (एक) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन इकाई के रूप में मण्डलों में इस रीति से किया जायेगा कि किसी मण्डल में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात, उस मण्डल में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसाकि उक्त मण्डल के नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार हो:

परन्तु यह कि यदि किसी मण्डल में पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस मण्डल में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगा :

परन्तु यह और कि राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजातियों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य के मण्डलों के मध्य आवंटित किये जाने हेतु शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का आवंटन, उन मण्डलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक हो :

परन्तु यह भी कि मण्डलों में अनुसूचित जनजातियों के पदों का इस प्रकार आवंटन, एक मण्डल हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा; और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो।

(तीन) पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित पिछड़े वर्गों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (दो) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन इकाई के रूप में मण्डलों में इस रीति से किया जायेगा कि किसी मण्डल में पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात, उस मण्डल में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसा कि उक्त मण्डल के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों का अनुपात उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार हो :

परन्तु यह कि यदि किसी मण्डल में पदों की कुल संख्या के अनुसार पिछड़े वर्गों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस मण्डल में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगा :

परन्तु यह और कि यदि राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य के मण्डलों के मध्य आवंटित किये जाने हेतु शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का

आवंटन उन मण्डलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त मण्डल की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक हो :

परन्तु यह भी कि मण्डलों में पिछड़े वर्गों के पदों का ऐसा आवंटन एक मण्डल हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा; और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो।

(घ) उपखण्ड (ख) के अध्यधीन किसी मण्डल की नगरपालिका परिषदों के लिए उपखण्ड (ग) के अधीन अवधारित अध्यक्षों के पदों की संख्या का आवंटन मण्डल में विभिन्न नगरपालिका परिषदों के लिए इस प्रकार किया जायेगा कि –

(एक) किसी मण्डल की नगरपालिका परिषदें, उक्त मण्डल में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखी जायेंगी और अनुसूचित जातियों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ग) के अधीन अवधारित सीटों की संख्या सहित अनुसूचित जातियों हेतु उक्त उपखण्ड (ग) के मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगरपालिका परिषदों के लिए किया जायेगा, जिनकी मण्डल में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसी नगरपालिका परिषदें प्रथमतः अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी ;

(दो) तत्पश्चात् इस उपखण्ड के मद (एक) के अधीन आरक्षित की गईं नगरपालिका परिषदों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगरपालिका परिषदों को मण्डल में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ग) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, अनुसूचित जनजातियों हेतु उक्त उपखण्ड (ग) के मद (दो) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगरपालिका परिषदों के लिए किया जायेगा, जिनकी मण्डल में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसी नगरपालिका परिषदें प्रथमतः अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी ;

(तीन) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक) और (दो) के अधीन आरक्षित की गई नगरपालिका परिषदों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगरपालिका परिषदों को मण्डल में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा, और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ग) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, पिछड़े वर्गों हेतु उक्त उपखण्ड (ग) के मद (तीन) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगरपालिका परिषदों के लिए किया जायेगा, जिनकी मण्डल में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसी नगरपालिका परिषदें प्रथमतः पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी ;

(चार) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक), (दो), और (तीन) के अधीन आरक्षित की गई नगरपालिका परिषदों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगरपालिका परिषदों को मण्डल में नगरपालिका परिषदों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या को अपवर्जित करते हुए, उपखण्ड (ख) के मद (चार) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन मण्डल में ऐसी नगरपालिका परिषदों के लिए किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-इस उपखण्ड के मद (एक), (दो) और (तीन) के प्रयोजनार्थ नगरपालिका परिषदें उस रीति से अवरोही क्रम में रखी जायेंगी कि मण्डल में यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाली नगर पालिका परिषद् प्रथम स्थान पर रखी जायेगी और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अपेक्षाकृत कम प्रतिशत वाली नगर पालिका परिषद् प्रथम नगर पालिका परिषद के पश्चात् अगले स्थान पर रखी जायेंगी तथा इसी प्रकार

से आगे रखी जायेंगी और इस उपखण्ड के मद (चार) के प्रयोजनार्थ नगरपालिका परिषदें मण्डल में नगरपालिका परिषदों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उसी रीति से रखी जायेंगी ;

(ड.) राज्य की नगर पंचायतों के संबंध में:–

(एक) अनुसूचित जातियों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित अनुसूचित जातियों के पदों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (एक) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन किसी इकाई के रूप में जिलों में इस रीति से किया जायेगा कि किसी जिला में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात, उस जिला में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसा कि उक्त जिला के नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार हो:

परन्तु यह कि यदि किसी जिला में पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस जिला में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगा :

परन्तु यह और कि यदि राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य के जिलों के मध्य आवंटित किये जाने हेतु शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का आवंटन, उन जिलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक हो:

परन्तु यह भी कि जिलों में अनुसूचित जातियों के पदों का इस प्रकार आवंटन, एक जिला हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा; और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो।

(दो) अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित अनुसूचित जनजातियों के पदों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (एक) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन इकाई के रूप में जिलों में इस रीति से किया जायेगा कि किसी जिला में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात उस जिला में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसा कि उक्त जिला के नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार हो :

परन्तु यह कि यदि किसी जिला में पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस जिला में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजातियों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य के जिलों के मध्य आवंटित किये जाने हेतु शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का आवंटन, उन जिलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक हो:

परन्तु यह भी कि जिलों में अनुसूचित जनजातियों के पदों का इस प्रकार आवंटन, एक जिला हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा, और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो।

(तीन) पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उक्त उपखण्ड के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित पिछड़े वर्गों के पदों हेतु उपखण्ड (ख) की मद संख्या (दो) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन इकाई के रूप में जिलों में इस रीति से किया जायेगा

कि किसी जिला में पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित पदों का अनुपात, उस जिला में पदों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगा जैसा कि उक्त जिला के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों का अनुपात उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार हो:

परन्तु यह कि यदि किसी जिला में पदों की कुल संख्या के अनुसार पिछड़े वर्गों हेतु इस रीति से अवधारित पदों का अनुपात राज्य स्तर पर पदों की कुल संख्या के अनुसार पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक हो जाता है तो उस जिला में इस प्रकार किया गया आवंटन उस अनुपात की सीमा तक सीमित रहेगा:

परन्तु यह और कि यदि राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों हेतु अवधारित पदों की कुल संख्या, राज्य जिलों के मध्य आवंटित किये जाने हेतु शेष रह जाती है तो ऐसे पदों का आवंटन उन जिलों में अवरोही क्रम में किया जायेगा, जिनका उक्त जिला की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार पिछडे वर्गो की जनसंख्या का अनुपात, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक हो:

परन्तु यह भी कि जिलों में पिछड़े वर्गों के पदों का ऐसा आवंटन एक जिला हेतु एक बार में एक पद पर किया जायेगा ; और यह चक्र तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसा कोई पद आवंटित किये जाने हेतु अवशिष्ट हो।

(च) उपखण्ड (ख) के अध्याधीन किसी जिला की नगर पंचायतों के लिए उपखण्ड (ड़) के अधीन अवधारित अध्यक्षों के पदों की संख्या का आवंटन जिला में विभिन्न नगर पंचायतों के लिए इस प्रकार किया जायेगा कि–

(एक) किसी जिला की नगर पंचायतें, उक्त जिला में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखी जायेंगी और अनुसूचित जातियों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ड़) के अधीन अवधारित सीटों की संख्या सहित अनुसूचित जातियों हेतु उक्त उपखण्ड (ड़) के मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगर पंचायतों के लिए किया जायेगा, जिनकी जिला में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसी नगर पंचायतें प्रथमतः अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी ;

(दो) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक) के अधीन आरक्षित की गईं नगर पंचायतों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर पंचायतों को जिला में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ड.) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, अनुसूचित जनजातियों हेतु उक्त उपखण्ड (ड.) के मद (दो) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगर पंचायतों के लिए किया जायेगा, जिनकी जिला में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो:

परन्तु यह कि ऐसी नगर पंचायतें प्रथमतः अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी;

(तीन) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक) और (दो) के अधीन आरक्षित की गई नगर पंचायतों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर पंचायतों को जिला में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा, और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ड़) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, पिछड़े वर्गों हेतु उक्त उपखण्ड (ड़) के मद (तीन) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसी नगर पंचायतों के लिए किया जायेगा, जिनकी जिला में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसी नगर पंचायतें प्रथमतः पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आवंटित की जायेंगी ;

(चार) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक), (दो), और (तीन) के अधीन आरक्षित की गई नगर पंचायतों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर पंचायतों को जिला में नगर पंचायतों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या को अपवर्जित करते हुए, उपखण्ड (ख) के, मद (चार) में

अवधारित पदों की संख्या का आवंटन जिला में ऐसी नगर पंचायतों के लिए किया जायेगा :

स्पष्टीकरण-इस उपखण्ड के मद (एक), (दो) और (तीन) के प्रयोजनार्थ नगर पंचायतें उस रीति से अवरोही क्रम में रखी जायेंगी कि जिला में यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाली नगर पंचायत प्रथम स्थान पर रखी जायेगी और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अपेक्षाकृत कम प्रतिशत वाली नगर पंचायत प्रथम नगर पंचायत के पश्चात् अगले स्थान पर रखी जायेंगी तथा इसी प्रकार से आगे रखी जायेंगी और इस उपखण्ड के मद (धार) के प्रयोजनार्थ नगर पंचायतें, जिला में नगर पंचायतों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उसी रीति से रखी जायेंगी:

(छ) किसी नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आधार पर–

(एक) यथास्थिति, अनुसूचित जातियों के लिये या अनुसूचित जनजातियों के लिये या पिछड़े वर्गों के लिये केवल एक पद आरक्षित किया जा सकता है, तो ऐसा पद महिला के लिए आवंटित किया जायेगा।

(दो) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिये कोई पद आरक्षित नहीं किया जा सकेगा, तो उपखण्ड (घ) या (च) में निर्दिष्ट पद आवंटन आदेश का पालन इस प्रकार किया जायेगा मानों यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों हेतु इसमें कोई निर्देश न हो।

(ज) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों, अथवा महिलाओं हेतु किसी निर्वाचन में आवंटित यथास्थिति नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों वाले मण्डल/जिले, अगले अनुवर्ती निर्वाचन में क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं के लिए आवंटित नही किये जायेंगे और यथास्थिति किसी मण्डल या जिलों में नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों के लिए पद अनुवर्ती निर्वाचनों में क्रमशः उपखण्ड (घ) और (च) में निर्दिष्ट आदेश के अनुसार चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण–एक–एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपखण्ड में आने वाले शब्द "कोई निर्वाचन" और "अनुवर्ती निर्वाचन" उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2023) को प्रख्यापित किये जाने से पूर्व कराये गये निर्वाचनों में सम्मिलित नहीं होंगे और उनमें कभी भी सम्मिलित न हुये समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण–दो– किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुये भी, एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2023) को प्रख्यापित किये जाने के पूर्व कराये गये निर्वाचन, इस धारा के अधीन यथा अनुध्यात "कोई निर्वाचन" नहीं समझे जायेंगे और तद्नुसार इस धारा के अधीन कराये जाने वाले अगले निर्वाचन अनुवर्ती निर्वाचन के रूप में नहीं समझे जायेंगे।

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 7 का संशोधन

3–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में, धारा 7 की उपधारा (5) में :–

(क) खण्ड 1 के उपखण्ड (ख) में, मद (दो) के पश्चात निम्नलिखित मद बढ़ा दी जायेगी, अर्थात:–

"(तीन) महिलाओं हेतु मद (दो) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुये राज्य में कुल पदों की संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होगी और ऐसी संख्या में पदों का अवधारण करने में अवशेष आता है, तो भागफल में एक की वृद्धि हो जायेगी और इस प्रकार हुई संख्या महिलाओं हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी ;"

(ख) खण्ड 1 का उपखण्ड (ग) निकाल दिया जायेगा,

(ग) खण्ड 1 के उपखण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:–

"(घ) उपखण्ड (ख) के अध्यधीन राज्य के नगर निगमों के लिए उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित महापौरों के पदों की संख्या का आवंटन राज्य के विभिन्न नगर निगमों के लिए इस प्रकार किया जायेगा कि–

(एक) राज्य के नगर निगम प्रथमतः राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखे जायेंगे और अनुसूचित जातियों की महिलाओं हेतु उक्त उप खण्ड (ख) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित अनुसूचित जातियों हेतु उक्त उपखण्ड के मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आंवटन ऐसे नगर निगमों के लिये किया जायेगा, जिनकी राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसे नगर निगम प्रथमतः अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिये आंवटित किये जायेंगे ;

(दो) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक) के अधीन आवंटित किये गये पदों वाले नगर निगमों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर निगमों को राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, अनुसूचित जनजातियों हेतु उक्त उपखण्ड मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आंवटन ऐसे नगर निगमों के लिये किया जायेगा, जिनकी राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसे नगर निगम प्रथमतः अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आवंटित किये जायेंगे ;

(तीन) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक) और मद (दो) के अधीन आवंटित किये गये पदों वाले नगर निगमों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर निगमों को राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, पिछड़े वर्गों हेतु उक्त उपखण्ड के मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसे नगर निगमों के लिए किया जायेगा, जिनकी राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसे नगर निगम प्रथमतः पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आवंटित किये जायेंगे;

(चार) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक), (दो) और (तीन) के अधीन आवंटित किये गये पदों वाले नगर निगमों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर निगमों को राज्य में नगर निगमों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के मद (दो) में अवधारित पदों की संख्या को अपवर्जित करते हुए उपखण्ड (ख) के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन राज्य में ऐसे नगर निगमों के लिये किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-इस उपखण्ड के मद (एक), (दो) और (तीन) के प्रयोजनार्थ नगर निगम, उस रीति से अवरोही क्रम में रखे जायेंगे कि राज्य में यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गो की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाले नगर निगम प्रथम स्थान पर रखे जायेंगे और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अपेक्षाकृत कम प्रतिशत वाले नगर निगम, प्रथम नगर निगम के पश्चात् अगले स्थान पर रखे जायेंगे तथा इसी प्रकार से आगे रखे जायेंगे और इस उपखण्ड के मद (चार) के प्रयोजनार्थ नगर निगम, राज्य में नगर निगमों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उसी रीति से रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– दो– एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपखण्ड में आने वाले शब्द "राज्य के नगरीय क्षेत्र" का तात्पर्य समस्त नगर निगमों के नगरीय क्षेत्रों से है और उनमें वे सम्मिलित हैं।"

(घ) खण्ड 1 के उपखण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(च) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं के लिए किसी निर्वाचन में आवंटित किये गये नगर निगमों के महापौर के पद

क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं के लिए आवंटित नहीं किये जायेंगे और राज्य में नगर निगमों के महापौरों के पद अनुवर्ती निर्वाचनों में उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट आदेश के अनुसार चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण–एक–एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के उपखण्ड (घ) और इस अधिनियम में अन्यत्र आने वाले शब्द "पूर्व निर्वाचन" और "अनुवर्ती निर्वाचन" उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को प्रख्यापित किये जाने से पूर्व कराये गये निर्वाचनों में सम्मिलित नहीं होंगे और उनमें कभी भी सम्मिलित न किये गये समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण–दो–किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुये भी एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को प्रख्यापित किये जाने के पूर्व कराये गये निर्वाचन, इस धारा के अधीन यथा अनुध्यात "पूर्व निर्वाचन" के रूप में नहीं समझे जायेंगे और तद्नुसार इस धारा के अधीन कराये जाने वाले अगले निर्वाचन अनुवर्ती निर्वाचन के रूप में नहीं समझे जायेंगे।"

अध्याय–चार

निरसन और व्यावृत्ति

निरसन और व्यावृत्ति

4 (1) उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधो के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधो के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 2023 को पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

[03:13] उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

नगर विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाए।

मा0 अधिष्ठाता महोदय जैसे कि अभी चर्चा हुई उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं से सम्बन्धित विधिक और समेकित एवं संशोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916 अधिनियमित किया गया है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-9 (क) की धारा (ख) अतः उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 69 की धारा (क) की धारा (ख) में संशोधन द्वारा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद पर आरक्षण अवधारित करने की प्रक्रिया में संशोधन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि संशोधन अध्यादेश, 2023 राज्यपाल द्वारा दिनांक 29-3-2023 को प्रख्यापित किया गया। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की अनन्तिम अधिसूचना प्रख्यापित कर आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात् आरक्षण को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-9(क) की उपधारा (क) के खण्ड-1 के पश्चात् खण्ड-2 को जोड़ने का विनिश्चय किया गया, क्योंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था, उपरोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी। अतः राज्यपाल द्वारा 06 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश, 2023, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2023 प्रख्यापित किया गया। उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक, 2023 को यह सदन पारित करे, ऐसा मेरा निवेदन है।

***श्री राकेश प्रताप सिंह-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों का नाम बाद में दे दिया जाएगा। निश्चित तौर पर अधिष्ठाता महोदय जब कोई विधेयक सरकार लाती है, संशोधन विधेयक तो उसमें कुछ परिवर्तन करती है, कुछ कमियां रहती हैं, उसको दूर करने का सरकार द्वारा उसका प्रयास होता है। लेकिन मैं इसमें अभी देख रहा था कि खण्ड-2 (क) में कि राज्य सरकार की आपत्तियाँ यदि कोई हों पर विचार करेगी, परन्तु उन आपत्तियों पर तब तक व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना आवश्यक न होगा, जब तक कि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक न समझे और तद्नुसार अन्तिम हो जाएगा। मान्यवर, किसी चीज की सुनवाई करने के बाद कि वह सही है या गलत है यह तय होना चाहिए या अपने आप सरकार यह निर्णय लेगी कि आपत्तियों पर मुझे सुनवाई नहीं करना है, यह कहाँ से उचित होगा। पहले आपत्ति आये, आपत्ति पर सुनवाई हो, सुनवाई पर निस्तारण हो कि आपत्ति सही है या गलत है सरकार अपने आप यह निर्णय कैसे ले सकती है कि यह सब आपत्तियाँ जो हैं, वह सब गलत हैं, यह तो एक चीज हुई। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूँगा कि चुनाव अभी हुये हैं, कोई जल्दी भी नहीं है। सरकार और सरकार के अधिकारी और कर्मचारी कोई विधेयक तैयार कर लेते हैं और बहुमत के आधार पर आप उसको यहाँ पास

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करा लेते हैं। जब प्रवर समिति बनेगी उस पर विपक्ष का मत आएगा। हम भी कुछ सुझाव देंगे। हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि यह संशोधन पास न हो और यह न आए, लेकिन जब हमारा भी मत इसमें आएगा, कई लोगों के मत आएंगे तो इसको और बेहतर बनाया जा सकता है और बेहतर इसमें सुझाव दिया जा सकता है। मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ कि जबसे नगर पालिका सुल्तानपुर का गठन हुआ है, 15 चुनाव हो चुके हैं, और अभी तक वह सीट सामान्य की सामान्य ही बनी हुई है।

मेरी विधान सभा क्षेत्र मुसाफिरखाना, नगर पंचायत है, उसका आठवां चुनाव इस बार हुआ, वह सीट भी सामान्य की सामान्य ही बनी हुई है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में गौरीगंज नगर पालिका का नया गठन हुआ। 13 अप्रैल, 2015 को नई नगर पालिका बनती है। पहली बार चुनाव होता है, नियम में है कि सबसे पहले अनुसूचित महिला सीट होगी, उसके बाद बैकवर्ड सीट होगी, उसके बाद सामान्य में वह सीट जाएगी। अनुसूचित महिला का पहला चुनाव वर्ष 2018 में हुआ और जब अगला चुनाव हुआ तो वह सीट सीधे सामान्य वर्ग की हो गई तो जब तक यह अधिकार सरकारों को अपने आप प्राप्त रहेगा कि वह आपत्तियों से सही मान रही है या गलत मान रही है और वह स्वयं में निर्णय ले लेगी तब तक आगे चुनाव में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सरकार जिसको चाहेगी उसको आरक्षित कर देगी। सरकार जिसको चाहेगी सामान्य सीट कर देगी। सरकार जिसको चाहेगी बैकवर्ड सीट कर देगी, महिला सीट में परिवर्तित कर देगी, अनुसूचित महिला सीट में कर देगी। मैं दो उदाहरण दे चुका हूँ, इसलिए अभी कोई आफत नहीं आई है, कोई जल्दी नहीं पड़ी है, कल कोई चुनाव नहीं होने वाला है, चुनावी वर्ष भी नहीं है। चुनाव अब से साढ़े चार साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा। आराम से इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए। सबके सुझाव आ जाएं और फिर सदन में लाया जाए और इसको पास करा लिया जाए। मैं चाहूँगा कि जब सबके सुझाव आ जाएंगे तो यह विधेयक सर्वसम्मति से इसी सदन से पास होगा, अच्छे से पास हो जाएगा, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ और बल देता हूँ कि यह नगर पालिका विधयेक, 2023 प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 सदस्य ने यहाँ पर नैचुरल जस्टिस की जो बात उठाई कि किसी व्यक्ति को सुनना आवश्यक होता है। मैं बहुत खुश हूँ कि सामने का पक्ष भी नैचुरल जस्टिस के बारे में सोचता है। आप नैचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, यह राज्य के लिए बड़ा अच्छा संकेत है। जहाँ तक इस अधिनियम के प्राविधानों की बात है, तो मा0 सदस्य ने आधा ही पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ। इसमें क्या लिखा है वह सुन लीजिए। मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसमें लिखा है कि ''राज्य सरकार आपत्तियों'', मैं बीच का नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उससे ''कन्फ्यूजन होगा पर तब तक व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना आवश्यक न होगा, जब तक की

राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक न समझे''। ऐसा नहीं कहा गया है कि सुनवाई नहीं होगी यह कहा गया है कि जब तक राज्य सरकार आवश्यक न समझे।

जब आवश्यक समझा जायेगा, जहां ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जहां क्लेम, काउन्टर क्लेम, यहां की बात, वहां की बात होती है तो वहां सुनवाई होती है और यह प्रतिस्थापित सिद्धान्त है, यही इस एक्ट में कहा गया है। इसलिए मैं इस सदन से निवेदन करूँगा कि इस अधिनियम को पारित किया जाये।

(श्री राकेश प्रताप सिंह के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गयी।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, केवल 10 सेकेंड का समय दे दें। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सरकार चाहे तो उसको उपयुक्त माने और सरकार न चाहे तो न माने। यही तो इसमें खेल है और कौन सा खेल है।

श्री अधिष्ठाता-

राकेश जी, आपकी बात आयी। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए होगा।

(3) यह दिनांक 29 मार्च, 2023 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 9-क का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में धारा 9-क की उपधारा (5) में उपखण्ड (1) के पश्चात निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(2) आवंटन आदेश–(क) पूर्वगामी खण्डों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या का अवधारण करके गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा पदों को नगर पालिकाओं को आवंटित करेगी:–

(ख) उपखण्ड (क) के अधीन आदेश का प्रारूप आपत्तियों के लिये कम-से-कम सात दिन की अवधि के लिये प्रकाशित किया जायेगा।

(ग) राज्य सरकार आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी, परन्तु उन आपत्तियों पर तब तक व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना आवश्यक न होगा जब तक कि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक न समझे और तदुपरान्त यह अंतिम हो जायेगा।

(घ) उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट आदेश का प्रारूप सम्बन्धित जिले में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा और उसे जिला मजिस्ट्रेट तथा सम्बन्धित नगर पालिका के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा किया जायेगा।"

निरसन और व्यावृत्ति

3(1) उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अरविन्द कुमार शर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[03:22] उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

उच्च शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ, कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाये।

अधिष्ठाता महोदय, माननीय योगी जी की सरकार ने मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए चिकित्सा और शिक्षा दोनों पर विशेष ध्यान दिया। उच्च शिक्षा का अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति भी उसका लाभ ले सकें, इसके लिए प्रत्येक मण्डल में एक सरकारी विश्वविद्यालय खुले और प्रत्येक जिले में एक निजी विश्वविद्यालय खुले, यह संकल्प लिया है लेकिन इससे पहले यह व्यवस्था रही थी कि जहां एक विश्वविद्यालय खुलता था तो वह अपना अधिनियम बनाता था। उस अधिनियम के अन्तर्गत यह विश्वविद्यालय अपने-अपने नियमों पर चलते थे लेकिन योगी जी की सरकार ने वर्ष 2019 में एक ऐसा अधिनियम बनाया जो अम्ब्रेला का काम कर रहा है। सभी निजी विश्वविद्यालय उस अधिनियम के अन्तर्गत काम करेंगे जिससे एकरूपता और एक यूनिफॉर्मिटी हर विश्वविद्यालय में आयेगी। मैं उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के बारे में कहूँगा कि यह एक अनोखा एक्ट हमारी योगी जी की सरकार ने इस प्रदेश को दिया। उसी के अन्तर्गत जब शिक्षा में कंप्टीशन बढ़ेगा, निजी विश्वविद्यालय आएंगे तो सरकारी विश्वविद्यालयों का भी स्तर ऊँचा होगा और निजी विश्वविद्यालयों का भी होगा। उसका सुपरिणाम भी सामने आ रहा है कि जब पिछली सरकारों में एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं था, जो कि नैक रैकिंग में बी प्लस श्रेणी का भी हो। अधिष्ठाता महोदय, इस साल 5 सरकारी विश्वविद्यालय नैक रैकिंग में ए डबल प्लस में आ चुके हैं। यह एक उपलब्धि है, यह कंप्टीशन का युग हो गया है, जब निजी विश्वविद्यालय और सरकारी विश्वविद्यालय दोनों फील्ड में आए हैं तो दोनों जगह स्तर बढ़ रहा है। इसी तरह निजी विश्वविद्यालय 5 ऐसे बन गये हैं जो ए डबल प्लस श्रेणी में हैं। अभी 5 सरकारी विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जहां से या तो ए प्लस या ए डबल प्लस रैकिंग प्राप्त कर लेंगे। यह योगी जी के उस संकल्प का परिणाम है कि उच्च शिक्षा का स्तर उच्च करना और शिक्षा को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना। उसी के तहत उत्तर प्रदेश में 3 नये विश्वविद्यालय अग्रवन हेरिटेज विश्वविद्यालय आगरा, महावीर विश्वविद्यालय मेरठ और एस0डी0जी0आई0 ग्लोबल विश्वविद्यालय गाजियाबाद खुल रहे हैं। इनको उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 में 31, 32, 33वें नम्बर पर शामिल करने का प्रस्ताव मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और सदन से मांग करता हूँ कि इस पर विचार किया जाय।

***श्री पंकज कुमार मलिक-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, अभी मैं मंत्री जी की बात को उठाता हूँ। उन्होंने बताया कि 05 सरकारी विश्विद्यालय ए प्लस प्लस की श्रेणी में आये। फिर भी आप निजी महाविद्यालय को बढ़ा रहे हैं। गरीब की भी सुध ले लेनी चाहिए थी, गरीब के भी बच्चे हैं। जो गरीब व्यक्ति है उसका बच्चा सरकारी महाविद्यालय की तरफ टकटकी लगा करके देखता है कि वह अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा और अपने अच्छे भविष्य का निर्माण करेगा और उसकी गरीबी दूर होगी। लेकिन आप तो प्रतिस्पर्धा महाविद्यालयों में ही कर रहे हैं। निजी महाविद्यालय जब यहां बन रहे हैं तो आप सरकारी में क्यों नहीं सीट बढ़ा देते। मान्यवर, एक गरीब से जा करके पूछियेगा वह भी अच्छा सपना देखता है, वह चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़-लिखकर बड़ा आदमी बने, उसकी गरीबी दूर हो। मान्यवर, प्राइवेट कालेज में सिम्पल ग्रेजुएशन कोर्स में सालाना लगभग 1200 से 1500 रुपये फीस जाती है और वह बच्चा जब सरकारी विद्यालयों में देखता है तो उसे सरकारी विद्यालयों में सीट मिल नहीं पाती, उससे सम्बद्ध जो विद्यालय हैं वहां सीट मिल नहीं पाती है तो वह क्या करेगा ? वह जब निजी महाविद्यालयों में जायेगा तो वहां जाकर देखेगा कि साल भर की फीस रु0 दस लाख से ज्यादा है। हिसाब लगा लो जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, उनकी फीस ज्यादा है। मान्यवर, यह भी सदन की चिंता का विषय होना चाहिए। हम शिक्षा की स्थिति अच्छी करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे महाविद्यालयों को उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों को हमें और मजबूत करना चाहिए। मान्यवर, जो प्राइवेट विद्यालय हैं वह मानक पूरे नहीं करते हैं। उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, इसमें हम लोगों को शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं करना चाहिए, बाजारीकरण हो रहा है। हमारे गरीब बच्चे, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे, ऐसे तो शिक्षा से दूर हो जायेंगे। जिस तरह से उनके पास आज रोजगार सिर्फ किताबों में है, कागजों में है, इसी तरह से सरकारी आंकड़े होंगें, आंकड़ों में पढ़े-लिखे लोग होंगे लेकिन पढ़ नहीं पायेंगे। मान्यवर, मैं पुरजोर सिफारिश करता हूँ कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय और इसमें बहुत गुंजाइश है। इस पर चर्चा होनी चाहिए और एक सुझाव, यह एक महीने तक जांच करके हो, क्योंकि हम सब लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, गरीब अमीर सबके बच्चे वहां रहते हैं। हम सब अपने-अपने विचार रखें, पुनः प्रवर समिति को सुपुर्द करने की सिफारिश करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जैसा अभी इन्होंने कहा कि सरकारी और निजी विश्वविद्यालय की फीस का अन्तर बता रहे हैं और इनका कहना था कि सरकारी विश्वविद्यालय ज्यादा खुलें। 3 नये सरकारी विश्वविद्यालय योगी जी की सरकार में निर्माणाधीन हैं और अलीगढ़, सुहेलदेव, आजमगढ़, शाकुंभरी, सहारनपुर और 3 नये विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए अनुमति दी जा चुकी है। उसके लिए जमीन तलाश रहे हैं, प्रक्रिया जारी है। निजी विश्वविद्यालय से जब तक कम्पटीशन नहीं होगा शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं उठेगा। अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे इसके लिए हर जिले में विश्वविद्यालय हो। अब तक इन्होंने क्यों नहीं सोचा कि यह ऐसा करें। यह नहीं समझ रहे कि सिर्फ शिक्षा नहीं रोजगार का भी सृजन होगा और प्रतिस्पर्धा जब उत्पन्न होगी तब गुणात्मक शिक्षा होगी और छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी इसलिए यह प्रस्ताव जरूरी है।

(सदस्य, श्री पंकज कुमार मलिक के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मलिक जी, आपकी बात आ गई है, आप बैठ जायें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, यह गरीब के बच्चों के बारे में कह दें।

श्री अधिष्ठाता-

देखिये, सार्थक चर्चा में आपने अपनी बात कह दी है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, हम लोग जनता से जुड़े लोग हैं। हम लोग इसी पर जोर देते हैं कि सही बात आ जाये, जनहित की बात हो, छात्रहित की बात हो।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, आप बैठ जाइये।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 27 जून, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-12 सन् 2019 की अनुसूची-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की अनुसूची-2 में क्रम संख्या-30 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या-30 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालय के लिये निम्नलिखित क्रम संख्यायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

क्र0-सं0	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
31	अग्रवन हेरीटेज विश्वविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश	श्री जगदीश जन कल्याण एजूकेशनल ट्रस्ट, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश
32	महावीर विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश	न्यू ट्यूप्लस एजूकेशनल सोसाइटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश
33	एस0डी0जी0आई0 ग्लोबल, विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	सुन्दर दीप एजूकेशनल सोसाइटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3-(1) राज्य सरकार अग्रवन हेरीटेज विश्वविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश अथवा महावीर विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश अथवा एस0डी0जी0आई0 ग्लोबल, विश्वविद्यालय, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश देती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में

विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगेः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2023, 7 सन् 2023 तथा 8 सन् 2023

4-(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायँ ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ, कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[03:32] उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय।

जैसा कि अभी पूर्व के प्रस्ताव पारित हुए हैं, मैंने जो उसमें तर्क रखे थे, वही तर्क इस पर भी हैं, क्योंकि यहाँ पर 02 निजी विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। उस संशोधन में इनको जोड़ने की बात है। एक तो के0एम0 (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय, मथुरा और दूसरा मेजर एस0डी0 सिंह विश्वविद्यालय, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, इनको भी अनुसूची-2 में क्रमांक-33 के पश्चात् सम्मिलित किया जाये, यह संशोधन है। इसमें भी वही तर्क है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, नौजवानों को रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी, उसकी उच्च शिक्षा का विकास होगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि इसको स्वीकार किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अतुल प्रधान जी, अब आप बात रखें।

श्री अतुल प्रधान-

अधिष्ठाता महोदय, धन्यवाद, हालाँकि माननीय मंत्री जी ने पहले वाला ही जवाब पढ़ा है।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, विषय वही है।

***श्री अतुल प्रधान-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ, कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने प्रतिस्पर्धा की बात की। मैं जिस शहर मेरठ से आता हूँ। उसमें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो आगरा के बाद बनी है और जो सरकारी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद एक और कृषि यूनिवर्सिटी इजाद हुई, जिसमें बढ़ी संख्या में गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। जैसे ही निजी शब्द आता है तो निजी शब्द की भावना से यह प्रतीत होता है कि यह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए काम किया जा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है। मुझे किसी व्यापारी से चिढ़ नहीं है और न ही मुझे किसी व्यापार से चिढ़ है। आप जो काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से सही कर रहे हैं।

मान्यवर, किसी भी व्यापार को करने का सबसे पहला मूल मंत्र यह है, कि उसमें लाभ हो। कोई भी निजी व्यक्ति जब अपने संशाधनों से कोई चीज जुटाता है तो वह घाटे में नहीं रहना चाहता है, लाभ में रहना चाहता है। आपका जो पैटर्न है, डबल इंजन की सरकार का पैटर्न है, उस डबल इंजन की सरकार के पैटर्न पर हर सरकारी चीज को निजी कर दिया जाय। ऐसे औने-पौने दामों में उसको बेंच दिया जाये या ऐसी चीजें कर दी जायें जिसे गरीब दूर से सिर्फ ताकता देखता रहे। आप जब निजी की बात करते हैं तो मैंने उसकी परिभाषा बताई है। सरकार का काम लाभ कमाने का नहीं होता है। सरकार की जो संस्थायें हैं, चाहे आई0आई0टी0 हों, एन0आई0टीज0 हों, चाहे आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हों, चाहे तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हों, चाहे आपके बी0ए0, एम0ए0 वाले नार्मल बच्चे किसान परिवारों के लोग हों।

मैंने पहले देखा कोई बी0एण्ड0 कालेज बना रहा था। कोई अपने अन्य प्राईवेट स्कूल में प्रोफेशनल कोर्स बी0सी0ए0, बी0बी0ए0, एम0बी0ए0 इस तरह के कोर्स ले करके आ रहा था। उन सब पर सरकारी यूनिवर्सिटियों का नियंत्रण था। अभी सहारनपुर का इन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पर सरकारी यूनिवर्सिटी बन रही है। आपके हापुड़, नोएडा, बुलन्दशहर, बागपत, मेरठ, शामली, सहारनपुर इसमें जितने भी कालेज थे चाहे वह सरकारी थे, चाहे वह निजी कालेज थे सब यूनिवर्सिटी के अण्डर आ गये हैं। जब आप विधान सभा के सदस्यों को या विधान परिषद् के सदस्यों को अपने सरकारी संस्थान में नामित करते हैं तो उस लिए नामित किया जाता है कि वह उस पर नियंत्रण करें और यह देखें कि वहाँ पर जो रहने वाले बच्चे हैं, उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे है क्या वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता ठीक है या नहीं है। अभी जब विश्वविद्यालय की बात चल रही है, मैं दावे के साथ यह बात कह सकता हूँ जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर है किसी भी प्राईवेट कालेज में, मैं खुद मेरठ का जिक्र करूंगा। मेरठ का नहीं यू0पी0 का नहीं बल्कि उत्तर भारत का सुभारती मेडिकल कालेज है वहाँ पर आपके बच्चे के साथ किसी भी तरह की ज्यादती हो जाये तो आपकी कोई सिफारिश वहाँ पर मानी जाने वाली नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अगर इसमें आपका कोई सुझाव हो, कोई संशोधन हो तो बता दें।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, सुझाव ही तो दे रहा हूँ। हमारे मेरठ में पहले आई0एम0टी0 कालेज था उसको यूनिवर्सिटी कर दिया गया है, उसे निजी विश्वविद्यालय बना दिया गया है। उसी संस्थान में कानपुर का छात्र था। कानपुर का वह बच्चा जिसको सिर्फ अटेंडेंस के नाम पर उससे कहा

गया अगर अटेंडेंस पूरी करनी है तो इतने पैसे दे दो नहीं तो ब्लड जा करके डोनेट कर दो। उस बच्चे के साथ ज्यादती की गई। उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। उसका पिता 10 साल से लड़ाई लड़ रहा है। आज के समय में जितने निजी विश्वविद्यालय हैं, इनके बच्चे जब यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पहुंचते हैं तो भारी फीस वह लेने का काम करते हैं। जब इसका प्रस्ताव कर रहे हैं तो विपक्ष के सारे सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। जिससे कम-से-कम यह बात लगे कि आम लोगों की जन भावनायें आ जाय। आपको फेक डिग्री लेनी है अगर आप कहेंगे तो मैं रिपोर्ट सौंप दूंगा। एल0एल0बी0 की डिग्री इतने रुपये में, बी0 टेक की डिग्री इतने रुपये में, एम0 फिल करना है तो इतने रुपये में अगर कोई डिग्री लेनी है तो कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जिनको आपने यहां से भेजा है कि ये ठीक काम कर रहे हैं इससे इस चीज की बाढ़ आयी है।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आरक्षण संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है जैसे ही आप सरकारी संस्थाओं को निजी की ओर लेकर जाते हैं तो आरक्षण की व्यवस्था उसी दिन समाप्त हो जाती है। वहां पर बच्चों को किसी तरह की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है न तो आरक्षण के हिसाब से एडमिशन होता है और न आरक्षण के थ्रू वहां पर कोई नौकरी दी जाती है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी शिवनगर का जिक आया था, बड़ी नामी-गिरामी यूनिवर्सिटी है, उसके अन्दर एक बच्ची का कत्ल हो जाता है, जिसका सुबह नेता प्रतिपक्ष जी ने जिक्र किया था, इसी तरह की घटना आपके मुरादाबाद में हुई थी, वहां के प्राईवेट मेडिकल कालेज के संस्थान के मालिक का नाम उसमें आया था, पूरी रात भर बच्चे और परिवार के लोग बैठे रहे थे, सीबीआई को जाँच चली गई लेकिन आज तक कुछ निर्णय नहीं हो पाया, इतने प्रभावशाली होते हैं ये लोग। किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, किसी यूनिवर्सिटी का फाइनेंस कन्ट्रोलर, किसी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार, कोई भी ऐसा संस्थान जिस पर आप माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, आप अगर यहां से कोई दिशा-निर्देश देते हैं तो उनको वह मानना पड़ता है। इसीलिए जब हम निजी की बात कर रहे हैं तो यह सोच समझ लें कि जिनके हाथों में आप बागडोर सौंप रहे हैं, जिनको आप ताकत देना चाहते हैं, वह कैसे लोग हैं। जहां शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, बाजारीकरण से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब, किसान का होगा।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गई।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, अभी फीस की बात चल रही थी, अगर आप सरकारी फीस और निजी विश्वविद्यालयों की फीस की तुलना करेंगे तो आपको धरती-आसमान का अन्तर नजर आयेगा। आपके सरकारी विश्वविद्यालयों में जो नये ग्रेजुएशन के कोर्स आये हैं वहां पर कितनी फीस है दो हजार ढाई हजार लेकिन निजी में यही फीस कई गुना ज्यादा है। हमारा यह मानना है कि

इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय ताकि व्यापक विचारोपरान्त इस पर निर्णय हो सके। हम सब लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जब प्रतिस्पर्धा चिकित्सा के क्षेत्र में करना चाहते हैं तो यहां से निकलने के बाद हमारा वास्ता समाज के सबसे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित और कमजोर लोगों से पड़ता है, उनको ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाना चाहिए। अभी मेरठ की यूनिवर्सिटी का संशोधन आपने पहले पास किया है, मुझे पहले अगर प्रस्ताव रखने का मौका मिलता तो ए से लेकर जेड तक सारी पोल पट्टी खोल देता। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी और वरिष्ठ लोग बैठे है जिन्होंने गरीबी देखी है, एक-एक जोड़ी कपड़े में आप लोग पढ़े हैं। मैं कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालयों को निजी की तरफ न धकेला जाय, सरकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाय। इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि हम लोग भी अपने सुझाव उसमें दे सकें। आपने इस विधेयक पर मुझे प्रस्ताव रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे विधेयक पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपके प्रति आभार। हमारे साथी भाई अतुल जी ने जो अपनी बात कही उससे मैं अपने को सम्बद्ध करती हूँ। मैं सिर्फ एक बात पूरी गम्भीरता से कहना चाहती हूँ और मैं समझती हूँ कि यहां बैठे सभी सदस्य चाहे वह किसी पार्टी या दल से हों, वह इस बात से सहमत होंगे। निजीकरण बुरी चीज नहीं है, बहुत सारी चीजों में अच्छी भी है लेकिन उसकी सीमा कहां तक हो, यह तय होना बहुत जरूरी है। निजीकरण तब तक अच्छा है जब तक इस पर अंकुश लगा रहे।

[इसी मध्य अपराह्न 3 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये]

जब तक उस पर चेक लगा हो और जिस तरह से हम लोग देख रहे है कि जो यूनिवर्सिटीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है कि इनके जो रूल्स और रेगुलेशंस है ये अपनी नियमावली खुद बनाते हैं, कितनी फीस लेनी है, कितना किसको एडमिशन देना है, कौन से कोर्सेज रन करने हैं और स्टूडेंटस को क्या सुविधा देनी है, या नहीं देनी है। इसका एक छोटा सा उदाहारण मैं आपको देती हूं, एक बड़ी यूनिवर्सिटीज है नोएडा में, वहां पर एक बच्चे को डेंग्यू हो गया था, हमारे परिवार के जानने वाला का बच्चा था तो मैं भी उसको देखने गयी थी, वह बच्चा मरते-मरते बचा था। वह एग्जाम का दौर चल रहा था उसने कुछ पेपर दिये और कुछ पेपर वह नहीं दे पाया। जब उस बच्चे ने एग्जाम के बाद आवेदन दिया कि जो पेपर मैं नहीं दे पाया हूं, मुझे देने का मौका दिया जाए। आप जानते हैं उसके साथ क्या हुआ, उससे कहा गया कि आपको यह अवसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कालेज इसकी अनुमति नहीं देता और कहा की आप सेमेस्टर छोड़ दीजिए। उस बच्चे को ईयर बैक कर दिया गया, ईयर बैक का मतलब एक बच्चे की मनोस्थिति पर कितना बुरा असर पड़ता है कि उसका

पूरा एक वर्ष बरबाद हो गया। जबकि वह बच्चा एक अच्छा स्टूडेंट था, उसके परिवार पर कितना आर्थिक बोझ पड़ा, एक वर्ष की फीस उनको देनी पड़ी, उस बच्चे की मनोस्थिति समझिये कि जो बच्चे उसके साथ पढ़ते थे वह सब उसके सीनियर हो गये, वह अपने जूनियर बच्चों के साथ पढ़ने लगेगा। उसकी गलती क्या थी, क्या उसकी गलती बस यह थी की वह डेंग्यू से ग्रसित था, अस्पताल में एडमिट था 2 महीने तक सारे मेडिकल उस बच्चे ने प्रोवाइड कराये, परन्तु उसको राहत नहीं दी गयी।

मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है, यहां जितने भी मा0 सदस्य हैं उनके बच्चे, आप सब के बच्चे ऐसे निजी कालेजेज में पढ़ते हैं, निजी कालेजज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। पर उनके ऊपर उनकी नियमावली पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। उसकी कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वह अपनी मनमानी ना कर सकें। चाहे वह फीस का मुद्दा हो, बच्चे के भविष्य को साथ लेते हुए निर्णय हों, पाठ्यक्रम को लेते हुए निर्णय हों, कहीं ना कहीं तो पैरेटी होनी चाहिए। वही पाठ्यक्रम आप भी पढ़ा रहे हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाये जो रहे हैं, वही पाठ्यक्रम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाये जा रहे हैं, तो फिर यह डिसपेरेटी क्यों है। तो मेरा सिर्फ अनुरोध यह है कि जो नियम बने हैं, उन नियमों पर कहीं न कहीं चेक एण्ड बैलेंस होना चाहिए। इसलिए ये किसी ऐसी संस्था से गवर्न होने चाहिए, जिससे सरकारी संस्थानों में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पेरेटी बनी रहे। बस यही एक मेरा अनुरोध है, यह मेरा सुझाव है। अगर मा0 मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इस पर और बेहतर विचार करने के लिए इसको प्रवर समिति को भेजेंगे, तो मैं मानती हूँ कि एक अच्छा नियम हम बना पायेंगे। धन्यवाद।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मा0 अध्यक्ष जी, मोना जी को सुना और अतुल जी को सुना, मोना जी के कथन से ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर मशीन में एक नट बोल्ट खराब है तो मशीन को उठाकर फेंक दो और अतुल जी तो लगता है कि निजी नाम से ही चिढ़ते हैं, यह उनके निजी विचार हो सकते हैं कि निजी नाम से चिढ़ो, जबकि हमारा इतिहास बता रहा है कि शिक्षा पर प्रारम्भ से समाज के समाजसेवियों ने और सामाजिक संस्थाओं ने शिक्षा पर जितना योगदान किया, जो इंस्टीट्यूट दिये, जितनी संस्थाएं दी, उतनी पिछली बार की सरकारें नहीं दे पायी थीं। उनकी वजह से अच्छी शिक्षा मिली है, आज बिरला की कितनी शिक्षण संस्थाएं हैं, वहां लोग एडमिशन लेने के लिए तरसते हैं। अध्यक्ष जी, विदेशों में जाइए, देश-विदेश में वहाँ भी शिक्षा क्षेत्र में निजी लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा मिशन है, प्रोफेशन नहीं। जिन लोगों ने उसे मिशन बनाया है, उन्होंने उच्च शिक्षा दी, अच्छी शिक्षा दी। ये पॉलिटिक्स भी मिशन है, पत्रकारिता भी मिशन है, लेकिन

अगर समाज में विकृति आती है, तो क्या इसलिए वह सिस्टम खत्म कर दिया जाए, यह कोई डार्क सिंगल वाली बात नहीं है।

(श्री अतुल प्रधान के कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 अतुल जी, बैठिए। आपने इनसे ज्यादा बोला है।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मा0 अतुल जी, आपको मैने पूरा सुना कृपया मेरी बात पूर्ण हो जाने दें। अगर मा0 अध्यक्ष जी आपको मौका देंगे, तो आप बोलिएगा। जैसा अभी नियम की बात आ रही थी। इससे पहले की सरकारें क्या कर रही थी? प्रत्येक विश्वविद्यालय का अलग एक्ट बनता था, अलग एक्ट पास होता था। अब हमारी सरकार, यानी मा0 योगी जी की सरकार ने इन विसंगतियों पर चिन्ता की। अब एक ही एक्ट होगा, जिसके अन्तर्गत संशोधन द्वारा प्रस्तावित इसको सूची में सम्मिलित होना है। यानी इस अम्ब्रेला के नीचे सब जिसके विश्वविद्यालय होंगे, निजी विश्वविद्यालय होंगे और इसके एकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा, इसके नार्म्स के अनुसार ही वह चलेगी।

जिन्होंने नार्मस पूरे कर लिए हैं, उनको ही मंत्रि-परिषद् में विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया गया है और उसके बाद यहाँ पर प्रस्तुत हो जायेगा। जो विसंगतियाँ थीं, उनको दूर करने के बाद यह एक्ट बना और उसके अन्तर्गत इनको सिर्फ उस अनुसूची में उन्हीं नियमों में जोड़ने का प्रस्ताव है। फिर भी जहाँ पर ऐसी विसंगतियाँ आ रही हैं, इतिहास पिछली सरकारों का गवाह है कि लोग क्या करते थे? अतुल जी जिनका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये उसी कफलिया के अंग है। अब वे लोग फर्जी डिग्री देने के लिए ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।

अब ऑन-लाईन सिस्टम खड़ा किया जा रहा है। जब से मा0 योगी जी की सरकार आयी है, ऑन-लाईन सिस्टम में जो व्यवस्थाएं बनी हैं, इन विसंगतियों में सुधार है, शिक्षा में सुधार हो रहा है। इससे पहले सरकारी विश्वविद्यालय एक्ट है। अभी श्रीमती मोना जी कह रही थीं कि निजी विश्वविद्यालय अच्छा काम कर रहे हैं, निजी संस्थाएं अच्छा काम करती हैं। इससे पहले एक भी सरकारी विश्वविद्यालय बी प्लस के साथ क्यों नहीं प्राप्त कर सका ? क्योंकि जब सरकारी विश्वविद्यालय के साथ निजी वि0वि0 आए, कम्प्टीशन हुआ, तो इनको भी कम्प्टीशन में उतरना पड़ा, तो इनका स्तर ऊपर उठा। इसलिए जैसे-जैसे निजी विश्वविद्यालय आएंगे, वैसे-वैसे शिक्षा का स्तर उठेगा और जो विसंगतियां होंगी, संज्ञान में आएंगी, तो उनको दूर करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 28 जून, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-12 सन् 2019 की अनुसूची-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की अनुसूची 2 में क्रम संख्या-33 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 33 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालय के लिये निम्नलिखित क्रम-संख्या बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

क्र0-सं0	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
34	के0एम0 (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश	श्री मोहन सिंह शिक्षा संस्थान, पॉली डूंगरा, सौंख, मथुरा, उत्तर प्रदेश
35	मेजर एस0डी0 सिंह विश्वविद्यालय, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश	श्री बाबू सिंह दद्दू जी एजूकेशनल ट्रस्ट, सिविल लाइन्स, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3-(1) राज्य सरकार के0 एम0 (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय, मथुरा उत्तर प्रदेश अथवा मेजर एस0 डी0 सिंह विश्वविद्यालय, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के

प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती हैं कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगेः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4-(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2023 तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पांचवा संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2023, तथा 10 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[03:55] अट्ठारहवीं विधान सभा के कतिपय कारणवश क्षेत्रीय समस्याओं पर सदन में न बोल पाने वाले सदस्यों को अपनी बात रखने हेतु अवसर

श्री अध्यक्ष-

कल कार्य-मंत्रणा की जो सिफारिशें थीं, उसकी सूचना सदन को दी गयी थी। कुछ मा0 सदस्य ऐसे हैं, जिनको विगत एक वर्ष में या तो बोलने का किन्हीं कारणों से अवसर नहीं मिला या वह अपनी बात सदन में रख नहीं पाये। हम सब लोग अपने क्षेत्र से चुन करके आते हैं। जो बात मैंने कल कही थी उसे दोहराना चाहता हूँ। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से शुरू में उनसे यह निवेदन किया था कि बहुत सारे सदस्य केवल अपना भाषण दे देते हैं, तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को सदन में भी कहा था कि सारे सदस्य अपनी बात को कहें, जो भी समस्यायें होंगी, सम्बन्धित विभाग को भेजी जायेंगी। पहली बार इस विधान सभा में जो माननीय सदस्य बोले चाहे वह बजट की सामान्य चर्चा पर या श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोले हों उनके जो भी विषय थे सम्बन्धित विभागों को भेज दिये गये थे कुछ के कार्य हुए होंगे कुछ चल रहे होंगे। लेकिन मेरा भाव कहने का यह है कि जो मा0 सदस्य यहाँ पर अपनी बात उठाते हैं वह अपनी क्षेत्र की जनता के हित में उठाते हैं। कुछ अगर ऐसे माननीय सदस्य बच गये थे जिनको किन्हीं कारणवश, समय की प्रतिबद्धता हो सकती है, लेकिन समय की प्रतिबद्धता मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि बजट सत्र रात्रि 9, 10, 11 व 12.30 के बाद भी चलाया है इसलिए समय न होने के कारण न बोला हो, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन फिर भी कोई परिस्थिति हो सकती है, पारिवारिक या स्वास्थ्य सम्बन्धी हो सकती है। सदन में सब लोग बोलना चाहते हैं।

समाचार-पत्रों के माध्यम से भी इस बात की जानकारी सब लोगों को थी कि आज दिनाँक 08 तारीख को जो माननीय सदस्य अब तक नहीं बोले हैं उनको अवसर दिया जायेगा। कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था कि आज ऐसे सदस्यों को अवसर दिया जायेगा जो नहीं बोले हैं। ऐसे माननीय सदस्य जो अब तक नहीं बोले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 23, समाजवादी पार्टी के 15 तथा अपना दल के 03 माननीय सदस्य हैं। यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो पहले भी विधायक रह चुके हैं और हो सकता है कि पहले की विधान सभाओं में वह बोले हों लेकिन इस अट्ठारहवीं विधान सभा में नहीं बोले हैं उनकी सूची मेरे पास है। मैं उस सूची का नाम पढ़ुँगा फिर क्रमशः उनको बुलाऊँगा, उनको आज बोलने का अवसर मिलेगा। आज हम पूरा अवसर देंगे, जो नहीं बोलेंगे तो उनके क्षेत्र में यह मैसेज जायेगा तो वह नहीं बोले हैं तो वह स्वयं जिम्मेदार होंगे और इसमें विधान सभा का कोई दोष नहीं होगा।

श्री अतुल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले नियम-51 की सूचनायें ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अभी नहीं, आप लोग अंत तक बैठिये। अब मैं नाम पढ़ रहा हूँ-भारतीय जनता पार्टी के श्री अमन गिरि, श्री अमरेश कुमार, श्री अशोक कुमार राणा, श्री आशुतोष शुक्ल, श्री किरत सिंह, श्री गुरु प्रसाद मौर्य, श्री दिनेश रावत, श्री दीपक कुमार मिश्र 'शाका', श्री निर्मल वर्मा, श्री पंचानन्द पाठक (पी0 एन0 पाठक), श्री पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रवीण पटेल, श्री प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री बावन सिंह, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री मनीष रावत, श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', श्री राकेश राठौर, श्री विनोद सिंह, इंजी0 सरवन कुमार निषाद, कुंवर सुशांत सिंह, श्री सुशील कुमार शाक्य तथा श्री सौरभ सिंह सोनू।

समाजवादी पार्टी के श्री अनिल कुमार वर्मा, श्री आनन्द कुमार यादव, श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री कवीन्द्र चौधरी, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री नवाब जान, श्री नसीर अहमद खाँ, श्रीमती नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्री फरीद महफूज किदवई, श्रीमती मारिया अली, श्री रमाकान्त यादव, श्री राकेश पाण्डेय, श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री विशम्भर सिंह यादव तथा श्री शाहिद मंजूर।

अपना दल के 03 माननीय सदस्य हैं, जिसमें दो सदस्य श्री शफीक अहमद अंसारी व श्रीमती रिंकी कोल ने 16 मई, 2023 को शपथ ग्रहण किया था और पहली बार वह इस सत्र में आये हैं, श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी जी नहीं बोले हैं।

***श्री फरीद महफूज किदवई-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषित अनेकों कार्यक्रम पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है तथा मेरे क्षेत्र की जनता उनके झूठे वादों से त्रस्त है। वर्षाऋतु आने से पहले मा0 मुख्य मंत्री जी का आदेश था कि गांवों में, खेतों में जितनी भी खारजें हैं, उनकी सफाई कर दी जाए ताकि जब बारिश हो तो उसका उचित ढंग से निकास हो जाए उसमें कोई समस्या न आए, लेकिन मैं आपके सामने यह बताना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी खारजें हैं, उनमें कोई काम नहीं हुआ है। नतीजा यह है कि मेरे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हजारों एकड़ भूमि पर धान लगी हुई फसल पानी में डूब गयी है। मैं यह आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ और यह चाहता हूँ कि आपके द्वारा इस पर उचित कार्यवाही हो। हमारे क्षेत्र के ब्लाक सिरौली गौसपुर में एक गांव रामपुर कटरा है, वहां एक खारजा बनने के लिए मैंने जिला पंचायत से मंजूरी ली थी, जिसके निर्माण के लिए टेण्टर भी हो गया है। खारजे की कीमत 32 लाख रुपये है, लेकिन 4 महीने हो गये हैं आज तक उसकी धनराशि नहीं दी गयी है। मेरे द्वारा पूछने पर बताया गया कि चूंकि 30 लाख रुपये तक तो जिले से मिल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता है, लेकिन जो 30 लाख रुपये से ज्यादा है तो वह माननीय मुख्य मंत्री जी प्रकोष्ठ से भेजा जाएगा। लगभग चार महीने हो गये हैं, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। फलस्वरूप गांव में जल भराव की समस्या बनी हुई है। हमारे यहां एक बांध बना हुआ है, उस बांध के ऊपर खड़न्जा लगना था और उसे गड्ढा मुक्त करना था। उस बांध पर आज तक न तो कोई खड़न्जा लगाया गया है और न ही गड्ढा मुक्त किया गया। रानीमऊ घाट से चहलारी घाट तक 33 से 54 किमी0 तक पिचिंग कार्य होना था, कोई कार्य नहीं हुआ है। अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है।

इस प्रदेश में पोल्ट्री की जो इंडस्ट्री है, उसके ऊपर बड़ा संकट आ गया है। जब से यह सरकार आयी है, पोल्ट्री बिल्कुल बन्द हो रही है। धीरे-धीरे पोल्ट्री के यूनिट्स बन्द होते चले जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे प्रदेश की इंडस्ट्री को छोटा सा राज्य हरियाणा डिटेक्ट करता है। हरियाणा से अण्डा माफिया मूल्य निर्धारित करते हैं और उसी पर हमको बेचना पड़ता है। वह जानकर कम मूल्य लगाते हैं ताकि हमारे प्रदेश की इंडस्ट्री खत्म हो जाए, इसलिए मुझे मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना है कि कृपया इस पर ध्यान दें और सबसे बड़ा संकट यह है कि आए दिन वह अण्डे बाहर से आते हैं, वह गर्म माहौल में आते हैं और रास्ते में खराब हो जाते हैं। वही अण्डे बाजार में बेचे जा रहे हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज में अण्डे रखने के लिए मनाही है, क्योंकि अगर अण्डे कोल्ड स्टोरेज में होंगे तो वहीं सब्जियां भी होंगी, वहीं आलू भी होंगे। चूंकि अण्डे से एक विषैला पदार्थ निकलता है, जिससे सब्जियां विषैली हो सकती है, इसलिए मुझे आपसे इतना कहना है कि कोई भी अण्डा बाहर से न आए और उस पर रोक लगाई जाए। हमारे यहां लगभग 30 हजार करोड़ लागत की यह इंडस्ट्री है और तकरीबन 15 लाख कर्मचारी इसमें काम करता है। धीरे-धीरे यह इंडस्ट्री बैठती चली जा रही है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि मा0 मुख्य मंत्री जी इस पर ध्यान दें और यह देखें कि हमारी जो अण्डे की पोल्ट्री है, इसके ऊपर कोई संकट न आने पाए।

***श्री अमन गिरि-**

मान्यवर, मैं सम्मानित पीठ को सादर नमन करता हूं, सदन को नमन करता हूँ। मैं सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस सदन के सबसे युवा व आपके सबके सबसे छोटे सदस्य को बोलने का प्रथम बारी में अवसर दिया और अपनी बात रखने का अपनी क्षेत्र की बात रखने का मुझे यह स्वर्णिम अवसर दिया है। मैं सौभाग्यवान हूँ कि मुझे इस गरिमामयी सदन में होने का अवसर मिला है। मैं गौरवान्वित हूँ कि इतनी गरिमामयी सदन का सदस्य हूँ। आयु और अनुभव में आप सबसे अवश्य छोटा हूं, लेकिन आप मेरे लिए एक अग्रज एवं मार्गदर्शक स्वरूप है। मैं सभी का एक बार पुनः वंदन अभिनंदन करता हूँ और एक बात इस सदन में जरूर कहना चाहूंगा कि देश और प्रदेश में अन्य दलों की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकारें रहीं, जिन्होंने अपनी क्षमता भर कार्य जरूर किया लेकिन हमारे भारत देश की बहुरूपी और बाहुल्य क्षमता को नही पहचान सके। किन्तु प्रदेश को जो गौरव मा0 योगी जी के नेतृत्व में मिला वह अद्भुत है, अनुपम है।

(इसी मध्य 04 बजकर 05 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती कृष्णा पासवान पीठासीन हुए)

इस प्रकार हमारे मा0 मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत वर्ष ने विश्व पटल पर एक सुनहरे उगते हुए सूरज की तरह अपनी पहचान बनाई है। जिसकी ओर आज विश्व भर देख रहा है, एक उदाहरण बन कर देख रहा है, कही भी कैसी भी कोई समस्या आती है किसी भी स्वरूप में चाहे राहत की श्रेणी में हो, चाहे सुरक्षा की श्रेणी में हो, एक बार भारत वर्ष की ओर जरूर रूक कर देखा जाता है कि जहाँ हमारे मा0 मोदी जी, हमारे मा0 प्रधानमंत्री जी हमारा भारत चल रहा है और उसी ओर चलते हुए आगे की रूपरेखा बनाई जाती है। आज सर्वत्र कानून का राज है। गुंडे, माफिया और अराजक तत्व या तो जेल में है या तो परलोक सिधार चुके हैं। यह कम बड़ी उपलब्धि नही है जहां पर भ्रष्टाचार, अनाचार का बोलबाला हो। उस प्रदेश में आज अनुशासन, सुशासन, एवं शांति का माहौल बरकरार है। सभी धर्मो के लोग त्योहार एवं धार्मिक उत्सव शांतिपूर्वक मनाते हैं। किसी भी अराजक तत्व की कोई मजाल नही है, किसी की कोई हिम्मत नही है कि किसी निर्बल को सताए और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनका दुष्परिणाम भी झेलना पड़ा है।

एक तरफ जहाँ भय और असुरक्षा की भावना समाप्त की वहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भूख, अशिक्षा और बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का कार्य प्रारम्भ किया है और इसका सुपरिणाम भी सामने है। मैं हमारे प्रदेश के मा0 यशस्वी मुख्य मंत्री जी की दूरदर्शिता का और हमारे देश के प्रधानमंत्री मा0 मोदी जी के व्यापक विचारों की आत्मप्रशंसा करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने हमारी सनातन संस्कृति को, हमारी आस्थाओं को, हमारी श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ता दी है उसके लिए आगे आने वाली पीढ़ियां उनकी आभारी रहेंगी। हम जैसे यूथ, यूथ मैं कहूंगा जितनी भी युवा पीढ़ी थी जिस तरह से अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को भूलती जा रही थी लेकिन आज वह समय फिर से वापस लौट आया है कि हम सभी अपनी संस्कृति की तरफ अपने इतिहास की तरफ वापस मुड़ कर देख रहे हैं और इतिहास को वापस रच कर उसको सुनहरा आयाम एक सुनहरा शेर चेहरा दिखाने का काम कर रहे है। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी का कि जिस तरह से आपने हमारे प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरीडोर का विश्व भर में एक प्रचार किया है उसको एक नया रूप देने का काम किया है उसी तरह से हमारी गोला विधान सभा का जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ।

छोटी काशी के नाम से विख्यात है जिसमें सदियों से देवाधिदेव महादेव का एक बहुत ही प्राचीन मन्दिर स्थित है और आप सब लोगों के सहयोग से मेरे स्वर्गीय पिता

मा0 श्री अरविन्द गिरि जी वर्ष 1996 से जब से विधायक चुने गये, तब से उन्होंने सदन में लगातार खड़े होकर अपनी बात रखी। गोला विधान सभा क्षेत्र की तरफ से हमेशा यह माँग आती रही है और एक सपने के रूप में हम लोग देखते आए हैं कि गोला कॉरीडोर की स्थापना हो, जिसमें हमारे देवाधिदेव महादेव का एक नया स्वरूप तैयार किया जाये। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी एवं अपने सभी शीर्ष नेतृत्वों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से वह कार्य भी सुनिश्चित हो गया है और उसका कार्य भी जल्द शुरू होने वाला है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री अमन गिरि-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं सबसे छोटा विधायक हूँ इसलिये अगर कोई त्रुटि हो गयी हो तो क्षमा करियेगा। मैं अपने क्षेत्र के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या हमेशा लगी रहती है। मैं नया हूँ, काम समझ रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, हमारे मंत्रियों ने हमारा समर्थन किया है और आप सभी लोगों का जिस तरह से सहयोग रहा है, उस सहयोग से मैं अपने बाढ़ क्षेत्र को बचाने में और वहाँ के लोगों का उत्थान करने में सफल हो सका हूँ। मैं पुनः अपने बाढ़ क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो बिन्दु रह गये हों उन पर मुझे आपका समर्थन मिले और जिस तरीके से अभी तक काम होता आया है उसी तरीके से आगे भी बाढ़ क्षेत्र के लोगों को इस समस्या से निजात दिल सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य श्री अनिल कुमार वर्मा जी, मा0 सदस्य श्री आनन्द कुमार यादव जी व मा0 सदस्य श्री आशुतोष मौर्य जी।

(सदस्य श्री अनिल कुमार वर्मा जी, श्री आनन्द कुमार यादव व श्री आशुतोष मौर्य का नाम पुकारने व अनुपस्थित रहने पर)

***श्री आनन्द कुमार यादव-**

मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं सदन में उपस्थित हूँ। मुझे अनुपस्थित न माना जाये। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 अखिलेश यादव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने घाघरा के किनारे स्थित एक छोटे से गाँव गोड़हिया नम्बर-4 में जन्मे एक छोटे से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया और उसे टिकट दिया और पहली बार निर्वाचित होकर मैं विधान सभा आया। इसके साथ-साथ मैं विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के समस्त जिला पंचायत सदस्यों, ग्राम पंचायत प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं तमाम माताओं-बहनों, बुजुर्गों एवं नौजवान साथियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपने प्रयास से मुझे विधान सभा में भेजने का कार्य किया है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरे विधान क्षेत्र में घाघरा तथा सरयू इन दो नदियों का बहाव बहुत तेजी से होता है। इसके बीच में हमारी विधान सभा क्षेत्र है। हमारी विधान सभा क्षेत्र लगभग 70 किमी0 लम्बे तथा 35 से 40 किमी0 चौड़े वर्गाकार क्षेत्र में स्थित है। बाढ़ और कटान से आए दिन हमारी विधान सभा क्षेत्र में समस्याएं आती रहती हैं। हमारी विधान सभा में पहले से दो तटबन्ध बने हुये हैं। एक रेवली आदमपुर बांध है जो 15 किलोमीटर लम्बा है और वर्ष 1983 में बनाया गया था। दूसरा बेहला बेहरौली बांध है जो 45 किलोमीटर लम्बा है और वर्ष 1960 में बनाया गया था। रेवली आदमपुर बांध एक बार कट चुका है। घाघरा नदी हमेशा कटान करती रहती है और बहुत उथल-पुथल मचाया करती है। इस बार भी एक तो आदमपुर के पास तथा दूसरा गोड़हिया नम्बर-4 चंदीपुरा के पास इन दो स्थानों पर घाघरा नदी का कटान हो रहा है। इससे बांध को भी खतरा है और साथ-साथ क्षेत्रीय जनता तथा गाँव के निवासियों को भी खतरा है।

अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इन दोनों स्थानों पर कटान रोधक पिचिंग का कार्य कराया जाय। बहरौली बांध पर भी भिरंग पुरवा के पास बहुत तेजी से कटान हो रहा है। कुछ कार्य वहां पर हुआ भी है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लम्बी दूरी तक, भिरंग पुरवा तक कटान रोधक पिचिंग का कार्य कराया जाए, जिससे वहां भी बांध को सुरक्षित किया जा सके और वहां की स्थानीय जनता को लाभ मिल सके। हमारी दूसरी समस्या यह है कि जो बेलहा बहरौली बांध बना है उसमें बहुत से स्थानों पर आज भी कच्चा टाप बना है जिससे कि बरसात में बड़े-बड़े गड्ढे हो जाते हैं और गाड़ियों का निकलाना मुश्किल हो जाता है।

हम आपके माध्यम से सरकार से चाहेंगे कि इस टाप को पक्का कर दिया जाए जिससे बरसात में आवागमन सुगम हो सके और जनमानस को सुविधा मिल सके। हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे क्योंकि हम भी उसी गांव के निवासी हैं और हमारा भी गांव उसी क्षेत्र में पड़ता है। ग्राम पंचायत गोडहिया नम्बर-1, ग्राम पंचायत गोडहिया नम्बर-2, ग्राम पंचायत गोडहिया नम्बर-3 एवं ग्राम पंचायत गोडहिया नम्बर-4 यहां पर सन् 1982 से रिकॉर्ड ऑपरेशन का काम चल रहा है लेकिन आज तक न तो काम पूरा हुआ है और न ही पूरा होने की उम्मीद है। क्योंकि यहां पर

स्टाफ की बहुत कमी है और एक-दो लेखपाल ही अपना दफ्तर खोले बैठे रहते हैं जो कि हस्त लिखित खतौनी बनाकर ही काश्तकारों को नहीं दे पाते हैं तो रिकॉर्ड ऑपरेशन का कार्य कैसे पूरा करेंगे? मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इन गाँवों को जहां पर 40-45 साल से रिकॉर्ड ऑपरेशन का कार्य पूरा नहीं हुआ है, खतौनियाँ जर्जर हो चुकी हैं इनको यथास्थिति में ही तहसील में जमा करा लिया जाए और उसके आगे की कार्यवाही तहसील स्तर पर कराई जाए। 2-3 चीजें और आपको बताना चाहता हूँ कि बदरौली भखोसा नाला पर एक छोटा सा पुल, धरणासर्की पर एक छोटा सा पुल एवं होल पारा पर सरयू नदी सिकही घाट पर पुल का निर्माण कराया जाए। हमारी विधान सभा क्षेत्र में नवनिर्माण से सम्बन्धित जो भी प्रस्ताव शासन में विचाराधीन हैं उनके लिए हम आपसे मांग करते हैं कि उनको स्वीकृत कर तत्काल कार्य शुरू कराया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जय हिन्द जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश यादव, बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री अमरेश कुमार-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उत्तर प्रदेश एक बहुआयामी प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो एक मानक वाले क्षेत्र हैं, इसमें लॉ एण्ड आर्डर है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन सहायता, कृषि एवं सम्बन्धित गतिविधियां, ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, ऊर्जा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, एक्सप्रेस-वे आदि है। शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, एस0सी0एस0टी0, ओ0बी0सी0 एवं अल्पसंख्यक समाज के लिए कल्याणकारी योजनायें हैं। इनमें लगातार प्रदेश प्रगति कर रहा है। मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आजादी के बाद से लखनऊ के 176 मोहनलालगंज क्षेत्र में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को विजय नहीं प्राप्त हुई थी। परन्तु हमारे माननीय मुख्य मंत्री, हमारे महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ के वर्ष 2017 से वर्ष 2022 के कार्यकाल में जो विकास हुआ। गुण्डा राज, माफिया राज समाप्त हुआ है। उससे प्रेरित होकर इस बार मोहनलालगंज से भारतीय जनता पार्टी से मैं विजयी होकर आया हूँ। क्षेत्र की जनता ने आशा और विश्वास रखकर इस न्याय के मन्दिर में मुझे भेजने का काम किया है। मेरे क्षेत्र की जनता इस बार आशाभरी निगाहों से विकास के भविष्य को देख रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस क्रम में मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में राजकीय कन्या डिग्री कालेज की मांग जनता ने की थी और हमने सरकार से उम्मीद करके यह बात रखी थी। मैंने क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव में जनता से वादा किया था इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में राजकीय कन्या डिग्री कालेज हो जाये। हमारे क्षेत्र में फायर ब्रिगेड न होने की वजह से इस बार गेहूँ की फसल में कई बार आग लगने से किसानों को काफी नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड दूर से आने में देरी होती है, जिससे काफी नुकसान हो जाता है। जो बचाया जा सकता है वह भी नुकसान होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में दो ब्लाक में मोहनलालगंज और गोसाईंगंज में फायर स्टेशन हो जाये। मोहनलालगंज में दीवानगंज गांव पड़ता है। गांव नदी के इस ओर है। हमारे किसान भाइयों की खेती ठीक उसके विपरीत है, जो 8 से 9 किलोमीटर की दूरी तय करके किसान अपने खेत में पहुंचता है। जबकि अपने घर की छत पर बैठकर खेत को देखता है, लेकिन वह खेत में जाने के लिए बहुत दूरी तय करता है, इसलिए हम चाहते हैं कि दीवानगंज का पुल बन जाये ताकि किसान भाईयों को अपने खेत में आवागमन के लिए काफी सहायता प्राप्त हो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप अवगत ही हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री व माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा से हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

इसी तरह हमारी विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज की नगर पंचायत अमेठी में नहर की माइनर के किनारे एक निःशुल्क योग वेलनेस केन्द्र काफी समय से संचालित है। जिससे क्षेत्रीय लोगों को योग द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। महोदय, जनता द्वारा उक्त नहर की माइनर पर पुलिया का निर्माण कराये जाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है। जिस पर मेरे द्वारा जनहित को दृष्टिगत रखते हुए अपनी विधायक निधि से पुलिया के निर्माण हेतु एक वर्ष से ज्यादा समय से सिंचाई विभाग को कई बार पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जा रहा है। परन्तु सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता अशोक कुमार सिंह, शारदा सहायक, अधिशासी अभियन्ता, सत्य प्रिय, लखनऊ शारदा सहायक खण्ड द्वारा एक ही पत्रांक दिनांक से तीन-तीन पत्र जारी कर उच्च अधिकारियों को गुमराह कर जनहित के काम के लिए अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है।

अधिष्ठाता महोदय, मेरी सदन के माध्यम से मांग है कि जनहित के उपयोगार्थ बनने वाली पुलिया का निर्माण हमारी विधायक निधि से कराये जाने की कृपा करें। विधायक, सदर सुल्तानपुर, श्री राम प्रसाद उपाध्याय राज बाबू जी, मेरे साथ कई बार गये, लेकिन आज तक पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया। इन अधिकारयों द्वारा लगातार इस जनहित के कार्य के लिए मुझे परेशान किया जा रहा है। मैंने उनसे कहा कि इस पर मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखूंगा तो वह बोले आप कहीं भी जाइये जबाव तो मुझे ही देना है। मेरे लिए ऐसे उनके शब्द

थे। सदन के माध्यम से हमारी मांग है कि उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जनहित के उपयोगार्थ बनने वाली पुलिया का निर्माण हमारी विधायक निधि से कराये जाने की कृपा करें।

श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सदन मैं बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं चित्रकूट की मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हूं, जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। मा0 योगी जी की सरकार ने बुन्देलखण्ड के विकास के लिए विभिन्न कार्य किये हैं। जनपद चित्रकूट में परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण चल रहा है। मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र में हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया है। मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र की नगर पंचायत मऊ में पुल का निर्माण कार्य हो रहा है, जो जनपद कौशाम्बी से जनपद चित्रकूट को जोड़ेगा। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा धन का आवंटन न करने पर निर्माण कार्य नहीं किया गया था। मा0 योगी जी द्वारा धन आवंटन कर दिये जाने पर वर्ष 2024 में यह बनकर तैयार हो जायेगा। मा0 प्रधानमंत्री जी व मा0 मुख्य मंत्री जी की जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत घर-घर पानी पहुंचाने का कार्य चल रहा है। जिसमें 35 गांवों में यमुना नदी से पानी मेरी विधान सभा क्षेत्र में पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरा क्षेत्र भले ही डकैतों के लिए जाना जाता था, लेकिन मा0 योगी जी की सरकार आने से सारे डकैत या तो प्रदेश छोड़कर चले गये हैं या फिर सामान्य जीवन जी रहे हैं। विकास खण्ड मानिकपुर में बरदाह नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है इससे करीब बीस हजार से पच्चीस हजार आबादी को आवागमन में फायदा मिलेगा। यमुना जी का कटान रोकने के लिए तटबन्धों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है और ऐतिहासिक गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर यमुना नदी के किनारे है, उसका सौंदर्यीकरण कराया जाना आवश्यक है। मेरा पाटा क्षेत्र होने के कारण मुख्य मंत्री आवासीय योजना के तहत मेरी विधान सभा क्षेत्र में आवास दिये गये हैं और लाभार्थियों को उसका लाभ मिल रहा है। इसमें कुछ आवासों की संख्या बढ़ा दी जाये तो भी जनता को इस योजना का लाभ मिल जायेगा।

मेरी विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में कैनाल की मशीनों का आधुनिकीकरण तथा नहरों का विस्तार करा दिया जाये जिससे किसानों की आय बढ़ जायेगी। मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र में सरेय्या तक का मार्ग चौड़ीकरण कराया जाना अति आवश्यक है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग के अन्तर्गत जो मार्ग बनाये जाते हैं तो वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र तुरन्त जारी नहीं होता है। इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिये आपसे निवेदन है कि वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र तुरन्त जारी कराने की व्यवस्था कराई जाये। मेरे मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र में मऊ-परदहा मार्ग के किलोमीटर 07 पर एक लघु सेतु का निर्माण कराया जाना

आवश्यक है। चूंकि यह मार्ग जनपद चित्रकूट से जनपद प्रयागराज को जोड़ता है इसलिये यह काम बहुत महत्वपूर्ण है। मा0 अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी तथा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 अनुप्रिया पटेल जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

***श्री शाहिद मंजूर-**

मा0 अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने जनपद मेरठ और अपने विधान सभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं को रखना चाहता हूँ। हमारे मेरठ में लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कालेज है जहां पर हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना कराई थी। यह वर्ष 2016 की बात है, लेकिन इसके अगले वर्ष सरकार बदल गई। वर्ष 2016 से लेकर अब तक उसमें न तो स्थायी रूप से कोई टेक्नीशियन तैनात किया गया, न तो उस विभाग में कोई प्रोफेसर है और न ही उस मशीन को कोई चलाने वाला है। वहां पर लेटेस्ट स्थिति है कि लोगों को एम0आर0आई0 कराने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। यह सुविधा न तो मेरठ में है और न ही सहारनपुर में है। यह सुविधा मुजफ्फरनगर में नहीं है और गाजियाबाद और आस-पास के जनपदों के गवर्नमेण्ट हास्पिटल में भी नहीं है। आज मैंने नियम-51 में मांग की थी। आज मंत्री जी वहां बैठे थे तो मेरा उनसे डिस्कशन हुआ। मेरा आग्रह है कि जितनी जल्दी जो सम्भव हो सके वह प्रयास करके एम0आर0आई0 मशीन को चलवाया जाये। अगर धन की कमी है तो उसकी पूर्ति कर दें, टेक्नीशियन नहीं है तो उसकी तैनाती कर दें और अगर प्रोफेसर नहीं है तो उस विभाग को चलाने के लिये प्रोफेसर दे दें। मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं आपकी जानकारी में बतला दूं कि आज यहां एक रिपोर्ट पेश हुई है जिसमें बताया गया है कि यह विभाग शून्य में चल रहा है। रिपोर्ट की कापी मेरे पास मौजूद है। अगर किसी मेडिकल कालेज में लेक्चरर नहीं होगा, वहां पर फैकल्टी नहीं होगी तो वहां पर कौन स्टूडेन्ट पढ़ेगा और उस सब्जेक्ट में काम करेगा। मेरा मा0 मंत्री से आग्रह है कि समस्या का निराकरण और समाधान करायें और मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र और मेरे अपने गृह नगर किठौर में एक 50 शय्या का हास्पिटल स्वीकृत हुआ था, लेकिन पिछले पांच सालों में उसको चलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया और वह नहीं चल पाया है। वर्तमान में मैंने कोशिश की तो सी0एम0ओ0 ने स्थानीय लेवल पर कुछ डाक्टर्स की पोस्टिंग की है। वह अस्पताल पूर्ण रूप से सुसज्जित है। वहां पर केवल एक्स-रे मशीन की कमी रह गई थी तो सी0एम0ओ0 द्वारा बार-बार लिखकर भेजा जा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है, लेकिन वहां पर एक्स-रे मशीन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जहां तक टेक्नीशियन, फोर्थ क्लास इम्प्लाई और पैरामेडिकल स्टाफ की बात है तो वहां पर इनकी लगातार कमी है।

मैं आज आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूँ कि इस कमी को दूर किया जाये। डाक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की पूर्ति की जाये, एक्स-रे मशीन की उपलब्धता करायी जाये। तीसरी समस्या मेरे विधान सभा क्षेत्र की मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारे शासनकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न स्कीमों में 12 कालेज स्थापित हुये थे। जिसमें 5 हाई स्कूल और 7 इण्टर कालेज हैं। पांच साल तक उन कालेजों को चलाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वर्तमान में कुछ चलने शुरू हुये हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण चलने के बजाये रेंग रहे हैं। अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी। अगर सरकारी कालेज में स्टाफ नहीं होगा, संसाधन नहीं होंगे, लैब या लैब टेक्नीशियन नहीं होगा तो वह स्कूल कैसे चलेंगे और कैसे यह सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल की बराबरी कर लेंगे। मेरा निवेदन है कि मेरठ में और खासतौर से किठौर विधान सभा क्षेत्र में जितने भी स्कूल स्थापित हो गये थे या प्रदेश में चाहे वह किसी के क्षेत्र में हों, उन स्कूलों को चलवाया जाये, उनमें स्टाफ की पूर्ति की जाये। आज दावा किया गया है कि आपने माध्यमिक शिक्षा में स्टाफ की भर्ती की है। बेसिक शिक्षा में भी की है। तो मेरा निवेदन है कि अगर आपने भर्ती की है तो उनकी पोस्टिंग भी कर दें और इन स्कूलों को चलवा दें। स्कूलों के न चलने से स्कूलों की हालत यह हो गयी है कि जो खिड़की थी वह भी गायब हो गयी है। बार-बार यह दावा किया जाता है कि गड्ढामुक्त सड़क देंगे। अब गड्ढामुक्त सड़क है या गड्ढायुक्त सड़क है यह तो हमारे उधर के साथी भी देख रहे होंगे। हो सकता है कि इनको हमसे ज्यादा सहूलियतें मिल जाती हों। मेरा आग्रह है कि गड्ढायुक्त सड़क हों तो फिर गड्ढामुक्त सड़क कराओ, चाहे वह सत्तापक्ष की हो या विपक्ष की हो। अभी पिछले दिनों वायदा किया गया था कि हर विधायक को 6-6 करोड़ रुपये देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। सात मिनट हो गये हैं।

श्री शाहिद मंजूर-

मान्यवर, मैं तो बोलने का आदी भी नहीं हूँ और इसलिए भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि लम्बे समय से देखता हूँ कि सीट तो इधर-उधर होती है, लेकिन स्थिति कमोवेश एक ही रहती है। विपक्ष का मतलब है कि उसकी सुनी ही नहीं जाती है। अगर सुनी नहीं जायेगी तो कही भी नहीं जायेगी। मैं तो इसलिए खामोश रहता था कि-यह दौरे सियासत भी क्या दौरे सियासत है चुप हूँ तो नदामत है और बोलूं तो बगावत है। अब इस सरकार में बोलना बगावत है तो इससे बेहतर होता कि मैं खामोश ही रहता। मा0 अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि सबको बोलना है तो इसलिए समस्या रख दी। अब सरकार के संज्ञान में आ गया है। हमारे पुराने साथी हैं हमारे साथ बहुत लम्बे समय तक रहे भी हैं। अब आप भी इस समय इस सरकार का नेतृत्व

कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह 3-4 समस्यायें हैं इनके निराकरण के लिए आप निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जहाँ मेडिकल कालेज या जिला अस्पताल में स्टाफ की जरूरत है उन सबको चलवाने की कोशिश करें और एक बात अन्त में कहकर समाप्त करूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने अपने शासनकाल में मेरे क्षेत्र में दो आई0टी0आई0 कालेज दिये। वह दोनों आई0टी0आई0 कालेज चल नहीं रहे हैं। अगर अखबार की मानें तो पता चला है कि बहुत सारी आई0टी0आई0 कालेजों को पी0पी0पी0 मॉडल पर चलाने की बात हो रही है। अगर ऐसी स्थिति है तो सरकार उन आई0टी0आई0 कालेजों को पी0पी0पी0 मॉडल में जाने से बचाया जाये और सरकारी माध्यम से उनको चलाने की व्यवस्था की जाये। आपने मुझे सुना बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री अशोक कुमार राणा-**

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आज आपने मुझे सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया है। मैं जनपद बिजनौर जोकि महात्मा विदुर की धरती के नाम से जाना जाता है और पश्चिम का सबसे बड़ा जिला होने का श्रेय जनपद बिजनौर को जाता है। वहां से आठ जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं। मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की विशेष कृपा जनपद बिजनौर पर रही है और पिछले छः साल के अन्दर उन्होंने हमारी अपेक्षाओं से ज्यादा देने का काम किया है। हमारे यहां पर पहले कोई बीमार पड़ जाता था तो उसको इलाज के लिए निकटतम मेरठ या मुरादाबाद जाना पड़ता था। आज वहां पर बहुत शीघ्रता से मेडिकल कालेज का निर्माण हो रहा है और यह भी खुशी की बात है कि महात्मा विदुर जी के नाम पर उस मेडिकल कालेज का नाम रखा गया है और मैं समझता हूँ कि इस साल के अन्त तक निश्चित तौर पर मेडिकल कालेज सुचारु रूप से कार्य करना शुरू कर देगा। इसी के साथ इस बार हमें एक बहुत बड़ा अवसर आदरणीय योगी जी की तरफ से मिला है, जब 22 तारीख को पौधारोपण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में शुरू होना था तो उस समय भी हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने विदुर कुटी से ही पौधारोपण के कार्यक्रम शुरूआत की थी।

जहां तक शांति व्यवस्था एवं विकास की बात है, मुझसे पहले भी सभी लोग बोल चुके हैं और यह किसी से छिपा भी नहीं है कि हमारा प्रदेश हमेशा से दंगाग्रस्त प्रदेश माना जाता था आज दंगाग्रस्त नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रदेश माना जाता है कि जहां सभी धर्म-सम्प्रदाय के लोग, हर जाति के लोग बड़े चैन एवं सुकून से अपना जीवन-यापन करने में लगे हुए हैं। साथ ही इस बात की भी खुशी है कि जहां पहले व्यापारी वर्ग आने के लिए डरता था, कोई भी उद्योग लगाने से पहले वह दस बार सोचता था, कभी उठाए जाने का डर लगता था, कभी लूटे जाने का डर लगता था, यह डर होता था कि सड़क होगी या नहीं होगी, कहां पर बिजली की समस्या का सामना करना पड़ेगा। आज जिस तरह मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में बिजली के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्पादन, बिजली की उपलब्धता और निरन्तर सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज हमारे जनपद में भी दस हजार करोड़ रुपये से ऊपर के एम0ओ0यू0 साइन हुए हैं और निश्चित तौर पर जब नये नये उद्योग लगेंगे तो नये रोजगार के भी अवसर उत्पन्न होंगे। यह हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा थी कि आज गांव-गांव महिला समूह बनायेंगे और उनके माध्यम से बहुत अच्छे कार्य किये जा रहे हैं। हमारा जनपद गन्ना बाहुल्य जनपद है और गन्ना बाहुल्य जनपद होने के लिए महिला समूहों को बहुत प्रेरित किया जा रहा है कि वह गन्ने की नर्सरी तैयार कर सकें और सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से योगदान भी दिया जा रहा है और बहनों को अपने पैरों पर खड़े होने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया जा रहा है।

साथ ही मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि समस्याएं जीवन के साथ लगी रहती हैं और अक्सर समाज में कोई न कोई समस्या आ ही जाती है चाहे वह बाढ़ की समस्या हो या कोई अन्य समस्या रही हो, पर जिस तत्परता से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 विधायक जी, पांच मिनट हो गया है, बहुत सारे लोग हैं।

श्री अशोक कुमार राणा-

अभी हमारे यहां पर गुलदार की समस्या बहुत बड़ी हो गयी थी और बहुत दुःखद था कि जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गयी थी तो उसमें हमारे वन मंत्री जी ने हम जन-प्रतिनिधियों को बुलाकर उसका निराकरण करने के बारे में विचार-विमर्श किया और उन्होंने तीन-तीन कंजरवेटर, प्रमुख कंजरवेटर, तीन-तीन डी0एफ0ओ0 और पूरे जनपद में 12 टीमें बनाकर और 20 पिंजड़े लगाकर गुलदार को पकड़ने का काम किया है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद दूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

विधायक जी समय हो गया है, छः मिनट हो गये हैं। श्री आशुतोष शुक्ल जी, आप बोलिए।

श्री अशोक कुमार राणा-

मान्यवर, दो बातें कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में रामगंगा और खोह दो ऐसी नदियां हैं जिनसे वर्ष 2010 में बाढ़ की वजह से बहुत जनहानि हुई थी। इस बार बाढ़ है, मैंने भी आग्रह किया था और हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने भी निरीक्षण किया था और..

श्री अधिष्ठाता-

विधायक जी, आप लिखकर दे दीजिएगा, छः मिनट से ज्यादा हो गये हैं।

श्री अशोक कुमार राणा-

मैडम, भाई साहब अभी बोल रहे थे तो काफी देर बोल गये, हमें तो कुछ बोलना है कि तो बिल्कुल समय ही नहीं मिल रहा। दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत काम हुआ है, पिछली सरकारों में कितना हुआ है उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा पर हमारी योगी जी सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है, पर अभी और काम की भी जरूरत है, क्योंकि एक-एक मनुष्य का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह गुलदार का शिकार हो या बाढ़ का शिकार हो। मेरा आपके माध्यम सरकार से निवेदन है कि उस पर जरूर गौर किया जाये। हमारे जिले का सौभाग्य रहा है कि लम्बे समय तक श्री गिरधारी लाल जी को हमारे जिले का प्रतिनिधित्व लोक निर्माण मंत्री के रूप में करने का अवसर मिला।

श्री अधिष्ठाता-

श्री आशुतोष शुक्ल जी, आप बोलिए। श्री किरत सिंह जी आप बोलिए।

(श्री आशुतोष शुक्ल जी के न बोलने पर)

श्री अशोक कुमार राणा-

मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज जहां शान्ति व्यवस्था कायम है, नये-नये उद्योग लग रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है।

श्री किरत सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री अशोक कुमार राणा-

मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन जनप्रतिनिधियों की समस्याएं अभी तक आई हैं उन पर गौर करके उनका शीघ्र निस्तारण कराने का काम हो, बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री किरत सिंह-**

मैं सहारनपुर की गंगोह विधान सभा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट का जिला है वहां से चुनकर आया हूँ। गंगोह विधान सभा क्षेत्र पूरी की पूरी किसानों का है। मैं स्वयं भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसान हूँ। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार जबरदस्त बारिश हुई है, सहारनपुर की गंगोह विधान सभा क्षेत्र यमुना नदी से सटी हुई है, लगभग 20 किमी0 का लम्बा एरिया यमुना नदी से मिला हुआ है। यमुना नदी में इस बार 03 लाख 61 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण जितने भी 20 गांव बराबर में लगते हैं सभी गांव जलमग्न हो गये हैं और भारी मात्रा में किसानों की जमीन टूटकर यमुना नदी में बह गयी। किसानों का भारी नुकसान हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है कि किसानों के नुकसान का सरकार आंकलन कराए और किसानों को उचित मुआवजा दिलाए।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो बढ़िया इन्तजाम हमारी सरकार ने बाढ़ के लिए किए थे, काफी मात्रा में गंगोह विधान सभा क्षेत्र में तटबन्ध बनाये गये थे, मई-जून के महीने में तटबन्ध की जो सरकार ने व्यवस्था की थी, वह सभी तटबन्ध टूट गये, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत अधिक हो गयी थी। उन तटबन्धों को दोबारा बनाने का कार्य किया जाए। खेती की जमीन का जो कटाव हुआ है, गंगोह विधान सभा क्षेत्र के कई गाँवों के किसानों की कई सौ बीघा जमीन कट गयी है, उस पर गन्ने की अच्छी फसल थी, धान की अच्छी फसल थी, वह सारी फसल बह गयी है और किसानों के सामने पशुओं के चारे की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है। हमारा जो यमुना का तटबन्ध बना हुआ है, उसके बराबर में जितने भी बिजली के ट्यूबवेल थे, सारे ट्यूबवेल यमुना के अन्दर बह गये। एक बहुत मोटा नुकसान किसान को ट्यूबवेल बह जाने की वजह से भी हो गया है, उधर फसल चली गयी है तो कोई अच्छी टीम बना करके वहाँ का आँकलन कराया जाए और जो सम्बन्धित किसान हैं, उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए। मैं कहना चाहता हूँ, हमारी विधान सभा क्षेत्र के दूसरी ओर हरियाणा की विधान सभा क्षेत्र लगती है और हरियाणा की उस विधान सभा क्षेत्र में वहाँ की सरकार ने तटबन्ध की बहुत बेहतरीन व्यवस्था की है। उस बेहतरीन व्यवस्था की वजह से पानी का सारा बहाव गंगोह विधान सभा क्षेत्र की ओर हो गया और उसके सामने टक्कर में पूरा विधान सभा क्षेत्र लगता है, अगर हमने उनके मुकाबले में तटबन्ध नहीं बनाया तो एक दिन बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा हो जायेगा।

इसलिए मेरा आग्रह है कि इस विषय पर भी सरकार ध्यान दे। दूसरा मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूरी गंगोह विधान सभा क्षेत्र के सामने जितना भी यमुना नदी का एरिया पड़ता है, उस पूरी एरिया में भारी मात्रा में यमुना नदी में सिल्ट जमा हो गया है और सिल्ट जमा होने के कारण यमुना नदी के बीच में बड़े-बड़े पेड़ खड़े हो गये हैं, जिसके कारण यमुना नदी का बहाव डिस्टर्ब हो गया है और कई गाँवों की ओर चला गया है। जब तक उस सिल्ट की सफाई यमुना नदी के बीच से नहीं होगी, तब तक नदी का बहाव ठीक नहीं होगा और बहाव ठीक नहीं होगा तो खतरा बना रहेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि मेरे इस सुझावों पर सरकार ध्यान दे और मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ, कि मेरी विधान सभा क्षेत्र गंगोह में इसकी उचित व्यवस्था करायी जाए। गंगोह विधान सभा क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण सड़कें टूट गयी हैं, उनका

सर्वे कराकर उन सड़कों को भी ठीक कराने का काम किया जाए। सरकार के जो अच्छे कार्य हुए थे, उसके कारण बाढ़ पर इतना कन्ट्रोल हो सका। लगभग 3 लाख 60 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया, अगर पहले से सरकार ध्यान न देती तो भारी जनहानि और धनहानि होती। सरकार ने जो अच्छा काम किया है, जिसके कारण गंगोह विधान सभा क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में जो लाभ पहुँचा है, मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मई-जून के महीने में जब वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, आदरणीय मुख्य मंत्री जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बाढ़ क्षेत्र का दौरा करके हम सभी को लाभान्वित किया और जो भी कमी रही होगी, उसको पूरा करने का काम किया। मेरा इस सदन के माध्यम से आग्रह है कि सहारनपुर जनपद में जो गंगोह विधान सभा क्षेत्र है, अच्छा इन्तजाम होने के बाद भी जो कमी आयी है, जो नुकसान हुआ है, उसको पूरा करने का काम करें, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री कविन्द्र चौधरी-**

बहुत-बहुत धन्यवाद, मा0 अधिष्ठाता महोदया, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मा0 अखिलेश यादव जी को और विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज की सम्मानित जनता के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने जनपद बस्ती की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदया, हमारे बस्ती जनपद में इस वर्ष औसत से बहुत कम बारिश हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 212 एम0एम0 हुई है, जो कि औसत से 54 फीसदी कम हुई है। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि डीजल की महंगाई ने पहले ही किसानों की लागत बढ़ा दी है, ऊपर से कम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। इसलिए मैं सरकार से माँग करता हूँ कि सरकार किसानों के बिजली बिल को माफ करें और साथ ही बस्ती जनपद को सरकार सूखाग्रस्त घोषित करने का काम करे। महोदया मेरी विधान सभा क्षेत्र में बिजली के तारों की स्थिति भी बहुत जर्जर है, जिससे आए दिन दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। महोदया मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में विभागीय टीम गठित करके सभी बिजली के तारों और खम्भों की जांच कराकर उसे दुरूस्त कराने का काम करें। हमारे जनपद में गन्ना, क्योंकि कैश क्रॉप की तरह है और किसानों का जीवन गन्ना पर आधारित है वह इससे अपने बच्चों की शादी, पढ़ाई-लिखाई और अन्य काम गन्ने के पैसे से करते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ बड़ा एमाउण्ट मिलता है, इसीलिए अगर उनको कोई बड़ा काम करना है तो वह इसी गन्ने के पैसों से कर पाते हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि गन्ना एक्ट के अनुसार जैसे सरकार ने कहा है कि 14 दिन के अन्दर किसानों का भुगतान करें, लेकिन बस्ती

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद में मुण्डेरवा चीनी मिल है, जो सरकार के अधीन है, जिसका अभी लगभग 20 फरवरी तक ही भुगतान हुआ है और बजाज ग्रुप की रुधौली चीनी मिल है, जिसका 15 दिसम्बर, 2023 तक का ही भुगतान हुआ है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने गन्ना किसानों के भुगतान का जो वायदा किया था उसको पूरा करने का काम करे और जो वाल्टरगंज चीनी मिल है जो कि बन्द हो गई है उसका लगभग 42 करोड़ रुपए का जो भुगतान बकाया है, उसको भुगतान कराने का काम करे और उसके साथ-साथ ही अगली पेराई सत्र जब आए तो जो गन्ना किसानों का जो गन्ना मूल्य है उसको 450 रुपये प्रति कुन्टल करने का काम करें।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, कि बस्ती जिले में चार तहसील है, जिसमें हरैय्या तहसील सबसे बड़ी है, जो लगभग 1213 वर्ग किलोमीटर की है और रुधौली तहसील जो सबसे छोटी लगभग 229 वर्ग किलोमीटर की है। हरैय्या तहसील प्रदेश की बड़ी तहसीलों में गिनी जाती है, जिसके अन्तर्गत लगभग 1535 राजस्व गांव आते हैं, यहां के क्षेत्र के लोगों को आने-जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि बस्ती जनपद की भानुपुर बस्ती सदर और हरैय्या तहसील के कुछ-कुछ हिस्सों को काटकर गौर ब्लाक को एक नई तहसील बनाने का काम करें, जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ-साथ जिले के अन्य लोगों के लिए यह एक वरदान साबित होगा और राजस्व के जो लम्बित मामले हैं उनको बहुत तेजी से हल कर पाएंगे। महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे जनपद में एक मेडिकल कालेज बना है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा बनाया गया था, जिसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महोदया, बस्ती मेडिकल कालेज की जो स्थिति है वह पिछले छः सालों से बहुत ही दयनीय बनी हुई है और वहां पर केवल दो ही एम0डी0 डॉक्टर हैं। आज भी वहां के मरीज गोरखपुर मेडिकल कालेज में रेफर किए जा रहे हैं। बस्ती मेडिकल कालेज में न्यूरो और हृदय रोग का कोई भी डॉक्टर नहीं है। सामान्य जांच के लिए भी मरीजों को बाहर जाना पड़ता है और यहां दवाइयां भी उपलब्ध नहीं रहती हैं। महोदया, कप्तानगंज बाजार जो मेरे विधान सभा क्षेत्र की मूल बाजार है और साथ ही वह नगर पंचायत भी है, वह एन0एच0-27 पर स्थित है जहां पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि सरकार वहां पर फ्लाईओवर बनाने का काम करे।

श्रीमती रिंकी कोल-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से जीत कर आई हूँ वह क्षेत्र विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पूर्ण रूप से विकास का अभाव है केन्द्र व प्रदेश की हमारी जनप्रिय सरकार के द्वारा उसे अति पिछड़ाघोषित किया गया है, जिसमें विकास हेतु पेयजल, चिकित्सालय, विद्यालय, सड़क व सिंचाई आदि के कार्य होने शामिल हैं, महोदय उक्त

विकास की गति को तेज कराने की कृपा करें ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ क्षेत्र की आम-जनता उठा सके। जय हिन्द, जय भारत।

श्री गुरु प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने आज विधान सभा में बोलने का अवसर हमें प्रदान किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं प्रयागराज जनपद की फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में जबसे बनी है। डबल इंजन की सरकार जबसे बनी है आदरणीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तथा आदरणीय उप मुख्य मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्या जी के नेतृत्व में आज एक नया प्रयागराज देखने को मिलता है, जो भी लोग प्रयागराज में वर्ष 2014 या 2017 से पहले गये होंगे आज जब वह पुनः वहाँ जाएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें नया प्रयागराज देखने को मिलेगा। आज प्रयागराज शहर फ्लाईओवर का शहर बन गया है और यहाँ तक कहना चाहूँगा कि मैं तो और सौभाग्यशाली हूँ कि हमारी विधान सभा क्षेत्र में श्रृंगवेरपुर धाम है जहाँ पर श्री राम चन्द्र जी और निषादराज गुह का मिलन हुआ था और आज वहाँ निषादराज के बहुत बड़े पार्क का निर्माण कार्य हो रहा है, वह एक ऐतिहासिक कार्य है, जो पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में नम्बर एक पार्क बन रहा है और यहाँ तक कि हमारी विधान सभा क्षेत्र में प्रयागराज से फैजाबाद मार्ग और लखनऊ राजमार्ग पर 2000 करोड़ रुपये के 6 लेन पुल का निर्माण हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का बहुत बड़ा कार्य है और इतना ही नहीं हमारे यहाँ 40 नम्बर गुमटी पर आर0ओ0बी0 (रेलवे ओवरब्रिज) का निर्माण हो रहा है और वहीं शान्तिपुरम में भी रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। गंगा जी में श्रृंगवेरपुर धाम के पास जो राम गमन पथ मार्ग है, जो कि कौशाम्बी की ओर मार्ग जा रहा है, जो आगे जाकर चित्रकूटधाम तक जाकर मिलेगा। गंगा जी में भी एक नये पुल का निर्माण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जबसे यह सरकार बनी है, तबसे विकास की गंगा बह रही है। हमारे इधर के साथियों को यह नहीं दिखे वह अलग की बात है आँख बन्द करके भी जायें तो अलग बात है, लेकिन जहाँ भी सड़कों पर चलते होंगे तो उनको भी महसूस होता होगा कि बहुत कार्य हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मानने के लिए तैयार नहीं होते उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि इतने विकास को वह देखने का काम करें।

इसी के साथ-साथ हमारी विधान सभा क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, लेकिन थोड़े बहुत कार्य और रह गये हैं। हम अपनी सरकार से यह अनुरोध करेंगे जैसे श्रृंगवेरपुर धाम में हमारे लखनऊ राजमार्ग से जाने वाली दो-तीन सड़कें हैं जैसे कठौवापुल जो लखनऊ राजमार्ग से गऊ घाट-श्रृंगवेरपुर तक एक मार्ग जाता है, श्रृंगवेरपुर धाम को जोड़ने के लिए उस मार्ग का चौड़ीकरण कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि और अच्छा होगा और इसी तरह से लखनऊ राजमार्ग से ही एक मार्ग जो मटियारी होते हुए श्रृंगवेरपुर धाम तक जाता है उस मार्ग का भी

चौड़ीकरण हो जाए तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा होगा। श्रृंगवेरपुर धाम में बहुत दूर-दूर के कई जिलों के लोग वहाँ अन्त्येष्टि के लिए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर विद्युत शवदाहगृह का निर्माण हो जाए और घाट पर पक्के घाट का निर्माण हो जाए तो हम समझते हैं कि और अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से हमारे यहाँ लखनऊ राजमार्ग से ही एक बैरावां रोड है, बैरावां रोड से होते हुए एक मार्ग है, जो कि अच्छा बना हुआ मार्ग है, लेकिन चूँकि उस पर बहुत ज्यादा बस्ती है, अतः उस मार्ग का चौड़ीकरण जूड़ापुर बीहड़ तक हो तो और अच्छा काम हो जाएगा। इसी तरह से चूँकि बार्डर पर हमारी विधान सभा क्षेत्र है, प्रतापगढ़ से जुड़ने वाले नवाबगंज से एक मार्ग जाता है उस दहियावां से सकरदाहा, सकरदाहा से मनसूराबाद और मनसूराबाद से मेण्डारा होते हुए भी श्रृंगवेरपुर धाम को मार्ग जाता है। आनापुर में प्रा0 स्वा0 केन्द्र जो प्रतापगढ़ के सीमा पर है वहाँ से शहर के अस्पताल बहुत दूर हैं प्रा0 स्वा0 केन्द्र आनापुर को उच्चीकृत कर 50 बेड का अस्पताल जनहित में आवश्यक है। प्रयागराज में बाढ़ की दृष्टि से गंगा जी के विनोर-मेंहयौरी से द्रोपदी घाट तक बांध का निर्माण हो जाता तो हजारों घरों को बाढ़ से बचाया जा सकता है। यह मार्ग अच्छा बना हुआ है, लेकिन इस मार्ग का चौड़ीकरण हो जाये तो हम समझते हैं कि ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरह से लखनऊ राजमार्ग से ही प्रतापगढ़ को जोड़ने वाली एक सड़क, जो हथिगहां से वायां मसनी, बारादरी होलागढ़ तक जाती है, इस मार्ग का चौड़ीकरण हो जाये तो हम समझते हैं कि और अच्छा होगा। हमारी विधान सभा क्षेत्र में एक छोटी नदी मनसइता है, उस पर एक डेरागदायी गांव है, डेरागदायी से जो फाफामऊ से सहसौं तक मार्ग जाता है, उस पर आने के लिए मनसइता नदी के उस पार बहुत सारी बस्ती है, उस पर एक पुल का निर्माण डेरागदायी से कुसुगर मार्ग पर हो जाये तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छी बात हो जायेगी। इसी तरह से हमारे यहां बहुत सारे कार्य हुए हैं, लेकिन बार्डर पर एक गांव पूरबनारा, पश्चिम नारा और मादुपुर ग्राम सभा है, वहां अगर नयी गौशाला का निर्माण हो जाये तो अच्छा होगा, चूंकि बहुत सारी गौशालाओं का निर्माण हुआ है, गौ-रक्षण हो रहा है तो इसका भी निर्माण हो जाये। इसी तरह से हमारी विधान सभा क्षेत्र बार्डर पर है तो मुकुंदपुर से कटरा गुलाब सिंह मार्ग पर बफलाही नदी है, उस नदी पर एक छोटे पुल का निर्माण जो अचल का पूरा ग्राम सभा से सिंगारपुर जो प्रतापगढ़ को जोड़ता है, उस पर एक पुल का निर्माण हो जाये तो अच्छा है।

श्री अधिष्ठाता-

विधायक जी, पांच मिनट हो गया है।

श्री गुरु प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इतने सारे कार्यों के बाद भी यदि हमारे विपक्ष के साथियों को कार्य न दिखे तो हम समझते हैं कि उनको जरूर अपने पिछले कार्य देखने चाहिए। जो अब आदरणीय मुख्य मंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य हो रहे हैं, उससे पूरे देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास की तर्ज पर हमारी सरकार चल रही

है। इसलिए विकास आप लोगों को देखना चाहिए और वह दिख भी रहा है। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री दिनेश रावत-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं नेता सदन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने विधान सभा क्षेत्र में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ विधान सभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। हैदरगढ़ विधान सभा क्षेत्र अपने में एक खास महत्व रखती है। वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने इस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इससे पूर्व महाराज जी की सरकार में हैदरगढ़ विधान सभा का तमाम बिन्दुओं पर विकास हुआ है।

मैं सदन के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसी मांगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आज के समय में अत्यन्त आवश्यक, रोजगार, विकास व जन कल्याण से जुड़ी हुई हैं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र से आदि गंगा मां गोमती होकर निकलती हैं, जिसमें जन-सुविधा हेतु टीकाराम पुल पहाड़ापुर घाट व मेन्हुआ गोसियामऊ घाट व चकौरा घाट पर पीपे के पुल की अति आवश्यकता है, जिसे स्वीकृत करने की मांग मैं उत्तर प्रदेश सरकार से करता हूँ। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हैदरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में हमारे जन नेता व तीन बार के विधायक पण्डित सुन्दर लाल दीक्षित जी अब नहीं हैं, जो कि लोकतंत्र सेनानी भी रहे हैं। हम आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से यह निवेदन करते हैं कि नवनिर्मित हैदरगढ़ बस अड्डे का नाम उनके नाम पर करने की कृपा करें। विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ से होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे व लखनऊ-बनारस हाई-वे गुजरता है, जिससे यातायात सुगम है, परन्तु लखनऊ से चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें जो सिर्फ गंगागंज तक आती हैं, अगर उन्हें हैदरगढ़ तक परिवहन मंत्री जी द्वारा अनुमति मिल जाये, तो हैदरगढ़ और लखनऊ के बीच का यातायात सुगम हो जाये, जिससे क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी विधान सभा क्षेत्र में एक मेगा फूड पार्क की कार्यवाही चल रही है।

आदरणीय मुख्य मंत्री जी के कार्यकाल में जिस तरह से आज यहां का माहौल है, जिस तरह से यहां पर सुशासन है, तमाम इन्वेस्टर्स पूरे विश्व से, पूरी दुनिया से यहां पर आया हुआ है। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में एक मेगा फूड पार्क की कार्रवाई चल रही है उसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान हो जाय जिससे कि वहां के युवाओं को रोजगार मिल सके। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है। मैं बाराबंकी जनपद से आता हूं, इसलिए मैं सदन से मांग करता हूँ कि हमारे जनपद में कम बारिश हुई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करके वहां के किसानों को उचित लाभ दिया जाय, यह मैं सदन से निवेदन करता हूँ। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अपनी एक अलग पहचान रखने वाली विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ में एक तकनीकी शिक्षा और एक महिला डिग्री कालेज की स्थापना के लिए मैं सदन से मांग करता हूँ। हैदरगढ़ विधान सभा क्षेत्र स्थित बांदा-बहराइच राजमार्ग व सुबेहा, सुकुल बाजार मार्ग व अवशनेश्वर-बाराबंकी मार्ग है, जिसमें 03 उपरिगामी सेतु बनाने की आवश्यकता है। मैं सदन से मांग करता हूँ कि अगर ये तीनों उपरगामी सेतु बन जायेंगे तो हमारी विधान सभा क्षेत्र में जो जाम लगा रहता है उससे लोगों को निजात मिलेगी और बच्चों को स्कूल आने-जाने में और एम्बुलेंस आने में जो देरी होती है उससे निजात मिलेगी, जिससे क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा, मैं आपके माध्यम से इसकी मांग करता हूँ। हमारे विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ में कोई स्टेडियम नहीं है, मैं हैदरगढ़ में एक स्टेडियम की मांग करता हूँ जिससे कि वहां के युवाओं को खेलने का अवसर प्राप्त हो सके और वहां से प्रतिभायें निकलकर हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सुशासन की सरकार है, वह गरीब जन-कल्याण के लिए, युवाओं के लिए काम कर रही है। आज हमारी योगी सरकार में कोई भ्रष्टाचार, कोई गुण्डई, कहीं लूट-पाट नहीं है। आज विपक्ष को भी उत्तर प्रदेश के सदन में उठाने के लिए दूसरे प्रदेश के मुद्दे लाने पड़ रहे हैं। ये इसका प्रमाण है कि हमारे प्रदेश में सुशासन की सरकार चल रही है। मैं एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतनी कम उम्र में हम पर विश्वास करके हमको टिकट दिया और हमारे क्षेत्र की जनता ने हमको विधान सभा में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं एक बार पुनः माननीय अधिष्ठाता महोदया और सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। भारत माता की जय।

***श्री तसलीम अहमद-**

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। अधिष्ठाता महोदय, इस समय हमारे नजीबाबाद विधान सभा क्षेत्र और पूरे बिजनौर जनपद की एक ज्वलन्त समस्या है कि हमारे यहां नरभक्षी बाघ ने आतंक मचा रखा है और हाहाकार मचा हुआ है कि वह नरभक्षी बाघ गुलदार जिसको पैन्थर कहते हैं उसने अब तक हमारे जनपद में 13 लोगों को मार दिया है और दर्जनों की तादाद में लोगों को घायल कर दिया है। अब हालात यह है कि किसानों ने अपने खेतों में जाना बन्द कर दिया है और जो मजदूर खेतों में काम करते थे, दहशत की वजह से वह भी नहीं जा रहे हैं, जो गये थे उन पर हमला किया गया, दर्जनों लोग घायल कर दिये गये और अब यह हालत है कि परसों जब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्राइमरी स्कूल के बच्चे बाहर पानी पीने के लिए आये तो पेड़ पर गुलदार (लैपर्ड) चढ़ा हुआ था और वह उसे देखकर बेहोश हो गये। मेरी नजीबाबाद विधान सभा क्षेत्र में भी 8 लोगों को 4 तारीख की रात में उसके द्वारा एक साथ जख्मी किया गया, किसी की आँख निकाल ली गई, किसी के सीने पर वार किया गया और उन्हें मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। ऐसी दशा में पूरे नजीबाबाद विधान सभा क्षेत्र और पूरे जनपद बिजनौर में हाहाकार मचा हुआ है, लोग बड़ी दहशत में हैं। आज सड़क पर चलना भी दूभर हो गया है। वन विभाग की तरफ से ऐसे हालात पैदा होने पर भी अभी तक कोई ठोस कदम या कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। 4 तारीख को चीफ कंजर्वेटर, नजीबाबाद आये थे। उनसे हमने मुलाकात की और उनके सामने सारी बात रखी। मगर उसको आज 8 दिन हो गये हैं और इस पूरे घटनाक्रम को चलते हुए 2 महीने हो गये हैं, मगर अभी तक वन विभाग के कान पर जूँ नहीं रेंगी है और कोई ठोस योजना या कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एक भी गुलदार को अभी तक नहीं पकड़ा गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ऐसे जो हालात बने हैं, उस पर वन विभाग को निर्देशित करें कि कोई ठोस योजना बनाकर उस पर अंकुश लगाने का काम करे और उसको पकड़ने का काम करे, जिससे वहाँ के किसानों को, आम नागरिकों को, मजदूरों को राहत मिल सके। मान्यवर, यहाँ तक हो गया है कि अब बच्चे वहाँ स्कूल जाने में डरते हैं और उनके अभिभावक भी उनको स्कूल भेजने में डर रहे हैं।

मैं आपका आभारी रहूँगा कि आपके माध्यम से सरकार वन विभाग को निर्देशित करे और कोई ठोस योजना बनाकर इस पर अंकुश लगाया जाये। अधिष्ठाता महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में जबसे देश आजाद हुआ है, वहाँ एक ऐसी सड़क है, वह विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद ग्राम अलीपुर द्वारका से सलेमपुर भट्टा सम्पर्क मार्ग है, जो कि मात्र 1200 मीटर की सड़क है और वह बारिश पड़ने पर एक-एक, दो-दो फुट गहरी हो जाती है। वह मार्ग किसानों के गन्ना ढोने का रास्ता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पी0डब्ल्यू0डी0 के माध्यम से इसको तुरन्त बनवाने का काम करें। दूसरा, बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत मोटाआम से स्थाई बाईपास आजाद चौक तक सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। यह भी 15-20 साल से नहीं बना है, पूर्णरूप से गड्ढाग्रस्त हो चुका है। वहाँ से स्कूल का रास्ता है, बच्चे अक्सर वहीं से गुजरते हैं। वहाँ पर कई स्कूल पड़ते हैं। इसलिए आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि इसको शीघ्र ही बनवा दिया जाये और पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी इसको भी इसी वर्ष में बनवाने की कृपा करें। तीसरा, मेरी विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में ग्राम भागूवाला से जालपुर कांशीरामपुर होते हुए जाने वाली एक ऐसी सड़क है, जो 15-20 साल से नहीं बनी है, वहाँ पर इसको गहरी सड़क के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक-एक फुट पानी भर जाता है। मेरा इसके लिए भी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इसको भी शीघ्र बनवाने की कृपा करें और इसी तरह मेरी विधान सभा क्षेत्र में

ग्राम मोहवतपुर है, जहाँ पत्थरगढ़ किला है, जहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को झण्डारोहण होता है। वहाँ तक जाने का यह एक किलोमीटर का रास्ता है। वह रास्ता भी पूरी तरह से टूटा हुआ है और बरसात में पानी भर जाने के कारण वहाँ पर जाना सम्भव नहीं है। ऐसी दशा में मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है और सरकार से चाहूँगा कि इसको भी उसमें शामिल किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

विधायक जी, पाँच मिनट हो गये हैं, धन्यवाद।

श्री तसलीम अहमद-

अधिष्ठाता महोदय, हर साल जब भी बारिश पड़ती है, हमारे वहाँ नजीबाबाद शहर में एक मोहल्ला मुगलशाह है, जिसमें 4 से 5 फुट पानी भर जाता है। वहाँ पर नाले बनवाने के लिए आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ। हमारे वहाँ किसान सहकारी चीनी मिल है, वहाँ से जहरीला पानी निकल रहा है, जो वह किसानों के खेतों में जाता है, जिससे उनका नुकसान होता है, उस पर ध्यान दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब माइक बन्द कर दिया जाये। अब माननीय सदस्य बावन सिंह बोलें।

श्री बावन सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग जब भाजपा जीतकर आती है तो जोर-शोर से हल्ला मचाते हैं कि सब लूट लिया गया है। मैं इस सदन का जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता जी इस सदन के सदस्य थे, उनका स्वर्गवास हार्ट अटैक पड़ने से हो गया था। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब वहाँ पर इलेक्शन होते थे तो वहाँ पर छांट-छांट कर यादव और मुस्लिम वर्ग के लोगों की वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई और बूथ लूटे गये, लेकिन आप सब लोगों के आशीर्वाद से उपचुनाव में मैं सदन में पहुंचने में कामयाब हो गया, ईश्वर की कृपा थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उसके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का वर्ष 2023 में सफल आयोजन किया गया। यह बहुत हर्ष का विषय है कि इस समिट में 33.50 लाख करोड़ रुपये पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। मान्यवर, 01 दिसम्बर, 2022 से 30 नवम्बर, 2023 के मध्य विश्व के सबसे शक्तिशाली 20 देशों का समूह जी-20 सम्मेलन का आयोजन कराने का अवसर भारत सरकार को प्राप्त हुआ है। जिससे उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में 11 बैठकों का आयोजन करने का अवसर मिला हुआ है। इससे हमारे प्रदेश और देश की छवि निखर कर पूरे विश्व मंच पर जायेगी।

हमारी सरकार विगत 6 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास की ठोस नीतियाँ तैयार कर उन्हें धरातल पर प्रभावी रूप से मूर्त रूप देने का काम कर रही है। विशेषकर किसान, महिला, युवा, श्रमिक तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग के सशक्तीकरण एवं स्वालम्बन की दिशा में ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1 लाख 96 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जो ऐतिहासिक है। रवी विपणन वर्ष 2022-23 में 2015 रुपये प्रति कुन्टल के हिसाब से समर्थन मूल्य निर्धारित था। लगभग 1 लाख किसानों का गेहूँ खरीद कर डी0बी0टी0 के माध्यम से 875 करोड़ रुपये उनके खाते में सीधे भेजा गया। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत लगभग 52 हजार करोड़ रुपये डी0बी0टी0 के माध्यम से किसानों के खाते में भेजा गया। ग्रामीण स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास वर्ष 2022-23 में 12 लाख 40 हजार इसी वित्तीय वर्ष में बनाये जायेंगे। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 15000 रुपये सीधे बालिकाओं के खाते में भेजा जा रहा है। यह महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कौशल विकास मिशन से 6 वर्षों में 12 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। 5 लाख युवाओं को प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवा योजित कराया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 1 लाख 7 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया एवं 81 हजार 283 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड से लाभान्वित किया गया। कानून व्यवस्था के ऊपर बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने अपराध एवं अपराधियों की तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक महत्वपूर्ण बनाया गया है।

जो समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों को नियोजित किया गया है। कोविड-19 के कालखण्ड में हमारे कर्मठ मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रदेश की जनता को कठिन कालखण्ड से बाहर निकाला गया।

श्री अधिष्ठाता-

विधायक जी धन्यवाद।

श्री बावन सिंह-

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को सदन के सामने रखना चाहता हूँ। हमारे यहां एक रामभारी से काड़री सम्पर्क मार्ग है, 6 किलोमीटर लम्बा है 4-5 गांव इससे जुड़ते हैं, इसका इस्टीमेट मार्च से पेंडिंग है, मेरा अनुरोध है कि इसको बनवाया जाय, क्योंकि मैंने इसके लिए अपने क्षेत्र की जनता से वायदा किया है। करनैल-हुजूरपुर मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाय।

(अधिष्ठाता द्वारा सदस्य श्री निर्मल वर्मा का नाम पुकारे जाने एवं सदस्य श्री निर्मल वर्मा तथा सदस्य श्री बावन सिंह के एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान के मध्य)

श्री बावन सिंह-

करनैलगंज-कटरा आर्यनगर-महराजगंज मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाय। बालपुर से कैथोला-अशोकपुर-चन्दवतपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाय, पहाड़ापुर से असखा मनरापुर से बरांव करनैलगंज-हुजूरपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाय। चौरी-गद्दोपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाय। टेढ़ी नदी पर चन्दवतपुर घाट पर पुल का निर्माण कराया जाय। विसुही नदी पर वीरपुरभोज मार्ग पर पुल का निर्माण कराया जाय। एक अन्तिम बात रुपईडीह ब्लाक मुख्यालय पर सी0एच0सी0 का निर्माण जो खरगूपुर में बनवाई है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री निर्मल वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें इस गरिमामयी सदन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हमें सदन में बोलने का अवसर मिला सच में मैं गर्व को अनुभूत करता हूँ और उसके साथ-साथ अपने आपको इस सदन का जो महान लोकतांत्रिक इतिहास रहा है उसके साथ जुड़ने का भी अनुभव करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बिसवां जैसे पिछड़े क्षेत्र से पिछड़े वर्ग से आता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व को और अपने क्षेत्र की जनता का जिन्होंने एक गरीब किसान के बेटे को इस सदन में आने का अवसर दिया, वरना जो दाहिनी तरफ पिछड़ों के हिमायती लोग बैठे हैं वह साजिश के तहत् मुझे इस सदन का सदस्य ही नहीं बनने देते। मा0 अधिष्ठाता महोदया, योगी जी के नेतृत्व में चल नहीं दौड़ रही सरकार जिसमें विभिन्न आयाम चाहे मामला कानून-व्यवस्था का हो या कोई भी मामला हो आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करके प्रदेश में अमन एवं खुशहाली लाने का काम बहुत ही तत्परता के साथ किया है, जिसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ। अधिष्ठाता महोदया, पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र में एक्सप्रेस-वे बनाकर प्रदेश भर में आवागमन को सुगम बनाने का जो सराहनीय कार्य सरकार ने किया है उससे पूर्व की भांति एक क्षेत्र विशेष ही नहीं पूरे प्रदेश के वासियों को आवागमन का लाभ मिल रहा है, जिससे सभी प्रदेशवासी सरकार की सराहना कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने धार्मिक स्थलों को विकसित करके एक ऐतिहासिक कार्य किया है। अयोध्या में भव्य भगवान राम के मन्दिर के साथ-साथ काशी, बनारस, मथुरा, चित्रकूट सहित मेरे जिले के नैमिष धाम के कायाकल्प का संकल्प भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में किया गया है।

रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के साथ-साथ छात्रों को फ्री टैबलेट एवं लैपटॉप देने का भी सराहनीय कार्य सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विधान सभा क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा एवं समस्याओं से घिरा क्षेत्र है मेरे क्षेत्र से निकली शारदा सहायक पोषक

नहर जिससे क्षेत्र में भयंकर सीपेज की समस्या से क्षेत्रीय किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गये थे, उस समस्या के निदान के लिए किसान नेता पूर्व सांसद स्व0 हरगोविन्द वर्मा एवं पूर्व सांसद स्व0 रामलाल राही पूर्व गृह राज्य मंत्री जी ने जन आन्दोलन करके उस शारदा सहायक पोषक नहर की लाइनिंग का कार्य तत्कालीन सरकारों से कराने का कार्य किया था, लेकिन विडम्बना इस बात की है कि निजी स्वार्थवश जब 2012 में चाचा-भतीजे की सरकार आई तो उस लाइनिंग पर सिल्ट सफाई के नाम पर पूरे प्रदेश की जेसीबी एवं एलएनटी लगा करके उस लाइनिंग को ध्वस्त करके। स्वर्गीय हरगोविन्द वर्मा और रामलाल राही जी के सपनों को ध्वस्त करने का काम किया गया और लाइनिंग को ध्वस्त कर दिया गया है, दोनों तरफ की बैंक कमजोर हो गयीं और पुनः किसान सीपेज की समस्या से जूझने लगा। मैं सदन के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी को जिन्होंने मा0 योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश के चहुमुखी विकास की सरकार में किसानों की सीपेज की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए शारदा नगर से 104, महमूदाबाद तक बायीं पटरी के अवशेष भागों पर डामरीकृत करके एवं दायीं पटरी के अवशेष भागों पर सोलिंग लगवा करके दोनों बैंको को सुरक्षित करते हुए पुनः सीपेज की समस्या की रोकथाम करने का सराहनीय कार्य किया है। मेरी विधान सभा क्षेत्र बिसवां में बहुप्रतीक्षित सीतापुर-बिसवां मार्ग एवं बिसवां-सिधौली मार्ग के दोनों आर0ओ0बी0 डबल इंजन की सरकार ने बनवाने की घोषणा करके कस्बे वासियों को जाम से निजात दिलवाने के संकल्प को पूरा करके बड़ा दिल दिखाने का काम किया है इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता की तरफ से सरकार का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मेरे पिछड़े क्षेत्र में सरकार ने तमाम सराहनीय कार्य किये हैं, उसके लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और उसके साथ-साथ आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो अधूरे कार्य व आवश्यक कार्य रह गये हैं उनको शामिल करके उनको पूरा करवाने की कृपा करें।

1-साण्डा ब्लाक मुख्यालय को सीधे जोड़ने के लिए छोटी किवानी नदी पर बेलवा बसैहिया गांव के पास सेतु निर्माण।

2-यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विसवां तहसील मुख्यालय पर रोवेज बस स्टाप का निर्माण।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका समय समाप्त हुआ कृपया आप बैठिये, मैं बोलने के लिए श्री विशम्भर सिंह यादव जी को बुला रही हूँ।

***श्री विशम्भर सिंह यादव-**

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े इलाके बुन्देलखण्ड से चुन करके आते हैं। जहां बाढ़ और सूखा बेबसी और लाचारी नियती बन गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

बुन्देलखण्ड में तो बहुत कार्य हो रहा है।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मा0 अधिष्ठाता जी, बुन्देलखण्ड में कोई कार्य यह सरकार कर नहीं रही है। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी सरकार में जरूर कुछ कार्य हुआ था, वर्तमान सरकार की अनदेखी और उपेक्षा से बुन्देलखण्ड की बहुत बुरी स्थिति है। बुन्देलखण्ड की वह धरती जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने वनवास के वक्त में आये थे, उस समय का बहुत सुन्दर चित्रण स्वामी तुलसीदास जी ने किया है। जब वहां के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वागत करने गये, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका इतना सुन्दर वर्णन किया है।

''नाथ हमारे यह सेवकायी, वासन वसन न ले चुराई''

जब वर्ष 1545 के नवम्बर के महीने में शेरशाह सूरी बांदा के किले को फतह करने के लिए गए थे वहां से तोप का गोला किले के ऊपर से निकला और शेरशाह सूरी के वहां पर फटा, तब शेरशाह सूरी वहीं घायल हो गये थे। तो शेरशाह सूरी के सेनापति ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए इस देश के शानदार बादशाह की जान जा रही है, यह थी बुन्देलखण्ड की स्थिति। बुन्देलखण्ड के बारे मे सभी सदस्य जानते हैं कि जब उत्तराखण्ड अलग नहीं हुआ था, तब किसी अधिकारी को दण्डित करना होता था, या तबादला करना होता था तो सदस्य कहते थे कि इनको उत्तराखण्ड भेज दिया जाए, या बुन्देलखण्ड भेज दिया जाए। उत्तराखण्ड तो अलग हो गया, लेकिन बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश के साथ है, उत्तर प्रदेश में है। आज भी अधिकारियों की अगर दण्डित करने की बात आती है तो उसे बुन्देलखण्ड भेजा जाता है। वहीं बुन्देलखण्ड आज आवारा पशुओं से बहुत परेशान है।

अधिष्ठाता महोदया, ट्रक/बस वाला डंडा लेकर चलता है, तब जाकर उन्हें रास्ता मिल पाता है। गाड़ी और चार पहियों में भी लोग डंडा लेकर चलते हैं और यहाँ तक स्थिति है कि मोटर साइकिल और साइकिल वाला भी डंडा लेकर चलता है, जानवरों को रास्ते से हटाने के लिए और उनसे अपनी जान बचाने के लिए, प्रदेश की ये स्थिति है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने गौ-शाला खोलने की बात की थी, उसमें उनको रखने की बात की थी, लेकिन आज आवारा जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं और सांड़ लोगों को मार रहे हैं और साड़ों के मार से कितनों की मौत हो जा रही है।

हमारे बुन्देलखण्ड में बिजली की बहुत दिक्कत है। बिजली न मिलने के कारण किसानों का धान लग नहीं पाया। बिजली की इतनी रोस्टिंग होती है कि 24 घण्टे में 50-50 बार रोस्टिंग हो जाती है, वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। यमुना नदी में वर्ष 2020 में हमारे यहाँ मरका में एक नाव पलट गयी थी। जिसमें लगभग 15 लोगों की मौत हो गयी थी। उसमें बगल

के जनपद के केन्द्रीय मंत्री भी गये थे और उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री जी भी गये थे। उस पुल में केवल तीन पिलर बनने बाकी थे। समाजवादी सरकार में पूरा पुल बनकर तैयार हो गया था, केवल तीन कोठी बननी थी और तीन कोठियों के बीच में स्लैब पड़नी थी, लेकिन अब तक नहीं पड़ पायी। पाँच साल की सरकार में वर्ष 2020 से अब तक लगभग तीन साल हो गये। मा0 मंत्री जी आश्वासन देकर आए थे, लेकिन आज तक वह पुल चालू नहीं हो पाया।

बांदा में सपा सरकार के समय जो मेडिकल कालेज बना था, आज तक वहाँ पूरी फैकल्टी नहीं आ पायी, पूरी क्षमता से मेडिकल कालेज नहीं चालू हो पाया। मेडिकल कालेज के जो भी मरम्मत के कार्य हैं, उसके लिए भी ये सरकार पैसा नहीं दे रही है। इस सरकार ने केवल मेडिकल कालेज के नाम बदलने का काम किया है।

श्री अधिष्ठाता-

विधायक जी, आपका 5 मिनट हो गया, अब आप बैठ जाइए।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

अधिष्ठाता महोदया, हमें बोलने दीजिए। आज बोलने के लिए विशेष अवसर मिला है।

श्री अधिष्ठाता-

विधायक जी, अभी बोलने वाले बहुत लोग हैं।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

अधिष्ठाता महोदया, जिला अस्पताल में 300 शैय्यों का बेड और 100 करोड़ रुपये ..

(सदस्य अपने स्थान पर लगातार बोलते रहे, परन्तु उनका माइक बन्द था।)

जिसका उद्घाटन मा0 मुख्य मंत्री जी ने अभी वर्ष 2023 में किया है, वह भी लगभग साढ़े छः साल बाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 विधायक जी, अब बैठ जाइए। इनका माइक बन्द कर दीजिए। मा0 श्री पंचानन्द पाठक जी।

***श्री पंचानन्द पाठक (पी0 एन0 पाठक)-**

मा0 अधिष्ठाता महोदया, सर्वप्रथम मैं अपने विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर की समस्त देव तुल्य जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम काल की मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रशंसा करता हूँ। प्रदेश में चल रही कई उपयोगी परियोजनाएं, जिससे हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में देश में सुविख्यात हो रहा है, वह उल्लेखनीय हैं।

इसी क्रम में कुशीनगर में कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देकर समस्त पूर्वांचल की जनता को कृषि तकनीकी का एक उत्तम उपहार देकर परम पूज्य योगी जी ने पूर्वांचल का गौरव बढ़ाया है। मैं आज इस सदन में कुशीनगर की समस्त देव तुल्य जनता जनार्दन की तरफ से मा0 मुख्य मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में चल रही बहुत सारी जो विकास की योजनाएं हैं, वह सफलतापूर्वक सम्पादित हो रही हैं।

आज हमारे प्रदेश की कानून-व्यवस्था का उदाहरण देश के अन्य राज्य लागू कर रहे हैं, प्रदेश की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। आज मा0 प्रधानमंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में चारों तरफ एक्सप्रेस-वे का जाल बिछ चुका है। प्रदेश में देश-विदेश के निवेशक अपने संसाधन के साथ उद्योग लगाने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं।

मा0 अधिष्ठाता महोदया, हमें गर्व होता है कि मा0 प्रधानमंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर प्रतिष्ठित करने हेतु कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना, जिसके माध्यम से देश-विदेश के लाखों पर्यटक और बौद्ध धर्मावलम्बी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल का दर्शन करने आते हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ।

मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका ध्यान कुशीनगर सहित पूर्वांचल के देवतुल्य जनता की तरफ आकृष्ट कर आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि मौसम के शुष्क होने की वजह से 25 प्रतिशत से कम बारिश कुशीनगर जनपद में हुई है जिसके कारण किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। आपसे निवेदन है कि उनको जो उचित लाभ मिले सके वह दिलवाने का कष्ट करियेगा। अधिष्ठाता महोदया, कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है यहाँ पर सीजन में 22 बुद्धिस्ट देशों से हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, ऑफ सीजन में भी करीब दो से तीन हजार पर्यटक रोज दर्शन करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि वहाँ पर 200 बेड का अस्पताल होना बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ से मुख्यालय 20 किमी0 की दूरी पर है। इसी क्रम में 16-17 रूम का सर्किट हाउस बनाये जाने की माँग कर रहा हूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैंने ऑडीटोरियम की माँग की है, आपके माध्यम से पुनः माँग कर रहा हूँ कि वहाँ पर एक ऑडीटोरियम बन जाये। बहुत से धर्मावलम्बी पर्यटक आते हैं उनके इकट्ठा होने के लिए कोई जगह नहीं रहती है। इसी के साथ मैं पुनः इस सदन का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ।

श्री पीयूष रंजन निषाद-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, मुझे आपने सदन में अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश एक बहुआयामी प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये जो एक मानक वाला प्रदेश है, यहाँ पर लॉ एण्ड आर्डर है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है, पेयजल एवं स्वच्छता है, सड़कें, पुल, सिंचाई एवं बाढ़ जैसे अन्य विकासशील योजनायें हैं, इस सभी में लगातार विकास हो रहा है। मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आजादी के बाद से प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी से विजयी होकर आया हूँ। मैं इस सदन के माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया, मैं उनका आजीवन ऋणी रहूँगा। मैं निषाद समाज का ऐसा बेटा हूँ जिसे आजादी के बाद पहली बार प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यह अवसर दिया इसके लिए मैं अपनी पार्टी का आजीवन आभारी रहूँगा। किसानों के लिये हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी सर्वथा प्रयासरत हैं जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश का किसान आज पूरे देश में प्रगति की ओर बढ़ रहा है तथा खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहा है।

महोदया, चूँकि मेरी विधान सभा क्षेत्र तीन नदियों-गंगा, यमुना और टोंस नदी से घिरी हुई है। इसलिए हर वर्ष बाढ़ से मेरी विधान सभा क्षेत्र के हजारों बीघे फसल और न जाने कितने गरीबों के मकान ढह जाते हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र कुम्भ मेला क्षेत्र से प्रभावित है और माननीय महराज जी के आशीर्वाद से प्रयागराज के महाकुम्भ को भव्यता और दिव्यता दी गयी। आने वाले 2025 में फिर से कुम्भ मेले का आयोजन होना है, इस नाते अगर यमुना और गंगा के किनारे बांध का निर्माण कर दिया जाये तो उससे जो प्रतिवर्ष बाढ़ से हमारे हजारों किसानों, गरीबों का नुकसान होता है, गरीबों के आवास ढह जाते हैं उससे उनको मुक्ति मिलेगी। रीवा रोड और मिर्जापुर हाई-वे पर जो नो इन्ट्री से जाम लगता है, मान्यवर, उससे आने वाले क्षेत्रीय लोगों को लाभ मिलेगा, इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि अगर इसको बना दिया जाए तो इससे बहुत लाभ मिलेगा। हमारे पूर्वांचल में बारिश बहुत कम हुई है, सूखे से किसानों को अपने धान की रोपाई और बुआई में काफी समस्या आती है। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे ग्राम सभा बघेड़ा, रैपुरा, भगनपुर, पुतनिया, डीहा, मेड़रा, महेवा और कटका में अगर नया नलकूप स्थापित कर दिया जाए तो उससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। इसी के साथ एक बहुत मूलभूत समस्या यह है कि मैं जिस समाज से आता हूं, पिछले छः वर्षों से एन0जी0टी0 के नाम पर एक ऐसा कानून लाकर मेरे समाज को भुखमरी की कगार पर लाने का काम किया जा रहा है। मेरा समाज सदियों से नदियों के मध्य में बालू निकासी का कार्य करता था, उसको रोकने का काम किया गया, जिससे आज मेरा समाज भुखमरी की कगार पर

है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि सरकार एन0जी0टी0 के इस नियम में बदलाव लाने का प्रयास करके इस समाज को रोजी और रोटी देने का पुनः काम करे, जिससे वह भुखमरी की कगार से बाहर निकल सकें, इसके लिए एक विशेष प्रयास के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। चूंकि मेरी विधान सभा क्षेत्र इण्डस्ट्रियल एरिया से प्रभावित है और पूर्व की सरकारों की गलत नीतियों की वजह से एक-एक करके सारी इण्डस्ट्रियां बन्द होने की कगार पर पहुंच गयी हैं। वहां पर राज्य बीमा कर्मचारी एक अस्पताल है। शहर से मेडिकल कालेज की दूरी 20 किमी0 है और हमारे जमुना पार के लोगों को बहुत असुविधा होती है। अगर उसको जनता के लिए खोल दिया जाए तो इससे पूरे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। मैं अपनी सरकार का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

***श्री प्रेम पाल सिंह धनगर-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे विधान सभा के मानसून सत्र में अपनी बात रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं विधान मण्डप और पीठ को नमन करता हूँ कि इस विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आशीर्वाद देकर यहां पर विधायक बनाकर भेजने का काम किया है। परमपूज्य महाराज योगी जी की सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास की ठोस नीतियां तैयार कर उन्हें धरातल पर प्रभावी रूप से मूर्तरूप प्रदान किया गया है। सरकार ने न केवल प्रदेश में अवस्थापना, विस्तार, निवेशानुकूल वातावरण तैयार और स्थापित करने पर बल दिया है अपितु समाज के विभिन्न समूह विशेषकर किसान, महिला, युवा, श्रमिक तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग के सशक्तीकरण एवं स्वावलम्बन की दिशा में सरकार ने निरन्तर बेहतर कार्य किया है। अभी अधिक वर्षा होने की वजह से सभी नदियों में बाढ़ की स्थिति रही, मगर मैं अपने जल शक्ति मंत्री जी को साधुवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने तटबन्धों को बनाकर सभी किसानों की फसलों को बचाने का काम किया है। किसानों के लिए बेहतर काम किये हैं जैसे रवि विपणन में गेहूँ का क्रय करके पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से 675 करोड़ रुपये उन्हें भुगतान करने का काम किया है।

मान्यवर, खरीद विपणन में धान का क्रय करके पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से बारह हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने का काम किया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को लगभग इक्यावन हजार छह सौ उन्तालीस करोड़ से अधिक धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खाते में पहुंचाने का काम किया। नलकूल कनेक्शन जो डार्क जोन में कनेक्शन पर प्रतिबंध था उसको हटा करके माननीय मुख्य मंत्री जी ने लगभग एक लाख लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा का स्तर बढ़ाया और नकल पर भी प्रतिबन्ध लगा कर के शिक्षा को बेहतर बनाने का काम किया है।

अभी परिषदीय विद्यालयों में खगोल विज्ञान प्रयोगशाला बना कर के परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को खगोल विज्ञान सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करने के लिए उन्होंने प्रयोगशाला खोलने का काम किया जिसका उद्घाटन अभी आरम्भ भी हो गया है। रोस्टर के हिसाब से हर ब्लाक में एक परिषदीय खगोल प्रयोगशाला खोली गई है जो ब्लॉकों में हर विद्यालय के बच्चों को बुला करके उनको सिखाने का काम होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है जिससे उद्योगपति और किसान आम जनमानस बेहद प्रसन्न है। यहां कानून व्यवस्था से महिला एवं समाज के कमजोर वर्गों के अपराधी में बहुत बड़ा अंकुश लगा है। आप लोगों ने देखा पिछली सपा सरकार में बहुत ज्यादा अपराध हुए गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूटपाट, डकैती, मकानों पर कब्जे, प्लॉटों पर कब्जे ऐसे बहुत सारे अपराध हुए हैं। अगर देखा जाए तो जब हमारी मा0 योगी जी की सरकार आई तो उन सभी पर प्रतिबन्ध लगा करके जिन्होंने गरीबों के जमीनों पर मकान बना कर के कब्जा किया था, सरकारी जमीनों पर बना कर के कब्जा किया था उन कब्जे को हटा करके बुलडोजर के माध्यम उनके मकान को ध्वस्त करने का काम हमारे मा0 योगी जी ने किया है। भयमुक्त वातावरण दिया है। इनकी सरकार में हमारी बहन-बेटियां भी सुरक्षित नहीं थीं मगर हमारी बहन-बेटियां आज योगी जी के सरकार में सुरक्षित हैं। पूर्व में जब बेटी विद्यालय जाती थी तो ऐसा डर लगता था कि वह सुरक्षित लौट करके आ पाएगी कि नही आ पाएगी। हमारी माता बहनें बाजार जाती थीं रात के अंधेरे में डर लगता था कि वह सुरक्षित लौट कर आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। लेकिन योगी जी की सरकार में कोई भी गुंडा उनकी तरफ आँख उठाकर नही देखता है। अगर वह आँख उठाकर देखेगा तो उसकी आँख निकाल ली जाएगी। ऐसा भयमुक्त वातावरण देने का काम मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये।

श्री प्रेम पाल सिंह धनगर-

मान्यवर, आप लोगों ने देखा कि पिछले समय से कांग्रेस की सरकार लंबे समय से चल रही थी तमाम घोटाले, भ्रष्टाचार, कोयला, स्पेक्ट्रम टू0जी0, राष्ट्र मण्डल तमाम ऐसे घोटाले हुए उस घोटाले से निजात दिलाने का काम देश की जनता ने किया है। उनके प्रधान मंत्री कहते थे कि हम सौ रुपये अगर भेजते हैं तो लाभार्थी को 15 रुपये मिलता है मगर वह 85 रुपये का घोटाला उनके मंत्री कर लेते थे लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया और प्रधान मंत्री ने जन धन के माध्यम से सारी योजनाएं को सीधे-सीधे उनके खाते में पहुंचाने का काम किया। उन्होंने पंक्ति में खड़े हुए अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता की, उनको लाभ देने का काम किया उनको सम्मान देने का काम किया, सारी योजनाएं

जितनी भी हैं उनको धरातल पर लाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके दरवाजे पर पहुंचाने का काम किया है। यह उपलब्धि है प्रधानमंत्री जी तीन बार के मुख्य मंत्री रहे, दो बार के प्रधानमंत्री रहे, उनके अन्दर कोई परिवारवाद नहीं है जैसे सैफई में परिवारवाद होता है वैसे उनके अन्दर कोई परिवारवाद नहीं है उनके परिवार और रिश्तेदारों में जो लोग जो व्यवसाय जो नौकरियां कर रहे थे वह आज भी व्यवसाय और नौकरियां कर रहे हैं अगर वह चाहते तो अपने परिवार से सांसद भी बना सकते थे। विधायक भी बना सकते थे और मंत्री भी बना सकते थे।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, छः मिनट हो चुके हैं। आपका समय समाप्त हो चुका है। अब आप बैठिये। धन्यवाद। राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी जी।

(इस मध्य सदस्य श्री प्रेम पाल सिंह धनगर अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे, परन्तु उनका माइक बन्द था।)

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, आपको धन्यवाद कि आपने इस 18वीं विधान सभा के सबसे कम उम्र के विधायक को बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं पिछड़े वर्ग के लोधी समाज से आता हूँ जो बहुत ही स्वाभिमानी और क्रान्तिकारी है। इसी समाज की वीरांगना अवन्तीबाई लोधी, मध्य प्रदेश के मंडला की रानी थीं जो 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना थीं। अंग्रेजों से लड़ते-लड़ते जब वह चारों ओर से घिर गयीं तो उन्होंने अपनी ही कटारी से अपने प्राण ले लिये थे, किन्तु जीते-जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आयीं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज के बारे में कितना सोचती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शोषण लोधी समाज का हो रहा है और सबसे ज्यादा मुकदमे इसी लोधी समाज के लोगों के ऊपर लिखाये जा रहे हैं। हम जिस विधान सभा क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर चाहे हमारा समाज हो, चाहे पासी समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो या फिर चाहे यादव समाज हो, पिछले एक-डेढ़ साल में सबसे ज्यादा मुकदमें इन्हीं पर लगाये जा रहे हैं। युवा जो पढ़ाई करते हैं उन पर मुकदमें लगाये जा रहे हैं। हमारी विधान सभा क्षेत्र में पिछड़े समाज के जो प्रधान आते हैं, जो काम करना चाहते हैं, अगर वह विपक्ष के विधायक के साथ फोटो खिंचवा लें तो उन पर मुकदमा लिखा दिया जाता है और उनके खाते बंद कर दिये जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे ही जनपद के पड़ोस के जनपद उन्नाव के चन्द्रिकाखेड़ा में जन्मे अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी ने 'झंडा सत्याग्रह आन्दोलन' के दौरान 23 अगस्त, 1935 को 32 वर्ष की आयु में लखनऊ के अमीनाबाद स्थित 'झंडेवाला पार्क' में झंडा फहराते हुये अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गये थे। इसी प्रकार श्रद्धेय नेता जी मा0 मुलायम सिंह जी ने जनपद उन्नाव में शहीद गुलाब सिंह लोधी पुलिस प्रशिक्षण

केन्द्र की स्थापना की थी, परन्तु उन्हीं शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा विगत कई वर्षों से सफीपुर कोतवाली के मालखाने में कैद है। मेरी विनती है कि शहीद की प्रतिमा को कैदखाने से छुड़ाकर सम्मानजनक स्थान पर स्थापित कराया जाये तथा अमीनाबाद स्थित झंडेवाला पार्क का नाम बदलकर शहीद गुलाब सिंह लोधी पार्क कर दिया जाये।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर के सताँव विकास खण्ड के ग्राम मलिकमऊ चौबारा में सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत रोपित किये गये लगभग 02 लाख वृक्षों की 06 माह पूर्व अवैध कटान की गयी, लेकिन वहाँ के कृषकों को लाभांश नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में हमने प्रमुख सचिव एवं सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित भी किया, परन्तु इसके बावजूद भी उनको लाभांश नहीं दिया गया और इसी अवैध कटान के दौरान एक समाजसेवी अभय सिंह की हत्या तक करा दी गयी। आज भी उनके हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं और उनको कोई पकड़ने वाला तक नहीं है। विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर के ग्राम हिलालगंज में सरकारी भूमि पर अवैध मिट्टी खनन आज भी चल रहा है। शिकायत करने के बाद भी अवैध खनन नहीं रुका है और अवैध खनन का स्थल परिवर्तन कर ग्राम अंगुरी में अवैध खनन अनवरत् जारी है और वहाँ पर 20 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया गया है। अगर बारिश हो जाये और कोई अप्रिय घटना घट जाये तो कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड खीरो में एक ग्राम सभा भीतरगाँव है, वहाँ स्थित क्रीड़ास्थल स्टेडियम बनना था, परन्तु वहाँ के कोटेदार से मिलकर के उस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी है और कब्जा खाली नहीं कराया जा रहा है। खीरो थानाध्यक्ष द्वारा विगत एक वर्ष से अवैध वसूली की जा रही है व फर्जी मुकदमे तथा दबे कुचले समाज पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग, थाना अध्यक्ष पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाये। इसके अतिरिक्त मेरी मांग है कि मेरे विधान क्षेत्र को छुट्टा जानवरों से निजात दिलायी जाये। किसानों की सिंचाई की समस्या को देखते हुये नहरों में पूर्ण क्षमता से पानी पहुँचाया जाये। विद्युत प्रणाली में ओवर लोडिंग को समाप्त कर बिजली की समस्या से निजात दिलायी जाये।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हमारी विधान सभा क्षेत्र सतावं में एक भी तहसील नहीं है, यहां पर तहसील का दर्जा दिया जाए। इसी के साथ मेरी विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर के ब्लाक सतावं के ग्राम कोनसा में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पानी की टंकी का निर्माण होना है जहां पर भू-माफिया अयोध्या सिंह एवं आदि ने कब्जा कर रखा है जिसे खाली कराकर पानी की टंकी का निर्माण कराया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद विधायक जी, अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र ग्राम पंचायत कोनसा में पशु अस्पताल प्रस्तावित था जमीन भी मिल गयी थी।

(माइक बन्द होने के बाद आवाज न आने पर)

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार जब कोरम ही नहीं पूरा कर पा रही है तो फिर सदन क्यों चलवा रही है।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मानसून सत्र पर बोलने का मौका दिया दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं अपने नेता सदन यशस्वी मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आज देश की सबसे बड़ी विधान सभा उत्तर प्रदेश जिसमें 403 सदस्य चुनकर आते हैं और उनको एक-एक सदस्य के बारे में जानकारी है कि किन सदस्यों ने सदन में बोला है या नहीं बोला है। आज उसी क्रम में मुझे बोलने का मौका मिला है इसके लिए मैं अपने यशस्वी मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। यदि आज वर्ष 2017 से पूर्व की स्थिति के सम्बन्ध में बात की जाए और तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप जो भयावह स्थिति उत्पन्न होती थी उसके विपरीत आज प्रदेश की तस्वीर एकदम बदली हुई है। मा0 प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं यशस्वी मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में किसानों और गरीबों के हित में जो कार्य कराये जा रहे हैं वह प्रसंशनीय हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आगरा की यदि बात की जाए तो आगरा में मैट्रो ट्रेन देकर और सिविल एयरपोर्ट बनवा कर मा0 मुख्य मंत्री जी ने आगरा को सौगात देने का कार्य किया है, इसके लिए मैं हृदय से मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद कहता हूँ।

आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आगरा के अन्दर हमेशा से यमुना नदी पर बैराज बनाने की मांग उठती आई है। आगरा में यदि यमुना नदी पर बैराज का निर्माण हो जाता है तो निश्चित रूप से समस्या समाप्त हो जाएगी। आगरा के अन्दर खारे पानी की बहुत बड़ी समस्या है और वहां के लोगों को पानी पीने के लिए अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि यहां पर बैराज बन जाएगा तो निश्चित रूप से खारे पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। यदि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ की बात करूँ तो हमारी विधान सभा क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है वहां केवल एक सैया ब्लाक है जहां पर एक-दो नहरें हैं, लेकिन उन नहरों में कभी भी पानी टेल तक पहुँचाने का काम नहीं हुआ है। लेकिन मा0 योगी जी की सरकार में उन नहरों में टेल

तक पानी सुचारु रूप से पहुँच रहा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, दिक्कत दूसरे खैरागढ़ व जानवर ब्लॉकों की है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां पर पानी का जल स्तर बहुत नीचे है और बोरिंग 1000 फिट, 800 फिट या 500 फिट नीचे करानी पड़ती है। वहां का जो किसान है वह अपने निजी नलकूपों से सिंचाई करने के लिए निर्भर रहता है। वहां पर बिजली भी 10 घण्टे नलकूपों को दी जाती है वह बहुत कम है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि जो बिजली किसानों को 10 घण्टे दी जाती है उसका समय बढ़ाकर 15 घण्टे कर दिया जाये। जिससे किसान अपने निजी नलकूपों से अपनी फसल की पैदावार की सिचांई कर सके। आसानी से काम कर सके। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक और अनुरोध करना चाहूंगा तथा सुझाव देना चाहूंगा कि जो बिजली मिलती है वह दिन में मिलती है, 10 घण्टे मिलती है। शाम को 5 बजे के बाद बन्द हो जाती है। तारों में विद्युत प्रवाह खत्म हो जाता है। जिससे चोरी की घटनायें बहुत होती हैं। सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। विद्युत तारों की चोरी होती है। उसके साथ-साथ हमारे किसान भाई ट्यूबवेल पर जाकर उसकी नलकूप की रखवाली नहीं कर सकते हैं। वहां सर्प के काटने जैसी घटनायें हो जाती हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि यदि ट्यूबवेल या नलकूपों को विद्युत आपूर्ति दी जाती है वह दिन में दी जाती है। मैं चाहता हूँ कि रात को भी विद्युत आपूर्ति दी जाये। 3 फेस न चले, लेकिन 2 फेस विद्युत या सिंगल फेस की विधुत आपूर्ति की जाये। जिससे वहां पर किसान अपने नलकूपों की रखवाली कर सकें। जो तार कटिंग चोरी होती है इसको भी रोका जा सके, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग न हो।

श्री मनीष रावत-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अनुपूरक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात प्रारम्भ करना चाहता हूँ।

'कहीं दूर तक चलते-चलते इस पथ का निर्माण हुआ
प्रभात हुआ नव आशाओं का, जन-जन का पुलकित परिणाम हुआ
इस पथ पर अब चलकर लक्ष्य भेदने की हमने की है तैयारी
राष्ट्र लिखे इतिहास नया और देख रही दुनिया सारी।'

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिधौली विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूँ। मैंने पहले भी प्रयास किया था लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री को हृदय से बधाई देता हूँ कि आज सबका साथ सबका विकास और

सबका विश्वास पर पूरे प्रदेश और देश में विकास हो रहा है। आज प्रदेश के 6 वर्ष पूरे होने पर हम देखें तो लगातार जनता का भरोसा दृढ़ हुआ है। इसके साथ ही साथ पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय की धारणा के अनुरूप अन्तिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सरकार द्वारा लाभ प्राप्त हो रहा है। हम बात करें नौजवान युवाओं की तो बड़े पैमाने पर जबसे इन्वेस्टर्स समिट हुई है। हमारे सिधौली क्षेत्र में भी कई उद्योग लगे हैं। अभी हमारे यहां रेडिको खेतान की कम्पनी लग रही है और भी तमाम तरह की जैसे प्लाईवुड की कम्पनी भी लग रही है। जिससे वहां के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई नई बिल्डिंगें बन रही हैं। हमने देखा कि स्टाफ भी पूरा है और पर्याप्त मात्रा में दवाई भी पहुंच रही है। विद्युत के क्षेत्र में जो पुराने तार हैं बड़े पैमाने पर बदले जा रहे हैं और साथ ही साथ ट्रान्सफार्मर की क्षमता में वृद्धि की जा रही है। आज हम कालेज, शिक्षा की बात करें तो पहले प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बड़ी खराब थी। आज माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा उनका कायाकल्प हो रहा है। आज अच्छी टाइल्स लग रही हैं, बिजली लग रही है, बाउण्ड्री हो रही है, अच्छी पेन्टिंग हो रही है, बच्चों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था भी की गयी है।

अधिष्ठाता महोदय, आज अगर देखा जाये तो बड़े पैमाने पर बेसहारा लोगों को आवास और शौचालय उपलब्ध हो रहा है और देखा जाये पंचायतों में भी पंचायत भवन बन रहे हैं और आंगनबाड़ी केन्द्र बन रहे हैं। हम बताना चाहेंगे कि पानी की पहले समस्या थी, लेकिन अब नहीं रहेगी पहले जो बीमारी फैलती थी वह दूषित पानी पीने से बीमारी फैलती थी। आज हर घर नल पेयजल योजना चल रही है, लेकिन कुछ लोगों को अभी दिक्कत लग रही होगी लेकिन जब वह बनकर तैयार हो जायेगी तो निश्चित रूप से वह जो पानी पीने को मिलेगा तो वह आर0ओ0 पानी की तरह ही पीने को पानी मिलेगा और जिस दिन वह पानी मिलना शुरू हो जायेगा तो निश्चित ही बहुत सारी बीमारियां दूर हो जायेंगी। आज बड़े पैमाने पर सामूहिक विवाह समारोह हो रहे हैं और जो गरीब बेटियां हैं उनको शादी में बहुत दिक्कत होती थी आज उनकी शादियां सामूहिक विवाह के अन्तर्गत धूम-धाम से मनाई जाती हैं। मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूँ। बड़े पैमाने पर लोगों को लैपटाप दिया गया और आज फ्री अनाज भी लोगों को मिल रहा है। पांच लाख तक के आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की गई है। किसानों को सम्मान निधि की बात करें तो 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष किसानों को मिल रहा है। आज अपराध की बात की जाये तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अपराधी अपराध छोड़ें या प्रदेश छोड़ दें तो आज अपराधियों का क्या हाल है यह सभी लोग अच्छे से जान रहे हैं। महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन दिया है। आपने देखा होगा कि आज प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मा0 प्रधानमंत्री जी को व मा0 मुख्य मंत्री जी को कि मेरे जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य को पर्यटन स्थल में घोषित करके शानदार

कायाकल्प हो रहा है और वहां पर्यटन की दृष्टि से यह अच्छा हो रहा है। मेरे यहां मण्डी की व्यवस्था करा दी जाये। राजकीय नलकूप बन रहे हैं, लेकिन कुछ राजकीय नलकूप विद्युत के कारण या टेक्निकल कमी के कारण बन्द पड़े हैं, उनको शुरू करवा दिया जाये।

***श्री मोहित सोनकर "राहुल बच्चा"-**

अधिष्ठाता महोदय, आज सदन में मुझे बोलने का प्रथम बार अवसर मिला है। मैं विधान सभा अध्यक्ष व मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति पर एक समान दृष्टि है। मैं कानपुर की विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर से में आता हूँ। वर्ष 1993 में इसी विधान सभा क्षेत्र से मेरे पूज्य पिता जी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उन्हें वहां की जनता ने भरपूर वोट दिया था, लेकिन मात्र 600 वोटों के अन्तर से वह चुनाव नहीं जीत सके थे। वर्ष 1993 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अन्दर बनती है मात्र दो महीने के बाद हमारे पिता जी जो विधान सभा के प्रत्याशी रहे थे भारतीय जनता पार्टी से उनकी दिनदहाड़े हत्या कर दी गयी थी। उस समय को हमारे परिजनों ने कैसे देखा होगा और कैसे उठाया होगा। तत्कालीन पुलिस प्रशासन द्वारा रात्रि में अन्तिम संस्कार किया गया। मेरे परिजनों को इस बात का बेहद कष्ट था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे 28 वर्ष बाद सूद समेत इस विधान सभा क्षेत्र से सबसे बड़ी जीत उपहार में दी है।

प्रत्येक विधायक के लिए वह क्षण बहुत गौरवशाली होता है कि जब उसकी जनता उसे चुनकर लोकतंत्र के इस मन्दिर अर्थात् विधान सभा के इस सम्मानित सदन में भेजती है। मैं इस बात का साक्षी हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता भी गौरवान्वित हो रही होगी। हम जिस तरह से विकास और सुशासन के क्रम में अपनी सरकार को देखते हैं तो पाते हैं कि पिछली सरकारों के दौरान जिस तरह का भ्रष्टाचार होता होगा, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या होती होगी, जिस तरह से भययुक्त वातावरण रहा होगा, जिस तरह से लोग अपनी बात कहने से डरते होंगे, लेकिन आज वर्तमान सरकार के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो हर कोई अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र है और अपनी बात रख सकता है। जिस तरह से हमने देखा कि मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा समय-समय पर अनुशासन को उत्तर प्रदेश के अन्दर लाने के लिए कठोर निर्णय लिये गये हैं वह आज पूरे देश और हरेक प्रदेश के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित हो रहा है।

पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षा का क्या हाल हुआ करता था, किसी से छिपा नहीं है। मुझे आज भी याद है जब मैंने वर्ष 2004 में यू0पी0 बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा दी थी तो उस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समय स्वकेन्द्र प्रणाली लागू थी। उस समय किस तरह से परीक्षा हुई और किस तरह से शिक्षा के मन्दिर में शुचिता को तार-तार किया जा रहा था। किस तरह से वहां पर नकल माफिया सक्रिय होकर हमारी नई पीढ़ी को गलत दिशा में ले जा रहे थे। मैं अगर वर्तमान सरकार की बात करूँ तो आज विद्यार्थी निष्पक्ष तरीके से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और मेधावियों का सम्मान हो रहा है। हम अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो हमारी सरकार महिला सुरक्षा की सबसे अच्छी उदाहरण है। हमारी सरकार ने प्रदेश में बहुत से ऐसे काम किये हैं। खास तौर से जब हम धार्मिक स्थलों की ओर देखते हैं तो पूरे विश्व में हमारा उत्तर प्रदेश धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। चाहे काशी कारीडोर की बात हो, चाहे विन्ध्याचल कारीडोर की बात हो, चाहे मथुरा की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, पूरे विश्व में हम अपना नाम कर चुके हैं। हमारा विधान सभा क्षेत्र चार जनपदों यथा कन्नौज, हरदोई, कानपुर देहात और उन्नाव से जुड़ा हुआ है। जिले के अन्तिम छोर पर हमारा विधान सभा क्षेत्र है, जहां पहले बहुत धीमी गति से विकास होता था। आज जब हम अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर दृष्टि उठाते हैं, तो ऐतिहासिक कार्य के रूप में एन0एच0-91 जिसे अब एन0एच0-19 के रूप में पाते हैं। यह एन0एच0 आई0आई0टी0, कानपुर से लेकर कन्नौज की सीमा तक हमारे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा भाग है जिससे दूर-दराज पर बसे हमारे क्षेत्र के ग्रामीणों को शहर तक आने में बहुत आसानी होती है।

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया आप बैठिये।

श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा'-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री राकेश पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरा निर्वाचन क्षेत्र जलालपुर, अम्बेडकरनगर सुदूर ग्रामीण अंचल में स्थित है। 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के अन्तर्गत हथकरघा उद्योग यहां का मुख्य व्यवसाय है। यह बुनकर नगरी के रूप में पूर्वान्चल में विशिष्ट स्थान रखता है। जनपद अम्बेडकरनगर की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर है। यहां पर अनेक शैक्षणिक संस्थान हैं, तहसील मुख्यालय है, पोस्ट आफिस है, स्वास्थ्य केन्द्र है, बैंक व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा थाना कोतवाली और रजिस्ट्री कार्यालय है।

एक ही मुख्य मार्ग होने के कारण जलालपुर में दिन भर भारी जाम लगा रहता है। जिससे स्कूली बच्चों, महिलाओं, किसान एवं आने वाले व्यापारी एवं आम-जन को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और जलालपुर एक बुनकर नगरी है जिसमें बाहर के भी

व्यापारी अपना सामान बेचने और सूत खरीदने के लिए जलालपुर में आते हैं, जाम की स्थिति बनी रहने के कारण उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर एक बाईपास बनाये जाने की अति आवश्यकता है उसको बनवाने का कष्ट करें। दूसरा जलालपुर कस्बा में एक उर्दू बाजार है। जहाँ टोटल बुनकरों का इलाका है और पतली गली की सड़कें हैं वहाँ पर मेन बाजार लगती है। बाहर से व्यापारियों को वहाँ पर आने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। टोंस नदी पर अगर एक छोटा सा रास्ता पुल बनवा दिया जाये जो कि भंगुरडिंला चौराहे को जोड़ता है तो जाम की तमाम समस्याओं का समाधान इस पुल के बनने से हो जायेगा। मान्यवर, जलालपुर तहसील पूर्वांचल का इलाका है, आजमगढ़ और अम्बेडकरनगर को जोड़ने वाली जलालपुर तहसील है यहाँ टोंस नदी पर डंडारी में एक पुल बन जाये तो आजमगढ़ और अम्बेडकरनगर का सीधा सम्पर्क हो जायेगा। जलालपुर तहसील है, बुनकर नगरी है वहाँ से तमाम बसें आती-जाती हैं, बाहर के व्यापारी आते हैं, लेकिन वहाँ पर आज तक रोडवेज स्टेशन की व्यवस्था नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ पर एक रोडवेज बस स्टेशन की व्यवस्था करायी जाये। अम्बेडकरनगर जनपद को पूर्वांचल में बागपत जनपद कहा जाता है। आज बारिश कम होने के नाते किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि अम्बेडकरनगर जनपद को सूखाग्रस्त जनपद घोषित किया जाये और अम्बेडकरनगर जनपद से खासतौर से मेरी विधान सभा क्षेत्र से पूर्वांचल में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे आकर मिलता है और जितनी भी सड़कें वहाँ समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बनी थीं वहाँ सारी सड़कें टूट गयी हैं। मैंने कई बार अधिकारियों से इसके बारे में कहा कि इन सड़कों की मरम्मत हो जाये, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुयी है। क्षेत्र की जनता को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कें टूटकर बर्बाद हो चुकी हैं। बिजली की समस्या के बारे में कहना चाहता हूँ कि किसानों के यहाँ रात को दो-तीन बजे बिजली विभाग के लोग दबिश देते हैं और अगर कनेक्शन नहीं भी लगा है, मोटर नहीं भी चल रहा है, लेकिन अगर उनके घर में मोटर या बिजली का तार रखा है तो उसको दिखा देते हैं कि यह गलत कनेक्शन जोड़कर बिजली की चोरी कर रहे हैं, जबकि मैं एक जगह का किस्सा बता रहा हूँ कि एक जे0ई0 कहते हैं कि यह चोरी साबित नहीं हो रही है। फिर भी उसके ऊपर लाखों रुपये की रिकवरी जारी कर दी जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि जो बिजली के ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं कहा जाता है कि 24 घण्टे में ट्रान्सफार्मर बदल दिये जायेंगे, लेकिन 10-15 दिन तक ट्रान्सफार्मर नहीं बदले जाते हैं। स्थिति यह है कि जो ट्रान्सफार्मर बनकर आ भी रहे हैं उनके अन्दर जो आयल होता है वह ही कम होता है या गायब रहता है। जो कम्पनियाँ ट्रान्सफार्मर बनाकर देती हैं वह उसमें तेल की चोरी करती हैं कम तेल डालकर देती हैं, जिसके कारण ट्रान्सफार्मर जल्दी फुंक जाता है। उसका सारा

दोष किसानों को दिया जाता है कि आप अवैध कनेक्शन किये हुये हैं इस कारण से यह ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।

***श्री राकेश राठौर-**

मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे विधान सभा में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास' को ध्यान में रखते हुए मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी निरन्तर कार्य कर रहे हैं। आज आदरणीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला या पुरुष हो, चाहे अगड़ा या पिछड़ा हो, व्यापारी हो या किसान हो, सबमें खुशहाली देखने को मिलती है और समाज का हर वर्ग अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि गुण्डे और माफियाओं पर बाबा का बुल्डोजर चल रहा है। पिछली सरकारों में सरकारी कार्यालयों में जिस तरह का भ्रष्टाचार होता रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुक्ति दिलायी और कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। आज मेरी विधान सभा क्षेत्र जनपद सीतापुर सदर में विकास की गति चौगुनी हो चुकी है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में आज दो ओवरब्रिज एवं एक पुल प्रस्तावित है जिसमें दो का कार्य प्रगति पर है। अमृत योजना के अन्तर्गत हर घर जल योजना का कार्य 75 प्रतिशत पूरा हो चुका है। हमारी सरकार बातें नहीं विकास करती हैं और यही हमारी पहचान है। अमृत सरोवर योजना के अन्तर्गत सौन्दर्यीकरण का कार्य भी प्रगति पर है। कान्हा गौशाला, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का कार्य भी सम्पन्न होने की दिशा में है। मेरे निवेदन पर मा0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से जनपद सीतापुर में लगभग एक करोड़ पचास लाख रुपये की धनराशि गरीबों के इलाज हेतु प्रदान की गयी है। बरसात के दिनों में जर्जर बिजली के तारों से आए दिन समस्या होती रहती थी, वर्तमान में उनकों बदलवाने का कार्य भी प्रगति पर है। इसी के साथ मैं आपनी बात समाप्त करता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इसी मध्य 06 बजकर 27 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः मीठासीन हुए।)

इंजी0 सरवन कुमार निषाद-

मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं एक बार पुनः अपने मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देता हूँ, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 संजय कुमार निषाद जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने एक मछुआरे के बेटे को सदन में भेजने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौरी-चौरा विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ, वह इतिहास की ऐतिहासिक क्रान्तिकारी धरती है। वहां के लोगों ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ा है, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी हैं और यह विधान सभा क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ है। नदियों के कारण वहां लगभग एक लाख की संख्या में मछुआरे निवास करते है जहां केवट, मल्लाह, निषाद एवं बिन्द के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी लगभग 18 प्रतिशत है। आदरणीय महोदय जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इन जातियों ने देश को आजाद कराने में अग्रिम भूमिका निभाई है। आज देश को आजाद हुए लगभग 75 साल हो गये हैं। मगर जो इन्हें मान-सम्मान एवं अधिकार मिलना चाहिए, आज तक मिला नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश सन् 1947 में आजाद हुआ, संविधान सन् 1950 में बना है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि सन् 1952 तक ये जो जातियां हैं, उन्होंने अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी हैं, इनके परिवार को उजाड़ा गया है, इन जातियों को उजाड़ा गया है, जिनसे लड़ाई लड़ते हुए वे जेलों में कैद हुए हैं, अंग्रेजों ने उन्हें जन्मजात अपराधी घोषित करते हुए क्रिमिनल ट्राइब ऐक्ट के अन्तर्गत घोषित कर दिया था, जिसका प्रमाण आज भी इस ऐक्ट में मौजूद है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जातियां आज भी ठोकरें खा रही हैं, अपने हिस्से की मांग कर रही हैं।

मान्यवर, मैं आपको पुनः अवगत कराना चाहता हूँ कि इनकी जातीय जनगणना शुरू से होती रही है। सन् 1931 में हुई वहां भी ये अनुसूचित जाति में थे, सन् 1941 में हुई वहां भी थे, अन्तिम में सन् 1971 में हुई, इनकी कोई नहीं सुनने वाला था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 66 समूह बने और 66 समूहों में लेदर मैन बना, फिशर मैन बना, मिल्क मैन बना, सभी जातियों के समूह को निर्धारित किया गया, जिसमें 53 नम्बर पर मझवार जाति के नाम से उन्हें अंकित कर दिया गया जिनकी उप जातियां केवट, मल्लाह, बिंद, रायकवार के नाम से अंकित की गयीं। मगर सन् 1971 के बाद ये फाइलें इधर-उधर घूमती रहीं, इनके खिलाफ साजिशें होती रहीं, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, इनकी सुनवाई कोई नहीं करने वाला था। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इन मछुवारों के दर्द को सुना-समझा और आर0जी0आई0 को एक पत्र लिखा और ये मांग की कि ये जातियां आखिर कहां हैं और किस श्रेणी में हैं ? मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूँ और मैं भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आर0जी0आई0 को निर्देशित भी किया और उन्होंने भी जवाब मांगा तो आर0जी0आई0 ने लिखित रूप से प्रमाणित किया कि ये जातियां अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती हैं, 53 नम्बर पर अंकित हैं, ये मझवार जाति से हैं, जिनकी उप जातियां केवट, मल्लाह, बिंद, रायकवार नाम से जानी जाती हैं। मैं आपसे निवेदन के साथ गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि जो लाभ इन जातियों को मिलना चाहिए, आज तक नहीं मिला, उसके लिए मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूँ।

मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, पिछली सरकारों ने जो काम आज तक नहीं किया, उनकी योजनाओं एवं दशाओं के बारे में नहीं सोचा था, अगर किसी ने सुनने का काम किया, उनके लिए समझने का काम किया, उन्हें बसाने का काम किया। मैं अवगत कराना चाहता हूँ उन्होंने मछुआ कल्याण के लिए एक बोर्ड का गठन किया, उसके लिए मंत्री बनाये। उन्होंने मछुआ समुदाय की लड़ाई लड़ने के लिए डा0 संजय निषाद जी को उन्होंने मछुआरे का नेतृत्व करने के लिए एक मंत्रालय दिया, मछुआ कोष का गठन किया, निषादराज बोट का गठन किया। एक जमाना था जब त्रेतायुग में भगवान राम और निषादराज गुह का मिलन हुआ था तो दुनिया में एक संदेश गया था। मा0 योगी जी ने उस बात को समझा और उन्होंने श्रृंगवेरपुर धाम में 52 फुट की निषादराज एवं भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर एक संदेश पुनः देने का काम किया और पुनः एक बार रावण राज खत्म करने का काम किया।

श्री अध्यक्ष-

आप कौन से इंजीनियर हो ?

इंजी0 सरवन कुमार निषाद-

मान्यवर, सिविल इंजीनियर हैं।

श्री अध्यक्ष-

सही है, मकान बनाते हैं, धन्यवाद, आपके पांच मिनट पूरे हो गये।

इंजी0 सरवन कुमार निषाद-

मान्यवर, हमारी विधान सभा क्षेत्र की दो समस्याएं हैं।

श्री अध्यक्ष-

पहले बोलनी चाहिए थी।

इंजी0 सरवन कुमार निषाद-

मान्यवर, सोनबरसा से लेकर कुटावा मार्ग जो सरदार नगर की तरफ जाता है उसमें थोड़ी बहुत समस्या है। दूसरी एक और नई सड़क है नई बाजार से गुडौर मार्ग एवं नयी नाले की समस्या को आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

श्री सुशांत सिंह कुंवर, बिजनौर, नहीं है, (अनुपस्थित)। श्री रफीक अहमद अंसारी, रामपुर, नहीं हैं, (अनुपस्थित)। श्री सुशील कुमार शाक्य जी, आप बोलिए।

श्री सुशील कुमार शाक्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आज आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा क्षेत्र-193, अमृतपुर 03 नदियों से घिरा

हुआ है। अगर हम 2017 के पहले की स्थिति देखें तो तुलनात्मक रूप से योगी सरकार ने जो किसानों के हित में निर्णय लिए हैं और बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में जो सरकार की नीति है, उसका बहुत बड़ा लाभ क्षेत्र को मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, इस समय गंगा में बाढ़ आयी है, 19 जुलाई से गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है और जिसके कारण 14 लोगों की मौत इस बाढ़ के कारण हुई है और लगभग 60 हजार परिवार इस बाढ़ से पीड़ित हैं। लेकिन सरकार की सक्रियता के कारण, जिले के अधिकारियों की सक्रिय भूमिका के कारण जो मृतक हुए हैं, उन्हें 03 दिन के अन्दर 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान कर दी गयी। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों के समय बाढ़ पीड़ितों को सहायता के नाम पर केवल चना, लइया या मोमबत्ती का वितरण होता था। लेकिन हमारी सरकार में जो बाढ़ राहत सामग्री है, इतने छोटे स्तर पर जाकर योगी जी ने चिन्ता की है। बाढ़ सामग्री में बरसात से बचने के लिए तिरपाल की व्यवस्था दी, 10 कि0ग्रा0 आँटा, 10 कि0ग्रा0 चावल, 10 कि0ग्रा0 आलू, 05 कि0ग्रा0 लाई, 02 किलो अरहर की दाल, 02 किलो भुना चना, 01 किलो गुड़, सरसों रिफाइण्ड तेल, नमक 01 कि0ग्रा0, बिस्कुट के पैकेट, मोमबत्ती, माचिस, हल्दी, सब्जी मशाला, मिर्च, साबुन यानी छोटी-छोटी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हुए और यह सारा सामान स्टैंडर्ड कम्पनी का, पैकिंग में बाढ़ पीड़ितों को दिया गया। जिस गाँव में जितनी नावों की आवश्यकता थी, जहाँ-जहाँ प्रधानों ने डिमाण्ड की, विधायकों ने निर्देश दिए, उसका अक्षरशः पालन किया गया। बाढ़ के कारण जो विभीषिका पहले झेलनी पड़ती थी, वह अब नहीं है।

दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, हमारा क्षेत्र जहाँ 03 नदियों से घिरा हुआ है, गंगा की बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहता है, वहीं पर सूखा क्षेत्र भी हमारे यहाँ है। जहाँ पर कम वर्षा होने के कारण किसानों के सामने बहुत समस्या रही है। उत्तर प्रदेश के जो 50 जिले कम वर्षा की सूची में हैं, उसमें फर्रुखाबाद पश्चिम क्षेत्र में आता है। लेकिन सरकार ने सूखे की समस्या से निपटने के लिए कुसुम योजना के अन्तर्गत जो सोलर ट्यूबवेल लगे हैं, पिछले 02 वर्षों में केवल हमारी विधान सभा क्षेत्र में ही 270 सोलर ट्यूबवेल सरकार की सहायता से लगाये गये हैं और जिसके कारण किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा हुई है और बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ रहा है। बड़ी मात्रा में ट्रांसफार्मर लगाने का काम हुआ, बड़ी मात्रा में तारों को बदलने का काम हुआ और जिसके कारण सिंचाई व्यवस्था अच्छी हुई। फर्रुखाबाद जनपद में मक्के की फसल पिछले वर्ष की तुलना में 50 परसेण्ट ज्यादा हुई है और फर्रुखाबाद के किसान अपनी मक्का कर्नाटक, बंगलौर तक में रैक के माध्यम से भेज रहे हैं, अभी तक फर्रुखाबाद से 10 रैकें मक्का की जा चुकी हैं, जिससे किसानों को लाभ हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी विधान सभा क्षेत्र बाढ़ पीड़ित है, सूखा पीड़ित है। यह राम गंगा नदी और गंगा के बीच में घिरा हुआ है। राम गंगा पर कड़क्का बांध बना है जो डबरी से लेकर भटौली तक है। इसे दो किलोमीटर बढ़ा दिया जाये, जिससे क्षेत्र में काफी लाभ होगा। बाबा नीम करौरी का धाम यह भी हमारे क्षेत्र में है, इसलिये मैं चाहता हूं कि अमृतपुर में एक

गंगा नदी पर पुल बना दिया जाए, जिससे गंगा और राम गंगा के बीच में घिरे हुए लोगों को लाभ मिलेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री सौरभ सिंह सोनू-**

मान्यवर, मैं प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी मुख्य मंत्री जी का आभारी हूँ। आज प्रदेश में अमन-चैन है, मा0 अध्यक्ष जी आदरणीय योगी जी की सरकार ने जनता के बीच राजनीतिज्ञों के प्रति विश्वास पैदा किया है। एक समय वह भी था जब सत्ता पक्ष द्वारा नर्तकियों को बुलाकर मंत्र पर अश्लीलता का प्रदर्शन होता था और दुर्भाग्य की बात यह है कि तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी भी विराजते थे, लेकिन अब समय बदला है, इस सरकार में लोगों के मन में विलुप्त होती हुई राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया है, भारत की संस्कृति व धर्म पर से उठते हुए विश्वास को जगाने का काम किया है। अब अश्लीलता नहीं, अपितु पूरे प्रदेश में अमृत महोत्सव मनाया जाता है। आज मन बहुत खुश होता है, जब उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री श्री योगी जी हेलीकाप्टर से कांवरियों पर पुष्प वर्षा करते हैं।

अंधेरों की फसल का बीज, हम नहीं बोने देंगे,
कर रहे हैं जो यह खुदगर्ज, हम नहीं होने देंगे।
हमारा वायदा है कि जब तलक, जिन्दा हैं हम,
दुनिया में उजालों को, किसी कीमत पर खोने नहीं देंगे।।

और केवल राष्ट्रवाद ही नहीं, समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े गांव के गरीब, मजदूर, किसान की भी हर प्रकार से चिन्ता की है। आज अनपढ़ गरीब भी मोदी जी और योगी जी की बात करता है। चुनाव के दौरान मैं एक गरीब परिवार में पहुंचा जहां पर महीने में दोबार मुफ्त राशन मिल रहा है और आज कोई गरीब भूखा नहीं सोता, क्योंकि इतना राशन मिल जाता है कि भोजन के साथ घर की जरूरतों को भी पूरा किया जाता है और इसमें कहीं भी जाति का भेद-भाव नहीं है 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' के आधार पर सभी को मिलता है और फिर भी हम ही साम्प्रदायिक हैं। 'सर्वे भवन्तु निरामयः' की अवधारणा पर आज प्रत्येक न्याय पंचायत में वेलनेस सेण्टर की स्थापना की जा रही है। मान्यवर, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र कस्ता में एक भी नगर पालिका और नगर पंचायत नहीं है, आपके माध्यम से चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र कस्ता में भी एक नगर पंचायत और नगर पालिका की स्थापना की जाए। अन्त में सदन के माध्यम से आदरणीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनसे जुड़ी पांच स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया, इससे करोड़ों दलितों की तरफ से पुनः आभार और धन्यवाद देता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

जितने भी मा0 सदस्य यहां बैठे हैं जो 18वीं विधान सभा में न बोले हों तो वह खड़े हो सकते हैं। आज सबेरे जो सूची थी 23 मा0 भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की सूची थी, जो नहीं बोले थे। उसमें से 18 लोगों ने बोला और 5 लोग अनुपस्थित हैं। समाजवादी पार्टी की जो सूची थी वह 15 नामों की थी, लेकिन तसलीम अहमद साहब का नाम छूट गया था, उन्होंने बाद में बोल दिया है तो इस तरह से 16 लोग थे उनमें से 8 लोग नहीं बोले हैं और 8 लोग बोले हैं। इस प्रकार से जो कुल 41 सदस्य थे उसमें से 26 लोग बोले हैं और 15 लोग नहीं बोले हैं तो इस तरह से उनको यह आज एक अवसर मेरी तरफ से दिया गया। कभी-कभी इस प्रकार का भाव होता है कि बोलने का अवसर नहीं मिला कार्य-मंत्रणा समिति ने इस बात की सिफारिश की थी कि जो मा0 सदस्य अभी तक एक बार भी नहीं बोले हैं आज का सारा दिन मैंने उनके लिए समर्पित किया था। जो लोग नहीं बोले हैं उनको अब अलग से किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाएगा। अगर वह पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो उन्हें उस बात का अधिकार है इसीलिए मैंने यह बोला कि आज के बाद 403 मा0 सदस्यों में से कोई भी मा0 सदस्य यह नहीं कह सकते हैं कि उनको विधान सभा में बोलने का अवसर नहीं मिला है। वह नहीं बोले उसके कई कारण हो सकते हैं मैं किन्हीं कारणों के ऊपर नहीं जाना चाहता बहुत से कारण हो सकते हैं, व्यस्तता होगी इत्यादि। जैसे मुझे आज एक मा0 सदस्य का पता चला कि उनके घर में उनकी माता जी या पिता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसी तरह से भिन्न कारण हो सकते हैं। जितने लोग आज यहाँ सदन में पहली बार बोले हैं, मैं सदन के सभी सदस्यों से चाहूँगा कि उनका आप सब लोग अभिनन्दन करें और मैं एक बात के लिए यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि नियम-51 वालों को जिनको बैठना पड़ा और इनको सुनना पड़ा उनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनको जबरदस्ती सुनना पड़ा। मैं नियम-51 वालों की बात कर रहा हूँ बाकी लोग तो यहाँ पर हैं ही।

[06:47] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 08-08-2023 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 117 सूचनाएं प्राप्त हुईं। निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना श्री योगेश धामा की जनपद बागपत के विकास खण्ड बड़ौत, थाना रमाला, ग्राम सभा बरवाला के अन्तर्गत ग्राम बरवाला में शहीद लांस नायक जयपाल सिंह की पत्नी महेन्द्री को आवंटित कृषि भूमि पर अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री ओम प्रकाश की जनपद गाजीपुर के ग्राम पंचायत रवसहा में ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का

दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री कमाल अख्तर की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में कतिपय स्थानों पर सड़कों के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी में भ्रष्ट एवं अवैधानिक अधिकारीगणों द्वारा सरकार की छवि धूमिल किए जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ के भवन की मरम्मत के सम्बन्ध में है तथा सातवीं सूचना श्री जय कुमार सिंह जैकी की जनपद फतेहपुर से मोहनलालगंज, लखनऊ तक 116 किमी0 सीमा को फोर लेन किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना श्री अतुल प्रधान की जनपद मेरठ की सरधना विधान सभा क्षेत्र के कस्बा दौराला में शुगर मिल में मानक के अनुरूप पानी के दोहन के सम्बन्ध में है तथा दूसरी सूचना श्री मोहम्मद हसन 'रूमी' की जनपद कानपुर नगर के सुजातगंज चंदारी वार्ड-99 के जलाशय को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना श्री सचिन यादव की मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत मृतक आश्रित परिवार को आर्थिक मदद कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री प्रकाश द्विवेदी की जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र सदर में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री रवि शर्मा की म0ल0बा0 राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी के एनॉटामी विभाग में चिकित्सा शिक्षकों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना डॉ0 पल्लवी पटेल की जनपद कौशाम्बी के जिलाधिकारी द्वारा आग्नेयास्त्रों की वरासत की पत्रावलियों का अनुमोदन न किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर के प्रबन्धकीय अनुदानित जूनियर हाई स्कूल में सेवानिवृत्त कार्यरत कर्मचारियों के बकाया भुगतान न होने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री अनिल प्रधान की जनपद चित्रकूट में ठगी का शिकार हुये लोगों को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में ट्रान्सफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ग्राम अभैदोपुरा में अवैध निर्माण को ध्वस्त कराते हुये कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है तथा नौवीं सूचना श्री आशु मलिक की जनपद सहारनपुर के नगर निगम सहारनपुर में वर्षा के कारण जल भराव के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

श्री योगेश शुक्ला, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री मनीष रावत, श्री हरिओम, श्री संदीप सिंह, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्रीमती ऊषा मौर्या, श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री गुलाम मौहम्मद, श्री पंकज सिंह, श्री राजीव गुम्बर, श्री पल्टूराम, श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू,

श्री वाचस्पति, श्री पीयूष रंजन निषाद, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री अशरफ अली खान, श्री प्रसन्न कुमार, डॉ0 शिव प्रताप यादव, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विवेकानन्द पाण्डेय, श्री आशुतोष शुक्ल, श्री हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री राम रतन कुशवाहा, श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री श्यामधनी राही, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री राजेश्वर सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री जगदीश नारायण, श्री उमाशंकर सिंह, श्री राम अचल राजभर, श्री राम अवतार सिंह, श्री तसलीम अहमद, श्री अताऊर्रहमान, डा0 आर0 के0 पटेल, श्री जीत लाल पटेल, श्री शफीक अहमद अंसारी, श्री बृजेश कुमार, श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री प्रभाष कुमार, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री राजीव कुमार, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री अमरेश कुमार, श्रीमती ओममणी वर्मा, श्री देवेन्द्र निम, श्री राजेश चौधरी, श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री मेघश्याम, श्री ओम कुमार, श्री निर्मल वर्मा, श्री जियाउद्दीन रिजवी, डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री गौरव कुमार, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, श्री विनोद शंकर अवस्थी, श्री विवेक कुमार वर्मा, श्री गणेश चन्द्र, श्री पूरन प्रकाश, श्री राम दुलार, श्री ज्ञान तिवारी, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री राम फेरन पाण्डेय, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री सुभाष त्रिपाठी, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री मुकेश चौधरी, श्रीमती सरोज कुरील, श्री अरमान खान, श्री श्याम सुन्दर, इंजी0 बृजेश कठेरिया, श्री जाहीद, श्री लकी यादव, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री पंकज, श्री अखिलेश यादव, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री शाहिद मंजूर, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री रमेश जायसवाल, श्री देवेन्द्र सिंह, श्री विशम्भर सिंह यादव, श्री वीर विक्रम सिंह, श्री अजय सिंह, श्रीमती मुक्ता संजीव राजा, श्री सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री मौ0 फहीम इरफान, श्री सुहेब उर्फ मन्नु अंसारी, डॉ0 नीरज बोरा, डॉ0 रागिनी, श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री स्वामी ओउ्मवेश तथा श्री मनोज कुमार पारस।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल दिनांक 09-08-2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 49 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 08 अगस्त, 2023 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-6 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-27-30 पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के 1–मंगलवार हेतु निर्धारित श्री स्वामी ओमवेश, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–6 का उत्तरालेख का संलग्नकः–

उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों में गंगा नदी के तटों पर निर्मित कुल 45 तटबंध, कुल 420.897 किमी0 लम्बाई का जनपदवार विवरणः–

क्र0सं0	जनपद	तटबंध का नाम	गंगा नदी का तट (बाँया/दाँया)	तटबंध की लम्बाई (किमी0)
1	2	3	4	5
1	बिजनौर	बाँया एफलक्स बंध	बाँया	8.670
		दाँया एफलक्स बंध	दाँया	3.850
			योगः	12.520
2	मुजफ्फरनगर	रामराज	दाँया	16.500
			योगः	16.500
3	शाहजहाँपुर	भैंसार ढाईघाट	बाँया	14.560
			योगः	14.560
4	प्रयागराज	एस0टी0पी0 रिंग बंध	दाँया	0.812
		बक्शी	दाँया	1.760
		बेनी	दाँया	0.900
			योगः	3.472
5	प्रतापगढ़	बलीपुर	बाँया	6.600
			योगः	6.600
6	बुलन्दशहर	एडवान्स तटबंध	दाँया	2.660
		राइट साइड गाइड बन्ध	दाँया	0.340
			योगः	3.000
7	अमरोहा	हसनपुर प्रथम चरण	बाँया	34.640
		हसनपुर द्वितीय चरण	बाँया	21.300
		तिगरी रिंग बंध	बाँया	2.400
		पप्सरा रिंग बंध	बाँया	3.800
		मौहम्मदाबाद रिंग बंध	बाँया	1.720
		सी0एस0जे0 बंध (कुछ भाग जनपद सम्भल में भी है।)	बाँया	9.250
			योगः	73.110
8	सम्भल	सी0एस0जे0 बंध (कुछ भाग जनपद अमरोहा में भी है।)	बाँया	27.750
		मार्जिनल बंध	बाँया	6.600
		ईसमपुर	बाँया	11.300
		नगला अजमेरी (कुछ भाग जनपद बदायूँ में भी है।)	बाँया	13.000
			योगः	58.650
9	बदायूँ	नगला अजमेरी (कुछ भाग जनपद सम्भल में भी है।)	बाँया	3.500
		गंगा सहाय	बाँया	34.900
		चन्दनपुर–हुसैनपुर	बाँया	17.500
		जौरी नगला	बाँया	8.400
		उसैत	बाँया	17.000
		उसावा	बाँया	10.500
			योगः	91.800

अधी0 अभि0
अनु0 एंव नियो0, मण्डल–3
लखनऊ

क0सं0	जनपद	तटबंध का नाम	गंगा नदी का तट (बाँया/दाँया)	तटबंध की लम्बाई (किमी0)
1	2	3	4	5
10	कासगंज	उढ़ेर	दाँया	4.550
		दरालाना	दाँया	3.000
		नैवली	दाँया	5.950
		समसपुर नरदौली	दाँया	10.750
		असदगढ़ किला नरदौली	दाँया	6.300
			योगः	**30.55**
11	कानपुर नगर	लेफ्ट मार्जिनल	दाँया	7.160
		राइट मार्जिनल	दाँया	10.500
		लेफ्ट एफलक्स	दाँया	3.240
		राइट एफलक्स	दाँया	0.475
		लेफ्ट गाइड	दाँया	1.080
		राइट गाइड	दाँया	0.860
		राजीघाट	दाँया	0.920
			योगः	**24.235**
12	बलिया	बलिया–बैरिया तटबंध	बाँया	32.800
		दूबे छपरा–टेगरही रिंग बांध	बाँया	4.800
		कदमताल दुबहड़ रिंग बांध	बाँया	7.000
		रेपुरा रिंग बांध	बाँया	7.800
		बैरिया संसार टोला तटबंध	बाँया	20.800
		बिरला बांध	बाँया	1.200
		बलिया शहर सुरक्षा बांध	बाँया	2.500
		इन्दरपुर थम्महनपुर तटबंध	बाँया	9.000
			योगः	**85.900**
		कुल तटबंधों की संख्या–45	कुल योगः	**420.897**

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर विभाग के नियंत्रण में कुल 4 तटबंध कुल 5.179 किमी0 लम्बाई का विवरण :–

क0सं0	जनपद	तटबंध का नाम	गंगा नदी का तट (बाँया/दाँया)	तटबंध की लम्बाई (किमी0)
1	2	3	4	5
[illegible]	हरिद्वार	दूधिया	दाँया	2.300
		बेलवाला	दाँया	0.999
		कनखल	दाँया	0.600
		राईट एफलक्स	दाँया	1.280
		कुल तटबंधों की संख्या–4	योगः	**5.179**

04/08/23 04.08.23 S.E.-II-P(T.) 4/8/23 (ए० के० जैन) प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०)

नत्थी (ख)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-48-49 पर)

पत्रांक 2474 कार्यालय उपायुक्त(श्रम रोजगार) उन्नाव।
/वि0सहा0/मनरेगा/2022-23 दिनांक 27 फरवरी, 2023

जिला पंचायत राज अधिकारी
उन्नाव।

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 5360/पंचायत/सा0सहा0-।।/2020-21 दिनांक 14.12.2021,पत्रांक 2662 दिनांक 20.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें ग्राम पंचायत कांधा विकास खण्ड असोहा राज्य वित्त आयोग व 14वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कार्यों से सम्बन्धित प्राप्त अभिलेखों के आधार पर पुनः स्थलीय/अभिलेखीय सत्यापन आख्या उपलब्ध कराने के संबध में है।

उपरोक्त के संबध में अवगत कराना है कि श्री मनीष कुमार दीक्षित,ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री ओम प्रकाश पटेल,ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड असोहा के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17,2017-18,2018-2019,2019-2020 व 2020-21 के उपरोक्त विषयक अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध कराये गये, जिसमें वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में श्री सर्वेश दीक्षित ,ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 82.89 लाख रू0 व्यय सम्बन्धित अभिलेख, वर्ष 2018-19 में श्रीकान्त ग्राम विकास अधिकारी द्वारा व्यय 33.67 लाख रू0 से सम्बन्धित कार्यो की सूची उपलब्ध करायी गई परन्तु इससे सम्बन्धित अभिलेख/पत्रांवली उपलब्ध नही है। 2018-19 में ही श्री सुरेश सिंह,ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 11.77 लाख रू0 व्यय के भी सम्बन्धित अभिलेख/पत्रांवली उपलब्ध नही है। वर्ष 2018-19 से लेकर 2021 तक श्री पवन मौर्या,ग्राम विकास अधिकारी द्वारा व्यय 116.53 लाख व्यय किया गया जिसकी सूची एवं सम्बन्धित पत्रांवली उपलब्ध करायी गई।

उपरोक्त अभिलेखों के आधार पर अवर अभियन्ता(ग्रा0अभि0वि0) के साथ मेरे द्वारा स्थलीय सत्यापन किया गया जिसमें निम्नवत स्थिति पायी गई।

वर्ष 2016-17 में कराये गये नवीन निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य कुल संख्या-21(सूची संलग्न)
1.निर्माण कार्य पर व्यय 43.06 लाख।
2.हैण्डपम्प मरम्मत,प्रधान मानदेय,फर्नीचर,स्टेशनरी आदि पर व्यय 3.75 लाख।
वर्ष 2017-18 में कराये गये नवीन निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य कुल संख्या-15(सूची संलग्न)
1.निर्माण कार्य पर व्यय 41.40 लाख।
2.हैण्डपम्प मरम्मत,प्रधान मानदेय,,स्टेशनरी आदि पर व्यय 7.12 लाख।
वर्ष 2018-19 में कराये गये नवीन निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य पर श्री श्रीकान्त ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 33.668 लाख व्यय किया गया है (अभिलेख अप्राप्त)
वर्ष 2018-19 में कराये गये नवीन निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य पर श्री सुरेश सिंह,ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 11.77 लाख व्यय किया गया है। (अभिलेख अप्राप्त)
वर्ष 2018'19 में श्री मवन मौर्या ,ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कराये गये कुल 18 कार्य कराये गये जिसपर व्यय 39.80 लाख व्यय किया गया है (सूची संलग्न)
हैण्डपम्प मरम्मत,प्रधान मानदेय,फर्नीचर,स्टेशनरी,सोलर लाइट आदि पर व्यय 7.10 लाख।
वर्ष 2019-20 में कराये गये नवीन निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य कुल संख्या-41(सूची संलग्न)
1.निर्माण कार्य पर व्यय 35.65 लाख।
2.हैण्डपम्प मरम्मत,प्रधान मानदेय,फर्नीचर,स्टेशनरी एवं सोलर स्ट्रीट लाइट आदि पर व्यय 6.70 लाख।
वर्ष 2020-21 में कराये गये नवीन निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य कुल संख्या-12(सूची संलग्न)
1.निर्माण कार्य पर व्यय 8.90 लाख ।
2.हैण्डपम्प मरम्मत,प्रधान मानदेय,फर्नीचर,स्टेशनरी आदि पर व्यय 5.74 लाख।

स्था०ले०

D.P.R.O

पूर्व में 37 कार्यो का सत्यापन कर आँख्या प्रेषित की गई थी जिसकी कुल गत 51.02 लाख रू0 थी तथा शेष वर्ष 2016–17 से 2020–21के कार्यो का सत्यापन किया गया जो निम्नवत है:–

1कांथा के मजरा बजरंग खेड़ा में डामर रोड से काली चरन के घर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य– लम्बाई मौके पर 156 मी0 पायी गई इस कार्य पर 1.94 लाख व्यय किया गया है कार्य सन्तोष जनक व सही पाया गया।

2.कांथा में अफरोज मियॉ के घर से इसहाक के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य– इस कार्य की लम्बाई 66 मी0 पायी गई कार्य पर व्यय रु0 1.18 व्यय किया गया है कार्य मौके पर सही पाया गया।

3.गोकुल खेड़ा में सुन्दर के घर तक बिन्दा के घर तक खड़न्जा कार्य– कार्य की लम्बाई मौके पर पर 120 मी0 पायी गई। कार्य पर 1.71 लाख व्यय किया गया है। कार्य सही पाया गया।

4.प्राथमिक विधालय कांथा नाला निर्माण– कार्य की लम्बाई मौके पर 44 मी0 पायी गई । कार्य पर 0.79 लाख व्यय किया गया है। कार्य में अनियमितता नही पायी गई।

5.प्राथमिक विधालय शिवसिह खेड़ा में टायल्स का कार्य– कार्य मौके पर पाया गया। जो सन्तोषजनक है।

6.कांथा के मजरा बरजोर खेड़ा में सन्तराम के घर से सीताराम के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य– इस कार्य पर 1.07 लाख व्यय किया गया है। मौके पर लम्बाई एम0बी0 के अनुसार सही पायी गई।

7.गोकुल खेड़ा में सुन्दर के घर से बिन्दा के घर तक नाली निर्माण– कार्य की लम्बाई मौके पर 84 मी0 पायी गई। कार्य पर रु0 1.16 लाख व्यय किया गया है। कार्य सन्तोषजनक है।

8.पूर्व में कराये गये हैण्डपम्प रिबोर का सत्यापन– कांथा में रामसिंह के दरवाजे, कांथा में इण्टर कालेज प्रागण में,जंगली खेड़ा में मन्दिर के पास व बाबूलाल के दरवाजे का सत्यापन किया गया कार्य मौके पर सत्यापित।

पूर्व में 37 कार्यों में किये गये सत्यापन एवं वर्तमान में किये गये सत्यापन से यह निष्कर्ष प्रतीत है कि वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में ग्राम विकास अधिकारी श्री सर्वेश दीक्षित के कार्यकाल में एवं 2018–19 से 2020–21 में तैनात ग्राम विकास अधिकारी श्री पवन मौर्या द्वारा समस्त अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये थे जिनके आधार पर की गई जॉच के दौरान कोई भी वित्तीय अनियमिता/धन के दुरूपयोग प्रकाश में नही आया। साथ ही वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में तैनात ग्राम विकास अधिकारी श्री श्रीकान्त द्वारा कैश बुक के आधार पर 33.67 लाख व्यय किया गया उनसे सम्बन्धित कोई भी पत्रावली उपलब्ध नही है तथा 2017–18 की कैशबुक में मात्र नाली एवं खड़न्जा लिखा हुआ है तथा धन आहरित हुआ है। कार्य स्थल का नाम नही लिखा है। वर्ष 2018–19 में कैशबुक में नौ कार्यो का विवरण अंकित है परन्तु उनकी पत्रावलियॉ/प्राक्कलन न होने से कार्यो का सत्यापन/जॉच नही हो सकी। इसी प्रकार वर्ष 2018–19 में तैनात सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सुरेश सिंह के द्वारा 11.77 लाख धन आहरित किया गया परन्तु किसी भी कार्य से सम्बन्धित कोई अभिलेख/प्राक्कलन न होने से सत्यापन/जॉच नही हो सकी।

अतः उपरोक्त आंख्या मय सूची व फोटो की छायाप्रति सहित सलग्न कर प्रेषित है।

सलंग्न–उपरोक्तानुसार।

अवर अभियन्ता(ग्रा.अभि.वि.)

उपायुक्त(ग्राम्य योजना)
उन्नाव।

प्रतिलिपि–मुख्य विकास अधिकारी महोदय उन्नाव।

नत्थी (ग)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-36 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-69-70 पर)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016

(3) स्थलीय जांच और सूचना की विषय वस्तु का सत्यापन करने के उपरान्त यदि राजस्व निरीक्षक इससे सन्तुष्ट है कि उत्तराधिकार या भूमि पर प्रवेश के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा उत्तराधिकार एवं भूमि में प्रवेश इस संहिता के प्राविधानों के अनुरूप है, तब वह दाखिल खारिज के लिए आदेश अपने पूर्ण हस्ताक्षर व दिनांक सहित पारित करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि राजस्व निरीक्षक अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 36(2) के प्राविधानों का पालन कर लिया गया है।

(4) राजस्व निरीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि यथा संशोधित अधिकार अभिलेख (खतौनी) की प्रमाणित प्रति उस व्यक्ति को उपलब्ध करा दी गयी है जिसके पक्ष में दाखिल खारिज का आदेश पारित किया गया है।

(5) इस नियम के प्राविधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जहां उत्तराधिकार का दावा किसी वसीयत के आधार पर किया गया हो।

विवादित उत्तराधिकार (धारा 35)

32. नियम 30 के अन्तर्गत जांच के दौरान जब राजस्व निरीक्षक यह पाता है कि जहां उत्तराधिकार अथवा भूमि में प्रवेश के सम्बन्ध में विवाद है अथवा ऐसा दावा किसी वसीयत के आधार पर किया गया है, तब ऐसे किसी विवाद की प्रकृति अथवा ऐसी किसी वसीयत को क्रियान्वित करने से सम्बन्धित तथ्यों को जांच करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा।

अन्तरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट (धारा 34)

33. (1) धारा 34 में वर्णित अन्तरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से प्रत्येक रिपोर्ट यथा सम्भव शीघ्र **आर0सी0 प्रपत्र–11** में की जायेगी।

(2) नियम 29 के उपनियम (3) लगायत (6) के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस नियम के अन्तर्गत प्रेषित प्रत्येक रिपोर्ट पर लागू होंगे।

(3) इस नियम के अन्तर्गत सूचना देते समय आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि सन्दर्भित अन्तरण इस संहिता की धारा 89 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन जहां पर ऐसी घोषणा विलेख में की गयी है, वहां पर इस उपनियम के अन्तर्गत शपथपत्र आवश्यक नहीं होगा।

(4) अन्तरण के आधार पर नामांतरण की रिपोर्ट प्रेषित करने वाला अन्तरिती समय-समय पर जारी शासनादेश द्वारा नियत नामांतरण शुल्क अदा करेगा।

उद्घोषणा का जारी किया जाना।
[धारा 35(1)]

34. (1) भूमि के अन्तरण के निम्न मामलों में, दाखिल खारिज किये जाने के पूर्व तहसीलदार आर0सी0 प्रपत्र-12 में एक उद्घोषणा करेगा :-

(क) धारा 33(2) (ख) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर।

(ख) धारा 33(3) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर जिसके अन्तर्गत वह प्रकरण भी है जहां पर उत्तराधिकार का दावा वसीयत के आधार पर किया गया हो।

(ग) धारा 34 के अन्तर्गत भूमि के अन्तरण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर।

(घ) धारा 36(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सूचित किये जाने पर।

(ड़) अन्य प्रकार से जहां कि अन्तरण अथवा उत्तराधिकार का तथ्य उसकी जानकारी में आये।

नोट – उद्घोषणा में सुनवाई की निर्धारित तिथि उसके जारी किये जाने के तीस दिनों से कम नहीं होगी।

(2) प्रत्येक उद्घोषणा सम्बन्धित गांव में डुग्गी पिटवाने के साथ उद्घोषित की जायेगी तथा उसकी प्रतियां तहसील तथा भूमि प्रबंधक समिति के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेंगी। तहसीलदार उन सभी व्यक्तियों को जो उस दाखिल खारिज में हितबद्ध दिखें तथा सह-खातेदारों को, यदि कोई हो, लिखित नोटिस देगा।

(3) यदि उद्घोषणा धारा 34 के अन्तर्गत वर्णित अन्तरण के आधार पर है तो उसकी प्रति अन्तरणकर्त्ता पर भी तामिल की जायेगी।

(4) उद्घोषणा जारी करने के पश्चात् तहसीलदार, दाखिल खारिज कार्य से सम्बन्धित रजिस्ट्रार कानूनगो से, विद्यमान प्रविष्टि की रिपोर्ट भी मांगेगा। रजिस्ट्रार कानूनगो खतौनी और नामांतरण रजिस्टर में विद्यमान प्रविष्टियों और नामांतरण में समाविष्ट अन्य विवरणों जिसके अन्तर्गत अन्तरित हित की प्रकृति व विस्तार तथा जोत के अन्य विवरण सम्मिलित हैं, के आधार पर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगा।

(5) उद्घोषणा में नियत तिथि के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होती है और रजिस्ट्रार कानूनगो की आख्या तथा अभिलेख पर

उपलब्ध सामग्री के परिशीलन से तहसीलदार का यह समाधान हो जाता है कि उत्तराधिकार अथवा अन्तरण के सम्बन्ध में दाया संहिता के प्रावधानों के अनुसार है तो वह धारा 36(2) एवं 89(2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुये नामांतरण का आदेश पारित करेगा और यह निर्देश देगा कि अधिकार अभिलेख तदनुसार संशोधित किये जांय।

(6) यदि नामांतरण का प्रकरण विवादित है तो तहसीलदार संक्षिप्त जांच के बाद सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विधि के उपबन्धों के अनुसार विवाद का विनिश्चय गुणदोष के आधार पर करेगा।

(7) तहसीलदार नामांतरण के अविवादित प्रकरण को उसके दर्ज किये जाने के दिनांक से पैंतालीस दिनों की अवधि के अन्दर और नामांतरण के विवादित प्रकरण को नब्बे दिनों के अवधि के अन्दर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के अन्तर्गत समाप्त नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा।

(8) दाखिल खारिज के सभी मामलों में इस आदेश को पारित करने वाला राजस्व अधिकारी अपने हस्तलेख में संक्षिप्तः यह अभिलिखित करेगा जिसे अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जाना है।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा सूचना (धारा 36)

35. (1) जहां किसी भूमि जिसके लिए इस संहिता के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख (खतौनी) बनाये जाते हैं, से सम्बन्धित दस्तावेज जैसा की धारा 36(1) में उल्लिखित है, रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत की जाती है तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इसकी सूचना उसके रजिस्ट्री के सात दिनों के अन्दर सम्बन्धित तहसीलदार को प्रदान करेगा।

(2) ऐसी सूचना **आर0सी0 प्रपत्र–13** में भेजी जायेगी।

किसी भूल अथवा लोप का सुधार (धारा 38)

36. (1) धारा 38(1) के अन्तर्गत उल्लिखित अधिकार अभिलेख (खतौनी), नक्शा, खसरा में किसी त्रुटि अथवा लोप हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले दुरूस्ती प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित तथ्य अन्तर्विष्ट होंगे–

(क) आवेदक का नाम, पितृत्व का नाम तथा पता।

(ख) वह दस्तावेज जिसकी दुरूस्ती आवेदन पत्र में चाही गई है।

(ग) उस भूमि का विस्तृत ब्यौरा जिसके सम्बन्ध में त्रुटि अथवा लोप सम्बन्धित है।

नत्थी (घ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-48 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-76-77 पर)

DistrictWise IHHLs CONSTRUCTION

Date-14-July-23

Sr. No.	District Name	Phase-1	Phase-2	
			TARGET	TOTAL PROGRESS
1	2	3	4	5
1	AGRA	326751	38840	15653
2	ALIGARH	313850	38677	16033
3	AMBEDKAR NAGAR	295946	35756	17832
4	AMETHI	314229	33737	15187
5	AMROHA	173206	24817	14293
6	AURAIYA	193912	27347	11353
7	AYODHYA	257227	33830	14919
8	AZAMGARH	587252	70447	36887
9	BAGPAT	59692	9910	2516
10	BAHRAICH	480299	61618	26870
11	BALLIA	416349	61592	32518
12	BALRAMPUR	292313	31236	12572
13	BANDA	209385	35355	14583
14	BARABANKI	464297	50869	24078
15	BAREILLY	299963	37411	17645
16	BASTI	362993	37025	15859
17	BHADOHI	225231	32180	21053
18	BIJNOR	233154	40054	22246
19	BUDAUN	363622	39485	18599
20	BULANDSHAHR	280253	36009	20397
21	CHANDAULI	286131	32801	16653
22	CHITRAKOOT	149238	18539	8160
23	DEORIA	363549	45506	24864
24	ETAH	219954	22216	12163
25	ETAWAH	179847	23757	10864
26	FARRUKHABAD	233704	28961	13841
27	FATEHPUR	372302	41366	19779
28	FIROZABAD	262820	27494	10054
29	GAUTAM BUDDHA NAGAR	15082	2055	726
30	GHAZIABAD	33319	7413	2463
31	GHAZIPUR	562108	62142	29841
32	GONDA	532996	55837	23311
33	GORAKHPUR	588910	63010	34024
34	HAMIRPUR	126520	21805	9601
35	HAPUR	53913	12445	5887
36	HARDOI	521852	59502	26106
37	HATHRAS	163134	17628	8453
38	JALAUN	212896	28092	15455
39	JAUNPUR	511067	67377	45002
40	JHANSI	168146	25153	11354

Sr. No.	District Name	Phase-1	Phase-2	
			TARGET	TOTAL PROGRESS
41	KANNAUJ	218984	24504	13324
42	KANPUR DEHAT	263393	41813	18783
43	KANPUR NAGAR	249997	29577	15440
44	KASGANJ	198686	22239	10571
45	KAUSHAMBI	216176	36955	15028
46	KUSHINAGAR	430442	48377	28795
47	LAKHIMPUR KHERI	582374	67382	34514
48	LALITPUR	193598	26904	14175
49	LUCKNOW	244898	24863	13135
50	MAHARAJGANJ	352330	56405	35943
51	MAHOBA	113917	17214	14332
52	MAINPURI	278993	31570	14136
53	MATHURA	237363	28053	14655
54	MAU	236558	24453	9880
55	MEERUT	118218	15070	5528
56	MIRZAPUR	287902	52259	26561
57	MORADABAD	221760	28476	16073
58	MUZAFFARNAGAR	131556	25298	11820
59	PILIBHIT	246703	34919	17700
60	PRATAPGARH	495924	72442	34949
61	PRAYAGRAJ	545136	122956	73244
62	RAE BARELI	427408	48330	26352
63	RAMPUR	200030	23102	11452
64	SAHARANPUR	221251	26242	11304
65	SAMBHAL	260604	30571	17054
66	SANT KABIR NAGAR	325707	34030	18649
67	SHAHJAHANPUR	380131	48563	22603
68	SHAMLI	59051	14404	7887
69	SHRAVASTI	164568	26614	12616
70	SIDDHARTHNAGAR	324374	39997	23986
71	SITAPUR	565995	61471	28468
72	SONBHADRA	306885	34084	12994
73	SULTANPUR	375668	37138	17629
74	UNNAO	341629	46161	27368
75	VARANASI	281027	35435	16044
	TOTAL	21806648	2777165	1392686

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजना में अब तक जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल अवमुक्त धनराशि
1	2	3
1	Agra	37270.43
2	Aligarh	32858.87
3	Ambedkar Nagar	36032.35
4	Amethi	39280.29
5	Amroha	19323.73
6	Auraiya	24307.07
7	Ayodhya	34090.09
8	Azamgarh	73481.68
9	Bagpat	8597.48
10	Bahraich	52456.16
11	Ballia	49553.01
12	Balrampur	36053.15
13	Banda	26196.19
14	Barabanki	56117.32
15	Bareilly	42124.60
16	Basti	41576.60
17	Bhadohi	25406.95
18	Bijnor	30051.14
19	Budaun	44391.93
20	Bulandshahr	31800.59
21	Chandauli	34405.55
22	Chitrakoot	18749.50
23	Deoria	45936.18
24	Etah	29108.11
25	Etawah	26002.38
26	Farrukhabad	26712.79
27	Fatehpur	43057.63
28	Firozabad	33050.31
29	G B Nagar	2647.54
30	Ghaziabad	5803.33
31	Ghazipur	55839.88
32	Gonda	61090.41
33	Gorakhpur	75972.36
34	Hamirpur	15688.50
35	Hapur	7041.56
36	Hardoi	59834.64
37	Hathras	21910.70
38	Jalaun	24391.08

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल अवमुक्त धनराशि
1	2	3
39	Jaunpur	66140.59
40	Jhansi	21359.52
41	Kannauj	28422.89
42	Kanpur Dehat	36043.67
43	Kanpur Nagar	31582.39
44	Kasganj	23466.71
45	Kaushambi	26063.76
46	KushiNagar	55311.55
47	Lakhimpur Khiri	67789.94
48	Lalitpur	22469.14
49	Lucknow	30159.60
50	Maharajganj	47798.13
51	Mahoba	15856.67
52	Mainpuri	34002.53
53	Mathura	26759.89
54	Mau	28762.94
55	Meerut	14091.36
56	Mirzapur	32019.72
57	Moradabad	27029.09
58	MuzaffarNagar	15232.08
59	Pilibhit	30172.74
60	Pratapgarh	66454.21
61	Prayagraj	61521.57
62	Rae Bareli	47994.20
63	Rampur	19721.32
64	Saharanpur	29965.64
65	Sambhal	32566.02
66	Sant Kabir Nagar	35747.11
67	Shahjahanpur	46477.78
68	Shamli	7998.14
69	Shravasti	22109.19
70	Siddharth Nagar	42331.80
71	Sitapur	67391.54
72	Sonbhadra	40246.53
73	Sultanpur	46396.92
74	Unnao	41785.25
75	Varanasi	35447.83
Total		2652902.04

नत्थी (ङ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-93 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-100-101 पर)

संख्या- 878 /छः-पु0-8-15-8004(103)/2014 T&C
लखनऊः दिनांकः 16 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरोत्तर उन्नत हो रही तकनीकी का लाभ उठाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस का कायाकल्प करने के उद्देश्य से वर्तमान समय में डायल 100, एकीकृत यातायात प्रबन्धन, स्मार्ट सिटी सर्विलांस, हाईवे पुलिस तथा कतिपय अन्य नागरिक केन्द्रित सेवायें संचालित की जा रही हैं तथा इन सेवाओं का धीरे-धीरे विस्तार करते हुए पूरे प्रदेश को आच्छादित करने का कार्य प्रगति पर है।

2- इन सेवाओं को निरन्तर सुव्यवस्थित, समन्वित एवं निर्बाध ढंग से संचालित करने हेतु इनको एक ही छतरी के नीचे लाने की आवश्यकता अनुभव की गई है। उत्तरोत्तर उन्नत हो रही तकनीकी का लाभ उठाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस का कायाकल्प करने के उद्देश्य से वर्तमान समय में डायल 100, एकीकृत यातायात प्रबन्धन, स्मार्ट सिटी सर्विलांस, हाईवे पुलिस तथा कतिपय अन्य नागरिक केन्द्रित सेवाओं का धीरे-धीरे विस्तार करते हुए पूरे प्रदेश को आच्छादित करने के उद्देश्य से एतद्द्वारा एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। उक्त प्रकोष्ठ Integrated Technology Enabled Citizen Centric Services (ITECCS) के नाम से जाना जायेगा।

3- यह प्रकोष्ठ यातायात निदेशालय का अंग होगा तथा इसके संचालन एवं पर्यवेक्षण का दायित्व अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात निदेशालय का होगा, जो अपने कार्यों के साथ-साथ इस प्रकोष्ठ का दायित्व भी संभालेंगे।

देवाशीष पण्डा
प्रमुख सचिव।

संख्या-878 उच0शि0(1)/छः-पु0-8-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सलाहकार, गृह विभाग (श्री वेंकट चंगावल्ली)।
2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त सचिव, गृह, उ0प्र0शासन।
5- अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात, उ0प्र0, लखनऊ।
6- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
8- कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,
(कमल किशोर श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी।

फैक्स/ई-मेल
संख्या-2510/छः-पु0-2-2015-1100(17)/15

प्रेषक,

देवाशीष पण्डा
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-2

लखनऊः दिनांकः 29 दिसम्बर, 2015

विषयः- प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्धन प्रणाली (पी0ई0एम0एस0) डायल-100 परियोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय आकस्मिकता की स्थिति में पूरे प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को उन्नत स्तर की पुलिस सेवायें तत्काल उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्धन प्रणाली (पी0ई0एम0एस0) डायल-100 परियोजना लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस परियोजना के अन्तर्गत किसी आकस्मिक स्थिति में प्रदेश के किसी भी स्थान से टेलीफोन, एस0एम0एस0 अथवा किसी अन्य संचार माध्यम से लखनऊ में स्थापित किये जा रहे केन्द्रीय मास्टर कोआर्डिनेशन सेन्टर के केन्द्र से सम्पर्क करने वाले नागरिकों को तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। यह केन्द्र पूरे वर्ष 24 घण्टे कार्य करेगा। केन्द्रीय मास्टर कोआर्डिनेशन सेन्टर में एक वृहद कौशल विकास एवं प्रक्रिया प्रशिक्षण केन्द्र भी होगा जो इस परियोजना के सभी श्रेणी के कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। केन्द्रीय मास्टर कोआर्डिनेशन सेन्टर पर संकलित होने वाले आंकड़ों के विश्लेषण एवं अनुसंधान के लिए एक विशिष्ट विश्लेषण एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जायेगी। केन्द्रीय मास्टर कोआर्डिनेशन सेन्टर की तरह जनपद आगरा तथा वाराणसी में दो उपकेन्द्र स्थापित किये जायेंगे, जो मुख्य केन्द्र के वैकल्पिक प्रतिबिम्ब केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के आमजन को आकस्मिकता की स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में 3200 चार पहिया वाहन (700 इनोवा एवं 2500 बोलेरो) एवं 1600 दोपहिया वाहनों की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक वाहन पर लगातार दो पुलिस कर्मी उपलब्ध रहेंगे।

3- प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्धन प्रणाली (पी0ई0एम0एस0) डायल-100 परियोजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु निम्नवत कार्यवाही की जायेगी:-

(अ) प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्धन प्रणाली (पी0ई0एम0एस0) डायल-100 परियोजना की लागत टेक्नालाजी एवं आपरेशनलाइजेशन, भूमि एवं भवन निर्माण की लागत को सम्मिलित

करते हुए रु0 23,25,33,00,000/- (रुपये तेइस अरब पच्चीस करोड़ तैंतीस लाख मात्र) की लागत होगी जिसका विवरण निम्नवत है:-

धनराशि करोड़ रुपये में

क्र0	मद	कैपेक्स	ओपेक्स					कुल धनराशि
		वर्ष 0	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5	
1	पीआरवी (पुलिस रेस्पान्स वेहिकल)	335.23	165.76	192.92	209.62	225.64	154.88	1284.05
2	टेक्नालाजी सल्यूशन	127.42	49.68	52.17	53.22	54.63	56.41	393.53
3	आईईसी (इन्फारमेशन एजूकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन)		32.85	2.82	2.82	2.82	2.82	44.13
4	ट्रेनिंग कास्ट (पीआईसीसी)		33.93	37.33	41.06	45.16	49.68	207.16
5	मैनपावर कास्टस् (आईटीईसीसीएस, आगरा, वाराणसी)		21.82	23.99	26.23	29.01	31.74	132.79
6	आपरेशन आफ आईटीईसीसीएस		5.91	6.50	7.15	7.86	8.65	36.07
7	आपरेशन आफ ओएमसी आगरा		0.40	0.44	0.49	0.54	0.59	2.46
8	आपरेशन आफ ओएमसी वाराणसी		0.40	0.44	0.49	0.54	0.59	2.46
	योग-	462.65	310.75	316.61	341.08	366.20	305.36	2102.65
							कन्टिनजेन्सी	21.03
							कुल योग-	2123.68
							भूमि की लागत	134.17
							भवन निर्माण की लागत	67.48
							परियोजना की कुल लागत	2325.33

(ब) उपरोक्तानुसार अनुमोदित लागत के अनुसार आपके पत्र संख्या-आधु0सेल-68-2015 दिनांक 03.09.2015 के साथ उपलब्ध करायी गयी प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्धन प्रणाली (पी0ई0एम0एस0) डायल-100 परियोजना की टेक्नालाजी एवं आपरेशनलाइजेशन से सम्बन्धित विस्तृत परियोजना आख्या (डी0पी0आर0) पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इस सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत विश्लेषण की प्रति संलग्न है।

(स) इस परियोजना का संचालन एवं पर्यवेक्षण कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16 अप्रैल, 2015 द्वारा गठित Integrated Technology Enabled Citizen Centric Sevices (ITECCS) प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा। इस परियोजना हेतु पुलिस बल में उपलब्ध अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर एवं व्यवसायिक रूप से दक्ष व्यक्तियों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से तैनात किया जायेगा।

(ट) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सेवा प्रदाताओं का चयन खुलेपन वित्तीय नियमों के अनुसार पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा खुली निविदा के आधार पर किया जायेगा। क्रय समिति स्वतंत्र रूप से निविदाओं का मूल्यांकन करेगी।

(ठ) इस परियोजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु टेक्नालाजी एवं आपरेशनलाइजेशन से सम्बन्धित समस्त कार्य खुली पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के आधार पर ही किये जायेंगे। इस कार्य हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सभी क्रय प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

(ड) इस परियोजना पर प्रतिवर्ष होने वाले व्यय के सापेक्ष होने वाले इम्पैक्ट को थर्ड पार्टी से समवर्ती मूल्यांकन (Concurrent Evaluation) कराया जायेगा। समवर्ती मूल्यांकन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से थर्ड पार्टी का चयन किया जायेगा।

(ढ) इस परियोजना की सम्पूर्ण प्रक्रिया की निगरानी हेतु पृथक से थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग कराये जाने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से थर्ड पार्टी का चयन किया जायेगा।

(ण) डायल-100 सेवा से अग्निशमन सेवाओं को एकीकृत किया जायेगा।

(श) परियोजना को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में निम्नवत एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाती है:-

1.	पुलिस महानिदेशक, ए0प्र0-	अध्यक्ष
2.	अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात-	सदस्य संयोजक
3.	अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था-	सदस्य-सह संयोजक
4.	अपर पुलिस महानिदेशक दूरसंचार-	सदस्य
5.	अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय-	सदस्य
6.	अपर पुलिस महानिदेशक अग्निशमन सेवायें-	सदस्य
7.	अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें-	सदस्य
8.	अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक-	सदस्य
9.	अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण-	सदस्य
10.	प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम-	सदस्य

(क) श्री वेंकट चन्नावल्ली, सलाहकार, गृह विभाग समिति को यथावश्यक सलाह प्रदान करेंगे।

(ख) कन्सलटेन्ट मे0 अर्नेस्ट एण्ड यंग, एल0एल0पी0 द्वारा समिति को यथावश्यक सहायता प्रदान की जायेगी।

उक्त उच्च स्तरीय समिति के दायित्व निम्नानुसार होंगे :-

(i) परियोजना के संचालन एवं क्रियान्वयन संबंधी मार्ग निर्देश/नीति निर्धारण।

(ii) परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विभिन्न इकाईयों से समन्वय एवं प्रगति अनुश्रवण।

(iii) परियोजना के लिए संगठन, मानव संसाधनों का चयन, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए मार्ग दर्शन।

(iv) नेतृत्व विकास की संस्थागत व्यवस्थायें किये जाने हेतु मार्ग दर्शन।

(v) सार्थक शोध एवं विश्लेषण तथा आवश्यकतानुसार प्रकाशन हेतु मार्ग दर्शन।

(vi) नागरिकों को स्थलीय आपातकालीन सेवायें प्रदान किये जाने हेतु प्रभावी एवं वक्त प्रक्रियाओं के निर्धारण के लिए मार्ग दर्शन।

(vii) परियोजना के लिए आवश्यक संसाधन जैसे वाहन, तकनीकी, उपकरण, साफ्टवेयर एवं कार्यालयीय आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु मार्ग दर्शन।

(viii) प्रायोजना के पर्यवेक्षण का कार्य।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(देवाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तद्दैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. श्री वेंकट चंगावल्ली, सलाहकार गृह विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
8. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. अपर पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. अपर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
14. अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
16. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड।
17. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
18. मे0 अर्नेस्ट एण्ड यंग, एल0एल0पी0 द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
19. वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-12/ गृह (पुलिस) अनुभाग-7।
20. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
21. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
22. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
23. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

नत्थी (च)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-106 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-108 पर)

वित्त-I खण्ड द्वितीय पत्र 2023 के प्रथम पंचसप्ताह के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-106 का जनपदवार विवरण

क्रमांक	जनपद	मुख्यालय स्तर से की गई सम्बद्धता	क्षेत्र/परिक्षेत्र स्तर से की गई सम्बद्धता	कुल योग
1	आगरा कमिश्नरेट	0	0	0
2	मथुरा	0	0	0
3	फिरोजाबाद	0	0	0
4	मैनपुरी	0	0	0
5	अलीगढ़	0	0	0
6	एटा	0	0	0
7	हाथरस	0	0	0
8	कासगंज	0	0	0
9	लखनऊ कमिश्नरेट	14	0	14
10	रायबरेली	0	1	1
11	उन्नाव	0	1	1
12	हरदोई	0	2	2
13	सीतापुर	0	1	1
14	खीरी	0	1	1
15	लखीमपुर	0	1	1
16	बाराबंकी	0	2	2
17	फूलपुर	0	0	0
18	अम्बेडकर नगर	0	0	0
19	अमेठी	0	0	0
20	कानपुर नगर कमिश्नरेट	0	0	0
21	कानपुर देहात	0	0	0
22	इटावा	3	0	3
23	औरैया	0	0	0
24	कन्नौज	0	0	0
25	फर्रुखाबाद	0	0	0
26	झाँसी	0	0	0
27	ललितपुर	0	0	0
28	जालौन	0	0	0
29	बरेली	0	0	0
30	बदायूं	0	0	0
31	पीलीभीत	0	0	0
32	शाहजहाँपुर	0	0	0
33	मुरादाबाद	0	0	0
34	बिजनौर	0	0	0
35	अमरोहा	0	0	0
36	रामपुर	0	0	0

वित्त वर्ष वित्तीय वर्ष 2023 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-106 का जनपदवार विवरण

क्रमांक	जनपद	मुख्यालय स्तर पर की गई सम्बद्धता	क्षेत्र/परिक्षेत्र स्तर पर की गई सम्बद्धता	कुल योग
1	आगरा कमिश्नरेट	0	0	0
2	मथुरा	0	0	0
3	फिरोजाबाद	0	0	0
4	मैनपुरी	0	0	0
5	अलीगढ़	0	0	0
6	एटा	0	0	0
7	हाथरस	0	0	0
8	कासगंज	0	0	0
9	लखनऊ कमिश्नरेट	14	0	14
10	बाराबंकी	0	1	1
11	उन्नाव	0	1	1
12	रायबरेली	0	2	2
13	सीतापुर	0	1	1
14	खीरी	0	1	1
15	हरदोई	0	1	1
16	बाराबंकी	0	2	2
17	सुलतानपुर	0	0	0
18	अम्बेडकर नगर	0	0	0
19	अमेठी	0	0	0
20	कानपुर नगर कमिश्नरेट	0	0	0
21	कानपुर देहात	0	0	0
22	इटावा	3	0	3
23	औरैया	0	0	0
24	कन्नौज	0	0	0
25	फर्रुखाबाद	0	0	0
26	झाँसी	0	0	0
27	ललितपुर	0	0	0
28	जालौन	0	0	0
29	बाँदा	0	0	0
30	चित्रकूट	0	0	0
31	सीतापुर	0	0	0
32	शाहजहाँपुर	0	0	0
33	मुरादाबाद	0	0	0
34	बिजनौर	0	0	0
35	अमरोहा	0	0	0
36	रामपुर	0	0	0

नत्थी (छ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-137 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-129 पर)

OFFICE OF THE ASSISTANT ENGINEER (DISTT.LAB)
Const. Divi. No. 2 (PP), PWD, Bareilly

Letter No. ..../Lab/2022-23 Date 14-12-2022

To, Project manager UPRCL Bareilly

This is in reference of un-sealed/sealed samples/materials sent by JCM

Testing material Crusher Dust Vide your L. No. 691/RL-I/M Date 22.9.22 Name of Work Const. Road

S.No.	Comp. St in N/mm²	Remark
1.	165.57 N/mm²	12.0%
2.	134.36 N/mm²	14.96%
3.	155.56 N/mm²	13.78%
4.	142.93 N/mm²	11.91%
5.	145.97 N/mm²	13.92%
6.		
7.		

Testing material Crusher Dust (20mm) Vide your L. No. 691/RL-I/M Date 22.9.22 Name of Work Const. Road

S.No.	F.M.	Remark
1.	2.49	Graded
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Testing material Stone Dust (20mm) Vide your L. No. 691/RL-I/M Date 22.9.22 Name of Work Const. Road

S.No.	Comp. St in N/mm²	Remark
1.	49mm	100%
2.	20mm	81.08%
3.	10mm	1.19%
4.	4.75mm	0.86%
5.		
6.		
7.		

Name of Test Grading Analysis

S.No.	Sieve Size	Comp.	Remark
1.	40mm	100%	100%
2.	20mm	81.08%	85-100
3.	10mm	1.19%	0-20%
4.	4.75mm	0.86%	0-5%
5.			
6.			
7.			

Assistant Engineer
Const. Div. No. 2 (PP)
P.W.D., Bareilly

Letter No. ..... /Lab Date .....

Copy of Executive Engineer, Const. Divi. No. 2 (PP), PWD, Bareilly

Assistant Engineer
Const. Div. No. 2 (PP)
P.W.D., Bareilly

OFFICE OF THE ASSISTANT ENGINEER (DISTT.LAB)
Const. Divi. No. 2 (PP), PWD, Bareilly

Letter No. 263/22/272 /Lab /00324 Date 03-06-2023

To, Project Manager
U.P.P.C.L.
Bareilly

This is in reference of ~~un-sealed~~/sealed samples/materials sent by you

Testing material Brick (Second)
vide your L. No. 1237/Proj/22 Date 16-02-2023
Name of Work [illegible]

Name of Test Compressive Strength

S.No.	Comp. Strength/mm	Remark
1.	165.91 Kg/mm	13.3%
2.	171.61 Kg/mm	10.3%
3.	129.64 Kg/mm	15.6%
4.	150.00 Kg/mm	15.7%
5.	169.29 Kg/mm	9.76%
6.		
7.		

Testing material Coarse Sand
vide your L. No. 1237/Proj/22 Date 16-02-2023
Name of Work Same Work

Name of Test Fineness Modulus

S.No.	F.M	Remark
1.	2.23	Fine
2.		Acceptable
3.		as per IS 383
4.		
5.		
6.		
7.		

Testing material
vide your L. No. Date
Name of Work
Name of Test

S.No.		Remark
1.	—	—
2.	—	—
3.	—	—
4.	—	—
5.	—	—
6.	—	—
7.	—	—

आभारी कनपालय प्रयोगशाला
निर्माण खण्ड-2 (प.प.) बरेली

Assistant Engineer
Const. Div. No. 2 (PP)
P.W.D., Bareilly
03-6-23

Assistant Engineer
Const. Div. No. 2 (PP)
P.W.D., Bareilly

Letter No. ...../Lab Date .....

Copy of Executive Engineer, Const. Divi. No. 2 (PP), PWD, Bareilly

OFFICE OF THE ASSISTANT ENGINEER (DISTT.LAB)
Const. Divi. No. 2 (PP), PWD, Bareilly

Letter No. 263/72/272 /Lab/20324 Date 03-06-2023

To, Project Manager
U.P.P.C.L.
Bareilly

This is in reference of ~~un-sealed~~/sealed samples/materials sent by you

Testing material Brick (Common) vide your L. No. 1237/Pu/Div Date 16.02.2023
Name of Work ...

Name of Test Compressive Strength

S.No.	Comp. Strength	Remark
1.	165.91 Kg/cm²	13.3%
2.	171.61 Kg/cm²	10.3%
3.	129.64 Kg/cm²	15.6%
4.	150.00 Kg/cm²	15.7%
5.	169.29 Kg/cm²	9.76%
6.		
7.		

Testing material Course Sand vide your L. No. 1237/Pu/Div Date 16.02.2023
Name of Work Some Work

Name of Test Fineness Modulus

S.No.	F.M	Remark
1.	2.33	Fine
2.		Zone-II
3.		as per IS 383
4.		
5.		
6.		
7.		

Testing material ...
vide your L. No. ... Date ...
Name of Work ...

Name of Test ...

S.No.	—	Remark
1.	—	—
2.	—	—
3.	—	—
4.	—	—
5.	—	—
6.	—	—
7.	—	—

सहायक अभियन्ता प्रयोगशाला
निर्माण खण्ड-2 (प.प.) लो०नि०वि०
बरेली

Assistant Engineer
Const. Div. No. 2 (PP)
P.W.D., Bareilly
03.06.23

Assistant Engineer
Const. Div. No. 2 (PP)
P.W.D., Bareilly

Letter No. .../Lab Date ...

Copy of Executive Engineer, Const. Divi. No. 2 (PP), PWD, Bareilly

नत्थी (ज)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-139 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-130 पर)

स0 - 1220/ 1087-9-2021
वि0सभा अतारांकित प्रश्न सं0–139

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–12, लखनऊ।

सेवा में,

विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन,
राजस्व अनुभाग–09,
लखनऊ।

संख्याः अ-1220/12–14(वि0स0प्र0)/2023, दिनांकः 3-8-2023

विषयः विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री जगदीश नरायण, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–139 का उत्तरालेख/अनुपूरक सामग्री उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–वि0स0प्र0–14/एक–9–2023, दिनांक 27–07–2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री जगदीश नरायण, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–139 का उत्तरालेख अनुपूरक सामग्री सहित उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2– उक्त अतारांकित प्रश्न संख्या–139 का उत्तरालेख निम्नवत है–

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बैनामों के दाखिल–खारिज की प्रकिया क्या है?	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निबंधन कार्यालय से बैनामा विलेख सम्बन्धित तहसीलदार के न्यायालय में ऑनलाइन प्राप्त होने पर बैनामों के दाखिल–खारिज की कार्यवाही उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की संगत धाराओं(धारा–34 व 35) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के संगत नियमों(नियम–33 व 34) के अंतर्गत की जाती है।
क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो राजस्व मामले विवाद (विहीन) हैं, उनके नामान्तरण के लिए सक्षम अधिकारी किसे नामित किया गया है?	उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम–34(7) के अंतर्गत अविवादित नामांतरण के वादों के निस्तारण के लिए तहसीलदार को सक्षम अधिकारी नामित किया गया है।
क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?	जी हां, विवरण संलग्न है।
यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न ही नहीं उठता।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

अनुपूरक सामग्रीः उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा–34 एवं 35 तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 33 एवं 34 की प्रति संलग्न।

संलग्नकःयथोक्त

भवदीय,

02/08/23
(अनिल कुमार यादव)
अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्त।

प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार यादव)
अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006

(उ0प्र0 अधि0 संख्या 8, वर्ष 2012)

[उ.प्र. राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथा संशोधित]

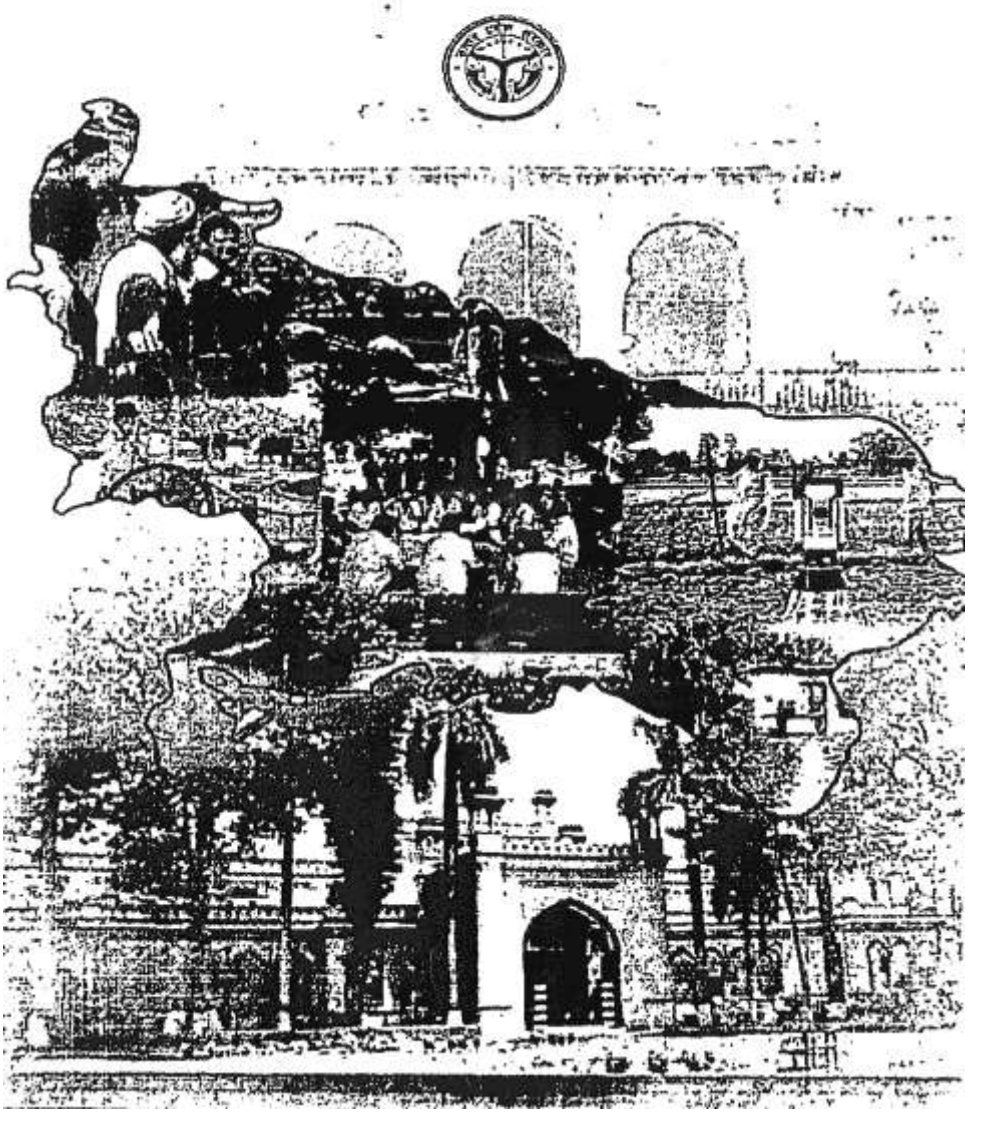

अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़े, अभिलिखित करेगा और उनमें किन्हीं ऐसी गलतियों को ठीक करेगा जिनके बारे में यह साबित हो जाए कि वह पहले तैयार किए गए अभिलेख में की गयी थीं;

परन्तु यह कि नक्शा में संशोधन का आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन गलतियों को ठीक करने के लिए कोई आवेदन, जहां दावा एक मात्र कब्जे पर आधारित हो और उसमें हक का जटिल प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, रखे जाने योग्य नहीं होगा।

33 **उत्तराधिकार के मामलों में नामान्तरण**–(1) उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस हलके के, जिसमें भूमि स्थित है, राजस्व निरीक्षक को ऐसे उत्तराधिकार के संबंध में यथाविहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उसके संज्ञान में अन्यथा तथ्य आने पर राजस्व निरीक्षक–

(क) यदि मामला विवादग्रस्त नहीं है तो ऐसे उत्तराधिकार को अधिकार अभिलेख (खतौनी) में अभिलिखित करेगा ;

(ख) किसी अन्य मामले में ऐसी जांच करेगा जैसी उसे आवश्यक प्रतीत हो और वह अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा ;

(3) कोई व्यक्ति जिसका नाम राजस्व निरीक्षक द्वारा अभिलिखित न किया गया हो या जो उपधारा (2) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किए गए आदेश द्वारा व्यथित हो, वह तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(4) इस धारा के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होंगे जिसे इस संहिता के उपबन्धों या इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमन के अनुसार भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा असंक्रमणीय अधिकारयुक्त या असामी स्वीकार किया गया हो।

34 **अन्तरण के मामलों में रिपोर्ट करने का कर्तव्य**–(1) धारा 33 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी अन्तरण से भिन्न अन्तरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अन्तरण की रिपोर्ट उस तहसील के तहसीलदार को विहित रीति से देगा जिसमें भूमि स्थित है।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द 'अन्तरण' के अन्तर्गत कोई पारिवारिक बन्दोबस्त भी है।

(2) राज्य सरकार इस अध्याय के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख में अन्तरण के आधार पर प्रविष्टि कराने के लिए शुल्क का मानक नियत कर सकती है। ऐसी किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में देय शुल्क का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसके पक्ष में प्रविष्टि की जानी है।

35 **अन्तरण के मामलों में नामान्तरण**–(1) धारा 33 या धारा 34 के अधीन किसी रिपोर्ट या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार एक उद्घोषणा जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसी आवश्यक प्रतीत हो, और–

(क) यदि मामला विवादित नहीं है तो वह अधिकार अभिलेख (खतौनी) को तदनुसार संशोधित करने

का निदेश देगा;

(ख) 'निरसित'

(ग) यदि मामला विवादित है तो वह विवाद का निपटारा करेगा और अधिकार अभिलेख (खतौनी) को तदनुसार, यदि आवश्यक हो, संशोधित करने का निदेश देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उप ज़िलाधिकारी को अपील कर सकता है।

36 **अन्तरण की सूचना और भू-राजस्व जमा करना**–(1) धारा 34 में किसी बात के होते हुए भी, जहां भूमि पर किसी हक या भार को बनाने, समनुदेशित करने या निर्वापित करने के लिए या जिसके सम्बन्ध में अधिकार अभिलेख (खतौनी) बनाने के लिए तात्पर्यित कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराया गया है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उस तहसीलदार को, जिसकी अधिकारिता में यह भूमि स्थित है, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी समय सीमा में, जैसी विहित की जाए, सूचना भेजेगा।

(2) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, धारा 32 के अधीन अभिलेखों के सुधार के लिए कोई आदेश और धारा 33 के अधीन उत्तराधिकार अभिलिखित करने के लिए कोई आदेश और धारा 35 के अधीन अधिकार अभिलेख (खतौनी) में कोई संशोधन और धारा 38 के अधीन कोई सुधार तब तक अभिलिखित नहीं किया जायेगा जब तक कि उस भूमि, जिससे ऐसा आदेश संबंधित है, के सम्बन्ध में अद्यतन देय भू-राजस्व की धनराशि जमा न कर दी जाये।

37 **कतिपय वादों का विवर्जन**– उत्तराधिकार या अन्तरण द्वारा किसी भूमि का कब्जा प्राप्त करने के किसी व्यक्ति के आवेदन पर किसी राजस्व न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक कि उसने यथास्थिति धारा 33 या धारा 34 के अधीन रिपोर्ट न की हो।

38 **गलती और लोप का सुधार**–(1) नक्शा, खसरा या अधिकार अभिलेख (खतौनी) में किसी गलती और लोप के सुधार के लिए प्रार्थना-पत्र तहसीलदार को विहित रीति से दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर या अन्यथा उसकी जानकारी में प्राप्त किसी गलती या लोप पर, तहसीलदार ऐसी जाँच करेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और नक्शा में संशोधन सम्बन्धी मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ कलेक्टर को तथा अन्य संशोधन सम्बन्धी मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ उप ज़िलाधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।

(3) कलेक्टर या उप ज़िलाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अपने समक्ष दाखिल या तहसीलदार के समक्ष दाखिल किसी आपत्ति एवं प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात मामले का निर्णय किया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर या उप ज़िलाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आयुक्त को ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है और आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

(5) नक्शा, खसरा या अधिकार अभिलेख (खतौनी) की कोई फर्जी या छलसाधित प्रविष्टि को इस धारा के

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016

(3) स्थलीय जांच और सूचना की विषय वस्तु का सत्यापन करने के उपरान्त यदि राजस्व निरीक्षक इससे सन्तुष्ट है कि उत्तराधिकार या भूमि पर प्रवेश के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा उत्तराधिकार एवं भूमि में प्रवेश इस संहिता के प्राविधानों के अनुरूप है, तब वह दाखिल खारिज के लिए आदेश अपने पूर्ण हस्ताक्षर व दिनांक सहित पारित करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि राजस्व निरीक्षक अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 36(2) के प्राविधानों का पालन कर लिया गया है।

(4) राजस्व निरीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि यथा संशोधित अधिकार अभिलेख (खतौनी) की प्रमाणित प्रति उस व्यक्ति को उपलब्ध करा दी गयी है जिसके पक्ष में दाखिल खारिज का आदेश पारित किया गया है।

(5) इस नियम के प्राविधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जहां उत्तराधिकार का दावा किसी वसीयत के आधार पर किया गया हो।

विवादित उत्तराधिकार (धारा 35)

32. नियम 30 के अन्तर्गत जांच के दौरान जब राजस्व निरीक्षक यह पाता है कि जहां उत्तराधिकार अथवा भूमि में प्रवेश के सम्बन्ध में विवाद है अथवा ऐसा दावा किसी वसीयत के आधार पर किया गया है, तब ऐसे किसी विवाद की प्रकृति अथवा ऐसी किसी वसीयत को क्रियान्वित करने से सम्बन्धित तथ्यों को जांच करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा।

अन्तरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट (धारा 34)

33. (1) धारा 34 में वर्णित अन्तरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से प्रत्येक रिपोर्ट यथा सम्भव शीघ्र आर0सी0 प्रपत्र–11 में की जायेगी।

(2) नियम 29 के उपनियम (3) लगायत (6) के प्राविधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस नियम के अन्तर्गत प्रेषित प्रत्येक रिपोर्ट पर लागू होंगे।

(3) इस नियम के अन्तर्गत सूचना देते समय आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि सन्दर्भित अन्तरण इस संहिता की धारा 89 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन जहां पर ऐसी घोषणा विलेख में की गयी है, वहां पर इस उपनियम के अन्तर्गत शपथपत्र आवश्यक नहीं होगा।

(4) अन्तरण के आधार पर नामांतरण की रिपोर्ट प्रेषित करने वाला अन्तरिती समय-समय पर जारी शासनादेश द्वारा नियत नामांतरण शुल्क अदा करेगा।

उद्घोषणा का जारी किया जाना।
[धारा 35(1)]

34. (1) भूमि के अन्तरण के निम्न मामलों में, दाखिल खारिज किये जाने के पूर्व तहसीलदार आर0सी0 प्रपत्र-12 में एक उदघोषणा करेगा :-

(क) धारा 33(2) (ख) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर।

(ख) धारा 33(3) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर जिसके अन्तर्गत यह प्रकरण भी है जहां पर उत्तराधिकार का दावा वसीयत के आधार पर किया गया हो।

(ग) धारा 34 के अन्तर्गत भूमि के अन्तरण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर।

(घ) धारा 36(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सूचित किये जाने पर।

(ङ) अन्य प्रकार से जहां कि अन्तरण अथवा उत्तराधिकार का तथ्य उसकी जानकारी में आये।

नोट – उद्घोषणा में सुनवाई की निर्धारित तिथि उसके जारी किये जाने के तीस दिनों से कम नहीं होगी।

(2) प्रत्येक उद्घोषणा सम्बन्धित गांव में डुग्गी पिटवाने के साथ उद्घोषित की जायेगी तथा उसकी प्रतियां तहसील तथा भूमि प्रबंधक समिति के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेंगी। तहसीलदार उन सभी व्यक्तियों को जो उस दाखिल खारिज में हितबद्ध दिखें तथा सह-खातेदारों को, यदि कोई हो, लिखित नोटिस देगा।

(3) यदि उदघोषणा धारा 34 के अन्तर्गत वर्णित अन्तरण के आधार पर है तो उसकी प्रति अन्तरणकर्त्ता पर भी तामिल की जायेगी।

(4) उद्घोषणा जारी करने के पश्चात् तहसीलदार, दाखिल खारिज कार्य से सम्बन्धित रजिस्ट्रार कानूनगो से, विद्यमान प्रविष्टि की रिपोर्ट भी मांगेगा। रजिस्ट्रार कानूनगो खतौनी और नामांतरण रजिस्टर में विद्यमान प्रविष्टियों और नामांतरण में समाविष्ट अन्य विवरणों जिसके अन्तर्गत अन्तरित हित की प्रकृति व विस्तार तथा जोत के अन्य विवरण सम्मिलित हैं, के आधार पर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगा।

(5) उदघोषणा में नियत तिथि के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होती है और रजिस्ट्रार कानूनगो की आख्या तथा अभिलेख पर

उपलब्ध सामग्री के परिशीलन से तहसीलदार का यह समाधान हो जाता है कि उत्तराधिकार अथवा अन्तरण के सम्बन्ध में दावा संहिता के प्रावधानों के अनुसार है तो वह धारा 36(2) एवं 89(2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुये नामांतरण का आदेश पारित करेगा और यह निर्देश देगा कि अधिकार अभिलेख तद्नुसार संशोधित किये जांय।

(6) यदि नामांतरण का प्रकरण विवादित है तो तहसीलदार संक्षिप्त जांच के बाद सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विधि के उपबन्धों के अनुसार विवाद का विनिश्चय गुणदोष के आधार पर करेगा।

(7) तहसीलदार नामांतरण के अविवादित प्रकरण को उसके दर्ज किये जाने के दिनांक से पैंतालीस दिनों की अवधि के अन्दर और नामांतरण के विवादित प्रकरण को नब्बे दिनों के अवधि के अन्दर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के अन्तर्गत समाप्त नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा।

(8) दाखिल खारिज के सभी मामलों में इस आदेश को पारित करने वाला राजस्व अधिकारी अपने हस्तलेख में संक्षिप्तः यह अभिलिखित करेगा जिसे अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जाना है।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा सूचना
(धारा 36)

35. (1) जहां किसी भूमि जिसके लिए इस संहिता के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख (खतौनी) बनाये जाते है, से सम्बन्धित दस्तावेज जैसा की धारा 36(1) में उल्लिखित है, रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत की जाती है तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इसकी सूचना उसके रजिस्ट्री के सात दिनों के अन्दर सम्बन्धित तहसीलदार को प्रदान करेगा।

(2) ऐसी सूचना आर0सी0 प्रपत्र–13 में भेजी जायेगी।

किसी भूल अथवा लोप का सुधार
(धारा 38)

36. (1) धारा 38(1) के अन्तर्गत उल्लिखित अधिकार अभिलेख (खतौनी), नक्शा, खसरा में किसी त्रुटि अथवा लोप हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले दुरूस्ती प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित तथ्य अन्तर्विष्ट होंगे–

(क) आवेदक का नाम, पितृत्व का नाम तथा पता।

(ख) यह दस्तावेज जिसकी दुरूस्ती आवेदन पत्र में चाही गई है।

(ग) उस भूमि का विस्तृत ब्यौरा जिसके सम्बन्ध में त्रुटि अथवा लोप सम्बन्धित है।

नत्थी (झ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-140 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-131 पर)

चकबन्दी प्रकियाधीन ग्रामों का विवरण		
क्र0सं0	जनपद	ग्रामों की संख्या
1	मेरठ	10
2	बागपत	3
3	बुलन्दशहर	27
4	गाजियाबाद	7
5	हापुड़	15
6	गौतमबुद्धनगर	1
7	सहारनपुर	24
8	मुजफ्फरनगर	26
9	शामली	7
10	आगरा	9
11	मैनपुरी	10
12	मथुरा	2
13	फिरोजाबाद	17
14	अलीगढ़	8
15	एटा	41
16	कासगंज	24
17	हाथरस	12
18	बरेली	42
19	शाहजहांपुर	17
20	बदायूँ	48
21	पीलीभीत	24
22	मुरादाबाद	12
23	सम्भल	39
24	अमरोहा	8
25	बिजनौर	37
26	रामपुर	7
27	कानपुर नगर	22
28	कानपुर देहात	32
29	फर्रुखाबाद	14
30	कन्नौज	26
31	इटावा	8
32	औरैया	34
33	झांसी	3
34	जालौन	1
35	ललितपुर	80
36	चित्रकूट	64

37	हमीरपुर	23
38	महोबा	17
39	बाँदा	30
40	लखनऊ	7
41	उन्नाव	80
42	सीतापुर	32
43	रायबरेली	35
44	हरदोई	133
45	खीरी	8
46	प्रयागराज	64
47	कौशाम्बी	24
48	फतेहपुर	6
49	प्रतापगढ़	36
50	वाराणसी	8
51	चन्दौली	16
52	जौनपुर	53
53	गाजीपुर	15
54	मीरजापुर	74
55	सोनभद्र	3
56	भदोही	1
57	आजमगढ़	55
58	मऊ	18
59	बलिया	39
60	गोरखपुर	50
61	देवरिया	78
62	कुशीनगर	6
63	महाराजगंज	79
64	बस्ती	44
65	संतकबीरनगर	60
66	सिद्धार्थनगर	34
67	अयोध्या	9
68	अम्बेडकरनगर	5
69	बाराबंकी	28
70	सुल्तानपुर	15
71	अमेठी	54
72	गोण्डा	35
73	बलरामपुर	11
74	बहराइच	25
75	श्रावस्ती	5
	योग	2076

नत्थी (ञ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-143 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-132 पर)

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, पडरौना

प्राथमिक विद्यालयों का विवरण।

क्रमांक	न्याय पंचायत	प्राथमिक विद्यालय का नाम	यू डायस	अन्य विवरण
1	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथवि0 धर्मपुर खुर्द	09590105101	
2	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथवि0 धर्मपुर बुजुर्ग	09590106904	
3	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथवि0 भर टोली धर्मपुर बु0	09590106906	
4	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथवि0 पिपरा मौजरा धर्मपुर	09590106901	
5	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथवि0 करहिया हजारी पट्टी	09590104301	
6	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथवि0मठिया खुर्द यादव टोला	09590104303	
7	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथवि0 परसौना अहिर टोला	09590101504	
8	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथवि0 सोहनरिया	09590101501	
9	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथवि0 सुगही	09590104001	
10	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथविसुगही तिवारी टोला	09590105103	
11	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथवि0 डूमरगार	09590110001	
12	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथवि0 नटवा डूमरगार	09590110002	
13	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथवि0 सुगन मिसा का टोला	09590110004	
14	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथवि0 अहिर टोली डुमरगार	09590110006	
15	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथवि0 नौका टोला डुमरगार	09590110005	
16	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथवि0 गादह	09590113801	
17	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथवि0 गादह प्रीतम टोला	09590113802	
18	धर्मपुर बुजुर्ग	प्राथवि0 भिरवा सरकारी	09590110101	
19	बेलवा जंगल	प्राथवि0 बनबीरपुर	09590106401	
20	बेलवा जंगल	प्राथवि0 सेंगरिया लेखचाल टोला	09590106402	
21	बेलवा जंगल	प्राथवि0 गिरौली सिधुवा	09590103903	
22	बेलवा जंगल	प्राथवि0 मोहन पट्टी	09590116401	
23	बेलवा जंगल	प्राथवि0 बगाहीपट्टी सुखपुरा	09590103503	
24	बेलवा जंगल	प्राथवि0 खिरकिया नई बस्ती	09590106203	
25	बेलवा जंगल	प्राथवि0 खिरकिया नवीन	09590106202	
26	बेलवा जंगल	प्राथवि0 चौहान टोला जंगलघाट	09590101907	
27	बेलवा जंगल	प्राथवि0 बेलवा जंगल	09590101401	
28	बेलवा जंगल	प्राथवि0 फटनवार	09590116501	
29	बेलवा जंगल	प्राथवि0 मटिअरवा	09590116701	
30	बेलवा जंगल	प्राथवि0 जंगल चौरिया बेलवा ज0	09590115102	
31	बेलवा जंगल	प्राथवि0 मुसहर टोली बेलवा ज0	09590101407	
32	बलोचहां	प्राथवि0 बलोचहाँ	09590109401	
33	बलोचहां	प्राथवि0 कौडी	09590108701	
34	बलोचहां	प्राथवि0 मटिहनिया खुर्द	09590113701	
35	बलोचहां	प्राथवि0 मटिहनिया बुजुर्ग	09590100301	
36	बलोचहां	प्राथवि0 अहिरौली बुजुर्ग	09590114701	
37	बलोचहां	प्राथवि0 बेलवीं मिश्र	09590112203	
38	बलोचहां	प्राथवि0 पकाडी भूत टोला	09590103604	
39	बलोचहां	प्राथवि0 रामपुर	09590104401	
40	बलोचहां	प्राथवि0 सोहरौना	09590104601	

41	कोहरवलिया / कुबेरनाथ	प्राथवि० मोरचटिया	09590107102	
42	कोहरवलिया / कुबेरनाथ	प्राथवि० धनगढ़ छपरा	09590103801	
43	कोहरवलिया / कुबेरनाथ	प्राथवि० बेलवनिया चौहान टोला	09590116301	
44	कोहरवलिया / कुबेरनाथ	प्राथवि०बेलवनिया बाबू टोला	09590103807	
45	कोहरवलिया / कुबेरनाथ	प्राथवि० मड़रौंव	09590103802	
46	कोहरवलिया / कुबेरनाथ	प्राथवि० प्रान छपरा	09590103805	
47	कोहरवलिया / कुबेरनाथ	प्राथवि० बदलपट्टी	09590107101	
48	कोहरवलिया / कुबेरनाथ	प्राथवि० कुबेरनाथ	09590110701	
49	कोहरवलिया / कुबेरनाथ	प्राथवि० कोहरवलिया उ0	09590109201	
50	कोहरवलिया / कुबेरनाथ	प्राथवि० रिकटा कला	09590111601	
51	कोहरवलिया / कुबेरनाथ	प्राथवि० रिकटा छोटा	09590111604	
52	कोहरवलिया / कुबेरनाथ	प्राथवि० सहलवलिया	09590100901	
53	कोहरवलिया / कुबेरनाथ	प्राथवि० अन्हरीबारी	09590102801	
54	पिपरा जटामपुर	प्राथवि० बरवां कला	09590108601	
55	पिपरा जटामपुर	प्राथवि० सिहुली बरवा कला	09590108607	
56	पिपरा जटामपुर	प्राथवि० मिश्र पट्टी	09590113201	
57	पिपरा जटामपुर	प्राथवि० पिपरा जटामपुर	09590113301	
58	पिपरा जटामपुर	प्राथवि० नौका टोला पिपराजटामपुर	09590113303	
59	पिपरा जटामपुर	प्राथवि० भगड़ा पिपरासी	09590106101	
60	पिपरा जटामपुर	प्राथवि०नौका टोला भगड़ा पिपरासी	09590106102	
61	पिपरा जटामपुर	प्राथवि० पछरी गोलाई पट्टी	09590108501	
62	पिपरा जटामपुर	प्राथवि० पछरी बाबू टोला	09590115601	
63	पिपरा जटामपुर	प्राथवि० पचफेड़ा 2007	09590103102	
64	पिपरा जटामपुर	प्राथवि० पचफेड़ा शुक्ल पट्टी	09590103101	
65	पिपरा जटामपुर	प्राथवि० प्रधानपट्टी	09590106501	
66	पिपरा जटामपुर	प्राथवि० मंगलपुर नौतन हर्दी	09590106803	
67	पिपरा जटामपुर	प्राथवि० नौतन खास	09590106804	
68	पिपरा जटामपुर	प्राथवि० छरटिया नौतनहर्दी	09590106805	
69	पिपरासी	प्राथवि० बड़वलिया खुर्द	09590111701	
70	पिपरासी	प्राथवि० बड़वलिया बुजुर्ग	09590106301	
71	पिपरासी	प्राथवि० महुआ टोला	09590106302	
72	पिपरासी	प्राथवि० कल्याण छापर	09590108401	
73	पिपरासी	प्राथवि० पिपरा सुजान	09590111501	
74	पिपरासी	प्राथवि० बसन्तपुर पिपरासी	09590115301	
75	पिपरासी	प्राथवि० शिवपुर डीह	09590105801	
76	पिपरासी	प्राथवि० गगौली छोटा	09590101303	
77	सिधुआ बांगर	प्राथवि० बैजनाथपुर	09590112501	
78	सिधुआ बांगर	प्राथवि० बाबूपट्टी	09590112502	
79	सिधुआ बांगर	प्राथवि०बाबू टोला बैजनाथपुर	09590112504	
80	सिधुआ बांगर	प्राथवि० कोहड़ा	09590114001	
81	सिधुआ बांगर	प्राथवि० गाँठिया नरईपुर	09590101201	
82	सिधुआ बांगर	प्राथवि० सिधुआ बांगर भाठ	09590107302	
83	सिधुआ बांगर	प्राथवि० लक्ष्मीपुर सिधुआ भाठ	09590107306	
84	सिधुआ बांगर	प्राथवि० रहसू	09590100501	

85	सिधुआ बागर	प्राथमि0 खुदरा	09590102701	
86	सिधुआ बागर	प्राथमि0 बंजारा पट्टी	09590109001	
87	सिधुआ बागर	प्राथमि0 साढ़ी खुर्द	09590107901	
88	सिधुआ बागर	प्राथमि0 बंजारा पट्टी दक्षिणी	09590109002	
89	सिधुआ बागर	प्राथमि0 तिवारी टोला साढ़ी बु0	09590101703	
90	सिधुआ बागर	प्राथमि0 सोपरिया	09590107401	
91	सिधुआ बागर	प्राथमि0 दमवतिया	09590113501	
92	हरैया बुजुर्ग	प्राथमि0 बरहज	09590102301	
93	हरैया बुजुर्ग	प्राथमि0 हरैया बुजुर्ग	09590110401	
94	हरैया बुजुर्ग	प्राथमि0 हरैया खुर्द	09590112601	
95	हरैया बुजुर्ग	प्राथमि0 कसिया	09590105501	
96	हरैया बुजुर्ग	प्राथमि0 पकड़ी खुर्द	09590104201	
97	हरैया बुजुर्ग	प्राथमि0 बगटोलवा	09590103606	
98	हरैया बुजुर्ग	प्राथमि0 परसादपुर	09590112001	
99	हरैया बुजुर्ग	प्राथमि0 रसूलपुर	09590112301	
100	हरैया बुजुर्ग	प्राथमि0 हडैया खास	09590109601	
101	हरैया बुजुर्ग	प्राथमि0 चौबे टोला	09590112303	
102	हरैया बुजुर्ग	प्राथमि0 गंगरानी	09590105301	
103	हरैया बुजुर्ग	प्राथमि0 मिल्की	09590103301	
104	सखवनिया बुजुर्ग	प्राथमि0 सखवनिया बुजुर्ग	09590102001	
105	सखवनिया बुजुर्ग	प्राथमि0 खतरौली बाजार	09590104901	
106	सखवनिया बुजुर्ग	प्राथमि0 इन्द्रसेनवा	09590100601	
107	सखवनिया बुजुर्ग	प्राथमि0 ओझा टोला शिवपुर बु0	09590115501	
108	सखवनिया बुजुर्ग	प्राथमि0 शिवपुर बुजुर्ग	09590105401	
109	सखवनिया बुजुर्ग	प्राथमि0 नवीन भटवलिया	09590104101	
110	सखवनिया बुजुर्ग	प्राथमि0 वासुदेवपुर	09590102104	
111	सखवनिया बुजुर्ग	प्राथमि0 शिवराजपुर	09590100801	
112	सखवनिया बुजुर्ग	प्राथमि0 शिवराजपुर सखवनिया	09590102009	
113	सखवनिया बुजुर्ग	प्राथमि0 बगही टोला सखवनिया बु0	09590102011	
114	सखवनिया बुजुर्ग	प्राथमि0 लंगड़ी	09590116601	
115	सखवनिया बुजुर्ग	प्राथमि0 बड़या छापर	09590116901	
116	सखवनिया बुजुर्ग	प्राथमि0 खान टोला	09590102006	
117	सखवनिया बुजुर्ग	प्राथमि0 विशुनपुर सौचिया	09590112101	
118	सहुआडीह	प्राथमि0 खड़हा कली छापर	09590102601	
119	सहुआडीह	प्राथमि0 खड़हा बुजुर्ग	09590113101	
120	सहुआडीह	प्राथमि0 खड़हा बुजुर्ग खान टोला	09590113104	
121	सहुआडीह	प्राथमि0 कोइरी टोला	09590117001	
122	सहुआडीह	प्राथमि0 मेला नगरी	09590110901	
123	सहुआडीह	प्राथमि0 सहुआडीह	09590108901	
124	सहुआडीह	प्राथमि0 सुखसयलिया	09590112801	
125	सहुआडीह	प्राथमि0 बहादुरगंज	09590113001	
126	सहुआडीह	प्राथमि0 बन्धूछपर	09590108101	
127	सहुआडीह	प्राथमि0 भरवलिया	09590109101	
128	साखोपार	प्राथमि0 छोटका पिपरा	09590116801	

129	साखोपार	प्राथवि0 खरदेवा	09590108201	
130	साखोपार	प्राथवि0 नौका टोला बहोरापुर	09590101003	
131	साखोपार	प्राथवि0 कोइरी टोला बलरहवा	09590111003	
132	साखोपार	प्राथवि0 पिपरा तिवारी	09590109301	
133	साखोपार	प्राथवि0 रामडलिया	09590109501	
134	साखोपार	प्राथवि0 साखोपार	09590100201	
135	साखोपार	प्राथवि0 नोनिया टोला साखोपार	09590100204	
136	साखोपार	प्राथवि0 बरवा पट्टी	09590106704	
137	साखोपार	प्राथवि0 नरसर	09590107801	
138	सेमरा हर्दी	प्राथवि0 कटकुईया	09590104801	
139	सेमरा हर्दी	प्राथवि0 अधिकारी टोला	09590104806	
140	सेमरा हर्दी	प्राथवि0 मठिया टोला कटकुईया	09590104805	
141	सेमरा हर्दी	प्राथवि0 गुनाग्र पट्टी	09590104804	
142	सेमरा हर्दी	प्राथवि0 गंगा पट्टी सेमरा हर्दी	09590102903	
143	सेमरा हर्दी	प्राथवि0 धर्मपुर चौरिया	09590114401	
144	सेमरा हर्दी	प्राथवि0 अगर खाँ का टोला ज0 पकरडिया	09590107603	
145	सेमरा हर्दी	प्राथवि0 फकिरहवा दरोगा टोला	09590107604	
146	सेमरा हर्दी	प्राथवि0 खानुम टोला पकरडिया	09590107605	
147	सेमरा हर्दी	प्राथवि0 लक्ष्मीपुर	09590103001	
148	सेमरा हर्दी	प्राथवि0 लगखान	09590110301	
149	देवरिया पाण्डेय	प्राथवि0 माझी विशुनपुरा	09590105901	
150	देवरिया पाण्डेय	प्राथवि0 भिखवा लाला	09590107201	
151	देवरिया पाण्डेय	प्राथवि0 सिसवा मठिया	09590111301	
152	देवरिया पाण्डेय	प्राथवि0 सिसवा मठिया नवीन	09590111303	
153	देवरिया पाण्डेय	प्राथवि0नौका टोला सिसवा मठिया	09590111304	
154	देवरिया पाण्डेय	प्राथवि0 पगरा कुजुर्ग	09590103701	
155	देवरिया पाण्डेय	प्राथवि0 रतनवा	09590113601	
156	देवरिया पाण्डेय	प्राथवि0 रतनवा खास	09590116101	
157	देवरिया पाण्डेय	प्राथवि0 कोवल छपरा	09590114301	
158	देवरिया पाण्डेय	प्राथवि0 लमुहा कोदल छपरा	09590114302	
159	जंगल बकुलहां	प्राथवि0 नाहर छपरा पूर्वी	09590111901	
160	जंगल बकुलहां	प्राथवि0 ज0 कुरमाल	09590111903	
161	जंगल बकुलहां	प्राथवि0 जंगल चौरिया	09590102401	
162	जंगल बकुलहां	प्राथवि0कोवट टोली ज0 चौरिया	09590102403	
163	जंगल बकुलहां	प्राथवि0 जंगल जगदीशपुर	09590101802	
164	जंगल बकुलहां	प्राथवि0 मदरहवां	09590101801	
165	जंगल बकुलहां	प्राथवि0 भरपटिया जगदीशपुर	09590101804	
166	जंगल बकुलहां	प्राथवि0 यादव टोला ज0 जगदीशपुर	09590101806	
167	जंगल बकुलहां	प्राथवि0 नाहर छपरा पश्चिमी	09590102202	
168	जंगल बकुलहां	प्राथवि0 इनरहीं	09590102201	
169	जंगल बकुलहां	प्राथवि0 मुसहर टोली नाहरछपरा	09590115004	
170	जंगल बकुलहां	प्राथवि0 विशुनपुरा रामधाम	09590114601	
171	गुलेलहीं	प्राथवि0 पिपरा बसहिया	09590112704	
172	गुलेलहीं	प्राथवि0 बढ़ई टोला बसहिया	09590112705	

173	गुलेलहां	प्राथ0वि0 बढ़ई टोला बसहिया	09590112705	
174	गुलेलहां	प्राथ0वि0 कसाई टोला बसहिया	09590106405	
175	गुलेलहां	प्राथ0वि0 हिरनहाँ	09590114501	
176	गुलेलहां	प्राथ0वि0 हरखा घूरमल	09590110501	
177	गुलेलहां	प्राथ0वि0 राय्या डीह	09590110602	
178	गुलेलहां	प्राथ0वि0 चकिया	09590111101	
179	गुलेलहां	प्राथ0वि0 पिपरा शोभमल	09590108801	
180	गुलेलहां	प्राथ0वि0 अंचल पट्टी	09590114101	
181	गुलेलहां	प्राथ0वि0 लौरा खारा	09590108001	
182	गुलेलहां	प्राथ0वि0 गुलेलहाँ	09590112401	

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड विशुनपुरा-कुशीनगर

प्राथमिक विद्यालय का विवरण

क्रमांक	न्याय पं0	ग्राम पंचायत का नाम	विद्यालय का प्रकार	यू-डायस कोड	विद्यालय का नाम
1	चिरगोड़ा	चिरगोड़ा खास	प्रा0वि0	09591302101	प्रा0वि0 चिरगोड़ा
2	चिरगोड़ा	चिरगोड़ा खास	प्रा0वि0	09591306301	प्रा0वि0 सेवक छपरा
3	चिरगोड़ा	चिरगोड़ा खास	प्रा0वि0	09591302108	प्रा0वि0 राजेन्द्र नगर
4	चिरगोड़ा	पुर्नहा बुजुर्ग	प्रा0वि0	09591300401	प्रा0वि0 पुनर्हा बुजुर्ग
5	चिरगोड़ा	डुमरी सहोदरपटटी	प्रा0वि0	09591307901	प्रा0वि0 पर्वत छपरा
6	चिरगोड़ा	डुमरी सहोदरपटटी	प्रा0वि0	09591302401	प्रा0वि0 डुमरी
7	चिरगोड़ा	हिरनही	प्रा0वि0	09591305805	प्रा0वि0 हलुवईया पटटी
8	चिरगोड़ा	हिरनही	प्रा0वि0	09591308005	प्रा0वि0 धांगड़ टोला
9	चिरगोड़ा	किन्नरपटटी	प्रा0वि0	09591300901	प्रा0वि0 किन्नरपटटी
10	चिरगोड़ा	खेसिया	प्रा0वि0	09591300506	प्रा0वि0 मुसहरी टोला
11	चिरगोड़ा	खेसिया	प्रा0वि0	09591300502	प्रा0वि0 कन्या खेसिया
12	चिरगोड़ा	खेसिया	प्रा0वि0	09591300505	प्रा0वि0 खेसिया प0
13	चिरगोड़ा	खेसिया	प्रा0वि0	09591300510	प्रा0वि0 खाखर टोला
14	चिरगोड़ा	नन्दलाल छपरा	प्रा0वि0	09591306401	प्रा0वि0 नन्दलाल छपरा
15	चिरगोड़ा	नन्दलाल छपरा	प्रा0वि0	09591310301	प्रा0वि0 वृन्दावन
16	बलकुड़िया	बलकुड़िया	प्रा0वि0	09591302301	प्रा0वि0 बलकुड़िया
17	बलकुड़िया	बलकुड़िया	प्रा0वि0	09591302305	प्रा0वि0 माधोपुर
18	बलकुड़िया	बलकुड़िया	प्रा0वि0	09591302307	प्रा0वि0 चौरी टोला
19	बलकुड़िया	बिरईठ रामनगर	प्रा0वि0	09591304601	प्रा0वि0 बिरईठ
20	बलकुड़िया	नरचोचवां	प्रा0वि0	09591306901	प्रा0वि0 धर्मपुर
21	बलकुड़िया	नरचोचवां	प्रा0वि0	09591307105	प्रा0वि0 खाकी टोला
22	बलकुड़िया	नरचोचवां	प्रा0वि0	09591307106	प्रा0वि0 हरिजन ब0टो0 नर0
23	बलकुड़िया	दुबौली	प्रा0वि0	09591307001	प्रा0वि0 हजारीपट्टी
24	बलकुड़िया	दुबौली	प्रा0वि0	09591308101	प्रा0वि0 दुबौली
25	बलकुड़िया	बमनौली	प्रा0वि0	09591307401	प्रा0वि0 बमनौली
26	बलकुड़िया	पटेरहा खुर्द	प्रा0वि0	09591301001	प्रा0वि0 पटेरहा माधौ छपरा
27	बलकुड़िया	अकबरपुर	प्रा0वि0	09591304104	प्रा0वि0 हरिजन ब0प0टो0 अ0
28	बलकुड़िया	नरहरिया	प्रा0वि0	09591304801	प्रा0वि0 नरहरिया
29	बलकुड़िया	घूरछपरा	प्रा0वि0	09591301904	प्रा0वि0 मनिया छपरा
30	बलकुड़िया	घूरछपरा	प्रा0वि0	09591302801	प्रा0वि0 खोटही
31	बलकुड़िया	मठिया प्रसिद्ध तिवारी	प्रा0वि0	09591303301	प्रा0वि0 मठियां प्रसिद्ध तिवारी
32	बलकुड़िया	मठिया प्रसिद्ध तिवारी	प्रा0वि0	09591303304	प्रा0वि0 हरपुर
33	जटहां	जटहां बाजार	प्रा0वि0	09591306701	प्रा0वि0 जटहां बाजार
34	जटहां	जटहां बाजार	प्रा0वि0	09591306706	प्रा0वि0 छोटका जटहां
35	जटहां	जरार	प्रा0वि0	09591307603	प्रा0वि0 जरार पश्चिम
36	जटहां	कण्ठी छपरा	प्रा0वि0	09591306603	प्रा0वि0 दोपही

37	जटहां	पकहां	प्राथवि0	09591305001	प्राथवि0 पकहा पूर्वी
38	जटहां	एकवनही	प्राथवि0	09591309101	प्राथवि0 एकवनही उर्फ भागवतपुर
39	जटहां	एकवनही	प्राथवि0	09591309102	प्राथवि0 बेलहवां टोला
40	जटहां	पखनहा	प्राथवि0	09591309003	प्राथवि0 एकवनही खुर्द
41	जटहां	अहिरौली	प्राथवि0	09591307502	प्राथवि0 कनौरा
42	जटहां	मिश्रौली छपरा	प्राथवि0	09591300102	प्राथवि0 मिश्रौली छपरा
43	जटहां	सिसवां गोईती	प्राथवि0	09591302005	प्राथवि0 नोनिया पटटी
44	जटहां	सिसवां गोईती	प्राथवि0	09591302008	प्राथवि0 बिरबल छपरा
45	जटहां	गोइती बुजुर्ग	प्राथवि0	09591302001	प्राथवि0 सिसवां गोईती
46	जटहां	गोइती बुजुर्ग	प्राथवि0	09591308901	प्राथवि0 सबया आबादकारी
47	दान्दोपुर	दान्दोपुर	प्राथवि0	09591301802	प्राथवि0 दान्दोपुर
48	दान्दोपुर	दान्दोपुर	प्राथवि0	09591301801	प्राथवि0 कन्या दान्दोपुर
49	दान्दोपुर	बड़हरा	प्राथवि0	09591301201	प्राथवि0 बड़हरा
50	दान्दोपुर	सिरसियां दिक्षित	प्राथवि0	09591301401	प्राथवि0 सिरसियां दिक्षित
51	दान्दोपुर	मिश्रौली बाजार	प्राथवि0	09591300103	प्राथवि0 मिश्रौली बाजार
52	दान्दोपुर	मिश्रौली बाजार	प्राथवि0	09591300111	प्राथवि0 विश्राम पटटी
53	दान्दोपुर	पकड़ियार	प्राथवि0	09591308401	प्राथवि0 नौगावां
54	दान्दोपुर	पकड़ियार	प्राथवि0	09591306006	प्राथवि0 उपाध्याय छपरा
55	दान्दोपुर	पटेरहा मंगलपुर	प्राथवि0	09591303501	प्राथवि0 पटेरहा मंगलपुर
56	दान्दोपुर	बसडीला	प्राथवि0	09591303101	प्राथवि0 बराडीला
57	दान्दोपुर	कुकुरहां	प्राथवि0	09591303201	प्राथवि0 कुकुरहां
58	दान्दोपुर	कुकुरहां	प्राथवि0	09591303203	प्राथवि0 चक्रधर छपरा
59	परगन	परगन छपरा	प्राथवि0	09591300701	प्राथवि0 परगन मठियां
60	परगन	बघपरना	प्राथवि0	09591305505	प्राथवि0 बड़हरिया
61	परगन	रोआरी	प्राथवि0	09591306501	प्राथवि0 रोआरी
62	परगन	रोआरी	प्राथवि0	09591308503	प्राथवि0 दामोदरी रोआरी
63	परगन	रोआरी	प्राथवि0	09591306504	प्राथवि0 नरकटिया रोआरी
64	परगन	माघी मठिया	प्राथवि0	09591306101	प्राथवि0 माघी मठियां
65	परगन	मोतीपुर	प्राथवि0	09591309501	प्राथवि0 मोतीपुर
66	परगन	मोतीपुर	प्राथवि0	09591308501	प्राथवि0 विजयी छपरा
67	परगन	सेखुई छपरा	प्राथवि0	09591301501	प्राथवि0 सेखुई छपरा
68	परगन	भूईसोहरा	प्राथवि0	09591310401	प्राथवि0 भूईसोहरा
69	परगन	बाबूराम बेलवां	प्राथवि0	09591304903	प्राथवि0 सेमरा
70	परगन	माधेपुर गौजही	प्राथवि0	09591307201	प्राथवि0 रायगंज
71	सरपतही खुर्द	सरपतही खुर्द	प्राथवि0	09591305103	प्राथवि0 बहेरा
72	सरपतही खुर्द	जड़हां ढोरही	प्राथवि0	09591308701	प्राथवि0 जड़हां ढोरही
73	सरपतही खुर्द	मिठहां माफी	प्राथवि0	09591301701	प्राथवि0 पिपरा खुर्द
74	सरपतही खुर्द	पिपरा बुजुर्ग	प्राथवि0	09591305301	प्राथवि0 पिपरा बाजार
75	सरपतही खुर्द	पिपरा बुजुर्ग	प्राथवि0	09591305701	प्राथवि0 मुड़नुड़वां
76	सरपतही खुर्द	लीलाधर छपरा	प्राथवि0	09591305901	प्राथवि0 लीलाधर छपरा
77	सरपतही खुर्द	खजुरिया	प्राथवि0	09591303403	प्राथवि0 नोनिया टोला

78	सरपतही खुर्द	खजुरिया	प्राथवि0	09591303407	प्राथवि0 चौरी टोला
79	सरपतही खुर्द	खजुरिया	प्राथवि0	09591303406	प्राथवि0 पुरन्दर छपरा
80	सरपतही खुर्द	बहोरा रामनगर	प्राथवि0	09591304401	प्राथवि0 बहोरा छपरा
81	धौरहरा	धौरहरा	प्राथवि0	09591303901	प्राथवि0 धौरहरा खास
82	धौरहरा	धौरहरा	प्राथवि0	09591303904	प्राथवि0 सरपंच टोला
83	धौरहरा	बिन्दवलिया	प्राथवि0	09591302601	प्राथवि0 बिन्दवलिया
84	धौरहरा	त्रिलोकेपुर बुजुर्ग	प्राथवि0	09591300301	प्राथवि0 त्रिलोपुर बुजुर्ग
85	धौरहरा	त्रिलोकपुर खुर्द	प्राथवि0	09591307801	प्राथवि0 त्रिलोकपुर खुर्द
86	धौरहरा	गम्भीरिया	प्राथवि0	09591305601	प्राथवि0 गम्भीरिया
87	धौरहरा	सोहरौना	प्राथवि0	09591300201	प्राथवि0 सोहरौना
88	धौरहरा	जंगल सिंगापटटी	प्राथवि0	09591302504	प्राथवि0 सिंगापटटी खास
89	धौरहरा	जंगल सिंगापटटी	प्राथवि0	09591302509	प्राथवि0 करमहवा दक्षिण टोला
90	धौरहरा	जंगल सिंगापटटी	प्राथवि0	09591302510	प्राथवि0 बांसी टोला
91	धौरहरा	जंगल शाहपुर	प्राथवि0	09591308801	प्राथवि0 भेड़ियारी टोला
92	धौरहरा	जंगल शाहपुर	प्राथवि0	09591301603	प्राथवि0 जंगल शाहपुर मु0 टोली
93	धौरहरा	जंगल शाहपुर	प्राथवि0	09591301606	प्राथवि0 प्रमुख टोला
94	धौरहरा	जंगल शाहपुर	प्राथवि0	09591301605	प्राथवि0 बेलवानी टोला
95	धौरहरा	जंगल शाहपुर	प्राथवि0	09591301607	प्राथवि0 कटनवार जमीन टोला
96	बबुईयां हरपुर	बुबईयां हरपुर	प्राथवि0	09591308602	प्राथवि0 भेड़ियारी
97	बबुईयां हरपुर	मनिकौरा	प्राथवि0	09591309401	प्राथवि0 गोलाघाट
98	बबुईयां हरपुर	मनिकौरा	प्राथवि0	09591307303	प्राथवि0 मनिकौरा खटिक टोला
99	बबुईयां हरपुर	मनिकौरा	प्राथवि0	09591307304	प्राथवि0 बाजार टोला
100	बबुईयां हरपुर	चैती मुसहरी	प्राथवि0	09591303004	प्राथवि0 नौका टोला
101	बबुईयां हरपुर	चैती मुसहरी	प्राथवि0	09591303003	प्राथवि0 विशुनपुरा खुर्द
102	बबुईयां हरपुर	चैती मुसहरी	प्राथवि0	09591303005	प्राथवि0 चैती खास
103	बबुईयां हरपुर	अरनहवां	प्राथवि0	09591302703	प्राथवि0 जंगल टोला
104	बबुईयां हरपुर	मुजाहिदा खास	प्राथवि0	09591301101	प्राथवि0 मुजाहिदा खास
105	बबुईयां हरपुर	मुजाहिदा खास	प्राथवि0	09591301102	प्राथवि0 कुड़िया टोला
106	बबुईयां हरपुर	माधी कोठीलवा	प्राथवि0	09591306104	प्राथवि0 माधी कोठिलवां उत्तरी
107	बबुईयां हरपुर	माधी कोठीलवा	प्राथवि0	09591309201	प्राथवि0 बलुआ धूमनगर
108	बबुईयां हरपुर	पड़री पिपरपांती	प्राथवि0	09591303801	प्राथवि0 पिपरासी पिपरपांती
109	बबुईयां हरपुर	पड़री पिपरपांती	प्राथवि0	09591310003	प्राथवि0 नौगांवा
110	बबुईयां हरपुर	सोनवल	प्राथवि0	09591307703	प्राथवि0 सोनवल पश्चिम
111	बबुईयां हरपुर	सोनवल	प्राथवि0	09591307705	प्राथवि0 मन्नी टोला
112	बबुईयां हरपुर	बेतिया	प्राथवि0	09591303703	प्राथवि0 ठोरी माड़
113	बबुईयां हरपुर	चिरईहवां	प्राथवि0	09591302902	प्राथवि0 सिसहन चिरइहवां
114	बबुईयां हरपुर	चिरईहवां	प्राथवि0	09591302904	प्राथवि0 रामहरख टोला

नत्थी (ट)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-144 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-133 पर)

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (2018-19 to 2022-23)			23/03/2023	
क्र०सं०	जनपद का नाम	लक्ष्य	पूर्णता	लक्ष्य और पूर्णता का अन्तर
	योग	**161900**	**119603**	**42297**
1	आगरा	229	161	**68**
2	अलीगढ	14	0	**14**
3	अम्बेडकर नगर	2557	1306	**1251**
4	अमेठी	5980	3678	**2302**
5	अमरोहा	20	11	**9**
6	औरैया	525	266	**259**
7	अयोध्या	1901	1413	**488**
8	आजमगढ़	5544	4703	**841**
9	बागपत	0	0	**0**
10	बहराइच	2513	2165	**348**
11	बलिया	1720	1410	**310**
12	बलरामपुर	1369	1025	**344**
13	बांदा	916	442	**474**
14	बाराबंकी	1842	703	**1139**
15	बरेली	348	231	**117**
16	बस्ती	1013	657	**356**
17	भदोही	3569	3320	**249**
18	बिजनौर	157	136	**21**
19	बदायूँ	666	309	**357**
20	बुलन्दशहर	52	26	**26**
21	चन्दौली	3568	2825	**743**
22	चित्रकूट	5923	3161	**2762**
23	देवरिया	813	716	**97**
24	एटा	118	46	**72**

25	इटावा	204	109	**95**
26	फर्रूखाबाद	373	208	**165**
27	फतेहपुर	960	514	**446**
28	फिरोजाबाद	84	31	**53**
29	गौतमबुद्धनगर	0	0	**0**
30	गाजियाबाद	0	0	**0**
31	गाजीपुर	5515	4962	**553**
32	गोण्डा	3315	2693	**622**
33	गोरखपुर	3317	2901	**416**
34	हमीरपुर	304	106	**198**
35	हापुड़	0	0	**0**
36	हरदोई	646	177	**469**
37	हाथरस	34	19	**15**
38	जालौन	671	467	**204**
39	जौनपुर	10573	9084	**1489**
40	झांसी	2216	1771	**445**
41	कन्नौज	1035	687	**348**
42	कानपुर देहात	1004	634	**370**
43	कानुपर नगर	399	220	**179**
44	काशीराम नगर	230	157	**73**
45	कौशाम्बी	2819	1281	**1538**
46	खीरी	5255	3699	**1556**
47	कुशीनगर	6110	5281	**829**
48	ललितपुर	4987	4022	**965**
49	लखनऊ	512	258	**254**
50	महराजगंज	5211	4954	**257**
51	महोबा	115	27	**88**
52	मैनपुरी	365	120	**245**
53	मथुरा	32	0	**32**
54	मऊ	1696	1341	**355**
55	मेरठ	1	1	**0**

56	मिर्जापुर	9161	8031	1130
57	मुरादाबाद	75	60	15
58	मुजफ्फरनगर	14	4	10
59	पीलीभीत	450	317	133
60	प्रतापगढ़	6337	5475	862
61	प्रयागराज	11238	9064	2174
62	रायबरली	2583	2184	399
63	रामपुर	133	87	46
64	सहारनपुर	450	351	99
65	सम्भल	42	12	30
66	संतकबीर नगर	320	146	174
67	शाहजहांपुर	1167	429	738
68	शामली	60	20	0
69	श्रावास्ती	807	663	0
70	सिद्धार्थनगर	1043	772	0
71	सीतापुर	1377	932	445
72	सोनभद्र	16508	8815	7693
73	सुल्तानपुर	6206	3914	2292
74	उन्नाव	1245	838	407
75	वाराणसी	3344	3055	289
	Total	161900	119603	42297

नत्थी (ठ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-190 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-158-159 पर)

उ०प्र० विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री विनोद चतुर्वेदी, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-190 के संबंध में विवरण

जनपद जालौन के बेतवा नहर प्रखण्ड-प्रथम/द्वितीय, उरई के वर्ष 2017 से मार्च 2023 तक धनावंटन / व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष 2017 से मार्च 2023 तक हमीरपुर शाख (बेतवा नहर प्रखण्ड-प्रथम) / कुठौंद शाख (बेतवा नहर प्रखण्ड-द्वितीय) की सफाई एवं व्यय का विवरण निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष	हमीरपुर शाख	कुठौंद शाख
	व्यय (लाख रू० में)	व्यय(लाख रू० में)
2017-18	200.178	277.930
2018-19	239.550	324.170
2019-20	538.890	384.400
2020-21	840.756	409.230
2021-22	1103.988	958.180
2022-23	1306.800	2549.990
योग-	4230.162	4903.900

बेतवा नहर प्रखण्ड- प्रथम, उरई (हमीरपुर शाख) एवं बेतवा नहर प्रखण्ड-द्वितीय, उरई (कुठौंद शाख) के द्वारा वर्ष 2017 से मार्च, 2023 तक सिल्ट सफाई एवं व्यय का विवरण निम्नवत है :-

वित्तीय वर्ष	हमीरपुर शाख (बेतवा नहर प्रखण्ड-प्रथम) के राजवाहा/माइनर की सिल्ट सफाई का विवरण				कठौंद शाख (बेतवा नहर प्रखण्ड-द्वितीय) के राजवाहा/माइनर की सिल्ट सफाई का विवरण			
	राजवाहा	माइनर	लम्बाई (कि०मी० में)	व्यय (लाख रू० में	राजवाहा	माइनर	लम्बाई (कि०मी० में)	व्यय (लाख रू० में
2017-18	11	38	248.265	78.47	10	68	361.308	99.94
2018-19	15	78	431.785	142.15	10	77	468.104	166.20
2019-20	9	77	402.714	156.15	10	104	552.75	193.06
2020-21	2	105	579.295	120.00	10	80	532.843	154.15
2021-22	11	168	964.478	240.34	10	93	590.539	231.82
2022-23	16	150	833.505	184.50	7	103	526.455	185.30

नत्थी (ड)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-201 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-165 पर)

संगठन का नाम–शारदा सहायक खण्ड–36

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विधान सभा का नाम	विकास खण्ड का नाम	प्रणाली का नाम	राजबहा/अल्पिका का नाम	राजबहा/अल्पिका का नाम की कुल लम्बाई (किमी0 में)	प्रगति		सिल्ट सफाई/स्क्रैपिंग की कुल लम्बाई
							सिल्ट सफाई	स्क्रैपिंग	
							लम्बाई (किमी0 में)	लम्बाई (किमी0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जौनपुर	मल्हनी	बक्शा	शारदा सहायक	जौनपुर रा0	79.762	0.000	5.690	5.690
2	जौनपुर	मल्हनी	बक्शा	शारदा सहायक	जौनपुर रा0		0.000	8.620	8.620
3	जौनपुर	मल्हनी	बक्शा	शारदा सहायक	जौनपुर रा0		0.000	2.852	2.852
2	जौनपुर	मल्हनी	करंजाकला	शारदा सहायक	रामपुर रा0	6.900	3.000	3.900	6.900
			विधान सभा का योग				**3.000**	**21.062**	**24.062**
1	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	जौनपुर रा0	79.762	0.000	9.400	9.400
2	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	जौनपुर रा0		0.000	8.490	8.490
3	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	भीमपुर रा0	26.440	0.000	12.275	12.275
4	जौनपुर	बदलापुर	बदलापुर	शारदा सहायक	भीमपुर रा0		0.000	14.140	14.140
5	जौनपुर	बदलापुर	बदलापुर	शारदा सहायक	धरौली रा0	30.015	0.000	3.015	3.015
			विधान सभा का योग				**0.000**	**47.320**	**47.320**
1	जौनपुर	सदर	खुटहन	शारदा सहायक	सहना रा0	7.200	4.000	3.200	7.200
2	जौनपुर	सदर	सोंधी	शारदा सहायक	सोंगर रा0	16.300	6.300	0.000	6.300
3	जौनपुर	सदर	सोंधी	शारदा सहायक	सोंगर रा0		3.690	6.300	9.990
4	जौनपुर	सदर	सोंधी	शारदा सहायक	शाहगंज रा0	27.900	3.700	0.000	3.700
5	जौनपुर	सदर	सोंधी	शारदा सहायक	शाहगंज रा0	27.900	1.300	0.000	1.300
			विधान सभा का योग				**18.990**	**9.500**	**27.190**
1	जौनपुर	शाहगंज	सुइथाकला	शारदा सहायक	लालापुर रा0	18.300	8.520	0.000	8.520
2	जौनपुर	शाहगंज	सुइथाकला	शारदा सहायक	लालापुर रा0		6.410	3.350	9.760
3	जौनपुर	शाहगंज	सोंधी	शारदा सहायक	शाहगंज प्रथम रा0	9.200	6.200	3.000	9.200
4	जौनपुर	शाहगंज	खुटहन	शारदा सहायक	जमुनिया रा0	8.000	5.000	3.000	8.000
5	जौनपुर	शाहगंज	सोंधी	शारदा सहायक	पक्खनपुर रा0	11.100	7.000	4.100	11.100

6	जौनपुर	शाहगंज	सुइथाकल/सौंधी	शारदा सहायक	हुसेनाबाद रा0	11.100	7.100	4.000	11.100
				विधान सभा का योग			**40.230**	**17.450**	**57.680**
1	जौनपुर	जफराबाद	धर्मापुर	शारदा सहायक	तारा रा0	5.200	0.000	2.620	2.620
2	जौनपुर	जफराबाद	धर्मापुर	शारदा सहायक	शाहगंज रा0	27.900	1.100	0.000	1.100
2	जौनपुर	जफराबाद	धर्मापुर	शारदा सहायक	शाहगंज रा0	27.900	7.200	0.000	7.200
				विधान सभा का योग			**8.300**	**2.620**	**10.920**
1	जौनपुर	केराकत	मुफतीगंज	शारदा सहायक	शाहगंज रा0	27.900	1.900	0.000	1.900
2	जौनपुर	केराकत	मुफतीगंज	शारदा सहायक	पेसारा रा0	25.400	5.150	0.000	5.150
3	जौनपुर	केराकत	केराकत	शारदा सहायक	पेसारा रा0		5.200	0.000	5.200
4	जौनपुर	केराकत	डोभी	शारदा सहायक	पेसारा रा0		0.000	7.750	7.750
4	जौनपुर	केराकत	डोभी	शारदा सहायक	पेसारा रा0		0.000	7.150	7.150
5	जौनपुर	केराकत	डोभी	शारदा सहायक	अमुवारा रा0	18.600	0.000	3.050	3.050
6	जौनपुर	केराकत	मुफतीगंज	शारदा सहायक	शाहगंज बढो0 रा0	8.900	0.000	2.500	2.500
6	जौनपुर	केराकत	मुफतीगंज	शारदा सहायक	शाहगंज बढो0 रा0		0.000	4.350	4.350
7	जौनपुर	केराकत	डोभी	शारदा सहायक	औडिहार रा0	19.200	0.000	6.070	6.070
8	जौनपुर	केराकत	केराकत	शारदा सहायक	पलिया रा0	14.800	3.900	0.000	3.900
				विधान सभा का योग			**16.150**	**30.870**	**47.020**
						राजवहा का योगः–	**86.670**	**128.822**	**214.192**
1	जौनपुर	सदर	करंजाकला	शारदा सहायक	अहगदपुर मा0	2.600	0.000	2.600	2.600
2	जौनपुर	सदर	करंजाकला	शारदा सहायक	चांदीगहना मा0	2.000	0.000	2.000	2.000
3	जौनपुर	सदर	खुटहन	शारदा सहायक	गरौठन मा0	3.400	2.000	1.400	3.400
4	जौनपुर	सदर	खुटहन	शारदा सहायक	अंगुली मा0	1.200	1.200	0.000	1.200
5	जौनपुर	सदर	खुटहन	शारदा सहायक	छतौरा मा0	1.000	1.000	0.000	1.000
6	जौनपुर	सदर	खुटहन	शारदा सहायक	कलापुर मा0	2.600	1.500	1.100	2.600
7	जौनपुर	सदर	सौंधी	शारदा सहायक	यूनूसपुर मा0	3.400	2.000	1.400	3.400
8	जौनपुर	सदर	सौंधी	शारदा सहायक	गुरैनी मा0	3.000	2.000	1.000	3.000
9	जौनपुर	सदर	सौंधी	शारदा सहायक	अमरेथुआ मा0	5.000	3.000	2.000	5.000
10	जौनपुर	सदर	करंजाकला	शारदा	भकुरा मा0	5.900	3.000	2.900	5.900

				सहायक					
11	जौनपुर	सदर	करंजाकला	शारदा सहायक	कादीपुर मा0	5.800	2.000	3.800	5.800
12	जौनपुर	सदर	सोंधी	शारदा सहायक	लपरी मा0	6.000	4.000	2.000	6.000
13	जौनपुर	सदर	करंजाकला	शारदा सहायक	जासोपुर मा0	6.000	4.000	2.000	6.000
14	जौनपुर	सदर	सोंधी	शारदा सहायक	सन्दहा मा0	5.000	3.000	2.000	5.000
15	जौनपुर	सदर	सोंधी	शारदा सहायक	सालारपुर मा0	2.800	1.500	1.300	2.800
16	जौनपुर	सदर	करंजाकला	शारदा सहायक	देवकली मा0	3.200	1.500	1.700	3.200
17	जौनपुर	सदर	सोंधी	शारदा सहायक	बहादुरपुर मा0	1.400	1.400	0.000	1.400
18	जौनपुर	सदर	सोंधी	शारदा सहायक	भैंसनी मा0	2.730	1.500	1.230	2.730
19	जौनपुर	सदर	करंजाकला	शारदा सहायक	पतहना मा0	2.600	0.000	2.600	2.600
				विधान सभा का योग			**34.600**	**31.030**	**65.630**
1	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	भिलावां मा0	1.940	0.000	1.600	1.600
2	जौनपुर	बदलापुर	बदलापुर	शारदा सहायक	फत्तूपुर मा0	2.750	0.000	2.750	2.750
3	जौनपुर	बदलापुर	बदलापुर	शारदा सहायक	दयालपट्टी मा0	2.260	0.000	2.260	2.260
4	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	हटियारामनाथपुर मा0	1.180	0.000	1.180	1.180
5	जौनपुर	बदलापुर	बदलापुर	शारदा सहायक	खानपुर मा0	4.296	0.000	2.696	2.696
6	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	[illegible] मा0	8.300	0.000	8.300	8.300
7	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	अमारी मा0 प्रथम	6.070	0.000	6.070	6.070
8	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	जन्नौर मा0	5.370	0.000	5.370	5.370
9	जौनपुर	बदलापुर	बदलापुर	शारदा सहायक	भीखमपुर मा0	4.964	0.000	2.664	2.664
10	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	हरईपुर मा0	1.410	0.000	1.410	1.410
11	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	बरहुपुर मा0	2.720	0.000	2.720	2.720
13	जौनपुर	बदलापुर	बक्शा	शारदा सहायक	विरसादपुर मा0	2.560	0.000	1.000	1.000
14	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	भटपुरा मा0	3.910	0.000	3.910	3.910
15	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	केवटली मा0	3.480	0.000	3.480	3.480
16	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	सोनपुरा मा0	0.370	0.000	0.370	0.370
17	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	रायपुरगोदास मा0	1.980	0.000	1.980	1.980

18	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	मीरापुर मा0	4.290	0.000	4.290	4.290
19	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	रामोध्पुर मा0	3.120	0.000	3.120	3.120
20	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	पुरालाल मा0	2.720	0.000	2.720	2.720
21	जौनपुर	बदलापुर	बदलापुर	शारदा सहायक	उमरी मा0	2.770	0.000	2.770	2.770
22	जौनपुर	बदलापुर	महराजगंज	शारदा सहायक	ढेना मा0	1.520	0.000	1.520	1.520
विधान सभा का योग							**0.000**	**62.180**	**62.180**
1	जौनपुर	जफराबाद	करंजाकला	शारदा सहायक	आरा मा0	5.500	0.000	5.500	5.500
2	जौनपुर	जफराबाद	धर्मापुर	शारदा सहायक	नरेन्द्रपुर मा0	4.200	0.000	4.200	4.200
3	जौनपुर	जफराबाद	धर्मापुर	शारदा सहायक	नयनखण्ड मा0	1.600	0.000	1.600	1.600
4	जौनपुर	जफराबाद	करंजाकला	शारदा सहायक	कुकुहा मा0	4.000	1.000	3.000	4.000
5	जौनपुर	जफराबाद	धर्मापुर	शारदा सहायक	भदैवरा मा0	6.200	2.800	3.400	6.200
6	जौनपुर	जफराबाद	करंजाकला	शारदा सहायक	चौकीघरखण्ड मा0	3.300	0.000	3.300	3.300
7	जौनपुर	जफराबाद	करंजाकला	शारदा सहायक	दुधौरा मा0	5.600	0.000	5.600	5.600
8	जौनपुर	जफराबाद	करंजाकला	शारदा सहायक	कबीरूददीनपुर मा0	4.200	0.000	4.200	4.200
9	जौनपुर	जफराबाद	धर्मापुर	शारदा सहायक	गोपालपुर मा0	2.200	0.000	2.200	2.200
10	जौनपुर	जफराबाद	धर्मापुर	शारदा सहायक	सकरामऊ मा0	5.500	0.000	5.500	5.500
11	जौनपुर	जफराबाद	धर्मापुर	शारदा सहायक	सखैला मा0	2.200	0.000	2.200	2.200
12	जौनपुर	जफराबाद	धर्मापुर	शारदा सहायक	दुर्गापुर मा0	4.000	0.400	0.000	0.400
विधान सभा का योग							**4.200**	**40.700**	**44.900**
1	जौनपुर	केराकत	केराकत	शारदा सहायक	सर्की मा0	1.000	0.000	1.000	1.000
2	जौनपुर	केराकत	मुफ्तीगंज	शारदा सहायक	जमुवारी मा0	2.790	0.000	0.000	0.000
3	जौनपुर	केराकत	मुफ्तीगंज	शारदा सहायक	भेहौडा मा0	1.600	0.000	1.600	1.600
4	जौनपुर	केराकत	मुफ्तीगंज	शारदा सहायक	फरीदाबाद मा0	3.500	0.000	3.500	3.500
5	जौनपुर	केराकत	डोभी	शारदा सहायक	काशीदासपुर मा0	4.700	0.000	4.700	4.700
6	जौनपुर	केराकत	केराकत	शारदा सहायक	पैसारा मा0	1.100	0.000	1.100	1.100
7	जौनपुर	केराकत	केराकत	शारदा सहायक	रोनापुर मा0	1.200	0.000	1.200	1.200
8	जौनपुर	केराकत	मुफ्तीगंज	शारदा सहायक	पतौरा मा0	1.400	0.000	1.400	1.400

9	जौनपुर	केराकत	केराकत	शारदा सहायक	पीथापुर मा0	1.000	0.000	0.000	0.000
10	जौनपुर	केराकत	केराकत	शारदा सहायक	पनिहर मा0	2.000	0.000	2.000	2.000
11	जौनपुर	केराकत	डोभी	शारदा सहायक	ऐलिया मा0	3.700	0.000	3.700	3.700
12	जौनपुर	केराकत	केराकत	शारदा सहायक	अमहित मा0	2.200	0.000	2.200	2.200
13	जौनपुर	केराकत	डोभी	शारदा सहायक	तराव मा0	3.700	0.000	3.700	3.700
14	जौनपुर	केराकत	मुफ्तीगंज	शारदा सहायक	परेउवा मा0	2.050	0.000	2.050	2.050
15	जौनपुर	केराकत	धर्मापुर/ मुफ्तीगंज	शारदा सहायक	मुफ्तीगंज मा0	4.330	0.000	4.330	4.330
16	जौनपुर	केराकत	मुफ्तीगंज	शारदा सहायक	मुर्तजाबाद मा0	2.200	0.000	2.200	2.200
17	जौनपुर	केराकत	मुफ्तीगंज	शारदा सहायक	खटहरा मा0	1.500	0.000	1.500	1.500
18	जौनपुर	केराकत	मुफ्तीगंज	शारदा सहायक	मुरारा मा0	3.200	0.000	3.200	3.200
विधान सभा का योग							**0.000**	**39.380**	**39.380**
1	जौनपुर	मल्हनी	करंजाकला	शारदा सहायक	खतीरपुर भैसा मा0	1.400	0.000	0.000	0.000
2	जौनपुर	मल्हनी	बक्शा	शारदा सहायक	विरसादपुर मा0	2.560	0.000	1.560	1.560
3	जौनपुर	मल्हनी	बक्शा	शारदा सहायक	नरी मा0	2.400	0.000	2.400	2.400
12	जौनपुर	मल्हनी	बक्शा	शारदा सहायक	बनगवा मा0	2.080	0.000	2.080	2.080
4	जौनपुर	मल्हनी	बक्शा	शारदा सहायक	मई मा0	5.800	0.000	5.800	5.800
5	जौनपुर	मल्हनी	बक्शा	शारदा सहायक	चुरावनपुर मा0	1.860	0.000	1.860	1.860
विधान सभा का योग							**0.000**	**13.700**	**13.700**
1	जौनपुर	शाहगंज	सुइथाकला	शारदा सहायक	मित्रसेनपुर मा0	2.400	1.500	0.900	2.400
2	जौनपुर	शाहगंज	सुइथाकला	शारदा सहायक	चिलबिला मा0	2.600	1.500	1.100	2.600
3	जौनपुर	शाहगंज	सुइथाकला	शारदा सहायक	बेनीपुर मा0	2.600	1.500	1.100	2.600
4	जौनपुर	शाहगंज	सुइथाकला	शारदा सहायक	जौनपुर मा0 प्रथम	0.950	0.950	0.000	0.950
5	जौनपुर	शाहगंज	सुइथाकला	शारदा सहायक	कटघर मा0	2.610	2.000	0.610	2.610
6	जौनपुर	शाहगंज	सुइथाकला	शारदा सहायक	बुमकहां मा0	0.810	0.810	0.000	0.810
7	जौनपुर	शाहगंज	सुइथाकला	शारदा सहायक	रामनगर मा0	2.100	1.500	0.600	2.100
8	जौनपुर	शाहगंज	सुइथाकला	शारदा सहायक	भटौली मा0	2.600	1.500	1.100	2.600
9	जौनपुर	शाहगंज	सुइथाकला	शारदा सहायक	सरपतहां मा0	3.900	2.000	1.900	3.900

10	जौनपुर	शाहगंज	सुइथाकला	शारदा सहायक	सुईथाकला मा0	3.400	2.000	1.400	3.400
11	जौनपुर	शाहगंज	सुइथाकला	शारदा सहायक	बुद्धपुर मा0	2.200	1.200	1.000	2.200
12	जौनपुर	शाहगंज	सुइथाकला	शारदा सहायक	कटका मा0	1.000	1.000	0.000	1.000
13	जौनपुर	शाहगंज	खुटहन	शारदा सहायक	बिशुनपुर गा0	2.400	1.300	1.100	2.400
14	जौनपुर	शाहगंज	सुइथाकला	शारदा सहायक	जंगीपुर मा0	2.500	1.200	1.300	2.500
15	जौनपुर	शाहगंज	सोंधी	शारदा सहायक	सुरिस मा0	3.200	1.800	1.400	3.200
16	जौनपुर	शाहगंज	सोंधी	शारदा सहायक	बढ़ौना मा0	1.085	1.085	0.000	1.085
17	जौनपुर	शाहगंज	सोंधी	शारदा सहायक	खैरुद्दीनपुर मा0	4.200	1.200	3.000	4.200
18	जौनपुर	शाहगंज	सोंधी	शारदा सहायक	छबुआकला मा0	1.000	1.000	0.000	1.000
19	जौनपुर	शाहगंज	सोंधी	शारदा सहायक	ताखा मा0	1.800	1.000	0.800	1.800
20	जौनपुर	शाहगंज	सोंधी	शारदा सहायक	भादी गा0	1.150	1.150	0.000	1.150
21	जौनपुर	शाहगंज	सोंधी	शारदा सहायक	नरवारी मा0	1.600	0.800	0.800	1.600
22	जौनपुर	शाहगंज	खुटहन	शारदा सहायक	फिरोजपुर मा0	2.900	1.500	1.400	2.900
23	जौनपुर	शाहगंज	सोंधी	शारदा सहायक	गौसपुर मा0	8.200	5.000	3.200	8.200
24	जौनपुर	शाहगंज	सोंधी	शारदा सहायक	सैदपुर गा0	3.476	2.300	1.176	3.476
25	जौनपुर	शाहगंज	खुटहन	शारदा सहायक	बद्दोपुर मा0	4.000	2.500	1.500	4.000
26	जौनपुर	शाहगंज	खुटहन	शारदा सहायक	पारपुर मा0	1.000	1.000	0.000	1.000
27	जौनपुर	शाहगंज	सोंधी	शारदा सहायक	मलहद मा0	0.500	0.500	0.000	0.500
28	जौनपुर	शाहगंज	खुटहन	शारदा सहायक	निजानपुर मा0	0.500	0.500	0.000	0.500
29	जौनपुर	शाहगंज	खुटहन	शारदा सहायक	सुईथाखुर्द मा0	2.200	1.500	0.700	2.200
30	जौनपुर	शाहगंज	खुटहन	शारदा सहायक	रानीमऊ मा0	3.400	2.000	1.400	3.400
31	जौनपुर	शाहगंज	खुटहन	शारदा सहायक	नौली मा0	3.750	2.000	1.750	3.750
32	जौनपुर	शाहगंज	सोंधी	शारदा सहायक	खेतासराय मा0	6.000	4.000	2.000	6.000
33	जौनपुर	शाहगंज	खुटहन	शारदा सहायक	टिकरीखुर्द मा0	2.280	1.500	0.780	2.280
विधान सभा का योग							52.295	32.016	84.311
माइनर का योगः–							91.095	219.006	310.101
सम्पूर्ण योगः–							177.765	347.828	524.293

संगठन का नामः–शारदा सहायक खण्ड–39

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	विधान सभा का नाम	प्रणाली का नाम	राजवहा/अल्पिका का नाम	राजवहा/अल्पिका की प्रस्तावित लम्बाई (किमी0. में)	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
1	2	3	4	5	6	7		8
राजवहा जौनपुर								
1	जौनपुर	मुं0 बादशाहपुर	मुं0 बादशाहपुर	नरायनपुर प्रणाली	नरायनपुर राजवहा	35.800	35.800	
						25.020	25.020	
2		मुं0 बादशाहपुर	मुं0 बादशाहपुर		रतहरिया राजवहा	9.000	9.000	
3		मुं0 बादशाहपुर	मुं0 बाद/मछली0		ऊँचडीह राजवहा	13.650	13.650	
4		मुं0 बाद/मछली0	मुं0 बाद/मछली0		कसेरवा राजवहा	8.800	8.800	
5		बरराठी	मछलीशहर		महुआरी राजवहा	12.100	12.100	
6		बरसठी	मछलीशहर		जनालपुर राजवहा	14.500	14.500	
7		बरसठी	मछलीशहर		भगवानपूर राजवहा	11.200	11.200	
8		रामपुर	मड़ियाहूँ		पटखौली राजवहा	6.400	6.400	
9		रामपुर	मड़ियाहूँ		कुचारी राजवहा	2.900	2.900	
					योग राजवहा जौनपुर	**139.370**	**139.370**	
माइनर 8 क्यूसेक से अधिक जौनपुर								
1	जौनपुर	मुं0 बादशाहपुर	मुं0 बादशाहपुर	नरायनपुर प्रणाली	रारहटी माइनर	5.000	5.000	
2		मुं0 बादशाहपुर	मुं0 बादशाहपुर		गजाधरपुर माइनर	0.800	0.800	
3		मुं0 बादशाहपुर	मुं0 बादशाहपुर		बनकट माइनर	6.400	6.400	
4		मछलीशहर	गैंगराबादशाहपुर		जरौना माइनर	0.800	0.800	
5		बरसाठी	मछलीशहर		हिरामनपुर माइनर	4.900	4.900	
6		बरसाठी	मछलीशहर		मनौरा माइनर	4.900	4.900	
7		बरसठी	मछलीशहर		प्रानपुर माइनर	8.200	8.200	
8		बरसठी	मछलीशहर		कारो माइनर	4.550	4.550	
9		रामपुर	मड़ियाहूँ		कुदैला माइनर	3.600	3.600	
					योग 8 क्यूसेक से अधिक जौनपुर	**39.150**	**39.150**	
माइनर 8 क्यूसेक से कम जौनपुर								
1	जौनपुर	मुं0 बादशाहपुर	मुं0 बादशाहपुर	नरायनपुर प्रणाली	सोहासा माइनर	3.400	3.400	
2		मुं0 बादशाहपुर	मुं0 बादशाहपुर		आशापुर माइनर	2.800	2.800	
3		मुं0 बादशाहपुर	मुं0 बादशाहपुर		रामपुर माइनर	2.400	2.400	
4		मुं0 बादशाहपुर	मुं0 बादशाहपुर		कबीरपुर माइनर	1.600	1.600	
5		मुं0 बादशाहपुर	मुं0 बादशाहपुर		बाभनपुर माइनर	2.000	2.000	
6		मुं0 बादशाहपुर	मछलीशहर		टिकरा माइनर	3.400	3.400	
7		मुं0 बादशाहपुर	मुं0 बादशाहपुर		अमोध माइनर	3.200	3.200	
8		मुं0 बादशाहपुर	मुं0 बादशाहपुर		सेमरी माइनर	4.000	4.000	

9		मुं0 बादशाहपुर	मुं0 बादशाहपुर		करौर माइनर	1.800	1.800	
10		मुं0 बादशाहपुर	मुं0 बादशाहपुर		हवेली माइनर	3.000	3.000	
11		मछलीशहर	मछलीशहर		चौधार माइनर	2.700	2.700	
12		मुं0 बादशाहपुर	मुं0 बादशाहपुर		मुजाव माइनर	3.800	3.800	
13		मछलीशहर	मछलीशहर		सहनी माइनर	2.400	2.400	
14		मछलीशहर	मछलीशहर		देवकीपुर माइनर	4.000	4.000	
15		मछलीशहर	मछलीशहर		भटेवरा माइनर	0.500	0.500	
16		मछलीशहर	मछलीशहर		चिंताव माइनर	2.000	2.000	
17		मुंगराबादशाहपुर	मुंगराबादशाहपुर		गोधना माइनर	1.000	1.000	
18		मुंगराबादशाहपुर	मुंगराबादशाहपुर		मोलनापुर माइनर	1.600	1.600	
19		मछलीशहर	मुंगराबादशाहपुर		सिसवा माइनर	1.600	1.600	
20		मछलीशहर	मुंगराबादशाहपुर		चौकीखुर्द माइनर	2.300	2.300	
21		मछलीशहर	मुंगराबादशाहपुर		भटहर माइनर	2.200	2.200	
22		मछलीशहर	मछलीशहर		लासा माइनर	3.000	3.000	
23		मछलीशहर	मछलीशहर		सेमरहू माइनर	1.600	1.600	
24		बरसठी	मछलीशहर		भैंसा माइनर	4.600	4.600	
25		बरसठी	मछलीशहर		बसेहरा माइनर	1.400	1.400	
26		मछलीशहर	मछलीशहर		विनायकपुर माइनर	4.600	4.600	
27		बरसठी	मछलीशहर		सोतीपुर माइनर	3.000	3.000	
28		बरसठी	मछलीशहर		जूही माइनर	0.800	0.800	
29		बरसठी	मछलीशहर		आदनपुर माइनर	4.600	4.600	
30		बरसठी	मछलीशहर		गारोपुर माइनर	4.800	4.800	
31		बरसठी	मछलीशहर		गारोपुर लिंक माइनर	1.200	1.200	
32	जौनपुर	बरसठी	मछलीशहर	नरायनपुर प्रणाली	गहली माइनर	1.200	1.200	
33		बरसठी	मछलीशहर		सरसरा माइनर	3.000	3.000	
34		बरसठी	मछलीशहर		विजयगिरि माइनर	3.000	3.000	
35		बरसठी	मड़ियाहूँ		असवां माइनर	2.300	2.300	
36		रामपुर	मड़ियाहूँ		हरिपुर माइनर	2.400	2.400	
37		रामपुर	मड़ियाहूँ		बनीडीह माइनर	3.600	3.600	
38		रामपुर	मड़ियाहूँ		फजुलहा माइनर	2.000	2.000	
39		रामपुर	मड़ियाहूँ		खेमापुर माइनर	1.800	1.800	
40		रामपुर	मड़ियाहूँ		गंधौना माइनर	3.000	3.000	
41		रामपुर	मड़ियाहूँ		कतार माइनर	2.000	2.000	
42		रामपुर	मड़ियाहूँ		भीमपुर माइनर	1.800	1.800	
43		रामपुर	मड़ियाहूँ		सिधवन माइनर	3.600	3.600	
44		रामपुर	मड़ियाहूँ		दयालपुर माइनर	2.000	2.000	
45		रामपुर	मड़ियाहूँ		काशीपुर माइनर	0.500	0.500	
					योग 8 क्यूसेक से कम जौनपुर	113.500	113.500	
					जनपद जौनपुर का राजबहा, 8 क्यूसेक से कम माइनर, 8 क्यूसेक से अधिक तथा स्केप का सम्पूर्ण योग	292.020	292.020	